राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र के पच्चीसवां दिवस संख्या–18

शुक्रवार,

दिनांक 20 जुलाई, 1990

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ।

जोधपुर लिफ्ट हेतु अवाप्त भूमि

453. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जलदाय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जो लिफ्ट नहर बनाई जा रही है उस हेतु 250 मीटर चौड़ी भू-पट्टी अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी अधिक भूमि अवाप्त करने से बड़ी संख्या में कृषकों की आधी से अधिक भूमि अवाप्त हो गई है एवं बड़ी संख्या में परिवार विस्थापित हो गये हैं ?

(3) क्या नहर, सड़क एवं वृक्ष लगाने हेतु 100 मीटर की पट्टी पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार व्यापक जन-आक्रोश को ध्यान में रखकर इस पट्टी को 100 मीटर तक सीमित करने पर विचार करेगी ?

(5) क्या सरकार विस्थापित लोगों को इन्दिरा गांधी नहर योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित करने पर विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (श्री देवीसिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थापित करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है । नेक्स्ट टर्न पर जवाब दे दूंगा ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम प्रश्न देता हूं, आधे से अधिक प्रश्न मेरे स्थगित हुए हैं । जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वही पूछता हूं ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसका 24 तारीख को उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : निश्चित तौर पर नेक्स्ट टर्न पर इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर आयेगा तो जवाब आ जायेगा। स्थगित होने पर जवाब आपको वैसे भी मिलेगा।

नेक्स्ट। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात उनसे हो गई थी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 जुलाई, 1990)

ट्रस्ट अधीन मन्दिरों की व्यवस्था

245. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) (श्री जनार्दन सिंह गहलोत के स्थान पर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन मंदिरों के ट्रस्टों को चढ़ावे के रूप में विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी आय प्रति वर्ष होती रही है ? आय स्रोत व व्यय मद पर क्या राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण है ? यदि हां, तो किस रूप में है ?

(2) उक्त मन्दिरों की आय के उनके विकास कार्यों एवं दर्शनार्थियों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उक्त अवधि में अब तक किस-किस कार्य पर कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) राज्य के निम्न चार मुख्य मन्दिरों के सार्वजनिक प्रन्यासों के चढ़ावे के रूप में प्राप्त आय का विगत तीन वर्षों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है :

1. ट्रस्ट मन्दिर श्री केला देवी जी, करौली।

2. ट्रस्ट मन्दिर श्री मदनमोहन जी, करौली।

3. ट्रस्ट मन्दिर श्री हनुमानजी घाट के बालाजी, मेहन्दीपुर।

4. ट्रस्ट दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र, श्री महावीर जी।

सार्वजनिक प्रन्यासों/मन्दिर के आय स्रोत व व्यय के मद पर राज्य सरकार का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्राइवेट ट्रस्ट के तहत ये सब मन्दिर चल रहे हैं। यहां पर जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है और सब आमदनी प्राइवेट ट्रस्टों में प्राइवेट आदमियों के हाथों

(3)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में जा रही है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार वैष्णो देवी मन्दिर के प्रबन्ध को सरकार ने अपने हाथ में लिया और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिये वहां सब प्रकार की व्यवस्था की, इसी पैटर्न पर क्या सरकार इन मन्दिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीतिगत प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : यह नीतिगत प्रश्न नहीं आपने स्पेसिफिक विचार का पूछा है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, केलादेवी के मन्दिर के बारे में, मेहन्दीपुर के बालाजी के मन्दिर के बारे । सरकार वैष्णो देवी मन्दिर ट्रस्ट की भांति, जैसे वैष्णो देवी मन्दिर के प्रबन्ध को सरकार ने हाथ में लिया है क्या सरकार इन मन्दिरों के प्रबन्ध को हाथ में लेने का इरादा रखती है, दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिये और वहां जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : आज उनको राजी कर लो, ले लेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजी का प्रश्न नहीं है, सरकार को लेना पड़ेगा । वैष्णो देवी के मामले में लोग कहां राजी थे ? बड़ा विरोध हुआ लेकिन आज जो वहां व्यवस्था हुई है उसे हिन्दुस्तान के जितने दर्शनार्थी है, जितने भक्त लोग हैं उन्होंने सराहा है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार ऐसा करना चाहती है या नहीं, इसके बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (1) के प्रावधानों के मुताबिक जो व्यवस्थायें हैं उसमें राज्य सरकार का सीधा नियन्त्रण नहीं है लेकिन किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो उसके आधार पर जांच करके कार्यवाही की जाती हैं । जहां ज्यादा शिकायतें आवेगी, उसके जांच करने के बाद में यदि प्रतीत होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न शिकायत का नहीं है । जो वहां आमदनी हो रही है, जो चढ़ावा आ रहा है उसके अनुपात में वहां पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक बात समझ लें, इसमें कई काम्लीकेशन्स हैं । इसमें सम्प्रदाय जुड़े हुए हैं । सम्प्रदायों के अपने ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ की शिकायत हो तो सरकार सुनने को तैयार है । मगर जब तक बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी तब तक उसमें इन्टरवीन करने का मतलब ट्रबल इन्वाइट करना है । सारे सम्प्रदाय खिलाफ हो जायेंगे कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो....

(6)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें धर्म में हस्तक्षेप क्या है ?

श्री अध्यक्ष : होता है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सेवा पूजा, मन्दिर वहीं रहेंगे, सेवा पूजा वैसी ही होगी। दक्षिण भारत के अन्दर एण्डीमेण्ट डिपार्टमेण्ट....

श्री अध्यक्ष : वे बहुत बड़े हैं, एक्सट्रा आर्डिनरी बड़े हैं, इतने बड़े यहां नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां भी करोड़ों रुपया साल का आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : खैर, जब ऐसी स्थिति आयेगी, सरकार विचार करेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : शिकायत के ऊपर नहीं, बात कर रहा हूं। मैं लोगों की सुविधा के लिये, धर्म प्रेमियों की सुविधा के लिये, वहां सेवा-पूजा-अर्चना अच्छी तरह हो सके....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अगर बाहर सरकार से बात करें तो बैटर रहेगा, उसमें कुछ रिजल्ट निकलेगा, अन्दर रिजल्ट निकलेगा नहीं ।

नेक्स्ट । श्री लक्ष्मी लाल ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सप्लीमेन्ट्रीज करना करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये ।

श्री परसादीलाल मीणा : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : जिनको आॅथोराइज किया, करवा दिया । एक तो मैंने इसको ले लिया, मैं लेता ही नहीं । आप बिराजिये ।

आसीन्द तहसील के प्राथमिक विद्यालय

454. श्री लक्ष्मीलाल (आसींद) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाड़ा से गत वर्ष कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों का बजट एवं स्टाफ कब स्वीकृत हुआ तथा उक्त विद्यालय कब आरम्भ किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक स्वीकृति प्रदान कर विद्यालय प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि बजट एवं स्टाफ के अभाव में स्वीकृत विद्यालय आरम्भ नहीं हो सके ? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालय प्रारम्भ नहीं हुए तथा अब कब तक प्रारम्भ हो जायेंगे ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हरलालसिंह खर्रा) : (1) पंचायत समिति आसीन्द में गत वर्ष में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये थे, अलबत्ता पंचायत शिक्षा केन्द्र खोले गये थे ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष कितने शिक्षा केन्द्र आसींद तहसील में खोले गये थे और कहां-कहां खोले गये थे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि इस प्रदेश में हजारों की संख्या में बी. एड. और एस. टी. सी. के प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं जो ओवर एज के निकट पहुंच रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी को इस वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नियुक्तियां करेगी। मेरा तीसरा प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं एक निवेदन करूं कि शिक्षा केन्द्रों के बारे में 23 तारीख को मन्त्री जी एक स्टेटमेण्ट दें। उसमें डिटेल्ज में होगा। उस वक्त आप यह पूछेंगे तो कोई रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि उस वक्त वे अपनी पूरी तैयारी करके आयेंगे। शिक्षा केन्द्रों के बारे में फाइनेन्सेस की, अपाइण्टमेन्ट्स की जितनी भी हैं उस बारे में पूरा डिस्क्शन होगा। आप उस समय यह सवाल पूछें तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होगा ताकि आपको सही और पूरा उत्तर मिल जायेगा। अभी अधूरा रहेगा।

नेक्स्ट। श्री उम्मेद सिंह।

श्री लक्ष्मीचन्द : मान्यवर, उसमें एक प्रश्न और था यह जो प्रशिक्षित बी. एड. और एस. टी. सी. के हैं ...

श्री अध्यक्ष : वह सारे इसमें आ जायेंगे। यह केवल शिक्षा केन्द्रों के बारे में ही स्टेटमेन्ट दिया जा रहा है। इसलिये शिक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित सारे सवाल आप उसमें पूछ सकते हैं।

डीडवाना पंचायत समिति में जे. आर. आई के कार्य

455. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवाहर रोजगार योजना में पंचायत खाटू छोटी, पंचायत समिति डीडवाना को मार्गदर्शिका के विपरीत श्मशान भूमि की चारदीवारी बनाने की स्वीकृति दी गई ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत नियम सम्मत थी ? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध स्वीकृति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या उक्त लागत राशि सामूहिक रूप से वसूल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत खाटू ने शेरानियों की ढाणी में पीने के पानी की टंकी (हौज) ठेकेदार द्वारा ठेके से बनाई गई थी और क्या यह टंकी टूट गई तथा एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार घटिया निर्माण करने व कराने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मृतक के परिवार की सरकार व स्थानीय पंचायत द्वारा क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक परिवार को सरकार अब कब तक क्या सहायता प्रदान करेगी ?

(श्री उम्मेद सिंह)

(4) वर्ष 1988-89 में उक्त पंचायत को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि की क्या-क्या स्वीकृतियां दी गईं ? क्या यह भी सही है कि पंचायत में हुए सभी कार्य ठेके से कराये गये हैं ? और सभी प्रधान के पुत्र के माध्यम से कराये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच कर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत छोटी खाटू, पंचायत समिति डीडवाना को श्मशान भूमि की चारदीवारी बनाने की स्वीकृति दी गई है जो जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार एवं नियम संगत है।

(2) पंचायत छोटी खाटू के शेरानियों की ढाणी में पीने के पानी के हौज का निर्माण ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया अपितु ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया। यह सही है कि यह हौज $1\frac{1}{2}$ माह तक ग्रामवासियों द्वारा उपयोग में लेने के उपरांत टूट गया और एक महिला की मृत्यु भी हो गई। टंकी के टूटने के कारणों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच परिणाम प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) मृतक के परिवार को जिला प्रशासन द्वारा सहायता दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) वित्तीय वर्ष 1988-89 में ग्राम पंचायत छोटी खाटू को किसी भी प्रकार के कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई थी और इस योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य ठेके पर नहीं कराया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या श्मशान भूमि पर चार दीवारी बनाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया था ? इस चार दीवारी में इतना घटिया माल लगाया गया है कि इसके कारण से बनाने के 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद जगह-जगह से दीवार गिर गई। दूसरे खण्ड में आपने बताया है कि टंकी डेढ़ महीने पानी से भरने, उपयोग में लेने के बाद में गिरी है। यह बात बिल्कुल गलत है और आपको सूचना गलत दी गई है। सदन को गुमराह किया गया है। यह पहले दिन यानी 12.6.1990 को टंकी में पानी भरा गया, उसी दिन यह टंकी टूट गई और एक महिला जो वहां पानी भरा जा रहा था, मलबे के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। आज तक उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता सरकार की तरफ से या पंचायत की तरफ से नहीं दी गई। पुलिस में पंचायत ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। न ही मुकदमा दर्ज हुआ। इसका क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री महोदय इसकी न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस कार्य की मंजूरी ग्राम सभा और पंचायत दोनों ने ही दी थी। पहले ग्राम सभा ने

(श्री सम्पतराम)

फैसला किया और उसके बाद में पंचायत ने इसका एन्डोर्समेन्ट किया और जहां तक यह कह रहे हैं काम खराब हुआ है और टूट गया। यह तो निश्चित बात है, खराब था जब तो टूटा ही है। जहां तक घोटाले की बात....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वो चार दीवारी के लिए भी कह रहे हैं।

श्री सम्पतराम : हां, चार दीवारी के लिए भी मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चार दीवारी नहीं टूटी है, टंकी टूटी है।

श्री सम्पतराम : चार दीवारी टूटने की मेरे पास खबर नहीं है, मैं प्रश्नकर्त्ता....

श्री अध्यक्ष : वो भी कह रहे हैं, टूटी नहीं है। मगर जो उसमें सामान लगाया गया है, वह घटिया किस्म का है, वह टूट सकती है। इसकी भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना आपने दी है, इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, यही वो चाह रहे हैं।

श्री उम्मेद सिंह : खण्ड चार में आपने बताया है कि किसी भी प्रकार के प्रस्ताव नहीं लिये गये हैं। ये प्रस्ताव नहीं लिये गये लेकिन वहां 3–4 काम उस प्रधान के लड़के द्वारा करवाये और अभी यह एक्सीडेन्ट क्वेश्चन होने के बाद में यह नहीं कहा कि हमने इसकी स्वीकृति दी है। यह बिल्कुल गलत है। ठेके से सब काम हुआ है और टंकी में इतना घटिया माल लगाया गया है कि जिसके कारण से यह टंकी टूटी है और एक महिला की मृत्यु हुई है। आज तक उसका पुलिस में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार की जांच भी नहीं हुई। यह बात तो बहुत ही खेदजनक है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि ठेके से काम नहीं हुआ। पुलिस में केस दर्ज होने का सवाल कहीं पैदा नहीं होता है? बाई एक्सीडेन्ट एण्ड चांस वह गिर गया, एक महिला मर गई। इसमें पुलिस में क्या केस दर्ज होता।

श्री उम्मेद सिंह : घटिया माल लगाने के कारण तो टंकी टूटी है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

श्री सम्पतराम : इसमें जहां तक सामान खराब लगने का प्रश्न है, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री उम्मेद सिंह : एक महिला की मृत्यु हो जाय, उसके बाद में किसी प्रकार की जांच नहीं हो, इससे बड़ा दु:ख और क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह जांच तो करवाने की कह रहे हैं। वह जांच तो करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 456।

नेक्स्ट। श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में राशन की दुकानें

457. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) एवं **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशन-पोल) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कितनी राशन की दुकानें स्वीकृत एवं लाइसेंसशुदा हैं ? सूची मय स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह शहर की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो कितनी कम है ? कमी को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि शहर के दूर-दराज की कालोनीज में राशन की दुकानें नहीं होने से वहां के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसी कालोनीज में दुकानें खोलने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जयपुर शहर में वर्तमान में 532 राशन की दुकानें स्वीकृत एवं प्राधिकार पत्रशुद्धा हैं। दुकानों की एरियावाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। कुछ क्षेत्रों में नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव हाल में ही प्राप्त हुए हैं। लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि हेतु केन्द्र से प्रयास जारी हैं। कोटे में वृद्धि होने पर नई दुकानें खुलवाने का औचित्य होगा। नई दुकानों से अभी लेवी चीनी वितरित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(3) जी नहीं, दूर-दराज की कालोनीज में राशन की दुकानें हैं, किन्तु जनसंख्या को देखते हुए वहां दुकानों की कुछ कमी है। इस कमी की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (2) में विवरण अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 4–5 प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, ऐसे प्रश्न पूछिये जिनका जवाब हाथों-हाथ मिल जाय।

श्री कालीचरण सराफ : हां, वे ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : चार-पांच में कहीं आप भाषण दोगे तो उलझ जायेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, भाषण नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पाइण्टेड प्रश्न पूछिये।

श्री कालीचरण सराफ : पाइण्टेड प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब भी दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष : हां, बिल्कुल। पाइण्टेड प्रश्न के लिए पाइण्टेड जवाब मिल जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : पहला प्रश्न, जयपुर शहर में जो वर्तमान में 532 राशन की दुकानें बताईं, उनमें से कितनी दुकानें अटेच्ड हैं और अटेच्ड दुकानों को री-अलाट करने के बारे में सरकार क्या सोचती है ? दूसरा, क्या यह सही है कि इन राशन की

(श्री कालीचरण सराफ)

दुकानों में कई दुकानें एक ही व्यक्ति ने विभिन्न नामों से ले रखी हैं। यदि हां, तो ऐसी कितनी दुकानें हैं और उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। तीसरा आपने बताया कि जो दूर-दराज की कालोनीज हैं, उनमें जनसंख्या को देखते हुए दुकानों की कुछ कमी है। उनकी पूर्ति कैसे की जावेगी, आपने कहा है कि यह विवरण में दिया गया है पर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि विवरण में कहां क्या है, क्या इसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। अब जैसे मालवीया नगर है, वहां पर जनसंख्या कितनी है और वहां दुकानें कितनी हैं ? जो ऐसे इलाके हैं, मालवीया नगर, मानसरोवर और वैशाली, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं ? चौथा क्या यह भी सही है कि इन दुकानों को खोलने का कोई समय निर्धारित है ? और यदि समय निर्धारित है तो क्या समय है और क्या उस समय पर दुकानें खुलती हैं ? नहीं खुलती है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इसके क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि अधिकांश दुकानदारों ने बेनामी राशन-कार्ड बना रखे हैं ? जिनके आधार पर आवंटित चीनी आदि उठाकर डाइरेक्ट ब्लैक में बेच देते हैं। यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने जो केरोसिन तेल के आवंटित लाइसेंस थे, उनको रद्द कर दिया है। यदि हां, तो जो व्यक्ति इससे बेरोजगार हुए, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है ? और इन केरोसिन पाइण्ट्स रद्द क्यों किये गये ? यह जरा 4–5 सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक बात सूचित करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य प्रश्नों पर एक सप्लीमेन्ट्री कर सकते हैं ? आप एक के नाम पर .0–10 सप्लीमेन्ट्री करते हैं। आज तो मैं अलाऊ करता हूं, आइन्दा ऐसे अलाऊ करूंगा नहीं। केवल एक सप्लीमेन्ट्री का प्रावधान है। नाम होता है एक का और 1, 2, 3, 4 अ, ब, स, द, जो करते हैं, वह नियम विरुद्ध है। इस बात को आप ध्यान रखें।

माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, एक तो अटेचमेन्ट दुकानें दी जाती है, उनके बारे में पूछा है। अटेचमेन्ट के लिए अध्यक्ष महोदय, वैसे व्यवस्था यह है कि जहां तक सम्भव है। किसी दूसरी दुकान को अटेच नहीं किया जाय। जब दुकानें अलाट की जाती हैं, उसका प्रोसीजर यह है कि अखबारों में साया किया जाय कि ये दुकानें यहां पर वेकेन्ट हैं और इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उसके बाद में व्यवस्था यह की गई है कि 10 प्रतिशत दुकानें वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार कर ली जायं ताकि जब भी कोई दुकान सस्पेण्ड हो या वह छोड़ दे, उस समय के लिए उस दूसरी दुकान से उसको सामान उपलब्ध कराया जावे और वितरण कराया जावे। लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए अटेचमेन्ट की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद में या तो न आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं या दुबारा दुकान बहाल हो जाती है तो उसके द्वारा

(श्री रामकिशोर मीणा)

किया जाता है। वर्तमान में मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 100 दुकानें अटेचमेन्ट के अन्तर्गत हैं। जल्दी ही इनका अटेचमेन्ट खतम करके नये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करके उनको दुबारा चालू करने की कोशिश की जावेगी। दूसरा प्रश्न मालवीया नगर के बारे में पूछा है कि वहां नई कालोनीज डवलप हुई हैं। उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो नये प्रस्ताव है, उसके अनुसार वह जयपुर के एरिया नम्बर दो में है और उसमें 30 दुकानों के प्रस्ताव हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें परेशानी यह है कि हमको केन्द्र सरकार से चीनी और सारी वस्तुएं जितनी भी हैं वे अक्टूबर, 1986 की जनसंख्या के हिसाब से मिलती है और अब वर्तमान में जनसंख्या बढ़ गई। अक्टूबर, 19:6 में मालवीया नगर और मानसरोवर की जनसंख्या बहुत कम थी। और जब तक अतिरिक्त आवंटन नहीं होता हमको, तब तक हमारे पास दो ही विकल्प हैं या तो हम जो 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो देते हैं, उसको कम कर सबको समान रूप से वितरण किया जावे तो उसके हिसाब से वितरण किया जा सकता है। दूसरा, यदि वर्तमान हिसाब से ही दिया जाता है तो जो भी नये राशनकार्ड बने हैं, उनको हम चीनी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, फर्जी राशनकार्डों के बारे में पूछा है, फर्जी राशन-कार्डों के बारे में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में कई कालोनीज में और कई राशन की दुकानों पर फर्जी राशन कार्ड मिले हैं और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जहां-जहां भी हैं, उनको रद्द किया जा रहा है। उनके जो लाइसेंस हैं उनको रद्द किया जा रहा है। उसकी व्यवस्था यह की है कि 3 महीने के अन्दर-अन्दर सारे फर्जी राशन-कार्डों की चैकिंग हो जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रसद अधिकारियों की बैटक ली थी जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि समस्त राजस्थान में 3 महीने के अन्दर-अन्दर फर्जी राशनकार्डों की व्यवस्था खत्म की जावे।

चौथा प्रश्न केरोसिन पाइण्ट्स के बारे में पूछा था। केरोसिन में आम तौर पर यह शिकायत आ रही थी कि ज्यादातर ऐसी दुकानों को केरोसिन दिया जा रहा है जो रिकार्ड में कहीं उपलब्ध हैं ही नहीं। उसको ब्लैक में बेच देते हैं या कम देते हैं। इसके आधार पर व्यवस्था सुधारने के लिए यह नीति अपनाई गई हैं, अध्यक्ष महोदय, कि जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उन्हें यदि मिट्टी का तेल देते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जावेगी। इसके बारे में केरोसिन डीलर्स का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था। उनसे बातचीत के दौरान यह तय किया गया कि यदि वे इन फेयर प्राइस शाप्स को देंगे तो उनको इसमें प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : एक और रह गया है। जो एक आदमी के नाम से कई दुकानें हैं। ऐसा आपको बताया गया है।

श्री रामकिशोर मीणा : यह जो एक आदमी के नाम से दुकाने हैं, जैसे-जैसे इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, उनकी

(श्री रामकिशोर मीणा)
जांच कराने के बाद में यदि उनमें सत्यता पाई जाती है तो उन दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किये जाते हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव भी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। एक सवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो सवाल।

श्री अध्यक्ष : दो नहीं एक, सिर्फ एक। बोलने की कला आप में है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, उन्होंने जो बताया है, मैं तो सारा भूल ही गई आपके एक कहते ही....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, भूल गई तो कोई बात नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो मिट्टी तेल के बारे में आपने दुकानों को देने की बात कही है, एक ओर तो दूरदराज एरिया में दुकानें नहीं खोल रहे हैं दूसरी ओर मिट्टी का तेल यह शहरों में दुकानों पर बेचेंगे तो क्या चार लीटर के लिये कोई दस-बीस रुपये खर्च करके आयेगा? आप इस अव्यावहारिकता को देखें। दूसरी बात मैं....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बस, हो गया। बिराजिये। मंत्रीजी, बताइये। (व्यवधान) देखिये, किसी प्रश्न का कुछ हल निकलने दीजिये। इसकी कोई व्यवस्था बनेगी। आप बिराजिये। आपका प्रश्न बहुत रेलेवेन्ट है, बहुत उपयुक्त है जन सामान्य के लिये, उसका जवाब आने दीजिये। आप बैठिये।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में प्रति दुकान का जनसंख्या का जो इस समय भाग है वह करीब 2900 की जनसंख्या का आता है एक दुकान पर। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक दुकान पर कैरोसिन....

श्री अध्यक्ष : देखिये, इतनी-सी बात है उनकी कि किसी भी आदमी को कैरोसिन लेने के लिए दस रुपये स्कूटर के खर्च नहीं करने पड़े, ऐसी स्थिति में आप दुकानें बनाइये। 2500 पर है ना तो दुकानें ऐसी लोकेशन पर हों जहां से कोई भी आदमी पैदल जाकर तेल ला सके। यह है सवाल। (व्यवधान) आप बैठिये, कालीचरण जी। कालीचरण जी, आप जवाब लेना नहीं चाहते जो आ रहा है। विराजिये। आप बैठिये, प्लीज। यह बताइये, इस व्यवस्था में आपकी क्या कमी है?

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारे दूर पाइन्ट पड़ते हैं। उसको ज्यादा नजदीक लाने के लिए, क्योंकि जो फेयर प्राइस शाप्स हैं। वे बिल्कुल एरिया के अन्दर ही हैं। जनसंख्या बहुत कम है, उनको और ज्यादा सुविधायें प्रदान करने के लिए इन फेयर प्राइस शाप्स को ही यह लाइसेंस देने का विचार है तो उससे और ज्यादा सुविधा बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी। बिराजिये आप, आपका जवाब आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उप नगरों के के लिये जब तक चल इकाइयां आप नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, कृपया व्यवधान नहीं डालें । विराजिये आप ।

श्री मदनलाल सैनी : मंत्री महोदय के जवाब में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आवंटन करेंगे कुछ तो रद्द करके, जांच होने के बाद में । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आवंटन करने वाले हैं, जो आज की व्यवस्था है करने की, जिसमें काफी पक्षपात के आरोप कई बार लगे, क्या उस नीति में बदल करते हुए कोई इस प्रकार की समिति बनाने का विचार है जिसमें जन प्रतिनिधियों का समावेश हो ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये । मंत्री जी ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में व्यवस्था है उसको यदि लागू कर दिया जाता है तो उसमें कहीं पर भी गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है । पिछले समय में किस कारण से नहीं किया गया है, मैं यह समझता हूं जो वर्तमान में व्यवस्था चालू है वह पर्याप्त है, उसको सुचारु रूप से कार्यान्वित करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत । **प्रश्न संख्या 458.**

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

स्थगित पश्न संख्या 256 श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री किशनाराम : **प्रश्न संख्या 459.**

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : नहीं हैं, उनकी जगह श्री हीरालाल जी आर्य ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 जुलाई, 1990)

चौमेला कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट

258. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) के स्थान पर : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ की गंगधार तहसील के मुकदमों की संख्या क्या है ? उनकी दृष्टि में क्या सरकार चौमेला कस्बे में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

विधि राज्य मंत्री (श्री शान्तिलाल चपलोत) : झालावाड़ के गंगधार तहसील के लम्बित मुकदमों की कुल संख्या 807 है । धनाभाव के कारण चौमेला कस्बे में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का सरकार का विचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र है, सरकार ऐसे गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कराये इसके लिये क्या शीघ्र यहां पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये । बोलिये, माननीय मंत्रीजी ।

श्री शांतिलाल चपलोत : श्रीमान्, अदालतें तो कई जगह खोलने की आवश्यकता

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

है। किन्तु हमारी आर्थिक विवशताएं हैं इस बजह से हम अभी किसी प्रकार की कोर्ट खोलने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री टीकम चन्द कान्त।

रेवदर मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय

460. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : एवं **प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेवदर तहसील मुख्यालय पर सरकारी नीति के अनुसरण में कब तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोल दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(2) तहसील पिण्डवाड़ा का स्वीकृत न्यायालय अभी तक आबू रोड में रहने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त न्यायालय को पिण्डवाड़ा में लगाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री शान्तिलाल चपलोत) : (1) रेवदर में कोर्ट खोलने सम्बन्धी सभी पहलूओं पर विचार के उपरांत वहां पर कोर्ट खोलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

(2) पिण्डवाड़ा में न्यायालय भवन आदि का अभाव होने के कारण इसे आबू रोड़ पर स्थापित किया गया है। आबू रोड के न्यायालय को पिण्डवाड़ा में स्थापित करने का सरकार का विचार है। परन्तु इसके लिये करीब एक लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय आयेगा। यह राशि उपलब्ध होने पर उक्त कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। हां, पूछिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं ? यह पहलू कौन-कौनसे हैं जिन पर आपने विचार कर लिया है ? कोर्ट खोलने के कोई नार्म्स तो होंगे, यह कृपया बतायें। रेवदर का अन्तिम सिरा जो है वह सिरोही से 70 किलोमीटर दूर है। रेवदर में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। इन सब बातों पर विचार करते हुए कृपया मुझे बतायें, पहलू कौन-कौनसे हैं, अपने नार्म्स खोलने के क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुराम गरासिया। (अनुपस्थित)

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट खोलने का क्राइ-टेरिया है वह हाई कोर्ट ही तय करती है। उसमें विधि विभाग से पूछा अवश्य जाता है। हम पहले ही कह रहे हैं कि पिण्डवाड़ा और रेवदर में इस प्रकार की आ रही है मांग। किन्तु रेवदर में अभी सभी पहलुओं पर अर्थात् कोर्ट में कितने तो मुकदमें हैं, कितना उसके लिये फण्ड चाहिये, कहां पर बिल्डिग बनेगी, कहां पर रेजीडेन्स के क्वार्टर होंगे, यह सब कई बातें हैं जो कंसीडर की जाती हैं। इन सब पहलुओं पर हाई कोर्ट ने विचार करने के पश्चात् यह पाया कि रेवदर में अभी खोला जाना उपयुक्त नहीं

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

है। इसमें पिण्डवाड़ा के बारे में आपने एक बात और उठाई है। पिण्डवाड़ा में आबूरोड में कुल 635 ...

श्री टीकमचन्द कांत : पिण्डवाड़ा की मैंने कोई बात नहीं उठाई। मैं रेवदर की बात कर रहा हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं तो दोनों का दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों का दीजिये। नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा और पूछने वाले हैं। आपका उत्तर हो गया।

श्री टीकमचन्द कांत : कहां हो गया, साहब ?

श्री अध्यक्ष : नियम के अनुसार आपको दे दिया गया है।

There will be no end to it.

आप बैठिये, और लोग पूछने वाले हैं। हां, बोलिये, मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : पिण्डवाड़ा के बारे में भी आपकी कुछ एम्बीगुइटी है। वह यह है कि एम. जे. एम. आबू रोड में कुल 635 मुकदमें अभी हैं, जे. एम. आबू रोड में 813 मुकदमें हैं, ए. सी. जे. एम. आबू रोड, आबू पर्वत में 62 मुकदमें हैं। इस प्रकार कुल 1508 मुकदमें वहां पैंडिग हैं। इसमें भवन जो है, वह पीठासीन अधिकारी के लिये आवास के लिये उपलब्ध नहीं है। वहां भवन निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ-साथ पुरानी पुलिस चौकी पर एक भवन के लिये प्रस्ताव आया है जिसमें 50 हजार रुपये की लागत आने का कहा गया है। पीठासीन अधिकारी के निवास के अलावा पचायत समिति क्वार्टर से भी प्रस्ताव आया है कि वहां पर हम कोर्ट खोलें या उनके लिये आवासीय व्यवस्था कर दें किन्तु इसके लिए बजट के अभाव में सारा जो स्टाफ होता है, यदि अलग कोर्ट कायम किया जाय तो उस स्टाफ के लिए कम से कम चार लाख रुपये का प्रावधान प्रति कोर्ट आता है। उस कारण से अभी यह खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है और जैसे ही धन उपलब्ध होगा उस समय उस पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय मेरा पहला प्रश्न तो यह है....

श्री अध्यक्ष : पहला नहीं, एक ही प्रश्न। आप तय कर लीजिए कि कौनसा पूछना है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : जो स्वीकृत कोर्ट आबू रोड में चल रहा है पिण्डवाड़ा का, क्या उस पर कोई खर्चा नहीं आता या कितना आता है ? पिण्डवाड़ा तहसील पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र है। क्या आदिवासियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिण्डवाड़ा आदिवासी इलाका है और आदिवासियों से हम को बहुत हमदर्दी है। अभी सदन बैठा है, इसमें प्रावधान करवा दे, और विधि

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

मंत्रालय को पैसा दिलवा दे तो इस पर जरूर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। पहले तो इन्होंने इसके औचित्य को स्वीकार करते हुए कहा कि पिण्डवाड़ा में मुन्सिफ कोर्ट खुलना चाहिए और इसके लिए केवल एक लाख रुपये की आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने मुकदमे और दूसरी तरह की बात करके इसको भी सैट राइट कर दिया। मैं समझता हूं यदि आप इसका औचित्य समझते हैं तो एक लाख रुपया राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको कमिट करना चाहिए कि पिण्डवाड़ा में मुन्सिफ कोर्ट खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिन कहा था कि वे हाई कोर्ट के जजेज की मीटिंग बुला कर फाइनल कर लेंगे। हाउस में इसको रिपीट करने में क्या फायदा? वे मीटिंग बुला कर राजस्थान में जहां-जहां कोर्ट आवश्यक हैं उसके बारे में तय करने वाले हैं, यह घोषणा मुख्य मंत्री जी कर चुके हैं। नैक्स्ट। श्री जितेन्द्रसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुख्य मंत्री जी तय कर चुके हैं तो फिर इस तरह का जवाब देने की क्या आवश्यकता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, बार-बार नहीं कहा जाता। माननीय जितेन्द्रसिंह!

जैसलमेर जिले में राहत कार्य

461. श्री जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कितने लोगों को रोजगार देने की योजना हैं?

(2) उक्त जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कौन-कौन से राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं?

(3) उपरोक्त कार्यों हेतु जैसलमेर जिले के लिए कितनी बजट राशि की स्वीकृति है किन कार्यों पर?

अकाल राहत मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) जैसलमेर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना (सामान्य) एवं जवाहर रोजगार (राहत) में जून, 1990 में 15,000 श्रमिक-सीमा रोजगार देने हेतु निर्धारित की गई थी। इनके अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों में मरू विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू-संरक्षण विभाग एवं अन्य कार्य करवाये गये हैं। सभी कार्यों में निम्न प्रकार श्रमिकों को रोजगार दिया गया :—

मई, 1990 के अन्त में 15,359 कार्यरत श्रमिक

जून, 1990 के अन्त में 27,335 कार्यरत श्रमिक

(16)

(सुश्री पुष्पा जैन)

13 जुलाई, 1990 को 25,785 कार्यरत श्रमिक

(2) अकाल राहत के स्वीकृत कार्यों का विवरण प्रपत्र "अ" एवं विभागवार विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(3) अकाल राहत कार्यों हेतु जैसलमेर जिले के लिए रुपये 106·38 लाख का बजट सहायता विभाग द्वारा आवंटित किया गया है।

प्रपत्र "अ" में दर्शाये गये 967 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री जितेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उससे स्पष्ट है कि जैसलमेर जिले की करीब 10% जनसंख्या अकाल राहत कार्यों में लगी हुई थी। उसके उपरांत भी अनावृष्टि की सम्पूर्ण स्थिति में सरकार ने जैसलमेर जिले के 15 जुलाई से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये हैं। मैं पहले भी सरकार से निवेदन कर चुका हूं और जैसलमेर जिले के करीब 40 सरपंचों ने मेरे से सम्पर्क किया है और सरकार से निवेदन करने को कहा है कि अकाल राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जांय। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण जिला अकालग्रस्त है, जिले के समस्त 568 गांवों को ही अकालग्रस्त घोषित किया है। 9 गांव शेष बच गये हैं जो अकाल से सर्वाधिक प्रभावित हैं, उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सन्दर्भ में मेरे से मिले थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हम इन्द्र देव की कृपा का इन्तजार कर रहे हैं। भरतपुर में भी बरसात हुई है। शिव और जैसलमेर के लिए हमें आशा है कि इन्द्र देव की कृपा से बरसात होगी। अगर बरसात नहीं हुई तो जैसा मैंने आपको आश्वस्त किया, आपके वहां काम खुलवाने के लिए निश्चित रूप से········

श्री अध्यक्ष : चालू रहेंगे। 9 गांवों का·······

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, वह तो गिरदावरी में जो गांव आये थे उनको अकालग्रस्त घोषित किया गया था। वे 9 गांव हमने जानबूझ कर नहीं छोड़े हैं। जब पुनः गिरदावरी करवाई जाएगी तो यदि स्थिति ऐसी हुई तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।·····(व्यवधान)।

माननीय मन्त्री जी इतनी उदार हैं कि मानीय सदस्य के सभी सुझावों को मानने के लिए तैयार हैं। इसमें हम क्यों व्यवधान डालें? जैसलमेर की जनता का भला हो जाएगा। उनकी सारी बातें मानने को तैयार हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह तो इन्द्र देव पर डिपेण्ड कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्द्र देव तो किसी के वश में नहीं हैं। श्री जगतसिंह दायमा।

बानसूर में मण्डी यार्ड

462. **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बानसूर में कृषि उपज मण्डी यार्ड का बनवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) कब तक यह मण्डी यार्ड बनवाने का कार्य बोर्ड शुरू कर देगा ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही निर्माण कार्यों पर विचार किया जाना सम्भव हो पाएगा।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। क्या इसकी समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इस समय के अन्दर-अन्दर वह भूमि आपको आवंटन हो जाएगी कृषि उपज मण्डी के लिए ? यह टाइम बता दें। दूसरा यह कि मेरे क्षेत्र से खैरथल कृषि उपज मण्डी 80 किलोमीटर दूर है। उतनी दूर किसान जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें तुरन्त कार्यवाही करके काम शुरू करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि इस भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही कब तक हो जायगी, मैं आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार ने दिनांक 15·9·1989 को और संशोधित विज्ञप्ति 25·1·1990 को जारी कर दी है और बानसूर के एस. डी. एम. को अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जहां तक जल्दी करने का प्रश्न है, उनको तत्परता से इस भूमि को अवाप्त करके अग्रिम कार्यवाही के लिए भी लिख दिया गया है।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डियों के लिए नाबार्ड के 60–60 लाख रुपये आपके बैंकों में जमा पड़े हैं। ठेकेदारों और बड़े अधिकारियों की वजह से कोई 10–20–40 प्रतिशत कमीशन की वजह से निर्माण कार्य ज्यों का त्यों रुका पड़ा है। 60 लाख रुपये से ज्यादा नाबार्ड की रकम बैंकों में डम्प पड़ी है, उसके बारे में जनरल राजस्थान की आपने कोई जानकारी ली है ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो जनरल प्रश्न किया है इसमें इतना ही निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार की रकम बैंकों में पड़ी है और उसके पड़ी रहने के फलस्वरूप निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यह तरीका गलत है और वह जो पैसा पड़ा हुआ है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में निर्देश देकर जहां भी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है, इसकी कार्यवाही तत्परता से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह प्रश्न संख्या 463।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट। श्री जुबेर खां।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए रामकरण सिंहजी नहीं है तो भी....(व्यवधान)।

साहोड़ी ग्राम से माचड़ी (अलवर) तक सड़क निर्माण

464. श्री जुबेरखां (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम साहोड़ी से ग्राम माचड़ी जिला अलवर में 2·3 किलोमीटर दूरी का सड़क निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ?

(2) अब तक किन-किन वर्षों में कितना-कितना पैसा इस सड़क पर खर्च किया जा चुका है ?

(3) अब तक सड़क की क्या स्थिति है ?

(4) क्या सरकार इस सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह सड़क बन जाएगी ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : साहोड़ी से माचड़ी सड़क का निर्माण कार्य माह फरवरी, 84 से आरम्भ हुआ था।

(2) इस सड़क पर कुल 2·71 लाख रुपया व्यय हुआ। वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष 1983–84	11,101 रुपये
,, 1984–85	76,837 ,,
,, 1985–86	90,362 ,,
वर्ष 1986–87	62,506 ,,
तथा गेहूं की लागत पर व्यय हुए	30,200 ,,
कुल रुपया	2,71,006·00

(3) 2·3 किलोमीटर लम्बाई में ग्रेवल सड़क बन चुकी है।

(4) माचड़ी की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 767 है जो कि 1500 से कम है अतः इस सड़क का डामरीकरण करना निकट भविष्य में संभव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, जहां आपने कह दिया था दस हजार रुपये तक का सवाल है, माननीय मन्त्री जी को यह भी मालूम नहीं कि कौन से सन् में सड़क शुरू हुई, इस सड़क से कौन-कौन से गांव जुड़े हुए हैं ? किन की कितनी जनसंख्या है, तो मेरा सवाल पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। नेक्स्ट श्री निर्भय लाल। प्रश्न पूछने वाले का ही कोई औचित्य नहीं है....।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सड़क कब शुरू हुई है ?

श्री अध्यक्ष : हां, तो मान ली है आपकी बात।

श्री जुबेर खां : सड़क 1968 में शुरू हुई थी.... ...

रूपवास बयाना पंचायत समिति के क्षतिग्रस्त बांध

465. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति के रूपवास बयाना में कितने बांध पंचायत के हैं ? उनमें कितने बांध क्षतिग्रस्त हैं और कितने अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति के रूपवास बयाना के बांध पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं ? यदि हां, तो उन्हें पंचायत समिति द्वारा कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय श्री पंचायत मन्त्री जी। माननीय सदस्य, उनकी इच्छा ही नहीं है तो आप क्यों पूछ रहे हो। प्रश्नकर्त्ता न ही विदड्रा कर लिया है। ऑर्डर प्लीज। माननीय पंचायत मन्त्री जी।

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हरलालसिंह खर्रा) : (1) पंचायत समिति रूपवास में 9 एवं बयाना में 28 बांध हैं। सभी क्षतिग्रस्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति रूपवास का कोई भी बांध पूर्ण से टूटा हुआ नहीं है। जिन बाधों की मरम्मत की जानी है, उनकी स्वीकृति जिला कलक्टर, भरतपुर से दिनांक 16.7.1990 को जारी हो चुकी है, जिनकी मरम्मत माह अगस्त, 1990 तक हो जायेगी एवं बयाना के बांध आंशिक रूप से टूटे हैं, जिनकी मरम्मत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भरतपुर को प्रेषित कर दिये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही मरम्मत का कार्य शीघ्र करवा दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री निर्भयलाल : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और टूटे हुए कैसे होते हैं, ये बताये मुझे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : पूर्ण रूप से तो साफ होता है····

श्री निर्भयलाल : एक तरफ तो आप बता रहे हो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हैं और दूसरी तरफ कह रहे हो कि पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसमें आप अन्तर बतायें। इसमें बांध बनवाकर किसानों को क्या राहत देगे ? बरसात निकल जायेगी तब बांधों को बनवाया जायेगा, क्या ? मैंने आज से चार महीने पहले ही कलक्टर महोदय, को कहा था कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उसमें छोटे-छोटे बांध हैं। बीस साल से बांध टूटे हुए पड़े हैं। बांध बन जाय तो किसानों के पास पचास-पचास, चालीस-चालीस बीघा खेत पड़े हुए हैं। उन बांधों को आप बंधवा दें। आप कह रहे हैं कि अगस्त में बंधवायेंगे, तो फिर दस महीने बाद में बंधवा देना।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मन्त्री जी। ऑर्डर प्लीज, सुनिये आप। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हीरालाल खर्रा : माननीय सदस्य ने तीन-चार महीने पहले जिला कलेक्टर को भी शिकायत की थी। उसकी कार्यवाही में ढील जरूर हुई हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उस पर आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रसाद जी लढ्डा। माननीय सदस्य, आप बिराजें। श्री लढ्ढा जी।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (बैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, बयाना के बांधों की जो बात पूछी है, माननीय मन्त्री महोदय के पास लिस्ट है कि कौन-कौन से बांध टूटे हुए पड़े हैं और कौन-कौन से बांधों पर कार्य कब तक चालू करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, सूची तो सदन की मेज पर रख दी गई हैं, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। नेक्स्ट श्री हीरा लाल जी आर्य।

पीपल्दा क्षेत्र में बीहड़ सुधार कार्यक्रम

466. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में बीहड़ सुधार का कार्यक्रम चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में भूमि को कटाव से रोकने हेतु पूर्व महाराजाओं द्वारा चेकडेम्स बनाये थे, जो स्थान-स्थान पर क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार बीहड़ सुधार योजना अन्तर्गत उक्त क्षतिग्रस्त डेम्स की मरम्मत कराये जाने की व्यवस्था करेगी ?

विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बीहड़ सुधार योजनान्तर्गत जिला स्तरीय जलग्रहण क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराये जा रहे हैं। जो टूटे चेकडेम्स इन क्षेत्रों में आयेंगे, इनकी मरम्मत करायी जावेगी। इस वर्ष (1990–91) की योजना में गेता ग्राम चयनित जल ग्रहण क्षेत्र में एक क्षतिग्रस्त चेकडेम्स की मरम्मत किया जाना प्रस्तावित है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पीपल्दा क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोकने के लिए भूतपूर्व महाराजाओं ने चेकडेम जो स्थान-स्थान पर बनाये थे, ऐसे चेकडेम की संख्या कितनी है ? ये कितने स्थानों पर टूटे हुये हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि स्थान-स्थान पर जो टूटे हुये हैं उस वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, उससे कृषि उत्पादन घट रहा है। तीसरा मेरा प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीसरा नहीं होगा। आप एक में ही पूछ लेते तीसरा क्या होता है ?

श्री हीरालाल आर्य : क्या यह सही है कि पुराना एक टांका नौ टांकों की बचत करता है ? इस आधार पर पुराने चेकडेम की मरम्मत तो कर नहीं रहे हैं और नये बनाते जा रहे हैं। क्या आप इस आधार पर पुराने चेकडेम की मरम्मत करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष जी, पीपल्दा तहसील का इलाका नदी-नालों से घिरा हुआ है। चम्बल भी आती है, कालीसिंध भी आती है, पार्वती भी आती है और काफी जमीन का कटाव होता है। किसानों की जमीन में भी काफी नुकसान होता है और बीहड़ की जमीन भी पड़ी हुई है। अभी माननीय सदस्य ने जो शंका बताई कि यह चेकडेम टूटे हुये हैं, उनकी फिगर्स तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां-जहां सम्भव होता है इन चेकडेम्स की मरम्मत करने का हम पहला काम मानते हैं। फिर इस कार्य को लेने के लिए सरकार कोई आदेश नहीं देती है। उसी स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से यह स्थान चयनित होते हैं और उन्हीं पर कार्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी मेघवाल। माननीय श्री हीरालाल जी, आप बिराजिये। आपको अनलिमिटेड समय नहीं दिया जा सकता। आपको एक ही सप्लीमेंट्री करने का अधिकार है, वह आपको दे दिया है मैंने। बिराजिये आप। माननीय श्री मेघवाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनकी माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय ने भी यह बताया है कि चेकडेम के बीहड़ विशाल रूप से दूर-दूर तक हैं और भूमि कटाव हो रही है, उस कटाव के समाधान के लिए जो चेकडेम बनाये जा रहे हैं क्या उस बनाये जा रहे चेकडेम को सीमेंट से पक्का बनाये जाने की योजना है ? साथ ही इन लम्बी दूरी के नालों का आज स्लोप प्रतिशत क्या है ? क्या वहां पर लेवलिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का सरकार का विचार है ? स्थायी समाधान यही है कि दूर-दूर तक फैले हुये को लेवलिंग करवाया जाए। तभी जाकर यह होगा। क्योंकि लम्बी दूरी तक, दो किलोमिटर तक पानी बहकर ज्यादा फैल रहा है इसलिए दो किलोमीटर की जगह एक किलोमीटर लेवलिंग किया जाए और उसके बाद से जो बहाव कम है वहां पक्के चेकडेम्स बनाये जायें। यह जो कमेटी बनाई गई है, इसमें........

श्री अध्यक्ष : हो गया, आप बिराजिये। माननीय मन्त्री जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह जो कमेटी बनाई गई है उसमें स्थानीय स्थानीय एम. एम. ए. और, जो जन प्रतिनिधि हैं उनको नहीं रखा गया है, प्रधान को नहीं रखा गया है। एक जिला प्रमुख सम्पूर्ण जिले की जानकारी क्या कर लेगा ? इसलिए

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

मेरी मांग है कि जहां इस कमेटी में परियोजना डी. आर डी. ए. के निदेशक हैं, जिला प्रमुख हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, वन अधिकारी हैं, सहायक रजिस्ट्रार हैं और फॉरेस्ट कंजरवेट के अधिकारी हैं इनके साथ पर जन प्रतितिधियों को भी रखा जाए क्योंकि उनको स्थानीय लेविल की सही जानकारी होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष जी, जहां तक कमेटी में जन प्रतिनिधियों का दायरा ज्यादा बढ़ाने का प्रश्न है, उस पर तो विचार किया जायेगा। आपने यह कहा कि इनको पक्का बनाया जाय। जितने हमारे पास साधन होते हैं इस योजना के तहत और वहां की स्थानीय कमेटी जो निर्णय करती है, इसी आधार पर काम किया जाता है। हम यहां से कोई निर्देश नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। लेडीज फर्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : जो टूटे हुये हैं। उनकी मरम्मत करवायें।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मन्त्री जी से बात कर लेना। हाउस का समय इस तरह से बरबाद मत करिये। बिराजिये आप। श्रीमती उजला अरोड़ा।

जमवारामगढ़ झील का विकास

467. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जमवारामगढ़ झील को जयपुर का एक मुख्य दर्शनीय स्थल बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विगत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की इस झील के विकास के लिए राज्य सरकार ने कुछ राशि आवंटित की है ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : माननीय पर्यटन मन्त्री जी। देखिये, दो महिलाओं के बीच में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। इसलिए आप सुनिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां पर सब माननीय सदस्य हैं। यहां पर महिला का अलग से विवेचन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : महिला सदस्यों का अलग से विवेचन होगा। इसमें मैं क्या करूं ? भगवान ने कर दिया, मैं तो कर नहीं रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसने तो मनुष्य पैदा किया है। यह कैटेगेरी तो आपने, हमने कर दी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीया पर्यटन मन्त्री जी।

पर्यटन मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) जमवारामगढ़ झील को जयपुर का दर्शनीय स्थल बनाने की पर्यटन विभाग की कोई योजना फिलहाल नहीं है। क्योंकि यहां पर्यटकों की सुविधा हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 20 शैया युक्त झील पर्यटक ग्राम के नाम से एक इकाई संचालित है जिसकी क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है जबकि पर्यटन विकास निगम द्वारा झील में नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है।

(2) यह झील सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है अत: पर्यटन के मद में इस झील के विकास हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि एशियाड के कारण यह जमवारामगढ़ झील विश्व के मैप पर है। इस अवस्था में जो 20 शैया युक्त ग्राम की यहां आपने बात कही तो माननीय मन्त्री महोदया बताएं–ग्राम किसको कहते हैं ? ग्राम में क्या-क्या सुविधा होनी चाहिए ? क्या यह सब सुविधाएँ हैं ? नम्बर दो. मैं पूछना चाहूंगी कि दूसरे प्रश्न के जवाब में जो मैंने जानकारी चाही थी वह जानकारी आपने मुझे नहीं दी है ? मैं सरकार को संयुक्त रूप से एक मानती हूं और यह मानती हूं कि जिम्मेदारी शामिल है, तो आप मुझे यह बताएं, क्या आपकी कोई योजना फिलहाल है ? दूसरा यह कि·········

श्री अध्यक्ष : हो गया प्रश्न आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या आपने सिंचाई विभाग को ऐसी योजना बनाने की कोई बात शामिल रूप से की है ? इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष : देखिए, फूलचन्द जी आप दोनों के बीच में हैं। हां, पूछिए आप।

श्री फूलचन्द : मैं मन्त्री महोदय से एक ही सवाल पूछूंगा। क्या देशी-विदेशी पर्यटकों की आवक की कमी आपने मॉनिटरिंग करवाई है ? यदि हां, तो कितने यात्री आते हैं ? यह आपकी जानकारी में है कि वह ऐसा दर्शनीय स्थान है जहां एशियाड के गेम हुए थे। क्या अब आपकी कोई योजना इसको दर्शनीय स्थान बनाने की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सही बात है कि जमवारामगढ़ झील जयपुर के समीप स्थित दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित झील पर्यटक ग्राम नामक इकाई संचालित है। इस इकाई में शैया युक्त 10 हट्स बने हुए हैं जिनमें आवास की व्यवस्था के साथ-साथ कैटरिंग की भी व्यवस्था है·······

श्री सम्पत सिंह : यहां क्यों है, अलवर में क्यों नहीं है ?

सुश्री पुष्पा जैन : यह इकाई एशियाड खेलों के आयोजन के समय 1982 में निर्मित की गई थी। यह सत्य है, निगम द्वारा जमवारामगढ़ झील में पर्यटकों के

(सुश्री पुष्पा जैन)

लिए नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध है। यद्यपि झील में इस समय पानी नहीं होने से वे नौकाएं चल नहीं रही है हैं ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : हैं अभी। चल रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : नौकाएं चलने योग्य पानी नहीं है। यदि इस वर्ष समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ तो नौकायन पुनः चालू किया जा सकेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने नौकायन की बात ही नहीं की।

सुश्री पुष्पा जैन : इस इकाई में विगत पांच वर्ष में जितने पर्यटक आये, उनकी आवास क्षमता का जितना उपयोग हुआ, उसकी जो सूचना माननीय सदस्य फूलचन्द जी ने पूछी है, मैं बतानी चाहूंगी। 1985–86 में उपयुक्त उपलब्ध कमरों के प्रतिशत का जो उपयोग हुआ वह हुआ 20·79, वहां पर्यटक आये। 1495 जिनमें से दो पर्यटक विदेशी आये। वर्ष 1986-87 में कमरों का उपयोग हुआ—23·34 प्रतिशत, पर्यटक आये 1347, जिनमें से विदेशी पर्यटक 23 आये, वर्ष 1987–88 में 31·59 प्रतिशत कमरों का उपयोग हुआ, 1076 पर्यटक आये, जिनमें विदेशी एक भी नहीं आया। वर्ष 1988–89 में 25·97 प्रतिशत कमरों का उपयोग हुआ, 1369 कुल पर्यटक आये, जिनमें से 20 पर्यटक विदेशी आये। वर्ष 1989–90 में 18·11 प्रतिशत कमरों का उपयोग हुआ, कुल 1120 पर्यटक आये, जिनमें 13 विदेशी पर्यटक आये। अब ऐसी स्थिति में ज्यादा सुविधाएं वहां नहीं बढ़ाई जा सकतीं, फिर भी अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो मैं स्वयं उनके साथ जमवा रामगढ़ की झील पर जाऊंगी, सदन के माननीय सदस्यों को भी ले जाऊंगी। अगर वहां....

श्री सम्पत सिंह : नौका-विहार करवाने ?

एक माननीय सदस्य : मैं भी जाऊंगा।

श्री सम्पत राम : अपना-अपना नाम लिखाओ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर ऐसा महसूस किया गया कि यहां पर और भी विकास की आवश्यकता है तो बिना किसी विलम्ब के यहां विकास कार्य करवाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, माननीय श्री लक्ष्मी चन्दजी मेहता।

श्री फूलचन्द : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया। अब आपको साथ ले जाकर आपकी सारी बात सुनने की कह दी है। बिराजिये अब आप। एक सवाल और लेने दीजिए। शेष पांच मिनट में एक सवाल और लेने दीजिए। प्लीज सिट डाउन। एक सवाल आ जाता है किसी सदस्य का, उसमें आपत्ति कर रहे हैं आप। माननीय श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता।

नकलंगजी मन्दिर लाछीवाड़ (सांचौर) में चोरी

468. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या मुख्य (गृह) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सांचौर जिला जालौर में लाछीवाड़ के नकलंगजी के मन्दिर में चोरी की रिपोर्ट विगत दो साल में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस विषय में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिर के पाट का कुछ हिस्सा किसी के खेत से बरामद किया गया ?

(3) किन कारणों से चोरी के मामले को दबाया गया ?

(4) क्या सरकार मन्दिर को चोरी का माल मुलजिमों से बरामद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री सम्पत राम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : (1) जी हां, दि. 9-5-1989 को श्री श्रवण भारती चेला गोविन्द भारती निवासी लाछीवाड़ द्वारा कलंग मठ से दो चांदी के पाटों की चारी हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 53/89 धारा 380 भा.द.सं. दिनांक 9-5-1989 को थाना सांचौर जिला जालौर पर पंजीबद्ध किया गया । काफी प्रयास के बाद अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं लगने पर अभियोग में दिनांक 28-8-1989 को अन्तिम प्रतिवेदन दिया जाकर अनुसन्धान बन्द कर दिया गया ।

(2) जी हां ।

(3) चोरी के मामले को दबाया नहीं गया बल्कि रिपोर्ट पर तुरन्त अभियोग दर्ज कर अपराधियों एवं चोरी गये माल की बरामदगी के लिए प्रयत्न किये गये ।

(4) जी हां । चोरी के क्रम में अगर कोई ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं तो अनुसंधान पुनः खोला जाकर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : यह माल कितना बरामद हुआ ?

श्री सम्पत राम : दो पाटों की चोरी हुई थी । एक पाट मिला किसी के खेत में, ट्रैक्टर चलाते वक्त ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : किसकी इन्फार्मेशन से मिला ?

श्री सम्पत राम : एक सरपंच साहब ने इत्तला दी थी उसके आधार पर यह पता लगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : क्या यह सत्य है कि एक सरपंच माल को बरामद कराना चाहता था, दूसरा माल को दबाना चाहता था ?

श्री सम्पत राम : यह दण्ड बैठक हो रही है या प्रश्न हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा है, इससे जवाब तो आता है। पान्इटेड क्वेश्चन हैं, पाइन्टेड जवाब आ रहा है।

श्री सम्पत राम : यह सत्य है कि दोनों सरपंचों में आपस में नहीं बनती....

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : इसीलिए चोरी बरामद नहीं की गई।

श्री सम्पत राम : सुनिए, सुनिए।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए पहले।

श्री सम्पत राम : दोनों सरपंचों में आपस में नहीं बनती लेकिन जब वह नहीं बनने के आधार पर एक-दूसरे को किसी जुर्म में लपेटा जाए तो उसकी जांच होना तो अनिवार्य होता है और जांच के आधार पर जो सही बात होती है वह की जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि चोरी का कुछ सामान मिल गया और उसमें एफ. आर. लगा दी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन है कि यह बात नहीं रही कि साल की रिकवरी नहीं हुई, इसका मतलब चोर या घटना करने वाले आदमी हैं तो आस-पास और एक साल बाद भी आपसे उसकी रिकवरी तो हुई नहीं और एफ. आर. और लगा दी आपने। आपने यह कहा कि अगर कोई ठोस सबूत मिलेगा, पुलिस ने तो अपनी तफ्तीश बंद कर दी, ठोस सबूत जिन लोगों ने आपको दिए उनकी बात पर आपने विश्वास नहीं किया, तो ठोस सबूत कौन देगा, कहां से मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दहियाजी। एक सवाल और पूछ लें, फिर उत्तर दें।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुरातत्व एवं कीमत की दृष्टि से गांवों में कई जगह कीमत मूर्तियां हैं, उनकी सुरक्षा की क्या विशेष व्यवस्था है ? जालौर जिले के भुंभानी गांव में शिव मन्दिर की मूर्ति चोरी होते-होते दो दफा गांव वालों ने रोकी है। परन्तु विशेष व्यवस्था नहीं होने से वह मूर्ति चोरी हो सकती है। सरकार व्यवस्था करे।

श्री सम्पत राम : किसी भी संगीन जुर्म को रोकने के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुआ करती। यदि कहीं अनिवार्य होता है तो वह व्यवस्था भी की जाती है। मूर्तियों की चोरी के मामले में यह देखने में आया है कि जब कोई गिरोह पकड़ा जाता है तो बहुत-सी चोरियों का माल एक साथ ही बरामद हो जाता है। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि आपने उसको बन्द कर दिया। चोरी का केस कभी भी बन्द नहीं होता है, वह चालू रहता है। तफ्तीश भी चालू होती है लेकिन जब कोई केस काफी खोजबीन करने के बाद पकड़ में नहीं आता तो फिर उसको रोक दिया जाता है।

श्री जगमालसिंह यादव : वह तो पकड़ में आ गया, आधी रिकवरी तो हो गई आपकी, उसमें एफ. आर. कैसे लगाओगे ?

श्री सम्पत राम : हुजूर, मुलजिम कहां मिला, वह माल तो खेत के अन्दर ट्रैक्टर चलाते हुए मिला है। किसको पकड़ लें, आप बताइये।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो इनवेस्टीगेशन का मामला है, यह तफ्तीश का मामला है। मैं बताऊं—किसको पकड़ लें ? आपकी पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है ?

श्री सम्पत राम : हमने तफ्तीश पूरी कर ली, लेकिन पता नहीं लगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस तरह एफ. आर. लगा रहे हो आप, यह मुझसे पूछते हो कि किसे पकड़ें ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिष्टि 4 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिकों को टास्क वेसिस पर भुगतान

456. **इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकाल राहत पर लगे मजदूरों को टास्क बेसिस के आधार पर मजदूरी दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित वृद्ध एवं महिलायें टास्क बेसिस के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं जिससे उन्हें कम मजदूरी मिलती है ?

(3) चूरू जिले में मई, 1990 में अकाल राहत पर लगे मजदूरों को किस दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) मई, 1990 में अकाल राहत पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान 14 रुपये प्रतिदिन के अनुसार टास्क वेसिस पर किया गया। पंचायत समितियों में पक्के काम करवाये गये हैं जिन पर 14 रुपये प्रतिदिन के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(10 जुलाई, 1990)

खाद्य पदार्थों में मिलावटों के प्रकरण

256. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जयपुर जिले में गत 3 वर्षों में कितने व्यापारियों के खिलाफ मिलावट

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

करने के प्रकरण दर्ज किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में चाकसू नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों के विरुद्ध भी मिलावट करने के मामले दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) क्या यह सही है कि चाकसू की फर्म मैसर्स कन्हैयालाल रामगोपाल के यहां से मिलावटी वस्तुओं के नमूने खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस तिथि को ?

(4) क्या उक्त व्यापारी ने उक्त कार्यवाही के विरोध स्वरूप खाद्य निरीक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या खाद्य निरीक्षक ने भी उक्त व्यापारी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो इसमें भी क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में गत 3 वर्षों में व्यापारियों के खिलाफ 166 मिलावट करने के प्रकरण दर्ज किये गये। वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(2) जी हां। चाकसू नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये 9 मामलों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'ख')

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। पुलिस द्वारा मामले में दिनांक 25-6-1990 को एफ. आर. लगा दी गई है।

(5) जी हां। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय में दिनांक 28-6-1990 को चालान पेश किया जा चुका है।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

राज्य में क्षय रोग चिकित्सालय

458. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कहां-कहां नये वक्ष एवं क्षय रोग के नये अस्पताल खोले जाने प्रस्तावित हैं ? इसके लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) क्या सरकार बहुतायत में खनन और बीड़ी मजदूरों वाले क्षेत्रों में टी. बी. अस्पताल खोले जाने को प्राथमिकता देगी ?

उत्तर

(1) राज्य में वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल वर्तमान में कहीं भी खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(चिकित्सा मंत्री)

प्रत्येक जिले में 12 लाख की जनसंख्या पर एक क्षय निवारण केन्द्र खोलने का मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में अधिकतर रोगियों को घर पर ही इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही टी.बी. अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त रोगी शैयाएं उपलब्ध हैं।

चूरू जिले में सड़क निर्माण

459. श्री किशनाराम नाई (डूंगरपुर): क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एन. आर. ई. पी. (फर्स्ट) के अन्तर्गत चूरू जिले में श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं?

(2) स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कें पूरी हो गई?

(3) अधूरी सड़कों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) चूरू जिले में एन. आर. ई. पी. (फर्स्ट) के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) एक सड़क लखासर-दुलचासर-9/0 से 11/00 कि. मी पूर्ण हो चुकी है। शेष 7 सड़कें अपूर्ण हैं।

(3) अपूर्ण सड़कों को उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न चरणों में पूरा कराया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

तारांकित प्रश्न संख्या 463 (माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न अग्राह्य किया गया।)

(आदेश मूल प्रश्न पर अंकित है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मण्डी बांदीकुई द्वारा बूरे पर शुल्क

764. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई ने दिनांक 21-11-1986 से 28-4-1989 तक बूरे पर कितना मण्डी शुल्क लिया? वर्षवार राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई ने दिनांक 28-4-1989 से दिनांक 14-3-1990 तक बूरे पर मण्डी शुल्क लिया है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई में दिनांक 21-11-1986 से दिनांक

(कृषि मंत्री)

28-4-1989 तक बूरे पर वसूल किया गया मण्डी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	वर्ष	मण्डी शुल्क वसूली की राशि
1.	21-11-86 से 31-3-87	18,832·00
2.	1-4-87 से 31-3-88	31,526·00
3.	1-4-88 से 28-4-89	33,738·00

(2) जी नहीं।

दिनांक 28-4-89 से 14-3-1990 तक बूरे पर मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

सीकर न्यायालय में वकीलों एवं नागरिकों को सुविधाएं

765. **श्री राजेन्द्र पारिक** (सीकर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर स्थित न्यायालयों में पैरवी करने वाले वकीलों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए व्यक्तिशः आफिस व्यवस्था करने की राज्य सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू हो जायेगी? यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

(3) क्या उक्त न्यायालय परिसर में ग्रामीण जनता के लिए लिटिगेन्ट्स शैड की एवं अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार क्या व्यवस्था करने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। समुचित व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। धनाभाव के कारण इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया जाना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टेशनरी खरीद

766. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभागीय उपयोग हेतु लेखन सामग्री एवं फार्म इत्यादि राजकीय मुद्रणालय से ही प्राप्त करने आवश्यक हैं?

(2) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले काफी समय से उक्त नियम की अवहेलना की जा रही है? यदि हां, तो

(श्री जीतमल जैन)

कौन-कौन अधिकारी नियमों की अवहेलना के लिए दोषी है एवं सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) गत तीन वर्षों में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यालयों में बाजार से एवं राजकीय मुद्रणालय से कुल कितनी राशि की सामग्री खरीद की गई एवं इसे किन-किन मदों में समायोजित किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजकीय मुद्रणालय व बाजार से खरीद की गई लेखन सामग्री की दरों का तुलनात्मक अन्तर का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध नहीं होने पर बाजार से नियमानुसार क्रय की जा सकती है।

(2) जी नहीं, क्योंकि अभी ऐसी कोई शिकायत मुख्य अभियन्ता कार्यालय में जहां सभी शिकायतों का अन्तिम निपटारा होता है, विचारणीय एवं लम्बित नहीं है।

(3) राज्य में अधीक्षण अभियन्ताओं से लेकर कनिष्ठ अभियन्ताओं की संख्या 1500 से भी ऊपर है। विस्तृत सूचना का परिमाण अधिक होने से सदन के पटल पर रखना कठिन है।

किसी विशेष कार्यालय की सूचना आवश्यक हो तो उपलब्ध करवाई जा सकती है।

(4) उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार।

तहसील इन्द्रगढ़ में सड़क निर्माण

767. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जिला बूंदी की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ के विकास हेतु निम्न सड़कों का निर्माण कराना उचित समझती है:—

1. इन्द्रगढ़ से ढ़ीपरी चम्बल
2. इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर
3. सुमेरगंज मण्डी से लोनापा
4. बाबई से कमलेश्वर वाया गुढ़ा पापड़ा।

(2) यदि हां, तो सरकार जनहित में उक्त सड़कों के निर्माण की कब तक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु प्राथमिकता में अभी सम्भव नहीं है।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करता है।

सपोटरा क्षेत्र में सब-सेन्टर एवं एडपोस्ट

768. श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कितने सब-सेन्टर व एडपोस्ट खोली गई हैं व उनमें से कितनी कार्यशील हैं ?

(2) कितनी सब-सेन्टर व एडपोस्टों में स्टाफ लगा हुआ है तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने केन्द्रों में दवाइयों की व्यवस्था है, कितने केन्द्रों पर नहीं ?

(4) क्या सरकार खाली पड़े हुए सब-सेन्टर व एडपोस्टों में स्टाफ लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में 35 उपकेन्द्र एवं 3 उच्चीकृत उपकेन्द्र (एडपोस्ट) स्वीकृत की हुई है। इनमें से 17 उपकेन्द्र व तीनों एडपोस्ट क्रियाशील हैं।

(2) 17 उपकेन्द्रों व तीन एडपोस्टों में स्टाफ लगा हुआ है। 18 उप केन्द्रों तथा एक एडपोस्ट पर एक-एक प्रसाविका के पद रिक्त है। सूची संलग्न है।

(3) सभी कार्यशील केन्द्रों पर दवाइयों की व्यवस्था है।

(4) जी हां, रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अजमेर जिले की सड़कों का डामरीकरण

769. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार अजमेर जिले में निम्नांकित सड़कों के डामरीकरण का इसी चालू वित्तीय वर्ष में विचार रखती है :—

1. लीडी से खरवा
2. डोडियाना से नाथूथला
3. बीर से लवेरा चोराया
4. बीर से पालरा होते हुए नेशनल हाईवे बाईपास
5. बाघसुरी से बनेवड़ा
6. भीमपुरा से अंसरी
7. लीड़ी से बिड़क्चियावास
8. जेठाना से गोला वाया सामला-नया गांव
9. केसरपुरा से कोटाज
10. मोहनपुरा से हाथी पट्टा
11. बांदनवाड़ा से न्यारा वाया भगवान-पुरा, काबरी चाट।

(2) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों के डामरीकरण के अभाव में इन सड़कों पर कई स्थानों पर गहरे गढ्ढे हो जाने से

(श्री सांवर लाल)

अथवा वर्षा से कट जाने के फलस्वरूप ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यन्त असुविधा हो रही है ?

(3) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, कुछ असुविधा होती है।

(3) अंश 1 में वर्णित सड़कें अकाल राहत आदि में ग्रेवल अथवा मेटल की बनी है एवं विभाग के रख-रखाव सूची में नहीं है। लाभान्वित होने वाले गांवों की जनसंख्या कम होने से अभी इन सड़कों को बनाना संभव नहीं है।

डिप्लोमा फार्मेसी की अत्यधिक फीस

770. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि फार्मेसी में डिप्लोमा देने हेतु राज्य में प्राइवेट संस्थाओं को तकनीकी निदेशक द्वारा अपने स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन संस्थाओं में जयपुर स्थित फार्मेसी डिप्लोमा प्रदान करने वाले राजकीय संस्थान की अपेक्षा वार्षिक फीस अत्यधिक है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस पर क्या अंकुश है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्राइवेट संस्थानों की अपेक्षा राजकीय संस्थानों के माध्यम से अधिकाधिक फार्मासिस्ट/फार्मेसी डिप्लोमा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त संस्थान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या अधिक वार्षिक फीस लेने वाली ऐसी प्राइवेट संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त करने की कोई कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नहीं। मान्यता फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा ही दी जाती हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशालय स्तर पर निम्न संस्थाओं को अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए (Provisional Affiliation) प्रदान किया गया था।

1. परमानन्द डिग्री कॉलेज की गजसिंहपुर।
2. भिवाड़ी, पोलिटेक्नीक, भिवाड़ी (अलवर केवल सत्र 1989-90)।
3. ग्रामोत्थान टैक्नीकल संस्थान, सार्दुलपुर (चूरू केवल सत्र 1989-90 हेतु)।
4. झुन्झुनू फार्मेसी कॉलेज, झुन्झुनू (राजस्थान) (केवल सत्र 1989-90 हेतु)।

(चिकित्सा मंत्री)

किन्तु वर्तमान में परमानन्द डिग्री कॉलेज श्री गजसिंह को फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता दिये जाने के कारण चालू हैं। शेष तीनों संस्थाओं को वर्ष 1990-91 से निदेशालय प्रावैधिक शिक्षा द्वारा मान्यता समाप्त कर इस वर्ष छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) जयपुर स्थित राजकीय संस्था पी. एच. टी. आई. की अपेक्षा अन्य संस्थाओं जयपुर एवं अन्य क्षेत्रों में वार्षिक फीस अधिक ली जा रही है। इस सम्बन्ध में इस विभाग में रजिस्ट्रार राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर को कार्यवाही बाबत लिखा गया है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थान में फार्मेसी कोर्स चालू करने का प्रस्ताव सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग में विचाराधीन है।

(4) निजी संस्थाओं द्वारा अधिक फीस लिये जाने का प्रकरण इस विभाग के समक्ष आया है जिस पर जांच रिपोर्ट आनि शेष हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

नागौर जिले के अग्नि पीड़ितों को सहायता

771. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1989-90 से 30 मई, 1990 तक कितने अग्नि काण्ड हुए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अग्नि काण्डों में किस-किस परिवार का कितना-कितना नुकसान हुआ?

(3) अग्नि पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी धन राशि की सहायता प्रदान की गई? यदि नहीं तो क्यों? अब कब तक सहायता प्रदान कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 1.4.89 से 30.5.90 तक 164 ग्रामों में अग्नि काण्ड हुए। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "अ")।

(2) आलोच्य अवधि में अग्निकाण्डों से 65,10,979/- रुपये का नुकसान हुआ। प्रत्येक परिवार को अग्नि-काण्डों से हुई क्षति की सूचना परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है।

(3) राज्य सरकार की ओर से अग्नि पीड़ितों को 1,62,788/- रुपये नकद सहायता स्वीकृत की गई जिसमें से 1,47,998/- रुपये की राशि का भुगतान अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को किया जा चुका है। शेष स्वीकृत राशि 14,790/- रुपये के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कैथून हैल्थ सेन्टर की जीप एवं एम्बुलेन्स

772. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैथून हैल्थ सेन्टर के क्रमोन्नत होने पर राज्य सरकार की ओर से एक एम्बूलेन्स एवं जीप की व्यवस्था मय ड्राईवर के कर दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कैथून चिकित्सालय के ड्राइवर का वेतन तो कैथून चिकित्सालय से मिलता है परन्तु कार्य कोटा में ही करता है और एम्बूलेंस/जीप भी कोटा में ही सेवारत है ?

(3) यदि हां, तो इस विसंगति का जिम्मेदारी किस अधिकारी की हैं ?

(4) जीप एवं एम्बूलेन्स कैथून हैल्थ सेन्टर को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) कैथून में एम्बूलेन्स की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में केवल एक जीप संख्या एम. आर. बी. 0362 मय चालक के उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जीप मय वाहन चालक के कैथून के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध है तथा एम्बूलेंस वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

सरपंच चतरभुजपुरा द्वारा गबन

773. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत चतरभुजपुरा, पंचायत समिति निवाई-टौंक में गत 10 वर्षों में विकास कार्य हेतु पंचायत समिति निवाई द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच चतरभुजपुरा ने स्वीकृत राशि का सही उपयोग न कर कुछ राशि का गबन किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत के कार्यों की जांच एवं ऑडिट से स्पष्टतया गबन का मामला बनता था, परन्तु अभी तक न तो सरपंच के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया और न ही उसके निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई गई ? क्या अब सरकार उक्त सरपंच के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत चतरभुजपुरा, पंचायत समिति, निवाई जिला टौंक को 10 वर्षों में विकास कार्यों हेतु 4,47,055/- रुपये राशि स्वीकृत की गई, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) नवकूप निर्माण जेबों की ढाणी, प्राथमिक शाला बाढ़ छौरिया व खरंजा

(ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री)

निर्माण चतरभुजपुरा में राशि का उपयोग नहीं होने के कारण सरपंच से राशि की वसूली किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(3) उप खण्ड अधिकारी, टौंक द्वारा प्रस्तुत विभागीय जाँच में सरपंच के विरुद्ध कोई निर्माण कार्यों में गबन का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। जिन कार्यों की धनराशियों का उपयोग नहीं हुआ उनकी वसूली की कार्यवाही जारी है। अलबत्ता वर्ष 1978-79 से 1982-83 की ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख अवश्य है कि 2438.24/- की धयराशि का गबन हुआ है। जिला कलक्टर से टिप्पणी चाही जा रही है कि क्या यह वास्तव में गबन है। टिप्पणी आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अलवर जिले की अपूर्ण सड़कें

774. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कितनी ऐसी सड़कें हैं जो अधूरी पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अधूरी पड़ी हुई सड़कों पर कितना धन वर्ष 1990-91 में खर्च किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) अधूरी पड़ी हुई सड़कें कब तक बन कर पूरी हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 121 सड़कें अधूरी है। सूची संलग्न है।

(2) जिले में अधूरी पड़ी सड़कों के लिए वर्ष 1990-91 में रुपये 117.50 लाख व्यय करना प्रस्तावित है।

(3) सभी सड़कों को पूरी करना योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 121 अधूरी सड़कों में से 44 सड़कों के वर्ष 1990-91 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

भीलवाड़ा जिले के ए. एस. आई., थानाधिकारियों की विभागीय जांच

775. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में ऐसे कौन-कौन से सर्किल इन्सपेक्टर, थानेदार ए. एस.आई. हैं जो पिछले 5 वर्षों में घूम-फिर कर इसी जिले में पदस्थापित हो जाते हैं ? मय नाम, स्थान के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पिछले 6 वर्षों में किन-किन थानाधिकारियों व ए. एस. आई. के खिलाफ विभागीय जांच की गई और

(श्री बंशीलाल पटवा)

वे किन-किन अपराधों में लिप्त पाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "ए" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) परिशिष्ट "क", "ख", "ग" में चाही गई सूचना अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क", "ख", "ग" में अंकित कर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखीगयी।)

स्वरूपगंज में हेडगेवार जन्म-शती समारोह में जन समूह पर हमला

776. श्री प्रभुराम (पिंडवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में स्वरूपगंज हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह के वक्त उपस्थित जन समूह पर हमला किया गया ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कितने व किन-किन हमलावरों को गिरफ्तार किया ?

(3) क्या यह सही है कि इन गिरफ्तारियों में निर्दोष लोगों को भी पकड़ा गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या निर्दोष लोगों पर चल रहे मुकदमे सरकार वापस लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये 90 हमलावरों के नाम संलग्न तालिका "क" में अंकित हैं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निर्दोष लोगों को पकड़ा ही नहीं गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत नागौर जिले में स्वीकृत अनुदान

777. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में जवाहर रोजगार योजना में धनकोली व दाऊसर पंचायतों में किन-किन कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई एवं कितना अनुदान दिया गया ? नाम व रकम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत कार्य उक्त पंचायतों को मिले अनुदान के समकक्ष है या अधिक ?

(श्री उम्मेद सिंह)

(3) क्या उक्त स्वीकृतियां पंचायतों की मांग के अनुसार थीं या विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखकर दी गई थी ?

(4) दस हजार तक की राशि जो नये कार्य के लिये खर्च हो, तो क्या पंचायत समिति से तकनीकी व प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता है ? अगर इससे अधिक राशि की स्वीकृति का अनुमोदन पंचायत समिति 15 दिन में नहीं करती है, तो क्या मार्गदर्शिका में बताये मुताबिक पंचायत कार्य करवा सकती है ?

(5) क्या राज्य सरकार के निर्देश के विपरीत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रधान व दोषी अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना में ग्राम पंचायत धनकोली को 2,91,000/- का एवं ग्राम पंचायत दाऊसर को 2,22,190/- का अनुदान दिया गया। स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत धनकोली को 2.91 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई जिसके विरुद्ध ग्राम पंचायत धनकोली द्वारा 4,31,000 के बकाया कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। ग्राम पंचायत दाऊसर को 2,22,190/- की धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसके विरुद्ध 2.66 लाख रु. के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई।

(3) इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई/अनुमोदित की गई उक्त सभी स्वीकृतियां ग्राम पंचायतों की मांग (प्रस्ताव) के अनुसार थी।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का, पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति यदि 15 दिनों में अनुमोदन नहीं करती है तो फिर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(5) पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करते हुए स्वीकृतियां जारी की गई है। अतः किसी भी जनप्रतिनिधि/अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

झालावाड़ क्षेत्र की सड़कें

778. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या झालावाड़ में डग विधान सभा क्षेत्र की पंचायत केन्द्र-डग से जगदीशपुरा, गुराड़िया जोगा से सरोद, क्यासरा से लुहारिया, डग से ढोवड़ा, जामुनिया के खेड़े से तिसाई, डग से डमरिया, पचपहाड़ से गुराड़िया माना पंचायत केन्द्रों को सड़कों

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

से जोड़ने के लिए राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उक्त सड़कों में पचपहाड़ से गुराड़िया डामर से तथा जामुनिया से तिसाई ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं तथा शेष सड़कों का निर्माण के अन्तर्गत प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इनसे जुड़ने वाले गांवों की आबादी कम होने से निकट भविष्य में इनकी स्वीकृति संभव नहीं है।

शेरगढ़ क्षेत्र के अस्पतालों में स्वीकृत पद

779. श्री मनोहर सिंह (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गत दो वर्षों में कितने अस्पताल एवं एडपोस्ट खोले गये हैं? स्वीकृत अस्पतालों एवं एडपोस्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के स्वीकृत अस्पतालों में स्टाफ की स्वीकृति संख्या क्रमश: चिकित्साधिकारी, मेल नर्स एवं एल. एच. वी. की संख्या क्या है?

(3) अस्पतालों में स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं एवं सरकार इन पदों की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है?

(4) सरकार उक्त क्षेत्र में कितने नये अस्पताल एवं एडपोस्ट खोलने का कब तक विचार रखती हैं?

(5) उक्त क्षेत्र के रेफरल अस्पताल बालेसर में रोगीवाहन की व्यवस्था कब तक करने का विचार है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं में निम्न पदों का प्रावधान किया गया है—

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	दो
2.	चिकित्सा अधिकारी	दो
3.	स्टाफ नर्स	पाँच
4.	एल एच.वी.	दो
5.	मेलनर्स श्रेणी-द्वितीय	चार

अस्पतालों में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है—

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	1/90 से
2.	चिकित्साधिकारी	2	,,
3.	स्टाफ नर्स	5	,,
4.	मेलनर्स श्रेणी-द्वितीय	2	,,
5.	लेब टेक्नीशियन	1	,,
6.	वरिष्ठ लिपिक	1	,,
7.	कनिष्ठ लिपिक	1	,,
8.	वार्ड ब्वाय (पार्ट टाइम)	3	,
9.	हरिजन (पार्ट टाईम)	2	,,

रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) नये अस्पताल (प्रा. स्वा. केन्द्र) खोलने का लक्ष्य पूर्ण हो गया है।

(4) नये उच्चीकृत उपकेन्द्र, एडपोस्ट खोलने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) बालेश्वर में रोगी वाहन उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में इसका उपयोग बाढ़ राहत कार्य में लिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

ग्राम उमरिया एवं तिसाई में चिकित्सा व्यवस्था

780. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ के ग्राम उमरिया तथा तिसाई में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गरीब जनता को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ?

(2) ऐसी स्थिति में क्या सरकार वहां कोई चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डग के ग्राम उमरिया जिसकी जनसंख्या केवल 611 है, में कोई उपकेन्द्र नहीं है, यहां के ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपकेन्द्र मन्दिरपुर से दिलाई जा रही है।

ग्राम तिसाई में एक उपकेन्द्र 30.8.86 से चालू है, परन्तु इस उपकेन्द्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का स्थानान्तरण हो जाने से उपकेन्द्र 24.5.90 से बन्द है। रिक्त पद को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) जी नहीं, चिकित्सा व्यवस्था उसी गांव अथवा नजदीक में उपलब्ध है।

जिला चिकित्सालयों में चिकित्सक

781. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों में कितने कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक अन्य पदों के विरूद्ध लगाये हुये हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त व्यवस्था को उचित समझती है ? यदि नहीं, तो ऐसे कनिष्ठ विशेषज्ञों का उन्हीं पदों पर पद-स्थापन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालयों में 33 कनिष्ठ विशेषज्ञ अन्य पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा मन्त्री)

(2) जी नहीं, उक्त कनिष्ठ विशेषज्ञों को यथावत् पदस्थापन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

बागड़ अस्पताल डीडवाना में चक्षु विशेषज्ञ का पद

782. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांगड़ अस्पताल, डीडवाना में चक्षु विशेषज्ञ का पद पिछले कितने वर्षों से रिक्त पड़ा है और क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पद पर किसी योग्य व अनुभवी चिकित्सक की नियुक्ति का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त अस्पताल में कान, नाक व गला के चिकित्सक को नियुक्ति करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बांगड़ अस्पताल, डीडवाना में वर्ष 1987 से चक्षु विशेषज्ञ का पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयन न होने के कारण रिक्त है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उप-खण्ड व जिला स्तर पर भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय

783. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1964 के भू-संरक्षण अधिनियम के तहत उपखण्ड व जिला स्तर पर जिला भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय स्थापित है?

(2) क्या वर्तमान में कुछ स्थानों पर सहायक अभियन्ता, भू-संरक्षण के नाम से नये कार्यालय स्थापित किये हैं? यदि हां, तो यह परिवर्तन कब से किया गया?

(3) क्या उक्त परिवर्तन उक्त अधिनियम में संशोधन कर किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सन् 1964 के भू-संरक्षण अधिनियम के तहत उपखण्ड एवं जिला स्तर पर जिला भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

(2) सन् 1964 में भू-संरक्षण अधिनियम के तहत सहायक अभिन्यता (भू-संरक्षण) के नाम से नये कार्यालय स्थापित नहीं किए गए इसलिए परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं है।

(3) उक्त अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्यालयों को इस अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किया गया है।

तहसील पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ एवं रेवदर के ग्रामों में केरोसिन व्यवस्था

784. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : **श्री प्रभुलाल गरासिया** पिण्डवाड़ा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ व रेवदर के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में केरोसिन उपलब्ध न होने से ग्रामीणों को भंयकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार केरोसिन के समय पर वितरण की समुचित व्यवस्था कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि तहसील पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ व रेवदर के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन उपलब्ध न होने से ग्रामीणों को भंयकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्षेत्र में केरोसिन की कुछ अतिरिक्त मांग अवश्य है जिसे केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर पूरा किया जा सकेगा।

(2) केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयत्नशील है।

बूंदी जिले में बैंकों द्वारा ऋण सुविधा

785. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन), **श्री किशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बून्दी जिले में बैंक ऑफ राजस्थान लाखेरी, बैंक ऑफ बड़ौदा केशवरायपाटन, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर केशवरायपाटन एवं बैंक ऑफ राजस्थान कापरेन द्वारा वर्ष 1986–87, 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में विशिष्ट योजना संगठन द्वारा संचालित योजना में कितने लोगों को ऋण सुविधा किस-किस प्रकार के कार्यों के लिये दी गई ? कृपया नाम, पिता, जाति, ऋण राशि, अनुदान राशि सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बूंदी जिले में बैंक ऑफ राजस्थान-लाखेरी, बैंक ऑफ बड़ौदा-केशवरायपाटन, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर-केशवरायपाटन एवं बैंक ऑफ राजस्थान कापरेन द्वारा विशिष्ट योजना संगठन द्वारा संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास और लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु राष्ट्रीय बृहद् कार्यक्रम में वर्ष 1986–87, 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में 342 लाभार्थियों को संलग्न सूची में दर्शाये गये कार्यों के लिये ऋण प्रदान किया गया, जिसका वर्षवार, बैंकवार एवं लाभार्थीवार विवरण प्रश्न में चाहेनुसार तालिका में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गंगानगर जिले के अस्पतालों में नियुक्त स्टाफ

786. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले की आबादी के अनुपात में जिले में कितने चिकित्सालय, सब सेन्टर, एडपोस्ट व अन्य चिकित्सीय संस्थान हैं ? इनमें कुल कितने डाक्टर व कर्मचारी नियुक्त हैं व कितने लोगों के लिये निवास की व्यवस्था है ? क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो कितनी कम है ?

(2) नये जिला अस्पताल के निर्माण पर कुल कितना व्यय अनुमानित है ? इसमें से सरकार कितना देगी और जन सहयोग व अन्य साधनों से कितना धन इकठ्ठा होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में एक 300 रोगी शैय्या युक्त अस्पताल, एक 70 रोगी शैय्यायुक्त चिकित्सालय, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 शहरी, 12 ग्रामीण डिस्पेंसरी, 37 उच्चीकृत उपकेन्द्र (एडपोस्ट) तथा 421 उपकेन्द्र स्थापित हैं।

इन संस्थानों में 226 चिकित्सकों एवं 1624 विभिन्न श्रेणी के कर्मरियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 194 चिकित्सा अधिकारी एवं 1125 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इनमें से 320 लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के लिए अपर्याप्त है जिसको वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर विभिन्न चरणों में पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

(2) नये जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये हैं। इस अस्पताल के निर्माण हेतु 12 लाख 50 रुपये अल्प बचत योजना, 30 लाख रुपये दुकानों की नीलामी एवं 72 लाख 50 हजार रुपये जन सहयोग आदि से एकत्रित किए गए हैं।

विभाग द्वारा नये अस्पताल के निर्माण हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में नये अस्पताल भवनों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के निर्माण कार्य दानदाताओं अथवा जन सहयोग से ही कराने के प्रयास किए जाते हैं।

जिलाधीश, बीकानेर द्वारा कर्मचारियों को आवास ऋण

787. श्री सम्पतसिंह (नगर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश बीकानेर द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86 में किन-किन कर्मचारियों को आवासन मण्डल से मकान क्रय करने हेतु ऋण की प्रथम किस्त दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों में से अधिकांश को उक्त अवधि के बाद में आवास ऋण की कोई किश्त नहीं दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे

(श्री सम्पतसिंह)

कर्मचारियों की सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, बीकानेर ने उपरोक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों का अगली किस्त देने से इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने सामान्य पंजीकरण किराया भुगतान पद्धति पर करवाया था तथा बाद में उसे नकद भुगतान पद्धति पर परिवर्तित करवाया ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को इस कारण से मना किया व किस निगम के तहत ? कृपया कर्मचारियों की सूची व सम्बन्धित नियमादि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (1) (एफ. डी.) (ग्रुप–2) 24/89 दिनांक 10-8-89 द्वारा यह स्पष्ट है कि आवासन मण्डल से दोनों ही पद्धतियों से मकान क्रय करने पर राज्य सरकार आवास ऋण देती है ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों से ऋण स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या अब राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त कर्मचारियों को एक मुश्त बकाया ऋण स्वीकृत करेगी जिससे कि उन्हें आवासन मण्डल द्वारा लगायी जा रही पैनल्टी व ब्याज से मुक्ति मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्या ?

उत्तर

(1) आवासन मण्डल से बने बनाये मकान क्रय हेतु मण्डल में सामान्य पंजीकरण किराया क्रय पद्धति पर करवाया जाकर बाद में नकद भुगतान पद्धति पर परिवर्तित करवाये गये मामलों में कुल 71 कर्मचारियों को जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा ऋण की प्रथम व द्वितीय किस्त दी गई थी । सूची संलग्न है ।

(2) यह सही है कि उपरोक्त 71 कर्मचारियों को इसके पश्चात् ऋण की कोई किश्त नहीं दी गई है । क्योंकि इन कर्मचारियों द्वारा आवासन मण्डल में सामान्य पंजीकरण किराया क्रय पद्धति पर करवाया जाकर बाद में नकद भुगतान पद्धति पर परिवर्तित करवाये गये हैं ।

(3) जी हां, उपरोक्त 71 कर्मचारियों को धनाभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऋण स्वीकृत नहीं किया गया ।

(4) सन्दर्भित आदेश दिनांक 10-8-89 के द्वारा तो केवल पूर्व ग्रहण की राशि दो किश्तों के स्थान पर तीन किश्तों में देने का संशोधित किया जाकर पूर्व स्थिति को पुनः दोहराया गया है ।

यद्यपि आवासन मण्डल से किराया क्रय पद्धति एवं नकद भुगतान पद्धति दोनों में से किसी से भी भवन खरीदने पर ऋण देने का प्रावधान राजस्थान भवन निर्माण अग्रिम नियम 1970 में पहले से ही विद्यमान है परन्तु राज्य के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध ऋण राशि का आवंटन केवल नकद भुगतान पद्धति के कर्मचारियों को ही किया जाता है ।

(5) राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए उक्त कर्मचारियों

(वित्त मन्त्री)

को निकट भविष्य में ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

छबड़ा क्षेत्र के अहमदपुरा ग्राम में हत्या

788. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा क्षेत्र के अहमदपुरा ग्राम में माह मई, 1990 के प्रथम सप्ताह में एक हत्या की घटना हुई थी ? यदि हां, तो मृतक कौन था ?

(2) अब तक उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? घटना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मृतक श्री गेन्दीलाल पुत्र मथुरालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोरेला थाना बापचा था।

(2) इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 41/90 धारा 302 भा. द. स. दिनांक 13·5·90 को थाना बापचा जिला कोटा ग्रामीण में पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अनुसंधानाधीन है। घटना का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

बून्दी तहसील के खटकड़ ग्राम से मूर्ति की चोरी

789. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री किशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी तहसील के खटकड़ ग्राम स्थित धुन्धलेश्वर महादेव की विशाल, चमत्कारी मूर्ति चोरी हो गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चोरी की जांच विशेष रूप से सी. आई. डी. द्वारा करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 9 व 10 जुलाई, 1988 की मध्य रात्रि में बून्दी तहसील के खटकड़ ग्राम स्थित धुन्धलेश्वर महादेव की मूर्ति की चोरी हुयी थी।

(2) जी हां। उक्त महादेव की मूर्ति की चोरी से सम्बन्धित अ. स. 45/88 धारा 457, 380 ता. हि. थाना गेण्डोली, जिला बून्दी का अन्वेषण राज्य अपराध शाखा से करवाया गया था। मुलजिमान का पता नहीं चलने के कारण इस अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदमपता मुलजिमान में दिया जाकर अन्वेषण समाप्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

ग्राम पंचायत, गजनीपुरा के भू. पू. सरपंच द्वारा गेहूं गबन

790. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नौखा) एवं **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रानी (पाली) की ग्राम पंचायत गजनीपुरा के वर्तमान सरपंच ने भू. पू. सरपंच के विरुद्ध पंचायत के शेष गेहूं 28 क्विंटल 94 किलो 830 ग्राम के गबन करने की शिकायत जिला कलक्टर पाली को दिनांक 10 मार्च, 1989 को की है ? यदि हां, तो शिकायत-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ए. सी. एम. देसूरी द्वारा दिनांक 30-5-1989 को जांच पर उपरोक्त गेहूं मौके पर नहीं मिले ? उपरोक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति रानी के विकास अधिकारी की मिली भगत से इस प्रकरण को दबाया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायती पत्र की प्राप्ति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जांच प्रतिवेदन में मौके पर गेहूं के उपलब्ध होने अथवा नहीं होने बाबत कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जांच प्रतिवेदन दिनांक 21-8-89 पर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप अप्रमाणित मानते हुए, दिनांक 27-9-89 को कार्यवाही ड्राप कर दी है। अतः कार्यवाही करने का आधार नहीं रहता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सांचौर पंचायत समिति में डी. डी पी. एवं जीवनधारा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

791. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जालौर जिला के सांचौर पंचायत समिति में डी. डी. पी. एवं जीवनधारा योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1988 से अब तक किस-किस व्यक्ति को टांका एवं कुओं के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत शुदा राशि में से कितनी राशि का काश्तकारों को भुगतान किया जाना बकाया है ? अब कब तक उनका भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(3) क्या यह सही है उक्त पंचायत समिति में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1304 व्यक्तियों को बिना स्वीकृति के एक किश्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अनियमित भुगतान करने के लिए कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांचोर में डी. डी. पी. एवं जीवनधारा के अन्तर्गत जुलाई, 1988 से अब तक क्रमशः 1908 एवं 264 व्यक्तियों को क्रमशः 52,63,343/-रु. एवं 22,57,115 का भुगतान किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट 1 से 4 के कालम संख्या 7 व 8 में अंकित है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत राशि में से डी. डी. पी. एवं जीवनधारा में 742 तथा 258 काश्तकारों को क्रमशः 42,24,284/ रु. एवं 26,08,385/-रु. का भुगतान किया जाना बकाया है जिसका विवरण परिशिष्ट 1 व 3 के कॉलम संख्या 9 में अंकित है। जांच पूर्ण होने के बाद उपर्युक्त मामले में यथाशीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) यह सही है कि उक्त पंचायत समिति में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत इस समय डी. डी. पी. के तहत 1166 एवं जीवनधारा के तहत 6 व्यक्तियों को बिना स्वीकृति के क्रमशः 27,25,627/-रु. एवं 35,400/-रु. का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट 2 व 4 के कॉलम संख्या 8 में अंकित है इसके कारणों की जानकारी जांच के पश्चात ही हो सकेगी।

(4) इस प्रकरण की जांच चल रही है। जांच पूर्ण होने पर ही दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गयी)

टोडाभीम क्षेत्र के अपूर्ण कुएं

792 **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए जीवनधारा योजना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा किन जिलों में कितनी-कितनी अनुदान राशि इसके लिए निर्धारित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जीवनधारा के तहत कितने कुएं पूर्ण बने और कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कुए कब तक पूरे होंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादौती के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 1989 से 1 जून, 1990 तक जीवनधारा के तहत

(48)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कितने कुएं खुदवाये गये, कितने पूर्ण हुए, जिनकी रिपोर्ट पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कर दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं बन्धक मजदूरों के लिए 12350 कूओं के लक्ष्य अस्थाई तौर पर निर्धारित किये गये हैं जिनके लिए राशि 2561.06 लाख रु. निर्धारित की गई है। प्रत्येक जिले की आवंटित धनराशि की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 31 जुलाई, 90 तक 109 कुएं पूर्ण बने और 58 कुएं अपूर्ण, अपूर्ण कुएं अगस्त, 90 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) पंचायत समिति टोड़ाभीम एवं नादौती में 1 अप्रेल, 89 से 1 जून, 90 तक क्रमशः 53 एवं 114 कूएं खुदवाये गये जिसमें से क्रमशः 40 एवं 69 पूर्ण किये जा चुके हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

भिनाय के चिकित्सा केन्द्र

793. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में किस-किस प्रकार के कहां-कहां एवं कितने चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन मेज पर रखें।

(2) क्या चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत स्टाफ के अनुसार स्टाफ कार्यरत है?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उक्त चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या उन चिकित्सा केन्द्रों पर दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध कराई जायेंगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिकांश चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत स्टाफ पदस्थापित है।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत बजट के अनुसार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

पोषाहार व बाल कल्याण योजना में जीपें

794. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या महिला व बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपीराम जाट)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न पंचायत समितियों को विशेषतौर पर पोषाहार व बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत जीपें उपलब्ध कराई गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन पंचायत समितियों में कब-कब कितनी जीपें आवंटित की गयी और वर्तमान में यह जीपें किस हालत में हैं ? क्या उक्त योजना पंचायत समितियों में बन्द कर दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उचित देखभाल के अभाव में व लापरवाही के कारण सभी जगह जीपें खस्ता व अनुपयोगी हालत में पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अब इनके निस्तारण के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन जीपों का खारिज सामान भी भण्डारों में पड़ा हुआ है जो जंग लगने से दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो इसके निस्तारण के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। जीपों के प्राप्ति वर्ष व स्थिति की पंचायत समिति वार सूचना परिशिष्ठ "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। जीपों का उपयोग कार्यक्रम के क्रियान्विति में किए जाने के कारण जीपें खस्ता हालत व अनुपयोगी हुई हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है निस्तारण की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(3) जीपों का खारिज सामान काफी पुराना है जो कुछ पंचायत समितियों के भण्डार में पड़ा है जिसके निस्तारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

कुचेरा कस्बा (नागौर) में रिक्त महिला डाक्टर का पद

795. श्री **रिछपालसिंह** (डेगाना), **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर), **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) एवं श्री **रामकरण** (मेड़ता): क्या माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले के अस्पतालों में कम्पाउण्डर, प्रसाविका एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 260 पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक भरा जावेगा ?

(2) क्या नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में पिछले लम्बे अर्से से रिक्त महिला डाक्टर के पद पर नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) नागौर जिले के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? क्या अस्पतालों में दवाइयों या अन्य उपकरणों की समुचित व्यवस्था नहीं है और अनेक स्थान रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के विभिन्न अस्पतालों में 68 पद रिक्त हैं।

प्रशिक्षित कम्पाउण्डर एवं प्रसाविका उपलब्ध होने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध के हटने पर इन पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) कुचेरा कस्बे में डॉ [श्रीमती] प्रभा मिश्रा 1·7·89 से कार्यरत थी। उनका स्थानान्तरण जसवन्तगढ़ हो जाने से दिनांक 18·6·90 से पद रिक्त है।

(3) नागौर जिले के अस्पतालों को सुचारु रूप से चलाने हेतु हर स्तर पर पूरे प्रयास किये जाते हैं। जिले की समस्त चिकित्सा संस्थाओं को उपलब्ध बजट तथा आवश्यकता के अनुसार दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला परिषद् पाली में वाहन चालकों के पद

796. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद्, पाली में वाहन चालकों के कितने पद सृजित किये गये ?

(2) वर्तमान में उक्त परिषद् में वाहन चालक के पद पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा पद स्वीकृत न होने पर भी नियुक्ति की गई है ? है ? यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, पाली में वाहन चालकों के दो पद स्वीकृत है।

(2) जिला परिषद्, पाली में वर्तमान में निम्न वाहन चालक कार्यरत हैं।

1. श्री सोहनलाल
2. श्री अमरसिंह
3. श्री जगदीश नाथ

जिसमें क्रम संख्या 1-2 की नियुक्ति नियमानुसार की गई है। क्रम संख्या 3 पर श्री जगदीश नाथ की अस्थाई नियुक्ति जिला परिषद् द्वारा की गई है।

(3) तीसरी नियुक्ति बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के कर दी है। इस नियुक्ति को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर यह देखा जावेगा कि कौन दोषी है एवं क्या कार्यवाही की जावें।

वनवासी विकास परिषद् का गठन

797. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर), **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलचन्द मीणा)

(1) क्या राज्य सरकार आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए स्वायत्त शासी संगठन तथा वनवासी विकास परिषद् बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो जनजाति उपयोजना क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का स्वरूप क्या बनाया है ?

(2) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में माही, जाखम, कडाणा, सोम कमला आम्बा, सोमकागदर, सेई और भंवर सेमला सिंचाई योजना से कितने आदिवासी बेघर हुए और इनके पुनर्वास की अब तक क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) इन्हें पुनर्वासित करने के लिए मुआवजे का आधार क्या माना है ? भविष्य में इन्हें कहां बसाया जायेगा ? इन योजनाओं के आदिवासियों को सिंचित जमीन का प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का वर्तमान में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए स्वायत्त शासी संगठन तथा वनवासी विकास परिषद् बनाने का कोई इरादा नहीं है । आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा निम्नानुसार है:—

राज्य स्तर पर सचिव, जनजाति विकास विभाग जनजाति विकास के कार्यक्रमों के संचालन में मार्ग-दर्शन एवं परिवीक्षण करते हैं । सभी नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिये जाते हैं एवं उनकी सहायता हेतु एक उप शासन सचिव व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं । विभागीय स्तर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, जनजाति विकास की सभी योजनायें बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं । उनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त आयुक्त एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञ उपलब्ध किये गये हैं । जिला स्तर पर तीन जिलों उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में परियोजना अधिकारी एवं सिरोही व चित्तौड़गढ़ में उप परियोजना अधिकारी कार्यरत है । पंचायत समिति स्तर पर जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अलग से किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है । विकास अधिकारी, एक्सटेन्शन आफिसर व ग्राम सेवकों की मदद से योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं । उनके कार्य में मदद हेतु दैनिक मजदूरी पर एक कनिष्ठ लिपिक की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं ।

इसके अतिरिक्त राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर एक सहकारी संस्था है जो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत है । इसका पंजीयन 27 मार्च, 1976 को किया गया है । राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ द्वारा जनजाति समुदाय के उन्नयन की दिशा में निम्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं:—

1. आदिवासियों को अनियन्त्रित एवं नियन्त्रित उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना ।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

2. आदिवासी कृषकों को समय पर रासायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीट-नाशक दवाइयां उपलब्ध कराना।

3. आदिवासियों द्वारा संग्रहित लघु वन उपज उचित मूल्य पर क्रय करना।

4. उपयोजना क्षेत्र के "अ" श्रेणी के जलाशयों में आदिवासियों द्वारा मत्स्य आखेट करना।

5. आदिवासियों को आर्थिक उपकरण व गतिविधियां चलाने के लिए बैंकों से ऋण व्यक्तिगत अथवा समिति के रूप में दिलवाना।

राजस संघ द्वारा अपनी गतिविधियां मुख्य रूप से प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से चलाई जा रही हैं. जिनमें लेम्प्स/मत्स्य/खनिज/वन/मुर्गीपालन अन्य सहकारी समितियां प्रमुख हैं। राजस संघ की प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान सहकारी अधिनियम एवं पंजीकृत उपनियम के अनुसार चलाई जाती है। सहकारी संस्था में ग्राम सभा सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय होती है। ग्रामसभा प्रबन्धकारणी, कार्यकारणी को चुनती है। राजस संघ की प्रति-दिन की गतिविधियों के नियन्त्रण हेतु निर्धारित प्रशासनिक ढांचे में प्रबन्ध निदेशक, महा प्रबन्धक, विषय विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक होते हैं। राजस संघ का कार्यक्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र तक सीमित है। वर्तमान में राजस संघ का संचालक मण्डल राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–4(24) कृषि-4/सह./76 दि. 26-9-89 द्वारा दिनांक 22-12-91 तक की अवधि के लिए मनोनीत है। मनोनीत संचालक मण्डल में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग पदेन अध्यक्ष है।

(2) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में निम्न सिंचाई योजनाओं से बेघर हुए आदिवासियों एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था निम्नानुसार की गई हैं—

1. माही बांध से बांसवाड़ा जिले के 5321 आदिवासी बेघर बार हुए हैं, इनमें से बांसवाड़ा जिले की 72 पुनर्वास बस्तियों में इनको बसाया गया है। इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नॉर्म्स के अनुसार नागरिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई है।

2. जाखम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 109 आदिवासी परिवार बेघर हुए हैं इनके पुनर्वास की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गई है, परन्तु बेघर परिवारों को निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर मुआवजा दिया जा चुका है।

3. कड़ाना बांध से बांसवाड़ा/डूंगरपुर जिले के कुल 7419 आदिवासी बेघरबार हुए हैं, इनमें से बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले की कुल 56 पुर्नवास बस्तियों में इनको बसाया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पुर्नवास नॉर्म्स के अनुसार इनको सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

4. सोम कमलाआम्बा एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आज की स्थिति के अनुसार बांध के डूब क्षेत्र में अभी कोई

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जल संग्रह नहीं किया जा रहा है। परियोजना के डूब क्षेत्र में कुल 2773 खातेदार आते हैं, जिनमें से करीब 40 प्रतिशत खातेदार आदिवासी हैं। इन खातेदारों के पुनर्वास के नॉर्म्स बनाये जा चुके हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

5. सोम कामदर योजना निर्माणाधीन है जिसके डूब क्षेत्र से 350 आदिवासी प्रभावित हुए हैं जिनको मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है तथा उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र स्वयं ही ने करली है।

6. सेई सिंचाई परियोजना से संबंधित सूचना सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

7. भंवर सेमला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में ही बजट के अभाव में बन्द हो चुका है। इस परियोजना से कोई परिवार बेघर बार नहीं हुआ है। अतः पुनर्वास हेतु कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(3) इन सिंचाई परियोजना से पुनर्वासित करने के लिए मुआबजे एवं इन्हें बसाने का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1. माही बांध से प्रभावित विस्थापितों को भूमि का मुआवजा कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा 1976 से अनुमोदित दरों के आधार पर किया गया है एवं कच्चे मकानों का प्लिन्था एरिया की अनुमोदित दरों तथा मकानों व कुओं का मुआवजा एवं भुगतान माही बी. एस. आर. 1975 को आधार मानते हुए एवं पेड़ों का मुआवजा वन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों को आधार मानते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी, माही परियोजना बांसवाड़ा द्वारा जारी एवार्ड के अनुसार किया गया है। माही परियोजना के सिंचित क्षेत्र में लगभग 51 प्रतिशत जमीन आदिवासियों की है।

2. जाखम बांध के डूब क्षेत्र में और नहरों के लिये की गई अवाप्त भूमि, मकान, कुएं एवं पेड़ों का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। इसलिये भविष्य में पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। बेघर परिवार स्वेच्छा से उनकी चाही गई जगह पर स्थापित हो चुके हैं। जाखम सिंचाई परियोजना में 47·59% सिंचित जमीन आदिवासियों की है।

3. कड़ाना बांध से प्रभावित विस्थापितों को उनकी प्रभावित भूमि का मुआवजा कलक्टर बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर द्वारा वर्ष 1973 में अनुमोदित दरों पर कच्चे मकानों के लिए प्लिन्थ एरिया की अनुमोदित दरों व पक्के मकानों व कुओं का मुआवजा माही बी. एस. आर. 1972 व 1975 के अनुसार एवं पेड़ों का मुआवजा वन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार मानते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के अनुसार किया गया है। कड़ाना क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन का कितना प्रतिशत है इसकी सूचना सिंचाई विभाग ने उपलब्ध नहीं कराई है।

4. सोम कमला आम्बा सिंचाई परियोजना में मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

द्वारा धारा 4 की विज्ञप्ति के समय की दरों पर अवार्ड इश्यू करने के उपरान्त दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास हेतु प्रस्तावित नॉर्म्स में कई रियायतें प्रस्तावित हैं। परियोजना का सी. सी. ए. 7724 हैक्टेयर है जिसमें आदिवासियों की भूमि का हिस्सा 34·4 प्रतिशत है।

5. सोमकागदर सिंचाई परियोजना में पुनर्वासित करने हेतु प्रचलित बी. एस. आर. की दरों को आधार मानकर डूब में आये मकानों एवं अन्य सम्पत्ति का तकमीना सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर मुआवजे का भुगतान किया गया था। इस खण्ड में अब ऐसा कोई आदिवासी नहीं है जिसे अब पुनर्वासित करना शेष है।

सोम कागदर सिंचाई परियोजना के सिंचित भूमि का 89·71 प्रतिशत आदिवासियों का है।

6. सेई सिंचाई परियोजना की सूचना सिंचाई विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

7. भंवर सेमला सिंचाई परियोजना के निर्माण में कोई परिवार डूब से प्रभावित नहीं हुआ है। अतः कोई पुनर्वास योजना प्रस्तावित नहीं है। इस सिंचाई योजना में सिंचित जमीन का आदिवासियों का प्रतिशत 98 प्रतिशत है।

सीमावर्ती जिलों में वृक्षारोपण

798. श्री अमीन खां (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार रेगिस्तानी सीमावर्ती जिलों तथा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व श्री गंगानगर में किसानों को अपने खेतों में हरे पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक किस रूप में इसकी क्रियान्विति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत वर्ष राज्य के मरुस्थलीय जिलों में मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों की निजी रेतीली टीबा भूमि पर वृक्षारोपण करने की एक योजना प्रारंभ की गई है। जिसके अन्तर्गत कृषकों की निजी रेतीली टीबा भूमि पर वन विभाग द्वारा उपयुक्त प्रजाति जैसे अकेसिया, टोरटालिस, खेजड़ी, रोहिडा बेर आदि के पौधे रोपित, किये जाते हैं और तीन वर्ष तक इन पौधों की सुरक्षा की जाती है। उसके उपरान्त यह वृक्षारोपण क्षेत्र कृषकों को वापस सम्भला दिया जावेगा। पौधों पर कृषकों का ही हक होगा। इससे निजी भूमि से उड़ती हुई रेत को रोकने में काफी सहायता मिली है एवं अन उपजाऊ भूमि होने पर भी कृषकों को आर्थिक लाभ भी होगा।

गत वर्ष यह योजना सीकर, झुन्झुनूं, चूरू एवं नागौर जिलों में लागू की गई थी। इस वर्ष से इन जिलों के अतिरिक्त बाड़मेर में भी यह योजना लागू की जा रही है जिस पर 100 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर जिले में ब्लैक बोर्ड योजना

799. श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और उनमें कितने-कितने छात्र-छात्रा अध्ययनरत हैं ? पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक लगाये जाने थे, लेकिन विद्यालयों में एक ही अध्यापक कार्यरत है ?

(3) ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत किस-किस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार अध्यापन कार्य में सुधार लाने के लिए छात्र संख्या के अनुपात से अध्यापक उपलब्ध कराने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एकल अध्यापक विद्यालय को एक अतिरिक्त अध्यापक लगाये जाने की स्वीकृति जारी की गई हैं। यह सही है कि कुछ विद्यालयों में दो अध्यापकों के बजाय एक ही अध्यापक कार्यरत है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजगढ़ एवं अलवर में कृषि दवा का वितरण

800. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रबी 1989-90 में दीमक नियन्त्रण हेतु 25 प्रतिशत अनुदानित दर पर कृषि विभाग के द्वारा एलड्रिन दवा कृषकों को वितरित की गई ?

(2) यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में एवं अलवर जिले में कितनी धन राशि अनुदान के रूप में कृषकों को दी गई ?

(3) एलड्रिन दवा की बाजार में उस समय विक्रय दर एवं कृषि विभाग द्वारा वितरित की गई दवा की दर क्या थी ? दुकानदारों के दवा विक्रय के वाउचरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीराम मीणा)

(4) क्या यह भी सही है कि कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान नहीं दिया गया और कागजी कार्यवाही पूरी हो गई ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां, रबी 1989–90 में दीमक नियन्त्रण हेतु 25 प्रतिशत अनुदान पर एलड्रिन दवा कृषि विभाग द्वारा कृषकों को वितरित की गई।

(2) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 67 लीटर एलड्रिन कृषकों को वितरित की गई जिस पर कुल रुपये 3027·50 का अनुदान उपलब्ध कराया गया। अलवर जिले में कुल 263·25 लीटर एलड्रिन वितरित की गई, जिस पर कुल 11,894 रु. का अनुदान उपलब्ध कराया गया। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक दवाइयां नहीं बेची गई थी।

(3) एलड्रिन दवा को बाजार में उस समय विक्रय दर एवं क्रय-विक्रय समिति द्वारा वितरित की गयी दवा की दरें निम्न प्रकार हैं:—

एलड्रिन 30 प्रति. ई. सी.	बाजार में विक्रय दर	कृषि विभाग की वितरित दर
1000 मि ली.	175	173·60 प्रति लि.
500 ,, पैंकिंग	170	175·00 प्रति लि.

दुकानदारों के दवा वाउचरों की फोटो 3 प्रति एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के वाउचर्स की एक फोटो प्रति भी संलग्न है।

(4) कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान दिलाया गया है, जिसका समस्त रेकार्ड उप-निदेशक, कृषि (विस्तार) अलवर के कार्यालय में उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजकीय वाहनों का उपयोग

801. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर): क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों "अ" श्रेणी के विभागाध्यक्षों को नाम मात्र की राशि जमा कराने पर राजकीय वाहनों के निजी उपयोग की छूट है ?

(2) क्या यह सुविधा उन अधिकारियों को भी दी जा रही है जिनके पास निजी उपयोग के लिए अपने निजी वाहन हैं और वे उन वाहनों का राज्य सरकार से वाहन भत्ता उठा करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ये अधिकारी इस छूट सीमा से अधिक राजकीय वाहनों को निजी उपयोग में लेकर इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं ?

(4) क्या सरकार मितव्ययता की दृष्टि से इस सुविधा को बन्द करने पर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव व "अ" श्रेणी के विभागाध्यक्ष, यदि राजकीय वाहन को निजी उपयोग में लेना चाहें तो रुपये 225/– प्रतिमाह देकर 500 कि.मी. तक उसे उपयोग में ला सकते हैं।

(2) जिन अधिकारियों के पास निजी वाहन है वे भी उपरांत सुविधा ले सकते हैं, पर उनको निजी वाहनों के उपयोग के लिए कोई वाहन भत्ता देय नहीं है।

(3) यदि राजकीय वाहन का एक निश्चित सीमा से अधिक निजी उपयोग किया जाता है तो निजी यात्रा हेतु प्रचलित सामान्य दर से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसका किराया देय है।

(4) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े गये मामले

802. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या मुख्य मंत्री (भ्रष्टाचार निरोधक) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन महीनों में भ्रष्टाचार के कौन-कौन से मामले पकड़े गये ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भ्रष्टाचार के मामलों में से अधिकांश पूर्व में ही पकड़े जा चुके थे जिन पर विभागीय कार्यवाही की जाकर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी थी ? ऐसे कितने मामले हैं जो 27 फरवरी, 1990 से पूर्व पकड़े जा चुके थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पुलिस से सम्बन्धित कितने मामले गत 3 माह में पकड़े गये ?

उत्तर

(1) माह मार्च 1990 से जून 1990 के मध्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा बनाये गये प्रकरणों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सूची "क" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। केवल एक ही प्रकरण ऐसा है जिसे संलग्न सूची "ख" में दर्शाया गया है।

(3) ऐसे प्रकरणों की संख्या 3 है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य को नॉन टैक्स रेवेन्यू की प्राप्ति

803. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में 1977 से 1989 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नॉन टैक्स रेवेन्यू कितनी-कितनी प्राप्त हुई ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) कितने प्रतिशत बढ़ोतरी प्रतिवर्ष हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1977 से 1989 के मध्य केन्द्रीय कर्जा कब-कब कितना-कितना प्राप्त हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1977 से 1989 के मध्य केन्द्रीय करों से कितनी-कितनी राशि राज्य के हिस्से में प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज रखें।

(5) वर्ष 1977 से 1989 के मध्य कब-कब कितना-कितना बजट घाटा रहा ? अपूरित घाटा कब-कब, कितना-कितना रहा ?

उत्तर

(1 व 2)

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत वृद्धि/कमी.
1977–78	106·50	
1978–79	124·65	(+)17·04
1979–80	146·24	(+)17·32
1980–81	198·36	(+)35·64
1981–82	175·92	(–)11·31
1982–83	232·63	(+)32·24
1983–84	267·45	(+)14·97
1984–85	279·79	(+) 4·68
1985–86	300·27	(+) 7·25
1986–87	297·74	(–) 0·84
1987–88	369·53	(+)24·11
1988–89	362·15	(–) 2·00

(3) 1977 से 1989 के मध्य प्राप्त केन्द्रीय कर्जा (वित्त लेखों के आधार पर)

	(राशि करोड़ रुपयों में)
1977–78	77·68
1978–79	123·26
1979–80	191·55
1980–81	175·26
1981–82	253·04
1982–83	524·88
1983–84	243·82
1984–85	290.35
1985–86	366·00
1986–87	407·14
1987–88	553·71
1988–89	633·42

(4) वर्ष 1977 से 1989 के मध्य केन्द्रीय करों से निम्न प्रकार राशि प्राप्त हुई :—

	(राशि करोड़ रु. में)
1977–78	83·99
1978–79	91·74
1979–80	157·23
1980–81	174·50
1981–82	196·32
1982–83	213·60
1983–84	242·01
1984–85	266·96
1985–86	325·30
1986–87	367·89
1987–88	410·32
1988–89	454·93

(वित्त मंत्री)

(5) वर्ष 1977 से 1989 के मध्य रिजर्व बैंक के अनुसार हर वर्ष के अन्त में निम्न प्रकार घाटा/अधिशेष रहा है :—

(राशि करोड़ रु. में)

1977–78	(–) 14·69
1978–79	(+) 5·62
1979–80	(–) 34·10
1980–81	(–) 155·27
1981–82	(–) 283·46
1982–83	(–) 26·07
1983–84	(+) 1·66
1984–85	(–) 12·31
1985–86	(+) 67·76
1986–87	(+) 43·16
1987–88	(–) 120·03
1988–89	(–) 67·89

डेगाना तहसील की खस्ता हाल

804. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना), **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर), **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) एवं **श्री रामकरण** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डेगाना तहसील को सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितनी रकम खर्च की जावेगी तथा इसके अन्तर्गत कौन-कौन सी सम्पर्क सड़कों को लिया जावेगा ?

(2) क्या डेगाना स्टेशन पर सड़क के निर्माण की योजना है ? क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में सड़क नहीं होने की वजह से इकट्ठे होने वाले कीचड़ से जनता को आने-जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इस सड़क एवं नाली का कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ? इस सड़क पर कितनी रकम खर्च करने की स्वीकृति दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना तहसील में वित्तीय वर्ष 1990–91 में सड़कों की मरम्मत हेतु 34·25 लाख रुपये तथा नई सड़क हेतु रुपये 9·00 का प्रावधान है। सूची "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) जी हां। डेगाना स्टेशन पर पूर्व में ही बनी हुई सड़क के सुधार एवं नाली के कार्य हेतु 9·00 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात् विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण होने पर कार्य शुरू करवा दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

राजगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था

805. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) राजकीय चिकित्सालय में बढ़ती

(श्री श्रीराम मीणा)

हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए बैड्स की व्यवस्था कम हैं ? बैड्स संख्या बढ़ाने और चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की ओर राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ।

(2) रेणी कस्बे के राजकीय अस्पताल में डाक्टरों की कितनी संख्या है ?क्या इनमें महिला डाक्टर भी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार महिला डाक्टर के पदस्थापन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

इस अस्पताल में वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर अधिक शैयाएं बढ़ाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा । उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक है ।

(2) रेणी स्थित अस्पताल में दो चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत है । वहां अलग से महिला चिकित्सा अधिकारी के कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जयपुर जिले की सड़कों का मास्टर प्लान

806. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले में सड़कों के निर्माण के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या इस प्लान पर अब तक अमल किया गया ? यदि हां, तो कितना और नहीं तो क्यों ? अब कब तक अमल किया जायेगा ?

(3) इस प्लान को अन्तिम रूप कब दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, मास्टर प्लान का मात्र प्रारूप तैयार किया गया था ।

(2) नई स्वीकृतियां जारी करते समय इस मास्टर प्लान के प्रारूप में संकलित प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

डग पंचायत के वार्डों की नालियां एवं फर्श

807. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के डग पंचायत के विकास हेतु सन् 1980 से अब तक प्रति वर्ष कितना-कितना बजट कब-कब स्वीकृत किया गया तथा वह बजट किस-किस विकास

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

के कार्य में लगाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले के डग पंचायत में कितने वार्ड हैं ? क्या सभी वार्डों में फर्श तथा पक्की नालियां बनी हुई हैं ?

(3) भविष्य में सरकार द्वारा कितनी राशि की व्यवस्था कर विकास कराने की योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) डग पंचायत में 14 वार्ड है। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा सकेगी यह इंगित करना अभी संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(6 जुलाई, 1990)

चूरू जिले के पशु चिकित्सालय

287. श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कुल कितने पशु-चिकित्सालय हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों की दशा बहुत ही दयनीय है तथा उनमें फर्नीचर, दवाइयां एवं उपकरण नहीं हैं ?

(3) कौन-कौन से चिकित्सालय सरकारी भवन में नहीं हैं ? उनके भवन कब तक बना दिये जावेंगे ?

(4) क्या पशु चिकित्सालयों का सामयिक निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कब-कब निरीक्षण किया गया तथा क्या रिपोर्ट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में 19 पशु चिकित्सालय, 11 पशु स्वास्थ्य केन्द्र, 13 पशु औषधालय एवं 2 चल पशु चिकित्सा इकाई कार्यरत हैं। तहसीलवार सूची "क" संलग्न है।

(2) चूरू जिले के पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थिति दयनीय नहीं है। दवाइयों एवं उपकरण आदि हेतु जिला पशु पालन अधिकारी को गत वर्ष 1,88,853 रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में ही फर्नीचर हेतु 48,740 रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। तदनुसार फर्नीचर आदि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मुहैया करवाया जा रहा है।

निम्न संस्थायें सरकारी भवन में नहीं हैः—

(पशुपालन राज्य मंत्री)

4 पशु चिकित्सालय	–बिग्गा, सरदार शहर, सादूलपुर, चांदगोठड़ी
1 चल पशु चिकित्सा इकाई	–रतनगढ़
2 पशु स्वास्थ्य केन्द्र	–नांगलकलां, रामपुराबेरी
6 पशु औषधालय	–सारोठिया, डेलवा, इन्द्रपुरा, सहनाली छोटी, ददेरवा, मालड़ ।

नये भवन निर्माण हेतु इस वर्ष बजट में कोई प्रावधान नहीं है । पशु चिकित्सालयों का सामयिक निरीक्षण किया जाता हैं । गत 5 वर्षों में जिलाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की सूची "ख" संलग्न है ।

(4) निरीक्षण के दौरान स्टाफ की स्थिति, गत निरीक्षण की अनुपालना, गत वर्ष व आलौच्य वर्ष के कार्य की तुलना, दवाई की स्थिति आदि का उल्लेख कर कार्यवाही की गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

स्थगित प्रश्न

(10 जुलाई, 1990)

ग्राम सियाट के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

380. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम सियाट के ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधीश पाली द्वारा मिश्रीलाल सरपंच, सियाट के विरुद्ध पंचायत आबादी भूमि से सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सरपंच जांच में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । जिला कलक्टर से अभी आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । आरोप पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

सिवाना क्षेत्र में राहत कार्य

445. श्री हुकमाराम (सिवाड़ा) एवं **श्री मनोहर सिंह** (शेरगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अकाल राहत कार्यों के तहत, कहां-कहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, तथा नये कार्य

(श्री हुकमाराम)

कहां-कहां शुरू कराने की और स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार राहत कार्य कब तक शुरू कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अकाल राहत कार्य संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये स्थानों पर चल रहे थे। अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये, केवल पूर्व के अपूर्ण कार्यों की ही स्वीकृति दी गई थी। समस्त राहत कार्य 7 जुलाई, 90 के बाद बन्द कर दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

पुरातत्व विभाग के भवन

449. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कला एवं संस्कृति विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्राचीन काल के भवनों को किसी व्यक्ति विशेष को किराये पर दे सकता है ?

(2) श्री जगदीश कुमार आदर्श नगर, जयपुर से दस माह का किराया बकाया होने के बावजूद निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने आमेर पेलेस के भवन को उससे खाली क्यों नहीं करवाया, जबकि आवंटन-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये थे ?

(3) क्या उनको राजस्थानी वास्तुकला के प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनी लगाने के लिये आमेर महल में मासिक किराये पर दिया था ? यदि हां, तो कितना किराया तय किया गया ? किराया तय करने का आधार क्या था ?

(4) प्रदर्शनी लगाने की समय सीमा तय न कर उनको सदैव महल देकर पुरातत्व विभाग की जायदाद को बतौर मालिकाना हक देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभागों के भवनों में तोड़फोड़ एवं निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से ?

(6) राज्य सरकार ऐसे भवनों को खाली करवाने हेतु अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्यादेशानुसार किराया पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा तय होना था, वो नहीं हुआ। किराये के पेटे श्री जगदीश कुमार से 10,000/- रु. अग्रिम जमा करवाये गये।

(3) आवंटन राजस्थानी वास्तुकला के प्रदर्शन हेतु किया गया है न कि प्रदर्शनी हेतु। किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग

(कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

द्वारा तय किया जाना था जो तय नहीं हुआ। आधार राज्यादेश था।

(4) श्री जगदीश कुमार को मालिकाना हक कभी नहीं दिया गया अतः कार्यवाही नहीं की गई।

वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। विभाग ने ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी।

(5) भविष्य में कोई अन्य स्थल आवंटन नहीं किया जावेगा।

(6) श्री जगदीश कुमार द्वारा शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है, नोटिस का जवाब सन्तोषजनक नहीं होने के कारण विभाग इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहा है।

स्थगित प्रश्न

(11 जुलाई, 1990)

चूरू जिले में राहत कार्य

455. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि की कब-कब स्वीकृति जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी-कितनी लागत के कितने कार्य अब तक पूर्ण हो गये, कितने अधूरे रहे?

(3) जिला चूरू में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पीने के पानी हेतु कुल कितने कुण्ड बने हैं? प्रत्येक ग्रामवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में विगत 4 वर्षों में विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "एक")।

(2) चूरू जिले में पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट "दो" पर संलग्न है।

(3) चूरू जिले में चार वर्षों में पीने के पानी हेतु 9991 कुण्ड बनवाये गये हैं। जिनकी ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "तीन")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 जुलाई, 1990)

राजस्व मामलों का निस्तारण

463. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रिमिसेज कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इवीक्शन

(श्री चम्पालाल बांठिया)

एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेटों को इन मुकदमों की प्रथम सुनवाई से तीन माह में निर्णीत कर देना चाहिए ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के, ए. सी. एम. (मुख्यालय) तथा ए.सी एम. (प्रथम) जयपुर धारा 12 के मुकदमे सुनते हैं और 30-9-1990 तक क्रमशः इनके न्यायालयों में करीबन 100 व 400 मुकदमे 3–4 वर्ष की अवधि से लम्बित हैं ? यदि हां, तो सरकार कानून में दी गई समय सीमा में मुकदमों को निर्णीत नहीं करके कानून की अवज्ञा एवं कर्त्तव्य-पालन नहीं करने के दोषी इन मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन मजिस्ट्रेटों की आज्ञा से ही धारा 12 के मुकदमों में लगातार बिना कार्य के एक वर्ष से अधिक अवधि तक तारीखें बदलती रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

(4) क्या सरकार प्रावधित व्यवस्था की सख्ती से अनुपालना में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों की दृष्टि में उक्त धारा को विलोपित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इन मुकदमों को त्वरित गति से निपटाने के लिए एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों से इस कार्य को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रिमिजेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इवीक्शन) एक्ट 1950 की धारा 12 की उपधारा 1 अथवा 3 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रथम सुनवाई से 3 माह में करने का प्रावधान इसी धारा की उपधारा 5 में है ।

(2) जयपुर शहर के ए. सी. एम. (मु.) तथा ए. सी. एम. (1) इस प्रकार के मुकदमे सुनते हैं इन न्यायालयों में वर्ष 1989 तक के 380 प्रकरण लम्बित हैं । प्रकरणों के निस्तारण निर्धारित समयावधि में ही करने का प्रयास किया जाता है । लेकिन पक्षकारों द्वारा साक्ष्य-पेश करने व साक्ष्य लेने आदि की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने से विलम्ब हो जाता है ।

(3) यह सही नहीं है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा बिना कार्य तारीखें बदली जाती है । न्यायिक प्रक्रिया की कार्यवाही में विचाराधीन प्रकरण की प्रकृति अनुसार तारीख पेशी बदली जाती हैं ।

(4 एवं 5) इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर पुर्नविचार कर समग्र एवं व्यापक सुझाव देने तथा वांछित संशोधनों पर विचार करने हेतु विधि सचिव के संयोजकत्व में एक समिति गठित की है । जिसका प्रतिवेदन आने पर राज्य सरकार विचार कर निर्णय लेगी ।

श्री अध्यक्ष : विनियोग बिल पर बहस शुरू । माननीय परसराम मदेरणा ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि सदन में जो स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर विचार किये बिना कोई भी हाऊस का बिजनस नहीं हो सकता....

श्री अध्यक्ष : मैंने कल हाऊस की सहमति ले ली, बिराजिए। मैंने कल हाऊस की सहमति लेकर व्यवस्था की है। इसलिए अब इसमें कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल: मैं इस सिलसिले में आपकी व्यवस्था चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं हाऊस की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं होगी। I disallow your point nf order. Sit down please.

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : I disallow point of order.

माननीय श्री परसराम मदेरणा, मैंने हाउस से सहमति ली है कल, and again you are starting point of order. House is the supreme. हां, बोलिये।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर विचार

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, विनियोग विधेयक संख्या-4 सदन के सम्मुख विचाराधीन है। प्रभारी मंत्रीजी ने इस विधेयक की मार्फत कन्सोलिडेट फण्ड ऑफ दी स्टेट से उनको प्राधिकृत करने के लिए 5375 करोड़ 73 लाख और 37 हजार रुपये की स्वीकृति इस सोवेरन हाउस से मांगी है।

अध्यक्ष महोदय, जब 3 मार्च को इस सरकार ने शपथ ली और इस विधेयक के प्रभारी मंत्री हैं वह स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं। उनका जो पहला वक्तव्य आया है राजस्थान में, कि इस कोलेशन गवर्नमेण्ट को जो राजस्थान मिला है वह दिवालिया राजस्थान मिला है। खजाना बिल्कुल खाली है और उसके अलावा राजस्थान प्रगति के मार्ग पर देश के अन्दर 14 बड़े राज्यों में आखरी पंक्ति पर खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि जब-जब फाइनेन्स कमीशन राजस्थान में आया या राजस्थान सरकार ने जो मेमोरेण्डम उनके सामने प्रस्तुत किये हैं राजस्थान का भौगोगिक अभिशाप जिसमें 3/4 इस देश का रेगिस्तान जोगराफिकली राजस्थान में स्थित है। यों कहा जाय यह हृदय स्थल है इस थार रेगिस्तान का तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐतिहासिक कारण भी हैं। पापुलेशन बहुत पार्सली है, पावर्टी का भी हमेशा अपने मेमोरेण्डम में उल्लेख करते रहे हैं। एरिया क्षेत्रफल के अन्दर बहुत बड़ा है। राजस्थान में सर्विसेज का कितना अभाव था। लेबल ऑफ सर्विसेज जो अलग-अलग राज्य बने थे 22 जिनमें राजस्थान भी एक था उसमें सर्विसेज का स्टेण्डर्ड, आल इण्डिया मापदण्ड के समानान्तर लाने में बहुत बड़ी धनराशि के विनियोजन की आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जब इनकी सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

77 में बनी और दूसरी दफा बनी तो हमेशा ही इन्होंने इस बात की कोशिश की है और उनके सामने एक दर्शन रहा है कि राजस्थान की प्रगति में वह हमेशा नया अध्याय जोड़ने के आदि रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जिस राज्य का वित्त मंत्री 5 हजार 375 करोड़, 73 लाख, 37 हजार रुपये का एप्रोप्रिएशन चाहता है, सदन से, कन्सोलिडेटफण्ड में से खर्च करने के लिए, डिफ्रे करने के लिए, एक्ट के अनुसार फिर भी यह राजस्थान आपको दिवालिया मिला।

यह बात सही है कि आपने बहुत सोच समझकर के पहले एक दर्शन दिया पूरे देश के सामने मार्ग प्रशस्त किया अन्त्योदय का। अब आप गरीब को गणेश मानकर चलना चाहते हैं लेकिन गरीब को तो रिद्धि-सिद्धि कब प्राप्त होगी। उसको गणेश मानने की आवश्यकता तो बाद में आयेगी। लेकिन जो चमत्कार इन दो-तीन महीनों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं—योजना का आकार, उन्होंने यह बात कही है कि 1990-91 की योजना का आकार है उसमें 161 करोड़ की बढ़ोतरी राजस्थान के इतिहास में किसी भी एक वार्षिक योजना में नहीं हुई है। यह उन्होंने नया आयाम कायम किया है। अध्यक्ष महोदय, टैक्स तो लगाये उन्होंने 10 करोड़ के और उसमें योजना का आकार कभी भी नहीं रहा अन-प्रिसिडेण्टेड है, इसका मतलब यह है कि गरीब तो गणेश कब बनेगा? अगर रिद्धि-सिद्धि का कोई दाता है और कोई फाइनेंसियल विजार्ड इस राजस्थान के अन्दर, इस सदन के अन्दर है तो प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्य मंत्री है।

सर्व विघ्न हरं देवम्, सर्व विघ्न विवर्जितम्।
सर्व सिद्धि प्रदातारम्, बन्देहम गणनायकम्॥

आप साढ़े पांच हजार करोड़ का एप्रोप्रिएशन चाहते हैं। 956 करोड़ की आपने योजना बनायी है और योजना नहीं तीसरा आश्चर्य यह है कि इन्होंने वोट-आन-अकाउण्ट लिया था 27 मार्च को, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, वह लम्बे अर्से तक फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं और उनका थोड़ा बहुत अनुभव था, उन्होंने यह कहा कि इन्होंने होम वर्क नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बजट की गलियों के अन्दर से मुख्य मन्त्रीजी इनमें से निकल गये हैं या अभिमन्यु की तरह उसमें फंस गये हैं, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन 27 मार्च से 30 मार्च तक का जो अनुमानित घाटा था 70 करोड़ और कुछ उन्होंने चार दिन में उसमें कमी करके 28 करोड़ 61 लाख की बचत कर ली। ऐसा काम, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुख्य मन्त्रीजी, लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में किया है इसलिए अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत ए. बी. सी. डी का ज्ञान है। इकोनोमी के यह प्रिंसिपल हैं कि कोई भी कमी या बढ़ोतरी किसी भी प्रोजेक्शन में डेविएशन होता है या उस प्रोजेक्शन में डिपारचर है Other things being equal. महंगाई नहीं होगी, उसमें आपके पास लागत के लिए पूरी धनराशि है और उसके लिए जो मेटेरियल चाहिए समय-समय पर वह उपलब्ध हो रहा है जो जेस्टेशन पीरियड जो आपने रखा है उसमें हेराफेरी नहीं होती

(श्री परसराम मदेरणा)

है। अन्यथा Other things being equal. नहीं है। मंहगाई बढ़ रही है, आपने इसके लिए धनराशि का प्रावधान कम किया है, बहुत से प्रोजेक्ट हाथ में लिये हैं, जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो अनुमान उसके लिए लगाया है उसमें अन्तर आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, 1990-91 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, "मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि योजना आयोग से विचार-विमर्श करने के पश्चात् राज्य की 1990-91 की योजना का आकार 956 करोड़ रुपये रखा गया है। यह पिछले वर्ष की योजना से 161 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य की वार्षिक योजनाओं के इतिहास में, किसी भी एक वर्ष में, उसके पूर्व वर्ष की तुलना में यह वृद्धि सर्वाधिक है। वर्ष 1990-91 में, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, पिछले वर्ष के मुकाबले योजना में 20.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।"

मुख्य मन्त्रीजी, 1989-90 की योजना 795 करोड़ थी लेकिन उसमें वास्तविक खर्च हुआ है, जैसी मुझे जानकारी मिली है 836.61 करोड़ का खर्च हुआ है। आप इस फीगर को करेक्ट कर लेना यह आपके पास लेटेस्ट आंकड़े थे जो मैंने मालूम किये हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले साल की तुलना में योजना की बढ़ोतरी आती है वह 20.3 प्रतिशत न होकर के केवल 15 प्रतिशत है और इसके साथ-साथ आपने इतनी बड़ी योजना में से अलग-अलग सेवाओं के लिए धनराशि रखी है और उसका प्रतिशत भी सामने दिया है। मुख्य मन्त्रीजी ग्रामीण विकास के अन्दर 57.15 करोड़ का प्रावधान रखा है जो 6 प्रतिशत है। इसी तरह आपने सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 237 करोड़ का प्रावधान रखा है जो 24.8 प्रतिशत है। लेकिन सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए जो प्रावधान पिछले बजट में था वह 35.5 प्रतिशत था। उसमें आपने कम कर रखा है और आप कह रहे हैं कि कुल योजना की राशि का 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। मैं नहीं समझ पाया कि जब आपने कृषि के ऊपर 6 प्रतिशत रखा है और जब फिर यह सरकार किसानों की हामी है और रात-दिन एक ही रट लगा रही है कि भारत सरकार ने 50 प्रतिशत अपनी योजना में किसानों की तरक्की के लिए और ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए रखा है।

आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नये आयाम कराने में आप माहिर हैं और जो आपको महारथ हासिल है, उसी के अनुरूप आपने 60 प्रतिशत ब्रेकअप दे दिया। मुझे इस बात की शंका और संशय है कि 60 प्रतिशत की राशि किसानों की बहबूदी, उन्नति और तरक्की पर आप खर्च करने नहीं जा रहे हैं। आंकड़ों के जाल से इस सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरे बिन्दु पर आता हूं। तीसरा बिन्दु यह है कि इसमें मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी की वार्षिक योजना का आकार इतना बढ़ा है, इसके मूल में अगर कोई

(श्री परसराम मदेरणा)

आधार है, मूल में कोई कारण हैं, नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की जो रिकमण्डेशन्स हैं, नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन्स में, जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा है और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जब वह सदन में बजट पर बोल रहे थे, 26 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 4 हजार करोड़ रुपया अब किसी योजना से ज्यादा मिलेगा। हमने कहा कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन, फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन, सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन, एट्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन में रिर्सोसेज का जो डिवैल्यूएशन हुआ है, उसका पर्सेण्टेज बहुत कम है। इसलिए आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को बरबाद किया है, यह शब्द हैं, इनके। उन्होंने पर्सेण्टेज भी दी है। यह बात सही है जो उन्होंने पर्सेण्टेज दी है, 5वीं योजना में पर्सेण्टेज 4.99 प्रतिशत रिर्सोसेज का डिवैल्यूएशन है, सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन में 5.10 प्रतिशत किया है, सैवंथ फाइनेन्स कमीशन में 902 करोड़ रुपये 4.33 प्रतिशत रिर्सोसेज का डिवैल्यूएशन किया है। यह टोटल कण्ट्री का है। इसलिए इस शेयर में, और एट्थ में 4.2 प्रतिशत किया है, नाइन्थ में 6 45 प्रतिशत। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछली योजना थी, इसमें जो इन्क्रीज हुआ है, पिछली योजना के मुकाबले एट्थ फाइनेन्स कमीशन में जो डिवेल्यूएशन किया था, राजस्थान के शेयर का, सभी टैक्सेज का, एक्साइज ड्यूटी का और ग्राण्ट-इन-एड का, वह 4800 अर्थात् 49.45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 6 हजार 625 करोड़ के रिर्सोसेज का डिवेल्यूएशन हुआ है, नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की वजह से और एट्थ का था, 4 हजार 8 सौ, 49.45 लाख, यह 45 करोड़ इसका मतलब यह है कि जो बढ़ोतरी हुई है, अगर इसको आप इक्वल इन्स्टालमेण्ट में पर एनम में लें, यह बात सही है कि पहले वर्ष में आपको इस रिकोगनेशन का, डिवेल्यूएशन का वह शेयर नहीं मिला है, जो वन फिफ्थ मिलना चाहिये, वन-फिफ्थ का आता है, 13 सौ 5 करोड़ रुपये। जिस राज्य को 13 सौ 5 करोड़ रुपये एक साल के अन्दर मिलने वाले हैं। अभी मान लो आपने 9 सौ कुछ करोड़ की यह योजना रखी है, आगे आने वाले साल में आपकी योजना 13 सौ करोड़ रुपये की होगी, फिर 17 सौ करोड़ की होगी, फिर 22 सौ करोड़ की होगी, आखिरी योजना जाते-जाते 23 सौ, 24 सौ करोड़ के ऊपर पहुंच जायेगी। इसलिए यह कहना कि दिवालिया राजस्थान दिया है, खजाना खाली पड़ा है, आपने श्रेय लिया है। आपने यह बात कही है, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को, जब 5 तारीख को बजट के सामान्य वाद-विवाद का मुख्य मन्त्रीजी उत्तर दे रहे थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की जो रिकमण्डेशन है, 6 हजार करोड़ रुपये से ऊपर जो ज्यादा डिवेल्यूएशन हुआ है, उसका श्रेय कांग्रेस सरकार नहीं ले सकती। क्योंकि मैं प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से फाइनेन्स कमीशन से मिला था और उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में इसका उल्लेख किया है कि प्रतिपक्ष के नेता ने राज्य सरकार के ब-मुकाबले राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

के केस को बेहतर तरीके से पुटअप किया है। मैं मुख्य मन्त्रीजी आपकी स्मृति को ताजा करना चाहता हूं कि जब आप 1977 से 1980 के बीच में मुख्य मन्त्री थे, सैवंथ फाइनेन्स कमीशन आया था। 1978 में अनुच्छेद 280 के नीचे के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स प्रेसीडेण्ट ने दिये थे, और उस वक्त आपने जो मेमोरेण्डम तैयार किया था, उस मेमोरेण्डम के रिलेवेण्ट पैरा को बतलाना चाहता हूं, जिससे राजस्थान को बहुत बड़ा सैटबेक लगा है। वह रिलेवेण्ट यह है कि आपके मेमोरेण्डम में पोर्शन—

So far as the Union Government is concerned it is immaterial where the transfer of resources to the State take place to share in taxes through grant in aid of the revenue under Article 275, but for the State individually the transport of resources to share in taxes has its own significance as tax revenue are superior than grant-in-aid.

ग्राण्ट-इन-एड हमको कम नहीं चाहिये। हमको तो टैक्स के अन्दर शेयर चाहिये।

The share of divisible taxes is elastic and get the benefit of beyond seventh sea while the grant in aid of revenue is remained fixed. The share which gets the grant-in-aid to fill the revenue gap thus stands in a disadvantageous position. Rajasthan has been suffering this disadvantage for long.

और उनके कहने का अभिप्राय यह था।

"The mechanism of devolution of resources through grant-in-aid under Article 275 which carry with them and imply sigma indiscipline or inadequate resource mobilisation effort on the part of the State would be utilised mainly for meeting the requirements of the State for a specific purpose such as accomodation and upgradation of standards of administration and social services."

और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन मे राजस्थान को, जो रिर्सोसेज का डिवेल्यूएशन 454 करोड़ था, वह 5.10 प्रतिशत, लेकिन इनके ग्राण्ट-इन-एड मैटर को डिसएडवाण्टेजियस मानकर के और राजस्थान जैसी स्टेट, जिसका टैक्स स्ट्रक्चर जो है, इण्डस्ट्रीलाइजेशन नहीं है, जो हमेशा नेचुरल केलेमिटीज का शिकार रहा है। ग्राण्ट-इन-एण्ड के बारे में स्पेसिफिकली मना करना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सैवंथ फाइनेन्स कमीशन का जो डिवेल्यूएशन हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म ज्यादा हैं, 564 से 902 करोड़ रुपये का है। लेकिन मुख्य मन्त्रीजी जो पर्सेण्टेज आया है, वह 5.10 प्रतिशत मे घटकर 4.33 रह गया, यह है आपकी हिम्मत, जब आप मुख्य मन्त्री थे। और

(श्री परसराम मदेरणा)

आप कह रहे हैं कि इस फाइनेन्स कमीशन के अन्दर हमेशा मेमोरेण्डम प्रस्तुत करने में कांग्रेस शासन के अतिरिक्त और कोई को उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन में ज्यों ही अवार्ड दिया, यह अवार्ड 6.15 प्रतिशत हुआ है, उसके लिए कांग्रेस के नेता कहने लगे कि हमारा प्रयास था यदि आप उसको अपना प्रयास मानते हैं तो पिछले पांच फाइनेन्स कमीशन के अवार्ड के कारण राजस्थान की जो बरबादी हुई, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। राजस्थान के सैवंथ फाइनेन्स कमीशन में जो पर्सेण्टेज घटा है, हमको जो ग्राण्ट-इन-एड मिली है, अध्यक्ष महोदय, वह सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन में 230 करोड़ 53 लाख की ग्राण्ट-इन-एड थी। मुख्य मन्त्रीजी के मेमोरेण्डम और सरकार की वजह से, जो जनता पार्टी की सरकार थी, और अब बी. जे. पी. और जनता दल की मिली-जुली सरकार है। उस वक्त सब यहां पर गांधियन सोशलिज्म में फेथ रखने लग गये थे।

आपको मिले सैवंथ फाइनेन्स कमीशन में केवल 97 95 पर्सेण्ट, ग्राण्ट-इन-एड में, मुख्य मन्त्री जी, जो फाल हुआ है वह 132.58 करोड़ का हुआ है। हांलाकि डिवोल्यूशन के अन्दर 564 से बढ़कर 902 करोड़ मिले हैं, लेकिन ग्राण्ट-इन-एड में फाल हुआ है। ग्राण्ट-इन-एड में जब-जब फाल हुआ है तब-तब राजस्थान घाटे में रहा है। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन में जो ग्राण्ट-इन-एड का ब्रेक-अप है आपका 6632 करोड़ का, उसमें ग्राण्ट-इन-एड का अमाउण्ट है—इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन रेलवे पैसेंजर फेयर्स एण्ड ग्राण्ट-इन-एड—1446.79 करोड़ मिला है। इसका आपका जो पर्सेण्टेज आ रहा है वह 6.15 पर्सेण्ट आ रहा है। इसलिए आपका यह आरोप कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को बर्बाद किया है। कि फाइनेन्सेज कमीशन को जो रिकमण्डेशन दी है, जो मेमोरेण्डम दिये हैं वह हमने दिये हैं। लेकिन सैवंथ फाइनेंस कमीशन का जो आपने दिया है और देने के बाद आपने ग्राण्ट-इन-एड के सम्बन्ध में डिस्एडवाण्टेजियस बात कही है, सैवंथ फाइनेंस कमीशन उसको अपनी रिपोर्ट के पेज 81 पर लिखता है, पैरा 19 :

"The Sta.es have stressed the points that the fisical transfer should be effected mainly if not wholly through devolution of taxes even the poorer States have urged......."

नाम नहीं लिया, लेकिन यह आपका ही है। "even the poorer States have urged as they have before the earlier Commission that the transfer should be made by way of taxes rather than the grant-in-aid. This would obviously help them a little more than its grants constituted the bulk of the transfer to them. Since they would be able to share the benefits of buoyancy in the tax receipts of the Centre and additional taxes raised by, we

(72)

(श्री परसराम मदेरणा)

are clearly of the view that the grant-in-aid element in the transfer scheme should as far as possible, be a residual item and attempts should be made to waive the bulk of the transfer through tax shares."

लेकिन राजस्थान के लिए यह अपरिहार्य है, इट इज ए नैसेसिटी। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अकाल पड़ते हैं कहीं तो राजस्थान में पड़ते हैं। मैं सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मुख्य मंत्रीजी, आपने जो भी विटनेसेज वहां दिये हैं, जो मेमोरेण्डम दिये हैं लोगों ने अलग-अलग, प्राइवेट लोगों ने भी दिये हैं उसका फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के पार्ट वन और पार्ट टू में उल्लेख है। लेकिन जिसका आप क्रेडिट लेने जा रहे हो उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इतने बड़े अमाउण्ट का डिवोल्यूशन होने की वजह से पहला एडवाण्टेज, फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन राजस्थान के लिए बोनांजा है, रिकमण्डेशन ऑफ डिवोल्यूशन पेज 46 में 6.15 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई, प्रथम बार हुई है। दो, पर कैपिटा ट्रांसफर ऑफ रिसोंसेज जो हुए हैं उनमें देश के 14 बड़े राज्यों में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। राजस्थान को पर कैपिटा ट्रांसफर जो रिसोंसेज के डिवोल्यूशन से हुआ है 1769 रुपये हैं। एक ही राज्य ऐसा है जिसका राजस्थान से ज्यादा हुआ है वह है उड़ीसा, जिसको 2028 रुपये पर कैपिटा ट्रांसफर हुए हैं। तीसरा एडवाण्टेज इसमें यह है कि हमको लार्जर अमाउण्ट ऑफ ग्राण्ट-इन-एड मिला है 1446 करोड़ का, जो कभी भी नहीं मिला। और आप जब मुख्य मन्त्री थे तब ग्राण्ट-इन-एड मिली थी 97.97 करोड़। फाइनेन्स कमीशन के रिकमण्डेशन से जो कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में प्रत्येक राज्य के लिए रिकमण्ड किया गया है, उसमें भी, मुख्य मन्त्रीजी, 465 करोड़ का इतना बड़ा आउट-ले आपको मिलने वाला है। पांचवां एडवाण्टेज हुआ है वह है फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन, कि आपके जो आउटस्टैंडिंग ड्राट लोन थे वह सम्पूर्ण लोन 123.53 करोड़ का राइट आफ कर दिया गया है। अब आप यह कह रहे हैं कि इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। इस सदन के माननीय सदस्य जब यहां बैठते हैं, कई ग्राण्ट्स आयी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र की विकास की बातें रखी हैं, लेकिन जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, उधर बैठने वाले, चाहे इधर बैठने वाले, राजस्थान के विकास की गति को इम्पेटस मिलना चाहिए, द्रुत गति से विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप फाइनेन्शल विजार्ड तो हैं क्योंकि आप 28 करोड़ 61 लाख का घाटा 4 दिन में कम कर सकते हैं। फाइनेंसेज मोबिलाइजेशन के लिए भी आपने योजना बनायी होगी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम नहीं पड़ता। सिवाय इसके कि आपने भागीरथ योजना अन्त्योदय का दर्शन और गरीब का पहला हक रखा। जब इतना बड़ा आपका डिवोल्यूशन रिसोंसेज का हो रहा है, आप एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं साढ़े पांच हजार करोड़ के आस-पास, वह कैसे करने जा

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं जब खजाना खाली था ? 1 अप्रेल, 1990 से लेकर 31 मार्च, 1991 तक जो आप अथारिटी लेना चाहते हैं. यह अमाउण्ट कहां से आया ? आप कह सकते हैं कमिटेड एक्सपैंडीचर है, केपिटल में भी है, रेवेन्यू में भी है। अगर कोई कमिटेड एक्सपैंडीचर भी है और आप सोचते हैं कि वह योजना गलत है तो आपको पूरी छूट है कि आप उस योजना को अविलम्ब बन्द करके दूसरी ऐसी योजना बनाइये जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने बजट में जो घोषणा की है कि वह.........

श्री अध्यक्ष : वैसे, माननीय सदस्य श्री परसराम जी, मैं आपको इन्टरफियर तो नहीं करना चाहता, लेकिन तीन बजे आज की बहस समाप्त होकर बाकी प्राइवेट मैम्बर्स डे है और आठ के करीब लोग बोलने वाले हैं। इसका आप कृपया ध्यान रखें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसको शार्ट कर देता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिये। इसीलिए मैंने कहा, इण्टरवीन नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने केवल आपकी सूचना के लिए कहा, इण्टरवीन नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जिस वक्त यहां प्राकृतिक विपदाओं और प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर चर्चा हो रही थी, डिमाण्ड के ऊपर उन्होंने लांग टर्म प्लान का सजेशन दिया था। मुख्य मन्त्री जी जब-जब विरोध पक्ष में बैठे हैं हमेशा यह बात कहते रहे हैं कि राजस्थान में ज्यादा अकाल पड़ते रहते हैं इसलिए हमारे पास स्थायी कार्य होने चाहिए, उनका एक मास्टर प्लान हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। इस वर्ष जोधपुर डिवीजन में बरसात आ गयी है, लेकिन हर तीसरी साल राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है और यह ड्राट प्रोन स्टेट है। जब यह ड्राट प्रोन स्टेट है तो, मुख्य मन्त्रीजी, किसान को इनडेटेडनैस के चंगुल से परमानैण्ट आप बचा सकते थे। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था बहुत से ध्यान से, कि आप क्राप इंश्योरेंस स्कीम क्यों नहीं लाये जो सबसे ज्यादा किसानों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। यह योजना 1986–87 में प्रारम्भ की गयी थी राजस्थान में। फिर रिसोर्सेज की कमी का बिन्दु लेकर इसको बन्द कर दिया गया। देश के बड़े 14 राज्यों में से सिर्फ दो राज्यों में यह योजना लागू नहीं है, 12 राज्यों में यह योजना लागू है। राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण माफी योजना के अन्तर्गत जो आप लोन्स राइट आफ करने जा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है कि एक दफा ऋण को माफ करने से किसान की बहबूदी नहीं होने वाली है। अमृतधारा है इसके लिए अगर इसका कोई इलाज है और कोई भी किसान को कर्जे में जाने से बचाने के लिए तो वह आपकी कृषि बीमा योजना

(श्री परसराम मदेरणा)

है, मेरा यह सुझाव है कि अभी नहीं तो अगली साल से क्योंकि इनोवेटिव आपकी थिंकिंग है। हमेशा आप नये अध्याय जोड़ते हैं और आप किसानों के हिमायती हैं इसलिए मेरे इस सुझाव पर निश्चित तौर से गौर करेंगे।

आपने यहां पर पैरा 43 में किसानों के ऋण की माफी के लिए उल्लेख किया है कि 170 करोड़ रुपये के ऋण माफ हो जाएंगे और उसके फलस्वरूप 13-14 लाख किसानों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि 13-14 लाख किसान कैसे लाभान्वित हो जाएंगे। यह यह योजना जिसका नाम राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण राहत योजना, 1990 है जो 10 जुलाई, 1990 को सहकारिता विभाग ने प्रस्तावित की है और सभी बैंकों में भेजी है चाहे वो लेण्ड डवलपमेन्ट बैंक से हों, चाहे सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक्स हों। इस योजना के पहले पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख है कि राज्य में 10 वर्षों में से 8 वर्ष अकाल की स्थिति रहने के कारण किसानों, बुनकरों और दस्तकारों की ऋण देय क्षमता का ह्रास हो चुका था, परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों के अवधिपार ऋण बढ़ते गए और दिनांक 30-6-82 को करीब 13 लाख सदस्य अवधिपार ऋणी हो गए। इस पर कुल बकाया अवधिपार ऋण मय ब्याज के 303 करोड़ रुपये हो गए। 303 करोड़ रुपये जो अवधिपार ऋण है वह 13 लाख सदस्यों का है और 170 करोड़ में आप 14 लाख को बेनीफिट देना चाहते है. यह मेरी समझ में नहीं आया। मुख्य मन्त्रीजी यह संख्या घटकर आधी रह जाएगी क्योंकि आपने इसमें डिफाल्टर के ऊपर किन्तु, परन्तु, राइडर, प्रोविज़ो और कई प्रकार की इस पर आपने बंदिशें लगा दी हैं। अगर-मगर, कटोरी पर कटोरी और चम्मचे पर चम्मचा आदि लगा करके मैं समझता हूं 170 करोड़ का वह होगा ही नहीं, यह 60-70 करोड़ रुपये के आसपास जाएगा और बेनीफिट होंगे सो करीबन 3-4 लाख सदस्यों ही इन सहकारी बैंकों के लाभान्वित हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमने ड्राफ्ट एनुअल प्लान के अन्दर 500 नई प्राइमरी स्कूलें खोलने की बात कही डिस्पेंसरीज और हास्पिटल की बिल्डिंग बनाने की बात भी इसमें लिखी है, 2 नए इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात का भी इसमें उल्लेख किया है, एक नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी को खोलने की बात है और साथ ही रूरल डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करके प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में 200 डिस्पेंसरीज किए जाने की बात है। मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया है। मेरी बात में विस्तार बहुत हो गया है इसलिए मैं अब कन्सोलिडेशन पर लगा हुआ हूं। कल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कन्सोलिडेशन पर भाषण पढ़ा था शायद आज मैंने अखबार में पढ़ा था। कल मैं उपस्थित नहीं था आपका भाषण तो बढ़िया हुआ। न हीं पहले आपका भाषण हुआ था मैंने यहाँ बैठे-बैठे सुना और उस दिन मैंने बधाई भी दी थी आप शायद भूल गए।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आप ऐसे टाइम में उपस्थित रहते ही नहीं हैं। उम्र भी ज्यादा हो गई है·········(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उम्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याददाश्त के टिश्यूज तब कमजोर होते हैं जब आप मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक लेख भी आया था टी. वी. पर भी था। 8–10 दिन पहले आपने टी. वी. पर देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों की याददाश्त पर फर्क आता है या नहीं आता है। उन्होंने कहा था कि जिनके टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं.......

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : किसी जवान आदमी से पूछो।

श्री परसराम मदेरणा : कोई बराबर आदमी सोच लेता है तो स्फूर्ति में तो उसके कोई कमी नहीं आती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कान्स्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में हैं। आप इन स्कूलों, कालेजों को खोलने की बात छोड़ दीजिए, हायर टेक्निकल एजुकेशन की बात आपने छोड़ दी। लेकिन 500 नई प्राइमरी स्कूल आप नहीं खोलने जा रहे हैं, मुख्य मन्त्रीजी आपको तो सब पता है। 1971 में आपने हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेन्टरी कान्स्टिट्युएन्सी एरिया में है उससे चुनाव लड़ा था कितने लोग ढाणियों में बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए नहीं, 300-300, 400-400 ढाणियों के समूह हैं लेकिन वहां पर आज भी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है और बच्चों को 6–6, 7–7 मील दूर जाना पड़ता है और वह हमेशा के लिए वंचित रहेंगे। आपने कहा कि इस साल 5 लाख बच्चों को हम शिक्षा दे देंगे? 5 लाख बच्चों को जब आप स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं तो कैसे शिक्षा दे देंगे? जब 8–8, 10–10 किलोमीटर एरिया में प्राइमरी स्कूल नहीं है। इसलिए यह जो हमने प्लान में रखा था और इस आइटम को नहीं करने से कन्सोलिडेशन के काम में निरक्षरता को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि 60 फीसदी बजट किसानों की बहबूदी के ऊपर खर्च किया जाएगा, ब्रेक-अप नहीं दिया है। इसलिए मेरे लिए भी यह रहस्य है। क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी को कई चीजों को मोड़ देने में, नई दिशा देने में महारत हासिल है और इन्होंने फाइव स्टार होटल्स पर लक्जरी टेक्स लगाया है। आपने यह फाइव स्टार होटल्स पर जो टैक्स लगाया है, मुख्य मन्त्रीजी मैं आपके इस प्रस्ताव का तो सहर्ष अनुमोदन करता हूं। लेकिन फाइव स्टार होटल में रहते कौन हैं, जो जेट प्लेन में आते हैं। मुख्य मन्त्रीजी अभी तक तो हिन्दुस्तानी समाज को, देश को और जनता के प्रतिनिधियों को बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे कि हम जेट युग में प्रवेश कर सके। हिन्दुस्तान गांवों में रहता है और अभी तक बुलक कार्ट एज में है और बुलक कार्ट को कन्धे पर रखकर खींचने वाला बैल है और हमारे वहां पर है ऊंट। ऊंट और बैल बुलक कार्ट वाले व्यक्ति पर आपने जेट प्लेन से सीधे हमला किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि कई दफा आप सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। मैं आपको गलत एडवाइज नहीं करना चाहता। कई बार आप लम्बी छलांग मारना चाहते हैं, विगलीप, कई दफा आप नई दिशा देना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते हैं, कुछ कदम भी उठाना चाहते हैं अब कितने डग भर सकेंगे आप किस तरफ भर रहे हैं, दिशा कौनसी है मुझे इस पूरे बजट से कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यह जो टैक्स आपने पशु मेलों पर लगाया है शुल्क पर और रवन्ना फीस पर। यह किसान विरोधी कर है।

अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज पेंशन की आपने घोषणा की.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब 1972 में लगा था उस वक्त भी किसान विरोधी था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी मानेंगे कि आपके जो रिसोर्सेज के अन्दर बढ़ोतरी हुई है और फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन से जो डिवोल्युशन हुआ है वो फोर टाइम्स हुआ है। वहां तो फोर टाइम्स था लेकिन फोर टाइम्स हर जगह ही आप बैल की पूंछ पकड़कर के पांच रुपये से बीस रुपये कर दिया वह भी फोर टाइम्स ?

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ओल्ड एज़ पेंशन की आपने जो घोषणा की है और मैं जनता दल के माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके बीच में रिफ्ट या इसी तरह की कोई दरार पैदा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपने घोषणा की और उस घोषणा को बी. जे. पी. के मुख्य मन्त्रीजी इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हैं और अगर घोषणा करके नहीं करना है तो नहीं करने का उनका एक ही चरित्र है और वह है अवसरवादी। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको रेंक अपारच्युनिस्ट कहेंगे और आपकी आइडेन्टिटी के ऊपर कई प्रकार के एडजेक्टिव और विशेषण लग जाएंगे। इसलिए आप इनके ऊपर दबाव डालिए, क्योंकि यह हमेशा दबाव की बात कहते हैं, मैंने भारत सरकार पर दबाव डाला है। दबाव कोई हार्टफेल हो रहा है जो आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। भारत सरकार दबाव कितना अपका सहेगी या नहीं सहेगी, हर वक्त आपने कहा है कि दबाव डाल रहे हैं.........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी जो आपकी घोषणा थी वह बेरोजगारों को रोजगार देने की थी। कांस्टीच्युशन में अगर आप अमेण्डमेण्ट भी कर देते हैं और जब आप एम्प्लायमेंट को अपारच्युनिटीज क्रिएट नहीं करते हैं, आपने यह कहा है कि 50 हजार लोगों को इस बजट से रोजगार मिलेगा। गांव में मिलेगा कि शहर में मिलेगा, शिक्षित को मिलेगा या अशिक्षित को मिलेगा ? बेरोजगारों को भत्ता देने के सम्बन्ध में तो आज आप फिर गोल गए है यहां पर। यह नगर मे आने वाले माननीय सदस्य के लिए सोचने की बात है।

अन्त में, मेरे सामने हिण्डोली से आने वाली माननीय सदस्या बैठी हैं। महिलाओं का एक शिष्ट मण्डल आपसे मिला था....

श्री सम्पत सिंह : तिजारा से और नगर से आने वालों के लिए इन्तजाम कर रहे हैं या हमारी सिफारिश कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका दिल जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अन्दर-अन्दर + + + आप ले रहे हैं और बाहर से आज आप चाहे कुछ भी कह दें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बहुत चतुर हैं....

श्री रामकिशन : श्री परसरामजी दिल है कहां, केवल दिल है तो श्री हीरालालजी के पास है और वह उसे भी हास्पिटल के सामने रख कर आये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अस्पताल के सामने रखा या नहीं रखा लेकिन दिल तो बाहर निकाला, आपकी बाई पास शुरू हो जाएगी और आज मैं कह रहा हूं उसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको ह्यूस्टन भेजना पड़ेगा और आपका बाईपास करानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, सिवाय इसके कि आप कुछ वार्ड्स के अन्दर उनको रीप्रजन्टेशन दे रहे हैं लेकिन आज वह जनसंख्या की पचास फीसदी हैं, एक शब्द महिलाओं के सम्बन्ध में, उनके उत्थान और उन्नति के लिए इस बजट में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत चर्चा की है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना जो मुख्य मंत्रीजी ने 1977 में प्रारम्भ की थी, जिसके बारे में यह इतनी डींगे हांक रहे हैं और जगह-जगह स्वयं बखान कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों ने अपनाया, जापान अपना रहा है, यह योजना बहुत कामयाब हुई। 1978 में, अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में यह कहा था कि इस अन्त्योदय योजना में जितना भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है यह रेकार्ड है हाउस का, फूड फार वर्क एण्ड अन्त्योदय में, अन्त्योदय की मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सुनिए बात, मैं सी. सी बैंक का भी चैयररमेन भी हूं। 1977 से लेकर 1979 तक अन्त्योदय के अन्तर्गत लोगों को सी. सी. बी. से लोन दिया गया, 50 परसेंट लोन और 50 परसेन्ट ग्राण्ट, ग्रान्ट स्टेट गवर्नमेण्ट ने दी, लोन सी. सी. बैंक ने दिया और मैंने उनकी असेस्ट्स को वैरीफाई करवाया है, आपने जिन अन्त्योदयी लोगों को लोन दिलवाया था किसी की असेस्ट्स क्रिएट नहीं हुई और न वह गरीबी की रेखा के ऊपर आये हैं। हो सकता है कि आपके 170 करोड़ रुपये वाली इस योजना के अन्दर उनका पिण्ड छूट जाय और उनको ऋण से मुक्ति मिल जाय। एक भी भेड़ नहीं है उनके पास में गाय नहीं, बैल नहीं एक भैंस नहीं। कल आप दूध निकालने की बात तो कर रहे थे परन्तु है ही नहीं तो किसका निकालेंगे। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अन्त्योदय के नाम से लोगों को भ्रम-जाल में मत डालिए, अन्त्योदय योजना पहले फ्लाफ हो चुकी हो अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कह रहा हूं तो गांव का रेस्पान्सिबिल, जन-प्रतिनिधि की हैसियत से इस सदन में कह रहा हूं। क्योंकि मेरा बहुत कटु अनुभव है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी कुछ बातें सत्य होती हैं:—

"सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
ना नृत्य सत्यम ब्रूयात: एष: धर्म
सनातनः ॥"

श्री अध्यक्ष : मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए अप्रिय सत्य भी नहीं बोला जाय । मुख्य मंत्रीजी के लिए तो अप्रिय का सवाल ही नहीं है । अब खड़े होंगे, आप देखना और खड़े होते ही सीधे जैसे कोई हमने—We have committed a murder amounting to culpable homicide.

और सीधे कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने यह किया, कांग्रेस सरकार ने वह किया, कांग्रेस ने किया मैंने तो कुछ नहीं किया । हमने इनको बताया कि सैवंथ फाइनेंस कमीशन में जो मेमोरेण्डम दिया उसमें राजस्थान का बंठाढार किया है । इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जब उसमें भ्रष्टाचार था तो आप उस योजना को लागू करने में जो कमियां थीं, उन कमियों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा यह मत नहीं है कि गरीब आदमियों को मदद नहीं दी जायं लेकिन उसमें जो कमियां थीं उन कमियों पर ध्यान देते हुए चलिये ।

यह जो इन्टिग्रेटेड रूरल डवलपमैण्ट को बाद में एडाप्ट कर लिया गया । यहीं आपका दर्शन था । यह आप बहुत गलत-फहमी में है । मैं यह मानता हूं कि जनता ने 1989 में फैसला हमारे खिलाफ दिया है । हम नतमस्तक हैं जनता के फैसले के सामने लेकिन हमको 10 करोड़ वोट मिले हैं जबकि आपको 4 करोड़ ही नहीं मिले, आपको 3 करोड़ कुछ मिले हैं और आपको 3 करोड़ और कुछ मिले हैं और हमको 10 करोड़ वोट मिले हैं ...

श्री सम्पत सिंह : 1989 में....

श्री परसराम मदेरणा : 1989 की बात मैं कर रहा हूं । उसके बाद में फाल हुआ है, हमारा भी 3 परसेण्ट और कुछ हुआ है, इनका 4 परसेन्ट हुआ तो आपका 5·2 परसेण्ट इलेक्ट्रोट का फाल हुआ है । अभी आप देखते रहें, आप अभी जीत कर आये हैं । यह महाभारत वाला जो चक्कर चल रहा था, महाभारत और समय का चक्कर भी चल रहा है, वह न आपके लिए है और न हमारे लिए है, यह सब के लिए है और मैं यह कहता हूं कि....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : टीवी सीरियल भी खत्म हो गया और हमारा महाभारत भी खतम हो गया ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस महाभारत के जितने भी 97 एपिसोड आये हैं उनमें से एक तो लास्ट मैं नहीं देख सका, क्योंकि फ्लड के समय जोधपुर में था या 1–2 मैंने और नहीं देखे होंगे लेकिन मैं पंक्चुअली देखता था और इसमें एक सबक है और वह सबर यह है कि मुख्य मंत्रीजी इसमें कुछ लोग क्रूशियल टाइम में असत्य बोलते हैं और जो क्रूशियल टाइम में असत्य बोलते हैं तो

(श्री परसराम मदेरणा)

महाभारत के पूरे महाकाव्य में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जो कुछ भी बात इस सदन में रखें चाहे भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं चाहे अन्त्योदय को लागू करना चाहते है, कुछ आपने नीतियां निर्धारित की हैं, कुछ हमसे सुझाव मांगे हैं वह मैं पढ़ रहा था। कृषि मंत्रीजी का तो आया नहीं; कृषि नीति आपने निर्धारित की नहीं, मैंने पूछा था लेकिन आपके पड़ौस में बैठे हुए उद्योग मंत्रीजी ने अपनी नीति का प्रारूप माननीय सदस्यों को भेजा है और मैं उसको देख रहा था, कुछ सुझाव भी देने की सोच रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का यह प्रलाप कि हमको खजाना खाली मिला है, मुख्य मंत्रीजी का यह कहना कि तारा नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने होमवर्क नहीं किया है, मुख्य मंत्रीजी का यह कहना कि नये दर्शन के सामने सब की आंखें चकाचौंध हो गई हैं इसलिए लोग उसको फेस नहीं कर रहे हैं। न तो इसमें कोई दिशा है, आप दिशा दीजिए और टेस्ट लीजिए आप। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, कल कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैंने पहले मार्च में भी यह बात कही थी कि पूरी मशीनरी आज इसमें रेम्पेन्ट करप्शन है, जब आप बोलने के लिए खड़े हुए और गवर्नर एड्रेस के सामान्य वाद-विवाद पर जब मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर दिया मशीनरी को छोड़ कर वह अधिकारियों पर आ गये है। मुझे अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है।

एक माननीय सदस्य : है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका होगा।

आप जानते हैं कि मेरा अधिकारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है और न मैंने अधिकारियों की बात कही थी, मैंने पूरी मशीनरी की बात की थी जिसमें चीफ सैक्रेटरी से लेकर नीचे तक जो बाहर मिलाने वाला जमादार खड़ा रहता है और वह आने वालों से 5 रुपये लेता है तो वहां पर भी भ्रष्टाचार है। मैंने पूरी मशीनरी की बात की थी और मशीनरी की बात करने के अन्दर आप यह कह रहे हैं कि हैं, हैं, हैं। फाइनेन्स सैक्रेटरी से पूछ लें, मेरे साथ में 4 साल सैक्रेटरी थे वह। मैं कभी किसी ब्यूरोक्रेट को रेस्पेक्ट या डिस रेस्पेक्ट में रखता था तो उनका आदर भी रखता था। वह आदमी, ही इज आनेस्ट ब्यूरोक्रेट। लेकिन यह बात नहीं है, मगर जो बात कहने की थी, मरे वह डिस प्लेजर से बच गये होंगे, यह खुद वह स्वयं जानते हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से निपटने की जो आप बात कर रहे हैं, जिस समय आप 1977 में चीफ मिनिस्टर बने थे तब मैंने कुछ लोगों से गांवों में पूछा था कि भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है? क्योंकि यह बीमारी काफी गहरी चली गई है। तो कहा कि साहब 1977 में तो कुछ लोग थोड़े-बहुत भयभीत हुए थे और इस वक्त तो कोई उन पर असर ही नहीं हो रहा है। आप यह कह रहे हैं कि मैंने ऊपर से शुरू किया है और मैं नीचे तक ले जा रहा हूं उसको खतम करते-करते

(श्री परसराम मदेरणा)

नीचे की सीढ़ी पर उतार रहा हूं। आप कहां उतार रहे हैं, कहां नहीं उतार रहे हैं यह बहुत बड़ी बीमारी है और विकास योजनाओं के अन्दर सबसे बड़ा अगर कोई अवरोध है, इम्पैडिमैण्ट है तो यह भ्रष्टाचार है। इसको अगर आप समाप्त करेंगे जो आपने अपना लक्ष्य, उद्देश्य बनाया है तो हमारा पूर्ण सहयोग आपको रहेगा। इन शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी को एप्रोप्रिएट करने का जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वह सौभाग्य शायद राजस्थान के किसी भी वित्त मन्त्री को प्राप्त नहीं हुआ। आप कन्सोलिडेटेड फण्ड से 5,375 करोड़ रुपये एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं और इस एप्रोप्रिएशन के लिए मेरा और मेरे दल का आपको समर्थन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर कल से जो डिबेट हो रही है, जिन लोगों ने इस डिबेट को लाइवली बनाया और जो इस सदन के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया मैं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अध्यक्ष जी, यहां मैंने माननीय मदेरणा साहब का भाषण सुना। उन्होंने हमारे ढाई साल के पीरियड में जो मौजूदा मुख्य मंत्री उस समय मुख्य मंत्री थे सैवंथ फाइनेंस कमीशन के सामने जिन्होंने अपना बयान दिया, जो मेमोरेण्डम पेश किया, टोटल जो उसका इम्पेक्ट था मेमोरेण्डम का उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए केवल एक बात पर उन्होंने स्ट्रेस किया कि ग्राण्ट-इन-एड पर हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया। टैक्सेज में शेयर हमारा कितना है उस पर हमने ज्यादा स्ट्रेस किया।

अध्यक्ष जी, ग्राण्ट-इन-एड लेने में डिस्क्रिएशन ज्यादा हुआ करता है और टेक्सेज में शेयर इलेस्टिक हुआ करता है यह कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और प्रिंसिपल पर हुआ करता है। सारे देश के दूसरे प्रदेशों में जितना परसण्टेज में उस वक्त शेयर थे, वह परसण्टेज कम आई है। केवल राजस्थान की परसण्टेज कम होती तो हमें आप दोषी ठहराते। टोटल उसको देखिए कि क्या रहा उसका। अध्यक्ष जी, यहां नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की जो रिकमण्डेशन्स आई हैं और 6·15 जो हमें हिस्सा मिला है उसका सारा श्रेय आप लेना चाहते है। अध्यक्ष जी, जो पहली रिपोर्ट थी नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की उसमें 6·15 हमारा हिस्सा नहीं था, कम था आपको मालूम है 4·77 था। जब फाइनेन्स कमीशन ने यह देख लिया कि सारे देश में चेन्जेज होने जा रहे हैं और एनवीसेज किया। आइन्दा यह करण्ट कोर्स पर नहीं जाकर देश में जो चेन्जेज होगा अपने यहां भी होगा इसलिए सारे देश की हालत देखते हुए....

श्री शिवचरण माथुर : क्या सरकार बदलने का आभास हो गया था ?

श्री केदारनाथ शर्मा : तो उन्होंने सैकण्ड रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट में यह चेन्ज किया है....

श्री परसराम मदेरणा : पहले पूरा बजट तीन हजार करोड़ का था और अब

(श्री परसराम मदेरणा)

जो है साढ़े पांच हजार करोड़ रुतये का हो गया है। इसलिए एसकलेशन और प्रोडक्शन का है वह तो बात है ही।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, आपने और हमने इस हाउस में 25–30 बजट सुने और पढ़े और विवाद में हिस्सा लिया। मैं माननीय श्री मदेरणा जी से पूछना चाहता हूं कि जो नई एप्रोच और डाइरेक्शन दी आपने, इसमें इनसाइट की झलक आती है। जो टोटल इस बजट का इम्पेक्ट पड़ेगा लैण्डर्स पर, शिडयूल कास्ट पर, जो डिस-प्लेजर ऑफ आर्टीजन्स हैं, अनस्किलड लेबर पर और अनस्किलड लोग जो देहातों में बैठे हुए हैं। उसका टोटल इम्पेक्ट देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इससे अच्छा बजट और कोई पेश कर नहीं सकता। आज दूसरे प्रदेशों में असेम्बलीज में 6–7 बजट हमारे सामने आए हैं। अध्यक्ष जी, उनकी अगर कम्पेरेटिव स्टेडी करोगे आप तो जैसी हालत आप छोड़ गये उन हालात को समझते हुए इससे अच्छा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी पेश कर नहीं सकते। मैं यहां पर अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री मदेरणा जी ने सैवंथ फाइनेन्स कमीशन का हवाला दे दिया। चालीस साल के प्लान के अन्दर केवल हमारे पास ढाई साल राज रहा। हमारी इकानोमी क्यों बैकवर्ड हुई, पिछड़ापन क्यों आया, इसमें पर केपिटा इन्कम हमारी क्यों कम होती रही, पावर्टी लाइन से हम क्यों ज्यादा नीचे आते रहे, अनएम्पलायमेंट का बैकलाग क्यों बढ़ता गया और प्राइसेस के कैसे डिस्टरवेंसेज हुए ? इनके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला।

(12·55 म.प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

हमने नहीं दिया। प्लानिंग कमीशन आज गाडगिल फार्मूले के तहत सारा डेवोल्यूशन करता है फण्ड्स का स्टेट्स को। यह तो आपने दिये और आपकी सरकार ने दिया जो उस वक्त थी। आपने मोडीफाई करने की कोशिश की। मैं गाडगिल फार्मूले का ब्रेक-अप करना चाहता हूं। मनी-बैकवर्डनेस जो इकानोमी आपने दी है हमें उसके अन्दर मेन पार्ट प्ले किया है वह हमारे गाडगिल फार्मूले ने किया है।

सभापति जी, 60 परसेण्ट तो आपने दिया पोपुलेशन पर टोटल डिवोल्यूशन का 60 परसेण्ट पेटेज दिया आपने पोपुलेशन को को, 20 परसेण्ट दिया आपने बेकवर्डनेस को, 10 परसेण्ट दिया आपने स्पेशल प्राब्लम्स को और 10 परसेण्ट दिया आपने सोशल प्राब्लम्स को। यह फार्मूला है आपका। मुझे बताइये जिस देश में पोपु-लेशन को वेटेज दिया जाता है, हमारा एरिया ज्यादा, बैकवर्डनेस ज्यादा इस पर कभी पेटेज दिया नहीं गया। तो इस पिछड़ेपन का कारण न तो हमारा सैवंथ फाइनेन्स कमीशन है, जो हमने मेमोरेण्डम पेश किया, ग्राण्ट-इन-एड पर स्ट्रेस नहीं दिया है। बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा कारण तो गाडगिल फार्मूला है जिसके अनुसार हमें पैसा आज तक मिलता रहा।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सभापति जी, जो पावर्टी लाइन आपने तय की, जो माडेलिटीज तय की उसके नार्म्स तय किये वह-माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तय किया जो उस समय मुख्य मन्त्री थे उन्होंने तय किया। आपने क्या फार्मूला निकाला है जिस पर नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने तो उसे बेटेज नहीं दिया पर उससे पहले एड्थ फाइनेन्स कमीशन तक उन्होंने पावर्टी लाइन को बेटेज दिया है और पावर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या दी है, मंथली एक्सपेण्डीचर जो कि एग्जम्पशन है प्लस इण्डेक्स से जोड़ते हुए उसको फिक्स प्राइस इण्डेक्स से जोड़ते हुए और फिर साथ में आपने कैलोरीज को जोड़ दिया और बाइ एण्ड लाज वह कमोडेटीज लीं जिनमें कैलोरीज ज्यादा हुआ करती हैं। जितना भी आज नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने चाहे बेटेज नहीं दिया मगर पावर्टी लाइन जो आपने दी है, जो माडेलिटीज तय की है, जो नार्म्स तय किये हैं आज भी सैण्ट्रल की जितनी भी स्पेशल स्कीम्स हैं जो पैसा आता है उसमें इस पावर्टी लाइन को बेटेज दिया जाता है। यह नुकसान जो आपने दिया है, गाडगिल फार्मूले ने दिया है, पावर्टी लाइन ने दिया है।

सभापति जी, जो यहां पर एग्रीमेंट हुए हैं, माननीय श्री मदेरणा जी, आपने 1981 में जब इण्डस वाटर ट्रीटी, हमारा समझौता हुआ था, हमारा शेयर तय हो गया उन नदियों में 8 परसेण्ट, आधा और उसके बाद आपने 1981 में समझौता करके 0·6 मिलियन एकड़ फीट पानी आपने पंजाब को दे दिया। उसके बाद मेन जो था काम ज्वाइण्ट कण्ट्रोल का उसकी, सभापति जी, आपने पैरवी नहीं की। वह समझौता आज नुकसानदायक इसलिए हमें हो रहा है कि जब हमारा शेयर 18 मिलियन एकड़ फीट तय हो गया था तो फिर री-ओपन करने का सवाल किस बात का था। यह समझौता भी आज हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रा बैक है।

सभापति जी, एक समझौता 1984 में हुआ जो देश में हमारे आस-पास के प्रदेश हैं, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लो उस पानी से बिजली निकलती है, जिस पानी में हमारा हिस्सा है, बिजली में हिस्सा देने से इन्कार कर गये। आपने एग्रीमेंट करके हमें बांध दिया। आप ताज्जुब करोगे आज हमारे पास एक ही आप्शन ओपन है हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस करें और कोई हमारे पास आप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस करना बड़ा खतरनाक है। ज्युडिशियल वर्डिक्ट क्या हो सकता है यहां पर बैठकर आप और मैं अन्दाज नहीं लगा सकते। इसलिए यह करना एक बहुत ही हेजेर्डस स्टेप होगा। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस किया, आपने हमारे शेयर को काट दिया। इसलिए यह जो बैकवर्डनेस का कारण है 1984 का एग्रीमेंट। सभापतिजी, 1985 में लोंगोवाल ने एग्रीमेंट किया। रावी-व्यास के एडीशनल वाटर के शेयर में झगड़ा था हरियाणा और पंजाब का आपनें हमें भी पार्टी बना दिया और इराडी कमीशन नियुक्त किया। उसकी रिकमण्डेशन न पंजाब ने मानी न हरियाणा ने मानी अब राजस्थान के पास और कोई चारा नहीं है कि हम इस इराडी कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानें। हम एग्रीमेंट को

(श्री केदारनाथ शर्मा)

रिपुडिएट समझते हैं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। सभापति जी, यही कारण नहीं है अब सारे देश की, सारे राजस्थान की इकानोमी मुझे आप बताइए आज, माननीय श्री माथुर साहब बैठे हैं, आप एग्री करते हो आप इस देश की जो इकानोमी छोड़कर गये हो, ठीक है आप अटेक कर सकते हो ऐसे आंकड़े देकर के सैवंथ फाइनेन्स कमीशन का जो मेमोरेण्डम है उसमें एक पार्ट पढ़कर, बाकी टोटल पार्ट न पढ़कर के हमेशा टोटल पढ़ने के बाद जो भी इम्पेक्ट हुआ करता है बैकवर्ड इकोनोमी है। मैं आपसे पूछता हूं आज हमारी हालत क्या छोड़ी आपने फाइनेन्सियल क्राइसेज नहीं दिया आपने, क्या बेलेन्स ऑफ पेमेंट में डेफिसिट नहीं छोड़े गये आप? सारा फारेन एक्सचेन्ज डिपलीट कर गये आप। डिसीपेशन हो गया उसका आज। केवल पांच हजार करोड़ रुपये बचे हमारे पास। 39 दिन का इम्पोर्ट करने का हमारे पास साधन है उसके बाद साधन नहीं है हमारे पास। सभापति जी, जो पावर्टी थी पावर्टी की आपने ऐसी जड़ें मजबूत कर दी कि 15–20 साल लगेंगे इस देश में इस पावर्टी को रिमूव करने में, एलीमिनेट करने में। एलीमिनेशन स्कीम जो है 15–20 साल से पहले आप पावर्टी को समाप्त नहीं कर पाओगे।

सभापति जी, आपने 5·5 ग्रोथ में वृद्धि की, अच्छी बात है। मगर एम्पलायमेंट जनरेशन कितना हुआ यह देखने की बात है। हमारी ग्रोथ की रेट के साथ-साथ एम्पलायमेंट की जनरेशन केवल 8·7 हुआ। 5·5 उसके एगेन्स्ट में 8·7 फीड बेकलाग कितना बड़ा बढ़ गया। इस देश में इकोनोमी के एक्सपेंशन के साथ-साथ इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ-साथ विकास के साथ-साथ एडीशनल प्रोडेक्शन नहीं होता तो देश की इकोनोमिक डेथ को फोरविड नहीं किया जा सकता। वेकवर्ड इकोनामी के आपके सारे कारण मैं आपके सामने विशेष रूप से पेश करना चाहता हूं। सभापति जी, आपने जब भी कमी जो वेज गुड्स हैं इस देश में, जिसे मास कन्जम्पशन गुड्स कहते हैं हम जब भी कमी हुये हैं सभापति जी, आपने बाहर से इम्पोर्ट कर दिया, चीनी मंगा ली, इंडीबल ऑयल मंगा लिया। जिस जिस चीज की कमी हुई आपने बाहर से मंगा लिया। थोड़े समय के लिए आपने कमी दूर कर दी। मगर आपने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कन्संट्रेट नहीं किया। अगर एक साल वेट कर लेते, कोई बात नहीं कीमतें बढ़ जाती। अगर आप उन्हें प्रोडेक्शन दे देते, अवेलेबिलिटी दे देते तो देश के सामने जो आज समस्या है, देश के सामने जो आज कमी है, परन्तु सभापति जी, तो आज देश के सामने जो कमी है वह हम महसूस नहीं करते। परन्तु इन्होंने केवल दो बातों पर ध्यान दिया बोरो करो और डेफिसिट फाइनेन्सिंग करो। अब 25–30 साल का इतिहास आपके सामने है, इतना बड़ा कर्जा आप दे गये। जैसा माननीय रामकिशन जी ने कहा मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। एक्सटर्नल आप कर्जा इतना दे गये माननीय माथुर साहब कि जितनी एक्सपोर्ट से हमारी अर्निंग होती है एक साल में वह ब्याज के भुगतान में जाती है। 24, 23,22 प्रतिशत अर्निंग होती है

84

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आंकड़े वैराई करें मगर टोटल अर्निंग जो होती है हमें उसमें हम ब्याज का भुगतान करते हैं। जिस देश की इकोनोमी ऐसी हो।

हमारे राजस्थान में सिवाय 1988-89 के हमारी पर केपीटा इन्कम कम होती है। 1977-78 के पावर्टी लाइन में 80% लोग थे उसमें अब 36 प्रतिशत लोग है और हमारा कर्जा पांच सवा पांच करोड़ कर्जा आप छोड़ गये। यह हमारे राजस्थान की इकोनोमी आप छोड़ गये। अनएम्पलायमेन्ट का बहुत बड़ा बेकलाग है। इसलिए मैं सभापति जी, ज्यादा न कह कर, हमारे देवपुरा जी ने अपना भाषण दिया अच्छा था, पोलिटिकल स्पीच थी उनकी। उन्होंने हमें यह कहा कि आपके अन्दर जो क्राइसेस पैदा हुआ, प्रधान मंत्री ने हमारी बहुत बड़ी इन्टरनेशनल छवि बिगाड़ दी। सभापतिजी, मैं कुछ अन्य बातें कहना चाहता हूं। हमारी पार्टी दो साल से बनी है इनर स्ट्रगल पार्टी के अन्दर होना बहुत अच्छी चीज है। मैनीफेस्टेशन ऑफ बायन्ट डेमोक्रेसी, बढ़ती हुई डेमोक्रेसी, डायनामिक है सेक्यूलर है इसके अन्दर अगर इसके अन्दर आइडियोलोजिकल डिफरेन्स नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। हमारे चरण आगे बड़ रहे हैं, मास बेस हमारा बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इनस्ट्रगल हमारी, इनस्ट्रेन्थ को मजबूत कर रहा है इसमें कोई शक नहीं जिस शख्स ने स्तीफा इस बात का दिया, अपने प्रिन्सिपल के लिए सारे जीवन को अर्पित कर दिया हो। समर्पित कर दिया हो अपने सिद्धान्त के लिए वेल्यूबेस्ड पोलिटिक्स के लिए, वह देखता है उसमें आंच आ रही है। मेरा विश्वास है नहीं, मेरी छवि बिगड़ रही है तो सत्ता का मोह छोड़ कर कुर्बानी कर दी तो भी तारीफ नहीं करते आप। उन्होंने सत्ता का मोह छोड़ा, सत्ता बड़ी चीज नहीं है लेकिन सिद्धान्त बड़ी चीज है। सभापति जी, आप देखें इस बात को कि हमारी छवि इन्टरनेशनल बढ़ी है कि कम हुई है। हमारी छवि बड़ी है। इसके साथ-साथ हमारे देवीलाल जी उप प्रधान मंत्री है। पंच ग्यारह का फैसला मान करके अपने आपको डेमोक्रेट साबित किया है। मैं तारीफ करता हूं कि जिस शख्स की इस जनता दल को बनाने में सरकार को कायम करने में जिसने बड़ा पार्ट अदा किया हो। जो आज हमारी निगाह में और ऊंचा बढ़ गया एक पोलिटिकल बिल का सबूत दे कर सारे क्राइसिस को ब्लो आऊट कर दिया इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपका प्राइम मिनिस्टर वही आपका कांग्रेस प्रेसीडेण्ट, किसको इस्तीफा दे दे। कभी वाइस ऑफ डिसेंट को आपने पैदा नहीं होने दिया, स्मोदर कर दिया, स्मेश कर दिया ताकि पैदा हो ही नहीं। आज एक फोरम बनाया आपने, फोरम पर एक्शन बनाया है आपने अच्छा है, स्वागत है स्टडीज करेंगे, पढ़ेंगे हमें एनलाइटन करेंगे, पालिसी मेटर पर बहस करेंगे। हमें फायदा मिलेगा इसलिए बना रखा था।

श्री दिग्विजय सिंह : पहले माथुर साहब ने बना रखा था।

श्री केदारनाथ शर्मा : आपका इनफारमेशन सेण्टर है कोई बात नहीं। आपके बंशीलाल ने हरियाणा में बना रखा है।

श्री नत्थीसिंह : नेहरू फोरम भूल गये इतने दिन में।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति जी, जिस ओर्गेनाइजेशन में कभी भी असन्तोष की भाषा को बढ़ने नहीं दिया जावे सिद्धान्त के नाम से प्रिन्सिपल के नाम से। एक व्यक्ति का जहां राज हो, मोनोलिथिक करेक्टर हो जिस ओर्गेनाइजेशन का, सभापति जी, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय सदस्यों से जो ना पक्ष में बैठे हैं जब तक आप अपना ओर्गेनाइजेशन सुधारोगे नहीं जब तक वाइस ऑफ डिसेंट नहीं होगी इनर स्ट्रगल नहीं होंगे इस देश पर राज करने का स्वप्न छोड़ दीजिए आप, कभी सफल नहीं हो सकेंगे। आप आपके माननीय राजीव जी सारे देश का ट्यूर कर रहे हैं सेकिंड क्लास में सफर करके, लोगों में जाकर भोजन करते हैं। क्या माइनारिटीज की हमदर्दी ले पाये आप ? क्या बेकवर्ड लोगों की हमदर्दी ले पाये आप ? शिड्यूल्ड कास्ट का आपसे एफेक्शन हुआ ? आप देख लीजिए उस एक डेढ़ महीने के सारे ट्यूर में आपका नेट इफेक्ट जीरो आया है, लोगों ने बेक नहीं किया। बिल्कुल फ्लाफ हो गया। सभापति जी, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, स्टालवार्ड्स से कि उनके हाथ में राजस्थान की डेस्टिनी 34–36 साल रही है और उनके एचीवमेंट्स को मैं यहां पर निगेट करने नहीं आया, अण्डर स्कोर, अण्डर माइन करने नहीं आया मगर एक बात कहने आया हूं आपसे कि आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा वापस राज में आने के लिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा इस देश में जब तक आप अपने आपको रिजोरेन्ट नहीं करोगे, जब तक मासेज के साथ अपने आपको आइडेन्टिफाई नहीं करोगे आप....

श्री रामकिशन : अगर 10 साल का आपने बता दिया तो दो तीन का तो हार्ट फेल हो जायेगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : अगर हमारे प्रपोजल में कोई ऐसी चीज होती, जनता में व्यापक नाराजगी होती आज 10 हजार के जुलूस हमारे सामने नहीं आते। एक भी जुलूस आप नहीं निकाल पाये। औरतों को लाये थे आप 25–30 को। कोई यूथ एग्जीबीशन नहीं, कोई किसानों में स्टेवलिंग नहीं, हाजरी नहीं हुई। माननीय राजीव जी गये वहां कन्जर मारे गये मैं मानता हूं हमारी गलती है हमारे सरकारी आफिसर्स की गलती थी। वहां भी आपके कितने आदमी आये। मैं अखबार पढ़ता हूं आपने खुद ने कहा हमारा वहां सब अस्त-व्यस्त हो गया, वहां लोग इकट्ठे नहीं हुये हम मेमोरेण्डम बना नहीं पाये इसलिए आपके मार्फत कह रहा हूं हमने जितना स्ट्रगल किया आपकी पालिसीज के खिलाफ, हमारे आज के मुख्य मंत्री अध्यक्ष थे, एक लाख आदमियों को गिरफ्तार किया।

अलग-अलग विद्यार्थी, किसान, मजदूर आन्दोलन करते रहे तब दस साल के बाद, माननीय देवपुराजी हमें सुहावने नारों से वोट नहीं मिले। दस साल तक लगातार स्ट्रगल, आपकी गलत नीतियां, और हमारे अन्दर लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया कि यह राज आयेगा तब अच्छा काम करेंगे तब जाकर उन्होंने वोट दिये। यह विश्वास

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आप प्राप्त करो दस साल के अन्दर तब मैं यह मानकर चलूंगा कि आपने रिओरियन्ट किया, आपने लोगों के साथ माफी के साथ आजीजी भी की है।

सभापति जी, यहां माननीय देवपुराजी ने यह भी कहा कि अनहोली अलायेन्स कब तक चलेगा। अनहोली अलायेन्स। मुझे बड़ा अफसोस है कि बी. जे. पी. केडर बेस्ड पार्टी, सी. पी आई./सी.पी.एम. केडर बेस्ड पार्टी, अपने-अपने सिद्धान्त, उसूल, कुछ प्रिन्सिपल्स लेकर यह देखकर के कि कांग्रेस का और जनता दल का क्या मुकाबला है, इनका क्रेडेन्शियल, इनका बिहेवियर, इनका करक्टर, इनकी अप्रोच, काम करने के तरीके में क्या फर्क होगा, पालिसी मेटर्स में, तब जाकर यह साथ दे रहे हैं (व्यवधान) यह होते रहेंगे। आप उस चीज की चिन्ता मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप राजस्थान की चिन्ता करो।

श्री शिवचरण माथुर : कल आप मद्रास जा रहे हैं शायद बहुत हद तक यह बात आपके सामने आयेगी।

श्री नत्थी सिंह : आपकी आशाओं पर तो तुषारापात हो जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिपके रहो कुर्सी से।

श्री नत्थीसिंह : आप चिपके हुए थे कुर्सी से तो, हमने तो कुर्सी छीनी है।

श्री केदारनाथ शर्मा : सभापति जी, मैं बहुत ही शोर्ट में निवेदन करना चाहता हूं, आपने बड़ी कोशिश की कि काश्मीर का मसला तय हो जाय, पंजाब का मसला तय हो जाय और आपने बड़ी कोशिश की अन्दर टर्मोइल न हो। लंका में फिर से दुबारा टर्मोइल हुआ वह न हो। सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर की हालत आपने क्या बना दी। कितना पार्टी रेलेवेन्ट रहा आपके राज में। जब तक आपका राज रहा जो पार्टीज एग्जिस्ट करती थी आपकी और फारूख की, आपने इरेवोल्यूट कर दिया। जो कश्मीर के लोग कभी वहां पर इण्डिपेण्डेन्ट काश्मीर चाहते थे वह हिन्दुस्तान के हक में थे, देश के हक में एक्सेसिव किये हुए थे। दूसरा स्टेज यह आया कि वह इण्डिपेण्डेन्स चाहते थे। उनको आपने क्या कर दिया, प्रो-पाकिस्तानी बना दिये सबको? अब बहुत मुश्किल काम है। सभापति जी, बहुत मुश्किल काम है। यह देन तो आपकी है।

सभापतिजी, पंजाब की समस्या मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 83 में एक कमेटी बनी कोर्डिनेशन की, सब पार्टीज को मिलाकर। माननीया इन्दिराजी एक ग्रेट लेडी थी, मैं तारीफ करता हूं उनकी इस बात की एक समझौता तय हो गया। शाम को तीन बजे पार्लियामेन्ट में घोषणा करनी थी कि पंजाब का सोल्यूशन हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा चुनाव आ रहा है, मैं किस तरह से रोल प्ले करूं। पंजाब में ऐसी हवा चल रही है, देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। एक प्ले किया। उस प्ले में अपने टारगेट पूरे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

करने में सफल हो गये। फिर आपने सोचा शायद दुबारा राज आ जाय हिन्दू कार्ड प्ले किया, कहीं मुस्लिम कार्ड प्ले किया, दोनों ने आपको धोखा दे दिया, आपका साथ नहीं दिया। आप बिल्कुल पिट गये। आप क्रेस्ट फॉलन, बिल्कुल ही धरती पर गिर गये आप। सभापतिजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आप एकता और अखण्डता की बात करते हैं, इस अनहोली अलायन्स से खतरा है। मैं माननीय माथुर साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, 35–40 साल में प्लान डवलपमेन्ट में, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, अपर क्लासेज में, ऑफिशियल क्लास में, पहले चार पर्सेन्ट था अब तीन पर्सेन्ट इनका कोटा है। सबोर्डिनेट सर्विसेज में पहले 11 था अब 9 हो गया। जो ट्रेडीशनल उनका रोजगार था रंगाई का, चूड़ी, लुहार का सारे उनसे खोस लिये। आज आपने उनको मेनस्ट्रीम से अलग कर दिया। वह कौम आपको कभी बख्सेगी नहीं, कभीवोट नहीं देगी आपको। उन कौमों कोआपने मेनस्ट्रीय से अलग कर दिया। वह कौम कभी आपको वोट दे सकती है? यह 6 महीने में देख लीजिये आप, कितने वोट मिले आपके राज में। कभी अलीगढ़ में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी भागलपुर में, कभी कहीं, मेसिव स्केल पर वायोलेन्स हुआ है। सिवाय एक दो एक्सप्शन के आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो। मुस्लिम कौम में आत्मविश्वास पैदा हो गया, वह आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पहले वाली पोजीशन ले रही है। वह कौम आगे वोट आपको देगी नहीं। बैकवर्ड कम्युनिटीज के बारे में आपने खूब कहा लेकिन आपको मालूम है इस बात का कि जबसे मण्डल कमीशन की रिपोर्ट केबिनेट के विचाराधीन है, हमारे नेताओं ने जो कुछ घोषणायें की हैं, हमारे मुख्यमन्त्रीजी ने घोषणा की है कि सेन्टर मान लेगा तो हम मान लेंगे। तो इस तरह से बैकवर्ड कम्युनिटीज भी आपका साथ देने वाली नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में, सभापतिजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने काफी साल राज किया वोट बैंक लेकर। मगर पहली बार जो नेशनल कमीशन है शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबस का, उनको संवैधानिक दर्जा तो हम दे रहे हैं। उसमें लीगल आस्पेक्ट देकर कि यह कानूनी हक बनेगा।

तीसरी बात आपने 1989 और 1990 में लोक सभा में बिल पास किया था एट्रोसिटी के खिलाफ, हम इसे एडाप्ट करेंगे। इसके साथ-साथ हम यह भी सोच रहे हैं कि जो दस-पन्द्रह साल में आपने जो जमीन के अलाटमेन्ट किए उनके पास जमीन आज एलिनिएट हो गई। कैसे उनको वापिस जमीन मिले, कौनसे स्टेप्स लिये जांय यह हमारी निगाह में है। मैं यहां पर सभापतिजी, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लेबर क्लास है उनको आप राइट टू वर्क नहीं दे पाये, 15 अगस्त तक हमारी पालिसी है राइट टू वर्क की। इसमें कोई शक नहीं, इस बजट में आप देखोगे कि जितने रोजगार के साधन ऐवेन्यूज खुलेंगे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। छोटे उद्योग धन्धे, कुटीर उद्योग धन्धे उनके लिए रिआयत दी है। उसके पीछे एक ही प्वाइन्ट है कि पैदावार बढ़े और एम्प्लायमेन्ट के साधन बढ़े। यह अप्रोच, यह दृष्टि-

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कोण हमारे माननीय मुख्यमन्त्रीजी का रहा है। मैं सभापतिजी, यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय परसरामजी ने यह कहा कि 60 पर्सेन्ट कैसे खर्चा हो जायगा, सारा ब्रेक-अप देख लीजिये आप। और बाद में इम्पेक्ट देखेंगे।

अन्त में यह बात कहता हुआ इस बजट के बाद एक साल के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि पर केपिटा इन्कम कितनी बढ़ी है। पावर्टी लाइन में हम 36 से 32 आ गये हैं। जो बैकलॉग आज बेकारों का, दो लाख है, पांच लाख की नई लेबर फोर्स होगी राजस्थान में, सात लाख को हम काम देंगे इस बजट की मार्फत और दो लाख का बैकलॉग भी पूरा करेंगे। यह आश्वासन आप दे दीजिये, मैं कहता हूं।

इसके साथ-साथ, कीमतों के बारे में, इसमें कोई शक नहीं आज नाराजगी है प्राइस लेवल बढ़ा है। मगर जो हमारी पालिसी है आहिस्ता-आहिस्ता इन सारी चीजों का प्रोडक्शन करने के बाद या कम्युनिटीज करने के बाद बाहर से सारा इम्पोर्ट बन्द करने के बाद, कुछ दिन तकलीफ हो सकती है, मगर यह प्राइस लाइन स्टेब्लाइज करने के लिए सख्त कदम होगा। मैं ज्यादा न कहता हुआ, अन्त में यह बात कहता हुआ कि माननीय मुख्यमन्त्रीजी, आप इनको चुनौती दे दीजिये कि यह बजट, जो इलेक्शन मेनिफेस्टो है, एक प्लान बनाकर राजस्थान की जनता के सामने, बैकवर्ड कम्युनिटी के सामने, माइनोरिटीज के सामने और देश के पढ़े लिखे लोगों के सामने जायेंगे और जो आज मेजोरिटी है उससे ज्यादा मेजोरिटी से जीतकर आयेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या मिडटर्म कराओगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह आप एलान कर दो। आप सोचते हैं मिडटर्म इलेक्शन की बात बोलूं। सभापतिजी, यहां घोषणा हुई 70 करोड़ की, 30 करोड़ हमने एक्सप्ट किया फाइनेन्सेज से वृद्धावस्था पेन्शन के लिए (व्यवधान) मैं तो जीतकर आ जाऊंगा, आपका पता नहीं क्या होगा। 30 करोड़ बुढ़ापे की पेन्शन एक्सप्ट की हमने पालिसी में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न तो स्कूल का सर्टिफिकेट होगा इसके लिए। जो कमेटी बनी हुई है वह जायगी, 65 और 70 में फर्क बहुत कम है जिसकी उम्र 65 साल की है वह लगेगा। इसलिए हमको तीन करोड़ खर्च करना है। वह भी शोर्ट ऑपरेशन में। इसमें कमी रही तो माननीय मुख्यमन्त्रीजी बहुत उदार हैं तो इसमें सुधार हो जायगा। माथुर साहब, आपने 70 करोड़ की बात की, मदेरणाजी ने, मुझे वह स्पीच याद है हरियाणा में माफ किया, उनका 20 करोड़ का कर्जा माफ किया। इन बैंचिज पर बैठने वाले कह रहे थे, मखोल कर रहे है। रिजर्व बैंक की एडवर्स रिपोर्ट भी पढ़ कर सुना रहे हैं और यह सारा फिस्कल अरेन्जमेन्ट समाप्त हो जायगा। यह हटेगा। यह पिस्कल अरेन्जमेन्ट सारा कुपल हो जायगा। इस केऑस को हम ब्रेक कर रहे हैं। 170 करोड़ दिया है।

श्री शिवचरण माथुर : कहा दिया, 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

श्री केदारनाथ शर्मा : दिया है, सेन्ट्रल का आ गया। हमने अपना दे दिया। सेण्टर से हम ले रहे हैं। उनका अस्योरेन्स है। सभापतिजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल में कांग्रेस के तीन मुख्यमन्त्री रहे हैं वहां पर जो बोले। उन्होंने एक ही बात कही हम अपना शेयर नहीं देंगे। डैट (Debt) सेण्टर का सारा माफ करे और हमारे माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने क्या बयान दिया, कि आधा आप दो और आधा हम दे देंगे। हमने कमिटमेंट किये जनता के सामने जैसे हमारे दल के नेता में बजट स्पीच में अपनी बात रिप्लाई में कही थी, बुढ़ापे की पेन्शन का, कर्ज माफी का इसमें कोई शक नहीं, उस समय हमारा कमिटमेंट यह भी था कि हम राज को तोड़ेगे नहीं सरकार को तोड़ेगे नहीं। बहुत बड़ा पायस, कोल किया था हमने। यह संकल्प किया था सारी जनता के सामने तब जाकर उन्होंने हमें वोट का अधिकारी बनाया। माननीय माथुर साहब हमारे कितने इनरस्ट्रगल है, कितने ही क्राइसेज पैदा हों, कितने ही डिफ़ेंस पैदा हो राज में कौन रहे न रहे, मन्त्री रहे न रहे। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सरकार पांच साल से पहले टूटेगी नहीं हमारा पूर्ण विश्वास है आज के मुख्यमन्त्री जी में, हमारी टीम में आपस में कोरडिनेशन है। माथुर साहब आप भी चीफ मिनिस्टर रहे, देवपुरा साहब आप भी चीफ मिनिस्टर रहे, माननीय जोशी जी भी रहे मुझे बताइये आपने एसेम्बली में कितना एक्साइल किया, 25-30 साल से मैं भी देखता आ रहा हूं इम्पोरटेंट स्पीचेज में आप आया करते थे और हमारा मुख्यमन्त्री ववश्चन आवर से लेकर लास्ट मिनिट तक, 295 सुनते हैं, एडजार्नमेण्ट मोशन कितने है वे सब सुनते हैं कॉल अटेंशनस् सुनते हैं' स्पीचेज सुनते हैं। इतना टाइम आप दे नहीं पाये, इन्होंने इतना टाइम दिया इस अप्रोच को इस महानता को समझ नहीं पाये आप। कुर्सी छोड़ना अलग बात है। इतना इन्ट्रेस्ट और इलाके की समस्याएं उनके सामने आये। लोग अपनी मांग को अपनी ग्रीवेंसेज को अपनी डिमाड्ण्स को रखें। उन सबको एक प्राइज एवं एब्रेस्ट कर के राजस्थान के हित में जो फैसला हो वह करने को तैयार रहते हैं। सभापति महोदय, एक बात यहां मैं और कहूं आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में मन्त्रियों के जवाब, डिमाण्डस् की रिप्लाई हमारा आपस का बिहेवियर हमारा आपस का विश्वास, आत्मविश्वास है। हमारी विल पावर इस बात की है कि हम राजस्थान का भला करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक बात और माननीय माथुर साहब के टाइम में कितने कमिशन आये, कितनी रिपोर्ट्स हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन मैं सुधार करना है रेस्पोंसिबल बनाना है आपने कौनसे कदम उठाये। इन्होंने इनिसियेटिव तो लिया कम से कम। अपना मजबूत इरादा करके एक इनिसियेटिव लिया है और हाथ किस पर मारा है जाकर, बहुत बड़ा सीरियस प्रश्न है। कुछ एफ. आई. आर. दर्ज की, कुछ गिरफ्तारियां की, कुछ बरामदगी की। इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ट्यून अप होगा। आप नीचे लेवल के रेम्पेण्ट करप्शन छोड़ के गये हो। वह आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कड़ी टूटेंगी और हम शुद्ध प्रशासन दे पायेंगे। यही

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बात कहता हुआ इस पूरे बिल का अपनी और ने अपने दल की ओर से पूरा समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रमाकांत।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात सबसे पहले जो कि राजस्थान का बारहवां स्थान, चौदहवां स्थान, सोलहवां स्थान भिन्न-भिन्न बातों में है वो ऐसा कौन सा काम करने जा रहे है मुख्यमन्त्री जी जिससे दूसरा स्थान हो जायेगा एक बात और कही कि राजस्थान का जो चौदहवां और बारहवां स्थान है भिन्न-भिन्न इन्डिकेटर्स के अन्दर इसका कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक है क्योंकि पुराने रजवाड़े थे और रजवाड़ों के कारण से यह राज बना था इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न कारण भौगोलिक है और न कारण ऐतिहासिक है जो रजवाड़ों की बात है तो आंध्रप्रदेश में तो सारा का सारा रजवाड़ों से ही मिलकर बना है तो उसमें तो ऐसी बात नहीं है भौगोलिक कारणों में हमारे यहा अकाल पड़ता है और दूसरे प्रांतों में हर वर्ष इतनी बाढ़ की विनाश लीला होती है परन्तु उनका इण्डिकेटर तो हमसे ऊपर है हमारा जो इण्डिकेटर है सारा का सारा आर्थिक स्थितियों में उनका मूल कारण हमारी पिछली आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां रही हैं उनका कारण है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहले ही बजट के अन्दर यदि मैं यह अपेक्षा करूं कि हम सौलहवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जायेंगे तो मेरा बचपना होगा। परन्तु जो बजट बनाया गया है जो दिशा दी गई है इस दिशा के अन्दर प्रत्येक वर्ग का जिस प्रकार से ख्याल रखा गया है मजदूर का, किसान का, दस्तकार का, गांव का, गांव के अन्दर क्या-क्या काम करने हैं इन सब बातों का, अल्पसंख्यक लोगों का प्रत्येक क्षेत्र का जो ध्यान रखा गया है इससे हमारी आर्थिक परिस्थितियों के अन्दर परिवर्तन आयेगा। निश्चित ही मैं देवपुरा जी से कहना चाहता हूं कि अगली बार इस प्रकार के इन्डिकेटर बनेंगे, हम ऊपर चढ़ते नजर आयेंगे। और पिछले चालीस साल से हम नीचे जाते रहे थे वह स्थिति नहीं आयेगी। मै क्या-क्या गलत नीतियां रही केवल मात्र एडजेक्टिव नहीं लगाना चाहता बहुत लम्बी बाते हैं मैं सबका जिक्र नही करना चाहता। परन्तु कुछ नीतियों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि हम जो बजट बनाने जा रहे हैं बनाया है अभी इस बजट का पिछले सालों के बजटों का धरातल पर बना है आईसोलेशन में नहीं बना है। आज जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हमारी हैं उनका भी एक धरातल है उस धरातल पर हम खड़े हुए हैं। अचानक कोई चीज परिवर्तन पर नहीं आ सकती। नये बिल्कुल क्लीन स्लेट हम कोई काम कर रहे होते तो शायद ऐसा परिवर्तन भी आ जाता। यह अपेक्षाएं हम करते तो एकदम हमारा इकोनोमिक इण्डिकेटर्स बढ़ जायें। हमारी कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं हमने कितने ही कानून बनाये अनुसूचित जाति के दायरे के अन्दर। परन्तु गांव के अन्दर अनुसूचित जाति की जो दशा है, सामाजिक परिस्थिति है उनको आज भी

(श्री रमाकांत शर्मा)

समाज के अन्दर जो एक जगह का दर्जा दिया है वह कभी किसी पार्टी ने अर्थात् जो पावर के अन्दर थी उस पार्टी ने कभी उनको सामाजिक दर्जा दिया। केवल कानून मात्र से पार नहीं पड़ती है जगह-जगह पर दंगे हो रहे हैं, जगह-जगह पर क्रासवार हो रही हैं यह कथनी और करनी का अन्तर रहा हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का और इसी का कारण है कि ये सारी की सारी अनुसूचित जाति है उनका जो सामाजिक स्तर है वह किसी तरह से हम आगे बढ़ा नहीं पाये हैं। पहले बॉम्बे में देखा करते थे कच्ची बस्तियां। अब राजस्थान के हर शहर के अन्दर कच्ची बस्तियां देख लीजिए। हर शहर के अन्दर गन्दी बस्तियां देख लीजियेगा। अभी तक हरिजन लोग मैला सर पर ढोते हैं। इन परिस्थितियों पर जहां गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं हैं, दस प्रतिशत गांवों के अन्दर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है जहां पर किसान अभी भी सिंचाई करता है वह अपने कुऐं खोदकर व्यवस्था करता है इन सारी परिस्थितियों के अन्दर हमने आज बजट बनाया है और आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले 48 साल की परिस्थितियों के अन्दर गांव और शहर का जो अन्तर था यदि हम देखें तो पिछले 40 साल पहले जैसी स्थिति नहीं थी। आज गांवों और शहरों की इन्कम का परकेपिटा अन्तर भी सारा का सारा बढ़ गया है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा हमारी विकास की जो प्रक्रिया रही वह भी इतनी दोषपूर्ण रही है पिछले सालों के अन्दर गांवों में सड़क बनेगी तो ठेकेदार शहर का जायेगा, गांवों में बिजली के खम्बे खड़े होंगे ठेकेदार शहर का जायेगा। तो वह हमारी विकास की जो प्रक्रिया है इन प्रक्रियाओं के अन्दर भी गांव सारे के सारे पीछे पिछड़ गये हैं सतत्तर प्रतिशत जनता जहां गांव में रहती है वह पीछे पिछड़ गई है तो हमारे इकोनोमिक इण्डिकेटर आगे आ ही कैसे सकते हैं। बहुत ढोल बजाये गये थे बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् गांव के लोगों के पास बड़ी भारी पूंजी हो जायेगी। यह सारा का सारा धन बैंकों का वहीं पर पहुंच जायेगा। बैंकों का तो पहुंचा भी नहीं परन्तु जो वित्तीय संस्थान बने हैं उन वित्तीय संस्थानों से जो कर्जा गया। माननीय सभापति महोदय, गांव के लोगों को केवल मात्र छोटा-मोटा मकान बनाने के लिए या छोटा-मोटा कृषि उत्पादन के लिए दे दिया गया। परन्तु यह सारा का सारा देश का जितना धन था शहरों के बड़े पूंजीपतियों के पास चला गया वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। तो इस प्रकार की हमारी स्थिति क्यों हुई कि गांव के लोगों को हमने शिक्षण या प्रशिक्षण के द्वारा तैयार ही नहीं किया कि वे कोई व्यवसाय लगा सके या वो कोई उद्योग लगा सके। उद्योग लगाने वाले व्यवसाय लगाने वाले और बैंकों में जितना धन है वह सब उन्ही लोगों के पास जाता रहा। यह हमारी आज तक की नीति में बहुत बड़ी खामी रही है मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर हमारे किसान का जो योगदान है ऑल इण्डिया स्तर पर दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है राजस्थान का अवश्य वेरी करता है 35 से लेकर 45 प्रतिशत तक कोई 35 प्रतिशत पर जाता है कोई 45 प्रतिशत पर जाता है मेरा

(श्री रमाकांत शर्मा)

निवेदन है कि यदि किसान का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर उसके उत्पादन का प्रतिशत कम होता चला जा रहा है राजस्थान का अवश्य वेरी करता है कभी 48 प्रतिशत कभी 45 प्रतिशत हो जाता है किसान का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर उत्पादन का प्रतिशत कम होता चला जा रहा है परन्तु उसकी खेती पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए किसान दूसरे किसी व्यवसाय में नहीं आकर के वहीं का वहीं बैठा हुआ है। क्योंकि खेती पर उसकी निर्भरता यदि यों की यों रहेगी तो निश्चित है उसके अन्दर गरीबी बढ़ेगी। दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहूंगा, अब यह भी हमारे देश के लिये बुरी बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ग्रास डोमेस्टिक के अन्दर कृषि का जो योगदान है, कृषि के उत्पादन का योगदान अगर कम हो, अमेरिका इस बात को कभी बरदाश्त नहीं कर सकता कभी भी। इतना बड़ा औद्योगिक देश होने के बावजूद भी वह अब इस बात का गौरव अनुभव करता है हमारे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर कृषि के उत्पादन का सबसे ज्यादा योगदान रहे।

माननीय सभापति जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 16 करोड़ के बजट से हम 5 हजार करोड़ के बजट पर तो पहुंच गये। बड़ी प्रगति हुई। परन्तु जो गांव का किसान है वह आज के 40 वर्ष पहले जितना खाद्यान्न लाता था जितनी कन्ज्यूम करता था जितना तेल कन्ज्यूम करता था जितनी शूगर कन्ज्यूम करता था और खास तौर से रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर उसका जितना खर्चा था। क्या उसमें एक प्रतिशत की भी वृद्धि हुई है? 16 करोड़ से 5 हजार करोड़ रुपये के बजट हो जाने के बाद भी उसको जो रोटी, कपड़ा और मकान और उसका बेसिक खाद्यान उसके न्यूट्रेशन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। हमने कौनसी वृद्धि की है आज तक। हैण्डीक्राफ्ट में हमारे राजस्थान को और हमारे देश को एक गौरव था किसी जमाने के अन्दर परन्तु उसको धीरे-धीरे करक हमने हमारी सारी योजनाओं के अन्दर प्रायः इस प्रकार से समाप्त किया, नाम तो हमने बहुत रखे, कभी किस प्रकार का कार्पोरेशन बनाया, कभी किसी प्रकार की को-आपरेटिव बनाई। परन्तु उन परिस्थितियों के अन्दर कहीं पर भी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बजट के द्वारा उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। मूंज का ध्यान रखा है, छोटे-छोटे हीरों के उद्योगों का ध्यान रखा है दस्तकारों का यदि सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है तो यह पहला बजट है राजस्थान के अन्दर जिसमें इस प्रकार का ध्यान रखा गया है। उधर की तरफ से बहुत दफा बात कही गई कि राजस्व व्यय के अन्दर बहुत बढ़ोतरी हो रही है। एक साधारण सी बात है। यदि प्रत्येक योजना के अन्दर कैपिटल एक्सपेन्डीचर के द्वारा, वाटर सप्लाई की बात है, या सड़क की बात है जितनी योजना अन्तर्गत बातें आती हैं तो फिर उसके रख रखाव के लिए, उस सर्विसेज को मेनटेन करने के लिये, उसमें खर्चा

(श्री रमाकांत शर्मा)

राजस्व व्यय में तो होगा ही होगा। परन्तु सबसे बड़ी जो खराबी हुई है खास तौर से पिछले 15-20 सालों के अन्दर हुई है, योजनायें बना दी गई और योजना का अर्थ ही समाप्त हो गया। ग्रो मोर फूड. अब तो खैर समाप्त हो गई, 15 वर्ष तक किसी को पता ही नहीं चला ग्रो मोर फूड कोई योजना बनाई जिसमें आदमी लगे हुए हैं। किसी वर्ग के अन्दर कोई योजना बना दी गई जब उसका महत्व समाप्त हो गया तो भी उसको हमने बराबर चालू रखी। आज मैं पुनः मुख्य मन्त्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा इन्होंने खास कर के एक उच्च स्तरीय मितव्ययता समिति बना करके····

श्री परसराम मदेरणा : ग्रो मोर फूड की योजना लागू है ?

श्री रमाकांत शर्मा : अब समाप्त हो गई है मैंने कहा न ? 15-20 वर्ष पहले थी और दस वर्ष तक चलती रही वह····

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन उसका क्या हुआ ? आपने ए. पी. एस. की हैसियत से जो ग्रो मोर फूड योजना चलाई उसका क्या हुआ ?

श्री रमाकांत शर्मा : नहीं, मैंने ऐसी कोई ग्रो मोर फूड योजना नहीं चलाई। ए. एस. पी. कोई योजना नहीं चलाता है, मन्त्री लोग चलाते हैं योजना, सरकार चलाती है योजना।

एक माननीय सदस्य : यह तो कार्यान्वित कर रहे थे।

श्री रमाकांत शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व व्यय के अन्दर जो बढ़ोतरी के सिलसिले में माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी योजना चल रही हो, या कोई भी काम के अन्दर यह देखा जाये कि अब इतने आदमियों की आवश्यकता नहीं है तो प्रेशर आता है कि इतने आदमियों को हटा दिया जायेगा तो बेरोजगार हो जायेंगे। इस प्रेशर से वह वंचित रहें। जिस भी किसी प्रकार के विभाग में या योजना की जो एफीशियेन्सी है, उस एफीशियेन्सी का ज्यादा ध्यान रखना चाहिये। वह लोग जब सरप्लस हो कर के हटते हैं तो उसको और उत्पादक तरीका जिसमें और ज्यादा उत्पादन होता हो, इस प्रकार की योजना बना कर के उनमें उनको लगा देना चाहिये परन्तु केवल मात्र दबाव के कारण कि उनको हटा दिया जायेगा तो बेरोजगार हो जायेंगे। हम इनएफीशियेन्सी क्रियेट नहीं करें, यह मेरा निवेदन होगा। मै माननीय मुख्यमन्त्रीजी को आपके द्वारा एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत दिनों से कनसानइमेंट टैक्स की बात चल रही है कि कनसाइनमेंट टैक्स के मामले में, मेरे हृदय के अन्दर बहुत ज्यादा परेशानी है, कि राजस्थान में इतने उद्योग आये, मैं कई दफा इस सदन में कह चुका हूं वह सेल्स टैक्स नहीं देते हैं सारा का सारा माल यहां से वहां ले जाते हैं। हमारे सोर्सेज तो युटिलाइज करते हैं परन्तु उनके द्वारा हमें लाभ नहीं मिला है। यदि कनसाइमेंट टैक्स आ जाता है तो जो यहां उद्योग लगाते हैं उन उद्योगों से हम लोगों को लाभ मिलेगा। तभी हम लोगों को इन उद्योगों के बारे में

(श्री रमाकांत शर्मा)

ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा यह उद्योग हमारा महंगा बिजली पानी वित्त सब ले जायें और जिस समय माल बेचने को बात आये, यह माल कनसाइमेंट के आधार पर ले जाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां टैक्स दें तो यह हमारे लिये उचित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा एक और सुझाव देना चाहूंगा कि हाऊसिंग बोर्ड पिछले बीस वर्ष से शहरों के अन्दर मकान बना रहा है। अब उनके अन्दर प्रीमियम चल रहा है। यह मकान इतने रुपये का है उसके अन्दर एक लाख का प्रिमियम हो गया है। हाऊसिंग बोर्ड के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये कि पैरिफैरियल एरिया के अन्दर. 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया के अन्दर जो कस्बे हैं जयपुर के चारों तरफ हो चाहे अलवर के चारों तरफ, वहां पर यह मकान बनाये और इससे गांव का विकास होगा और शहर के ऊपर जो आबादी का दबाव बढ़ रहा है उससे हम बच सकेंगे। एक बात और भी कई सालों से विचार में चल रही है कि कोआपरेटिव के अन्दर एक दीर्घकालीन ऋण जिसको पी. एल. डी. कहते हैं, और एक अल्प कालीन ऋण, उद्योगों के अन्दर हम बात करते हैं तो वन विन्डो की बात करते हैं। एक विन्डो के नीचे सारा का सारा ऋण मिलना चाहिये। बैंक किसी भी प्रकार का ऋण देते हैं वह वर्किंग कैपिटल भी और कैपिटल के लिए एक ही जगह देते है। परन्तु गरीब किसान के लिये दो जगह जाना पड़ता है, दो जगह मैम्बर बनना पड़ता है और इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे दीर्घ-कालीन ऋण हो, इस बात पर चाहे मध्य-कालीन ऋण हो चाहे अल्पकालीन ऋण हो, इस बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है और इसमें सिद्धान्तः कोई किसी को मतभेद नहीं है। परन्तु केवल मात्र एक ढांचा बना हुआ है, केवल मात्र कुछ अधि-कारी उसके अन्दर लगे हुए हैं, कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, उस नाते नहीं होता है। इसके बारे में विचार करें। मैंने एक पहले भी निवेदन किया था हमारे जो जिला अधिकारी हैं चाहे कृषि अधिकारी हों, चाहे पी. डब्लू. डी. के अधिकारी हो, चाहे शिक्षा के हो, इनको जिलाओं से हटा कर के तहसीलों पर ले जाया जाये जो कि स्वास्थ विभाग ने एनाऊन्समेंट किया है कि उनके जो डिप्टी सी. एम. एच. आज होंगे वह तहसील हैड क्वार्टर्स पर चले जायेंगे। इस बात को उदाहरण लेते हुए.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रमाकांत शर्मा : एक मिनट मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कि जो हमारा डेफिसिट है, डैफिसिट 261 करोड़ रुपये आंका गया था, बहुत ही बधाई की बात है उस डैफिसिट को 113 करोड़ तक पहुंचा दिया सारी की सारी मेहनत करके और जो वित्त आयोग ने बात बताई थी कि जो-जो राज्य है इस बारे के अन्दर परिश्रम करेंगे उनको सोफट लोन दिया जायेगा। इस बारे के अन्दर यदि हम परि-श्रम करें, आयोग से जाकर बातचीत करें। और उनसे सोफ्ट लोन लेवें तो हमारी

(श्री रमाकांत शर्मा)

स्थिति ठीक हो जायेगी। लास्ट पाइन्ट यह बताना चाहता हूं कि जितने भी राज्य हैं, 14-15 राज्य हैं उन सब मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी तो प्रधान मत्रीजी ने जिसको प्रिसाइड किया था और वहां पर 29 आइटम्स ऐसे छांटे गये थे जिनके बारे में यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के अन्दर सैल टैक्स की दर एक ही होनी चाहिये। परन्तु निर्णय के बावजूद भी हमारे आस-पास के जो राज्य हैं उनकी सेल्स टैक्स की दर में फर्क है। आज चण्डीगढ़ में कारों और जीपों पर 6 पर्सेण्ट लगता है यहां पर 10 पर्सेण्ट लगता है और नतीजा यह होता है कि जीपें और कारें जिसको चाहिये होती हैं वह चण्डीगढ़ से ले आता है। इस नाते जो हमारी इन्कम बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ पाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह इस यूनिफार्म रेट में नहीं आते हैं तो हम भारत सरकार से कहें कि एक्साइज, एडीशनल एक्साइज और इन्कम टैक्स का जो हिस्सा मिलता है उसी अनुपात में जिस अनुपात में उन्होंने सैल टैक्स कम रखा है उसके रिवर्स अनुपात में बढ़ाकर हमको दे देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि यह हो जाता है तो हमारी वित्तीय स्थिति ठीक हो जायेगी।

कर्जे के बारे में एक अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं। बार-बार ऊपर से एक बात सुनने को मिलती है कि कर्जा माफ करने से बैंकिंग व्यवस्था बिगड़ जायेगी, लोगों की आदत पड़ जायेगी। साथ ही साथ उसी सांस के अन्दर कहा जाता है कि आपने इफ बट लगा दिये। यह जो इफ बट लगाये गये हैं इसीलिये लगाये गये हैं कि जो अनुत्पादित कर्जा था और जो किसान नहीं दे पा सकता था, जो किसान गरीब था, जिस किसान को कुछ तहलीफ हो गई थी, पैदावार नहीं हुई थी उसका माफ किया जाये और इसीलिये यह इफ बट लगाये हैं कि इस प्रकार की आगे आदत नहीं पड़े।

आपने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं इस अप्रोप्रियेशन बिल को पास करने में अपनी सहमति देता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण जी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति जी, वर्ष 1990-91 का बजट पेश होने के बाद में कल जो मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान का चौथा अप्रोप्रियेशन बिल पेश किया है, जिसके द्वारा 5375 करोड़ रुपये की कन्सोलिडेटेड फण्ड से मांग की गई है, उसके सम्बन्ध में मेरे पहले हमारे वरिष्ठ साथी माननीय परसराम जी मदेरणा ने बहुत खुलासे से सब बातें कही हैं। सभापति महोदय, इस नये सदन का जब पहला सत्र हुआ था और जब राज्यपाल महोदय के द्वारा राजस्थान सरकार की नीति मूलक वक्तव्य यहां पर प्रस्तुत किया गया था, उस समय मैंने इस सदन के सामने बोलते हुए उस वक्तव्य को दिशाहीन बतलाया था और यह कहा था कि यह वक्तव्य हमें कहीं पर भी नहीं ले जायेगा लेकिन मैं समझेता था कि पूरा बजट इस सदन के सामने मुख्य मन्त्रीजी लायेंगे और जो वह बढ़ा-चढ़ाकर जिसकी चर्चा करते थे और जिसके बारे में अभी माननीय

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रोफेसर केदार कह रहे थे कि हमने केवल एक ही बात की सौगन्ध खाई है जनता के सामने कि हम सब मिलकर एक रहेंगे चाहे देश डूब जाय लेकिन एक रहेंगे और उस आधार पर जो जनादेश प्राप्त किया। मैं उस जनादेश के आधार पर ही यह सोचता था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : यह केदार जी ने कहा था कि देश डूब जाये।

श्री शिवचरण माथुर : हम यह महसूस करते थे कि इस जनादेश के आधार पर कम से कम मुख्य मन्त्रीजी हमारी राजस्थान की जनता के सामने एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल खरा उतरता होगा और उसके पीछे मुख्य मन्त्रीजी को एक अच्छा बजट पेश करने की भूमिका भी कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी। मुझे खेद है कि हमारे सदन में बड़े बुजुर्ग नेता है, बुजुर्ग सदस्य हैं प्रोफेसर केदार, यहां पर अभी-अभी बोल रहे थे। मैं उनकी बात की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि जब नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन यहां पर बैठा था और राजस्थान के सम्बन्ध में जब उसने पहली रिपोर्ट दी थी और दूसरी जब रिपोर्ट दी। उस समय नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने यह विचार कर लिया था कि देश में कोई राजनैतिक परिवर्तन होने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह इल्म उन्हें कहां से हो गया। जब 9वें वित्त आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। उस समय मुझे यह मालूम है फाइनेन्स कमीशन के चेयरमैन सालवे साहब से कई बार मिलने का मौका मिला और जब नाइन्थ फाइनेंस कमीशन राजस्थान का दौरा कर रहा था, वे राजस्थान कैनाल के एरिये में गये, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी गये और उसके बाद में जब हम उनसे मिले, लम्बी-लम्बी चर्चाएं उनसे हुई, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान के पिछड़ेपन का इतिहास और उसके कारण हमने उनको बताये। मैं आपसे कह सकता हूं सारा का सारा कमीशन राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार रखता था। हमने जब नाइन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जब पूरा कमीशन यहां पर आया था, उस समय विपक्ष के नेता, जो आज मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया और मुझे स्मरण है हम और वो दोनों उनसे मिले थे और कहा भी था कि राजस्थान का जहां तक सवाल है, वहां तक व्यापक रूप से नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन से हमको जितनी मिल सके, उसके लिए कोशिश करनी चाहिये। मुख्य मन्त्री जी आपको याद होगा हमने राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में कमीशन के सामने यह बात कही थी जो भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए राजस्थान के सम्बन्ध में आपकी अप्रोच बिल्कुल दूसरी होनी चाहिये और जब हम अलग से उनसे मिले तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम महसूस करते हैं कि राजस्थान के बारे में कमीशन को अपना दृष्टिकोण दूसरा रखना चाहिये। जो मेमोरेण्डम हमने पेश किये हैं, उसकी कापी आपके सामने है। पहला मेमोरेण्डम पेश किया, दूसरा मेमोरेण्डम पेश किया और

(श्री शिवचरण माथुर)

उसके समक्ष हमने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, उन सबको देखते हुए नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन ने यह महसूस किया कि राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, जिसका क्षेत्रफल सारे देश का 10 फीसदी है, जिसकी आबादी देश की 5 फीसदी है और जिसके कुल मिलाकर देश का एक फीसदी पानी है, जहां पर लगातार 5 साल में 3 साल भयंकर अकाल पड़ता है। मुश्किल से एक साल अच्छी बरसात होने के बाद फसल होती है और एक साल सामान्य फसल होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीने के पानी की दिक्कतें हैं, वह शायद राजस्थान के अलावा और अन्य प्रदेशों में इतनी गम्भीर और कठिन नहीं है जितनी कि राजस्थान में है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फाइनेन्स कमीशन को डाइरेक्शन्स दिये गये थे प्रेसीडेन्ट की तरफ से नोटिफिकेशन में, उसमें नोरमेटिव अप्रोच अडॉप्ट करने की उन्होंने बात कही थी। हमने नोरमेटिव अप्रोच के बारे में फाइनेन्स कमीशन के चेयरमैन से कहा कि राजस्थान के सम्बन्ध में यदि नोरमेटिव अप्रोच अपनाते हैं तो राजस्थान को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हम नोरमेटिव अप्रोच को अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह हमको डाइरेक्शन प्रेसीडेन्ट की तरफ से है लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है, उसकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जब डिवोल्यूशन के सम्बन्ध में अपना रिकमण्डेशन देंगे उस समय राजस्थान का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और मुझे कहते हुए खुशी है कि सभापति महोदय, तत्कालीन राजस्थान सरकार के निरन्तर प्रयासों के कारण जो आज पक्ष हमने प्रस्तुत किया उसका परिणाम है कि हमारे साथी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय परसराम मदेरणा जी ने आपको बताया। मैं उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह रिकार्ड बात है राजस्थान को 6550 करोड़ रुपये का टोटल डिवोल्यूशन नवें वित्त आयोग द्वारा हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं सप्लीमेन्ट करना चाहता हूं मदेरणा साहब के इस वक्तव्य को कि जो नोन-प्लान का घाटा है और जो एस्टीमेटेड प्लान का घाटा है, मैं समझता हूं कि पहली बार फाइनेन्स कमीशन ने राजस्थान के सम्बन्ध में विचार कर 1440 करोड़ रुपये का प्लान और नोन-प्लान के घाटे को पूरा करने के लिए प्रोवीजन इसमें दिया। मुख्य मंत्रीजी उसी वलू को लेकर के मैं उस नॉन-प्लान के घाटे की बात नहीं कहता। नॉन-प्लान के घाटे में 486 करोड़ रुपये के करीब उन्होंने दिये लेकिन प्लान का घाटा 960 करोड़ रुपये के करीब होता है। यदि आप राजस्थान के विकास की बात करते हैं और उस 960 करोड़ रुपये जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपये होता है, उसको 5 साल के अन्दर बांट देते और पहले साल मे जो 200 करोड़ रुपये विकास के लिए मुहैया कराते तो मैं समझता कि आपके दिमाग में राजस्थान को आगे ले जाने की कल्पना है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो आपका बजट है वो दिशाहीन तो नहीं है लेकिन यह आगे की दिशा नहीं बताता है यह राजस्थान को पीछे लाने की दिशा बताता है। मुख्य मन्त्रीजी आज आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन जो

(श्री शिवचरण माथुर)

बजट आपने दिया है प्रदेश की जनता को और जिसमें विकास को एक प्रकार से रोक देने की स्थिति आपने पैदा की है, यथा-स्थिति वाद को आपने अपनाया है, स्टेट्स को अपनाने वाली बात आपने की है, उसका परिणाम आने वाले 5 सालों में राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान, जिसके बारे में आप स्वयं कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से यह 14वें स्थान पर है, बड़े 14 प्रान्तों को यदि आप लें तो। वैसे तो 22 प्रदेश हैं देश में अलग-अलग तरह से लेकिन 14 बड़े प्रदेशों को आप लें तो 14वें स्थान पर है राजस्थान को जो आप कहते हैं। हम कहते हैं कि 14वें स्थान पर होने के कारण रहे हैं। राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत बड़ा कारण रही है। जिसमें आप और हम सबका एक मानस नहीं बना। मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे देश में कितना ही पैसा पैदा कर लें, कितने ही साधन इकट्ठे कर लें लेकिन जब तक जनसंख्या पर काबू नहीं पायेंगे, यह सारे प्रोजेक्ट एक प्रकार से असफल सिद्ध होने वाले हैं। आप कल्पना कीजिये 1947 से 1951, जबकि प्लान का प्रोसेस शुरू हुआ था। उस समय की देश की जनसंख्या होती और आज के साधन होते तो आप स्वयं समझ लें कि हमारा देश दुनिया के अच्छे उन्नतिशील देशों में अपने आपको मान सकता था।

(1·50 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन इस फैक्ट को, इस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते कि जो पापूलेशन की इन्क्रीज है वह सबसे बड़ा कारण है हमारी इस बैकवर्डनेस का। जो भी कारण हो, उस पिछड़ेपन के होते हुए भी यदि आप कहीं पर विकास की गति को एक जगह थाम देते हैं तो आप कैसे कल्पना करते हैं आगे आने वाले सालों में, जैसा प्रोफेसर केदार कह रहे थे आने वाले पांच सालों के अन्दर राजस्थान के विकास की गति को हम तेज करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान में एक स्कूल आप नहीं खोलना चाहते। हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया था, हम जानते थे फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज हमारे सामने हैं, वित्तीय कठिनाइयां हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन हमने सोचा कि ट्राइबल एरिया में, 200 की आबादी वाले गांवों और ढाणियों में आम तौर पर राजस्थान के ढाई सौ की आबादी वाले गांवों में हम चाहे प्रस्ताव आयें या नहीं आयें दो-तीन साल के अन्दर राजस्थान के सभी गांवों में प्राइमरी स्कूल खोल देंगे। उस प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिये हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया। एक-एक साल में तीन-तीन हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की बात सोची। हमारे पास साधन कम थे, हम जानते थे। उन सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण हमने अपनाया था, एक छोटी ढाणी जहां पर दो सौ की आबादी है, ढाई सौ की आबादी है उसमें रहने वाले एक मैट्रिक पास नागरिक को, जिसको और काम नहीं मिल रहा है उसको पहली और दूसरी क्लास पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने दी थी, पार्ट टाइम सर्विसेज में अनौपचारिक शिक्षा के आधार पर तीन

(श्री शिवचरण माथुर)

घंटे काम करने के आधार पर तय किया था, कम से कम पहली और दूसरी क्लास को वह पढ़ा देगा। एक ब्रेन जो उस इलाके का था उसको उपयोग करने की बात हमने सोची और शिक्षा केन्द्रों की योजना हमारी सरकार ने उस उद्देश्य से चलाई। आपने आते ही उस योजना को बंद कर दिया। राजस्थान में 1988-89 में करीब तीन हजार प्राइमरी स्कूल शिक्षा केन्द्र की योजना के अन्दर खोले गये। पहली साल में बच्चों की भर्ती उसके अन्दर हो गई, 1989-90 के सत्र में वह दूसरी क्लास में आ गये और अचानक आपने उस योजना को इस लिये बंद कर दिया चूंकि कांग्रेस ने उस योजना को शुरू किया था। जो कुछ भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया हो, आपका मानस यह बन गया कि उस काम को हमेशा दूर करना है। आप उसके परिणाम खुद नहीं जानते कि क्या होने वाले हैं। आज राजस्थान में करीब दो लाख विद्यार्थी जो सुदूर गांवों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं और जिनकी हमने कल्पना की थी, दो साल पहली और दूसरी क्लास पढ़ने के बाद वहां के एक नौजवान के जरिये से कर लें और उसके बाद रेगुलर प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट कर दें, उन दो लाख विद्यार्थियों को इस प्रकार से आपने वंचित कर दिया है। शिक्षा विभाग के एक्सपर्टस् से आप पूछिये, पांचवीं क्लास तक जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी है यदि वह स्कूल छोड़ देता है तो उसको वेस्टेज माना करते हैं, क्षय कहते हैं एक्सपर्ट्स की भाषा में। अगर पाँचवीं क्लास के बाद पढ़ने वाला बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है तो थोड़े दिन बाद वह अनपढ़ हो जाता है। दूसरी क्लास तक पढ़े हुए बच्चों को आपने इस शिक्षा से वंचित किया है और आप कहते हो कि हम शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं। आप कहां शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हो। आपने शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों को बंद कर दिया। आपने एक स्कूल का आगे प्रावधान नहीं रखा और आप राजस्थान को शिक्षा में इंडीकेटर में अपने आप ऊपर ले जाना चाहते हैं। मुझे क्षमा करेंगे, मुख्य मन्त्रीजी, इसका इम्पेक्ट आने वाले कई वर्षों में आपको मालूम पड़ेगा। राजस्थान का इंडीकेटर शायद पहले 14-15 स्टेट में तो आज हैं, लेकिन जो 22 या 23 स्टेट में है उनमें कहीं और नीचे नहीं आ जाय, मुझे शक है।

आप कहते हो, कंसोलिडेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया। कंसोलिडेशन के नाम से आप उन विद्यार्थियों को, गांव में रहने वाले बच्चों को डिसएडवांटेज में नहीं डाल सकते जिनको हक है आजादी के बाद कम से कम प्राइमरी स्कूल लेने का। लेकिन आपने वह नहीं सोचा। कंसोलिडेशन के नाम पर पता नहीं आप क्या कंसोलिडेट करना चाहते हैं। कंसोलिडेशन के नाम पर उन लोगों को वंचित करना चाहते हैं जिनको कि हक है आज शिक्षा प्राप्त करने का, चिकित्सा प्राप्त करने का। इसलिये मैं कहता हूं, यह जो बजट आपने प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन तो नहीं है लेकिन दिशा आपकी उल्टी है। आप राजस्थान को पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिये मैं इसको दिशाहीन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि राजस्थान का यह बजट जो आपने प्रस्तुत

(श्री शिवचरण माथुर)

किया है वह राजस्थान को पीछे ले जाने वाला बजट है।

इसी प्रकार सभी क्षेत्रों में देख लीजिये। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिये। हमने कल्पना यह की थी कि छोटी-छोटी जो डिस्पेन्सरी होती है, एडपोस्ट होती है उनमें डॉक्टर, कम्पाउण्डर नहीं जाते उन सबको धीरे-धीरे एक निश्चित आबादी के आधार पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में कन्वर्ट कर दिया जाय। ताकि वहां कम से कम डाक्टरों को रहने की सुविधा होगी, कुछ मेडिकल ऐड भी मिलेगी, कुछ टूल्स एण्ड इम्पलीमेन्ट्स भी होंगे जांच के लिये। उसको प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में कन्वर्ट करने की हमने कल्पना की थी और धीरे-धीरे चाहते थे कि सब ग्रामीण डिस्पेन्सरीज को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में कन्वर्ट कर दें। आपने एक भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं की। फिर कहते हैं हम राजस्थान की जनता के भले के लिये गांवों में चिकित्सा की सुविधा देना चाहते हैं, शिक्षा की सुविधा बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खेद है, मुख्य मंत्री जी, दरअसल में आपके इस बजट को सुना तों नहीं हमने, हम लोग यहां उस दिन नहीं थे, सुनने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आपके इस बजट को पढ़ कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं ऐसा समझता था आप जैसा व्यक्ति जिसने राजस्थान के भले की कल्पना की है, मैं नहीं कहता कि आपने राजस्थान के भले के बारे में नहीं सोचा, आप विरोध पक्ष में बैठकर भी राजस्थान के भले के बारे में सोचते थे लेकिन जब जिम्मेदारी आपके पास आई है, हम उम्मीद करते थे कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप निश्चित रूप से राजस्थान को एक कदम आगे ले जाने की कल्पना करेंगे। जहां हमने छोड़ा राजस्थान को यदि उससे एक कदम आगे आप ले जाते हैं तो जो जनादेश आपको मिला है उसकी सार्थकता है वरना तो हिन्दुस्तान की जनता के बारे में मैं महसूस करता हूं कि महान जनता है उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वह जो मुद्दा सामने आता है उस मुद्दे पर इधर या उधर वोट दे देती है और यह उम्मीद करती है कि आने वाले उसकी भलाई के लिये कुछ काम करेंगे। लेकिन आपने कांग्रेस के विरोध का एक नारा दिया। मेरी समझ में आ सकता है जो कुछ भी कांग्रेस ने अच्छा-बुरा काम किया पिछले चालीस सालों में उसका विश्लेषण करने के बाद कुछ आर्थिक प्रोग्राम देते, कुछ और नीतिगत प्रोग्राम देते और उसके आधार पर आप वोट लेकर उधर बैठते तो बात समझ में आती। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जब आप उधर गये 1977 में भी गये तब भी एक नारे के आधार पर गये और 1989-90 में भी गये तब भी नारों के आधार पर उधर बैठने की आपने कल्पना की। हिन्दुस्तान की जनता ने सोचा, राम जन्म भूमि का मुद्दा आपने पेश किया, हिन्दुस्तान की जनता के सामने, लोगों ने सोचा कि शिलाओं का बहुत बड़ा जुलूस निकाल कर अयोध्या ले जाया गया उनकी आशाओं के अनुरूप राम जन्म भूमि का मंदिर बन जायेगा। जनता दल के साथियों ने कहा कि हम दस हजार रुपये तक के कर्जे छोड़ देंगे। आपने कहा कि महंगाई को हम दूर कर देंगे, नौजवानों को

(श्री शिवचरण माथुर)

रोजगार देंगे। इन चारों नारों के आधार पर जो जनता ने आपको वोट दिया है, धीरे-धीरे वह सारी उनकी आशाएं घूमिल होती जा रही हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता दल के साथियों को कि बजट की बहस में वह मुखर हुए। चुन्नीलालजी इन्दलिया, आपके यादव साहब और दूसरे मेरे साथ, पंडितजी, उन्होंने बहुत मुखर हो करके अपना कर्तव्य निभाया लेकिन पता नहीं बीच में उसके होने के बाद क्या आपको हो गया और प्रोफेसर केदार साहब की बात को याद करता हूं कि आपने सौगन्ध खाई है एक रहने की चाहे भले ही अन्दर से मन नहीं मिलते हों, यह वैसा ही हिसाब हो गया दो की शादी तो हो गई लेकिन 36 के अंक में आपस में रहने लगे। आप अन्दर बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्री जी जब बोलते हैं तो आपका नाम नहीं लेते, पुष्पाजी जब बोलती हैं तो आपका नाम नहीं लेती....

श्री सम्पत सिंह : माथुर साहब, कांट्रेक्ट मैरिज ज्यादा सफल है या लव मैरिज ज्यादा सफल है।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे तो अनुभव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मैरिज जो कन्विनिमेण्ट आपको है वह सबसे सफल है।

श्री चन्दनमल बैद : यह सवाल वह पूछ रहे हैं जिनको मैरिज करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं, सम्पत सिंहजी, इसको समझने की चेष्टा कीजिये। आपने सौगन्ध खाई है एक रहने की। लेकिन मैं कभी-कभी हेतरामजी बेनीवाल की पार्टी की तरफ ध्यान देता हूं तो मुझे लगता है जो पार्टी साम्यवाद लाने की कल्पना करती है इस देश में मार्क्स के सिद्धान्तों के आधार पर जो देश में एक शोषण के समाज को समाप्त करके सोशलिज्म समाज की कल्पना करती है वह आज यह सौगन्ध खाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी हुई है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सौगन्ध नकली है।

श्री शिवचरण माथुर : आपके बारे में कह रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह हम जानते हैं ना।

श्री शिवचरण माथुर : मैं ऐसा समझता हूं कि शायद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सिस्ट का रूस का जो ग्लास्तनोस्त है और पेरोस्त्रोइका है उसका आपका एक संशोधन किया हुआ प्रतीक देखने को मिला है।

आप ऐसे सिद्धान्तों पर अगर दो पार्टियों में मेल की सोचना चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता।

(2:00 म.प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो समझ में आ रहा है ना?

श्री शिवचरण माथुर : अभी जो प्रकरण हुआ और जिसकी चर्चा महाभारत के रूप में माननीय मदेरणा साहब ने बताई। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई और आपने कहा खुली छूट होनी चाहिए और खुल कर बोलने वाली बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार की खुली छूट यदि चाहते तो प्रधान मंत्री जी अपने फोरम में बैठ कर बात कर लेते। क्या दिक्कत थी? आपकी केबिनेट थी, दूसरे फोरम थे, उसमें बैठ कर चर्चा कर लेते। माननीय देवीलाल जी से बात कर लेते, लेकिन तीन दिन पहले तो एक जनरल मीटिंग में "ताऊ साहब" के साथ उनकी मीटिंग हुई, कुछ बातें तय की गई और निश्चित किया गया कि चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बना देंगे। दो तीन बातें और भी हुई लेकिन उसके बाद उनके साथियों की नाराजगी सहनी पड़ी और उन्होंने कहा कि आपने अपने तौर पर कैसे फैसला किया, आपको एतराज करना चाहिए था। प्रधानमंत्रीजी की आदत को मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री जी पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मैं भी राजस्थान का मुख्य मंत्री था। उस समय गृह मंत्री के सामने एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तर प्रदेश में डाकुओं का सफाया करूंगा और जब तक नहीं हो जायेगा, मैं चैन नहीं लूंगा। डाकुओं का सफाया तो नहीं हुआ। उनके भाई की मृत्यु डाकुओं ने कर दी और उन्होंने कहा कि मुझे ग्लानि हो गई। मैं पद छोड़ना चाहता हूं। तो वह बहुत अच्छे आदमी है लेकिन बहुत जल्दी भागते हैं पलायनवाद में उनका बहुत विश्वास है। कोई भी कठिनाई उनके सामने आती है तो छोड़कर जाने वाली बात में उनका विश्वास रहता है। तो पहली बात तो जब उप प्रधान मंत्री से चर्चा हुई। बात कुछ और तय हुई थी लेकिन उनके साथियों का गुस्सा देखा और उन्होंने कहा आपको हिम्मत रखनी चाहिए। दूसरे नेशनल फ्रन्ट के घटकों ने जोर दिया तब एक्सेप्ट करने की स्थिति उनके सामने आई और उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उसके बाद में स्तीफा देने वाली बात हुई। यदि प्रधानमंत्री जी वही बात, जिस पर प्रो. केदार इशारा कर रहे थे, अपने फोरम में बात करते और चाहे अन्दर कुछ भी कहते, तो शायद देश को जो नुकसान हुआ है वह नहीं होता। एक प्रधान मत्री इस प्रकार से सात महीने के बाद अपने इस्तीफे की पेशकश और वह भी अपने पार्टी के प्रेजीडेन्ट के पास करे। अगर पेशकश करने वाली बात होती तो राष्ट्रपति को सीधे इस्तीफा देने वाली बात करनी चाहिए थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो यही चाहते थे।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं दिया।

श्री डूंगरराम पंवार : आप सोच रहे थे वह नहीं हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने पार्टी के प्रेजीडेन्ट को इस्तीफा दिया।

श्री रामकिशन : अभी तो आप कह रहे थे कि फोरम के बीच करनी चाहिए। फोरम के बीच इस्तीफा दिया है उन्होंने।

श्री शिवचरण माथुर : देश की जनता को अखबारों से मालूम हुआ कि इस्तीफे की पेशकश की है। आपने अन्दर क्या किया, किसी को मालूम नहीं लेकिन अखबारों में हमने पढ़ा कि उन्होंने....

एक माननीय सदस्य : केवल प्रस्ताव किया था, इस्तीफा नहीं दिया, चिट्ठी लिखी थी।

श्री शिवचरण माथुर : उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि नेशनल फ्रन्ट के जितने भी घटक थे उनका विश्वास मैंने खो दिया है इसलिए मेरे सामने इस्तीफा देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यह स्पष्ट उन्होंने लिखा है। यह चिट्ठी अखबारों में साफ तौर से छपी है। अध्यक्ष महोदय, इस इस्तीफे का असर सारे देश में बहुत ही घातक हुआ। आज पाकिस्तान का हौसला बढ़ा है। आपको मालूम है, सचिव स्तर की वार्ता पाकिस्तान में दो तीन रोज से चल रही थी। अब हमारे विदेश सचिव वापिस आ गये और क्या लेकर आये? उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि कश्मीर की पहले बात करनी है तो कीजिए वर्ना हमारे से बात करने का कोई लाभ नहीं है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नवम्बर, 1989 में जब लोक सभा के चुनाव लड़ रहे थे, प्रो. केदार कश्मीर के लिए हम को जिम्मेदार बता रहे थे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं तब क्या कश्मीर के बारे में किसी ने बात की थी? क्या कोई सवाल था? उस समय कश्मीर की समस्या नहीं थी लेकिन जैसे ही केन्द्र में आपकी सरकार बनी, एक राज्यपाल को वहां पर यह आदेश देकर भेजा गया कि वहां पर जो सेक्यूलर सरकार थी फारूख अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिल कर चला रहे थे उसको किसी प्रकार से अपदस्थ करो, उसको हटाओ और एक ऐसा वातावरण बनाओ कि वहां जो सेक्यूलर स्टेट चल रही है उसको नॉन-सेक्यूलर बनाने की बात करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जगमोहन राज्यपाल ने वहां जाकर कश्मीर की समस्या को बढ़ाया....

श्री सम्पतसिंह : माननीय माथुर साहब, जब संसद में बहस हुई थी तो आपकी पार्टी ने सेक्यूलर पक्ष लिया था या रूढ़िवादी पक्ष लिया था?

श्री शिवचरण माथुर : मैं कश्मीर पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री सम्पतसिंह : कश्मीर सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर धर्म निरपेक्षता पर आप कहते हैं तो उसका समग्र रूप लेना पड़ेगा। आपने एक नौजवान मंत्री की बलि दे दी। माननीय आरिफ मोहम्मद खान जैसे कमिटेड आदमी की बलि चढ़ा दी। एक दिन तो उनसे बयान दिलवाया, दूसरे दिन दूसरे रूढ़िवादी, फण्डामेन्टेलिस्ट्स से बयान दिलवा रहे हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं थोड़ा पिछले इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हिन्दुस्तान का आइन, विधान बन रहा था और जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, आइन बनने के पहले, उस समय अंग्रेज हमारे देश को इस

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रकार छोड़ कर चले गये थे और देशी राज्यों के राजा उस समय जहां जाना चाहें, जा सकते थे। कश्मीर के लोगों में एक सेक्यूलर भावना पैदा की थी वहां के लीडर्स ने और शेख अब्दुल्ला उस समय कश्मीर के नेता थे। उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधान मंत्री हैं, उसकी सेक्यूलर इमेज, सेक्यूलर सोच इसलिए उन्होंने कश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ जोड़ने का फैसला किया और अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर का इण्डिपेन्डेण्ट स्टेट्स बनाये रखने के लिए धारा 370 लागू की और कश्मीर की स्पेशल एक्टिटी बनी रहे, और एक सेक्यूलर इमेज बनी रहे उसके लिए हमने कोशिश की लेकिन बी. जे. पी. के नेताओं ने लगातार एक बात कही कि धारा 370 कश्मीर से हटाइये और आप कहते हैं धारा 370 रहनी चाहिए। बी.जे.पी. कहती है धारा हटनी चाहिए।

श्री रामकिशन : बहुत से यह भी नहीं जानते कि धारा 370 क्या है, जरा पूछें तो सही। यह पहले भी थी, जब कश्मीर देशी रियासत था उससे भी पहले बहुत से जानते भी नहीं कि 370 धारा क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : सब जानते हैं, कम से कम आप और हम तो जानते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कश्मीर का, नवम्बर के बाद में केन्द्र में नेशनल फ्रन्ट की सरकार बनने के बाद यह कश्मीर समस्या बहुत ज्यादा उभर कर सामने आयी और आज स्थिति यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहां पर 20–25 हत्याएं नहीं होती। एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के ट्रेन्ड टैरेरिस्ट्स हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश करते हैं और आज कश्मीर को वहां की फौजों के सहारे छोड़ दिया गया है। पालिटिकल प्रोसेस शुरू करने वाली बात हम तो पहले भी कहते थे और आज प्रधान मंत्री जी ने फिर से पालिटिकल प्रोसेज शुरू करने वाली बात कहीं तो लन्दन से फारूख अब्दुल्ला को बुलाने की उन्होंने कल्पना की। उनसे एक घण्टे बैठ कर उन्होंने चर्चा की। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था बी. जे. पी. के महामंत्री का बयान। उस पर उन्होंने एतराज किया है कि फारूख अब्दुल्ला से आपको बात नहीं करनी चाहिए। अजीब तरह की बात है। प्रधान मंत्री जी एक समस्या को हल करने की कल्पना करते हैं और बी. जे. पी. इसका विरोध करने वाली बात करती है। यह गठबन्धन आपका चलेगा कैसे ?

एक माननीय सदस्य : आपसे डरते हुए चलेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे एक सज्जन कहने लगे कि जो घटना हुई है वह तो सेमी-फाइनल था अभी तो फाइनल और होने वाला है। जो प्रधान मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, जो नाटक हुआ वह तो सेमी-फाइनल था, अभी तो फाइनल और होने वाला है। जहां मनों में वैमनस्य हो गया, मैं अन्दाजा नहीं लगा सकता कि आने वाले वर्ष में आपका मेल बैठने वाला है। हम तो दिल से चाहते हैं कि पांच साल आपमें हिम्मत बनी रहे। हम कभी भी

(श्री शिवचरण माथुर)

चेष्टा नहीं करेंगे कि आपकी सरकार गिरे। हम तो चाहते हैं कि आप पांच साल लगातार बैठे रहें ताकि हिन्दुस्तान की जनता को मालूम हो कि जो आपने भानुमति का कुनबा इकट्ठा किया है उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। यह जनता को महसूस होना चाहिए। हम भी इतनी जल्दी बदलाव नहीं चाहते लेकिन बदलाव चाहने वाले तो आप लोग हैं। कल बी. जे. पी. के महामंत्री ने बयान दिया है कि अब बी.जे.पी. को महसूस करना चाहिए कि जैसे मिड-टर्म पोल सामने हैं और हम अलग रह कर चुनाव लड़ेंगे या शामिल रह कर या लोकल लेवल पर समझौता करने वाली बात करेंगे। यह कल उनके बयान में आया है और मुख्य मंत्रीजी कल आप मद्रास जा रहे हैं, वहां सबसे पहली समस्या यही आने वाली है कि हमें आगे मिड टर्म पोल के बारे में क्या सोचना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मद्रास में जो भी फैसला होगा उससे आपको बहुत निराशा होगी।

श्री शिवचरण माथुर : हमें कोई निराशा नहीं होने वाली है माननीय मुख्य मंत्री जी। हम तो संतुष्ट है कि हमको चिन्तन करने का मौका मिल रहा है। हम तो बहुत खुश है यहां पर बैठ कर और मैं सोचता हूं कि आपने यह जो दस साल की भविष्यवाणी की मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आप भविष्यवाणी करने में सफल नहीं होंगे। हिन्दुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है और आप गांव-गांव में जाइए, हम भी गांव-गांव में जाते हैं, आज हमको समय बहुत मिलता है। हम देहातों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारी सारी आशाओं पर निराशा का पानी फेर दिया है। जो आशा हमने इनसे बांधी थी, वह आशा हमको नहीं मिली है।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : फुर्सत में हो। अब खूब घूमो गांव-गांव में।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां पर माननीय श्री मदेरणा जी ने कही। बहुत ही योग्यतापूर्वक नवें वित्त आयोग की बात को उन्होंने कही। आज के बजट के जो अलग-अलग पहलू है उन पर बात की है। मैं एक बात आपसे और कहूंगा। जो भी पैसा आपको इस फाइनेंस कमीशन के मार्फत मिला। उसका बीस प्रतिशत हिस्सा भी इसमें रखने की चेष्टा करते तो शायद कुछ न कुछ विकास कार्य आप राजस्थान को दे पाते। लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने बहुत ही दावे के साथ कहा है कि राजस्थान की 1990–91 की वार्षिक जो योजना है, वह सबसे बड़ी योजना है। इन टमर्स ऑफ मनी हो सकती है। मैं समझता हूं कि यदि आप पिछली योजनाओं को ले तो हर योजना से बड़ी होती है। लेकिन शायद आप भूल जायेंगे कि 795 करोड़ रुपये की हमारी पिछले साल की योजना थी और उसमें से 56 करोड़ रुपये हमने सोशियल सर्विसेज के ऊपर रखा था। इस तरह से हमारी कुल मिलाकर के 851 करोड़ रुपये की योजना पिछले साल की बनती है। माननीय

(श्री शिवचरण माथुर)

मदेरणा साहब ने अभी उसको 836 करोड़ रुपये की कहा है, हो सकता है कि एक्चुअल फिगर उसके 836 करोड़ रुपये के ही हो सकते हैं। अगर 836 करोड़ रुपये को भी माना जाए तो भी करीब 14·95 पर्सेण्ट उसका होता है और मेरे हिसाब से उसको 851 करोड़ रुपये मानी जाए तो केवल 12.33 पर्सेन्ट इन्क्रीज है आपकी योजना के मुताबिक और आप कहते हैं कि 20 प्रतिशत इन्क्रीज हमने लाने की चेष्टा की। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आपको जो आंकड़े दिये गये हैं उन आंकड़ों के अन्दर भी जगलरी की गई है और आपको सदन के सामने एक गलत बयानी करने के लिए ये सूचनायें आपको दी गई हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, आपको यह विश्वास है क्या कोई आंकड़े गलत दे सकता है ?

श्री शिवचरण माथुर : हां, बिल्कुल देख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तक जितनी भी योजना का आकार बना है क्या उस योजना के एक्चुअल एक्सपेण्डीचर के आधार पर पर्सेण्टेज दिया है या जो योजना मंजूर हुई उसको आधार बनाया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : बिलकुल, एक्चुअल एक्सपेण्डीचर को लेते हैं। इन्क्रीज पर्सेन्टेज का....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि पहले कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : पर्सेन्टेज इन्क्रीज की बात मैं आपको कहता हूं। योजना का आकार एक बात हो सकती है लेकिन पर्सेन्टेज ऑफ इन्क्रीज जो है वह एक्चुअल एक्सपेण्डीचर पर होगा। इसलिए आप उसको चैक करवा लीजिए आपका बीस पर्सेन्ट का इन्क्रीज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चैक करवाया हुआ है....

श्री शिवचरण माथुर : आपका इन्क्रीज लगभग 12·33 पर्सेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर भी आपसे तो ज्यादा है।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जिस आधार पर आप लोग चुन करके गये हैं। आज स्थिति यह है कि यदि आपने इसी प्रकार का बजट बनाने की कल्पना आगे भी की और इसमें कहीं पर भी सुधार नहीं किया तो राजस्थान को जिस तरह से आपने पिछले साल में लक्ष्य प्राप्त किया है वह और पिछड़ जायेगा। मैं नहीं कहता कि हमारे काम करने में कोई कमियां नहीं रही हैं लेकिन हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान को और देश को हमने जहां से प्राप्त किया था उसको वहां से और आगे ले जाने की कल्पना की। यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आजादी के वक्त में जो इस देश में पांच करोड़ टन अनाज पैदा होता था वह आज लगभग 18 करोड़ टन अनाज पैदा हो रहा है। यह किसकी उपलब्धि है? यह मैं

(श्री शिवचरण माथुर)

समझता हूं कि कांग्रेस की उपलब्धि है कांग्रेस की नीतियों की उपलब्धि है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : जब बच्चा पैदा होता है तो कितने वज़न का होता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। आप इनको बोलने दीजिये। समय बहुत कम है।

श्री शिवचरण माथुर : शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज हमारे प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी है। टैक्नीकल एजूकेशन के क्षेत्र में जहां एक भी पोलिटेक्निक नहीं था जहां एक भी आई.टी. आई. नहीं था आज यहां पर कई दर्जन पोलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलिज है, मेडिकल कॉलेजेज हैं। अगर कांग्रेस के राज में विकास की कल्पना नहीं होती तो क्या यह कल्पना कर सकते थे कि आज हिन्दुस्तान जो भी प्रगति कर रहा है वह होती और हिन्दुस्तान के बारे में हम कह सकते हैं कि दुनिया के अन्दर में औद्योगिक दृष्टि से उसका दसवां स्थान है।

श्री जगतसिंह दायमा : साल भी तो चालीस खा गये न।

श्री रामकिशन : जब अंग्रेज गये थे तब क्या स्थान था? उस समय श्रीमान् जी हिन्दुस्तान का आठवां स्थान था।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन जी समय की तरफ ध्यान रखिये। इनको पूरा करने दीजिये, समय नहीं है। अभी और भी बोलने वाले हैं। विराजिये आप।

श्री शिवचरण माथुर : एक्सटर्नल डेट्स की बात माननीय प्रो. केदार जी ने यहां पर कही। मैं ऐसा मानता हूं कि एक्सटर्नल डेट्स के बगैर प्रगति देश की कहीं पर भी नहीं हुई है। रूस जैसे देश में भी जो कि अपने आपको साम्यवादी कहता है प्रारम्भिक स्थिति में जब उनके पहले प्लान्स बने थे तब उन्होंने दुनिया के सम्पन्न देशों से सहायता ली थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम जो एक्सटर्नल डेट्स ले रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लालचन्द डूडी : प्रारम्भिक स्थिति कितने साल तक रहती है?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री डूडी जी, प्लीज। इनको कन्क्लूड करने दीजिये। प्लीज लेट हीम कन्क्लूड।

श्री शिवचरण माथुर : वे थोड़े से काम के लिए ले रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के काम के लिए ले रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट्स के काम हम नहीं लेते तो शायद इस देश की तरक्की नहीं होती और माननीय मुख्य मंत्री ने भी कई बार यहां पर कहा और बयानों में भी कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सरकार बहुत सी स्कीम्स को बाहर नहीं भेज पाई। इसलिए हमको कोई सहायता नहीं मिल पाई। आज भी इन्होंने बहुत से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स और इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड्स के प्रोजेक्ट्स जो हमने दिये थे जो चालू प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं के आधार

(श्री शिवचरण माथुर)

पर आज वे कहते हैं कि हम इतना पैसा ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे यह बता दीजिये कि कितने मंजूर हुये थे आपके जमाने में ? 11 करोड़ रुपये का मंजूर करा करके आपने तसल्ली कर ली।

श्री शिवचरण माथुर : कन्टीन्यूंग प्रोजेक्ट्स है वे। ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट्स हमारे वक्त में मंजूर हुआ। सिरसा का प्रोजेक्ट्स जो आप कहते हैं कि हमारे समय में मंजूर हुआ। सी. ए. डी. का प्रोजेक्ट प्रोसेस में था। ये सारे जो कन्टीन्यूंग प्रोजेक्ट्स हैं फिर आपने दो महीने में यह क्या निहाल कर लिया कि आप ये सब प्रोजेक्ट्स मंजूर करवा कर ले आये। आप कहते हैं कि राजस्थान में बिजली के विकास के बारे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई कल्पना नहीं की। मैं कहना चाहता हूं गम्भीरता के साथ में....।

एक माननीय सदस्य : गंगानगर जिले में तो दिवाला निकाल दिया पक्के खालों के मामले में....।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : जिस बात की आप बहुत लम्बे-लम्बे शब्दों में दुहाई देते हैं। अभी फालना लिग्नाइट बरसिंहसर की बात आपने कही। 5 अक्टूबर के दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी उसका शिलान्यास करने वाले थे। लेकिन उसको उस वक्त इसलिए रोक देना पड़ा क्योंकि पी. आई. बी. की थोड़ी सी टेक्नीकल डिफिकल्टी उसमें थी। एन्वायरमेण्ट का क्लीयरेंस उसके अन्दर नहीं हुआ था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया सहयोग करें। लेट हिम कन्क्लूड। दो बज कर बीस मिनट हो गई है, आगे और वक्ता है वे रह जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1987 के अन्दर में नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसटी बोर्ड के बीच में एक मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग साइन हुआ था और उसके बाद में लगातार बातचीत चलती रही, बहस चलती रही। एन्वायरमेंट क्लीयरेंस के लिए बहुत सा मामला रूका रहा। इतने में चुनाव आ गये 5 अक्टूबर को उसका शिलान्यास करना चाहते थे लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण उसको रोक दिया गया। आज उसी प्रोसेज से आपने वो कन्टीनिटी मे हाथ में लिया और वह लिग्नाइट का प्रोजेक्ट्स था उस पर दस्तख्त कर दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें कहां आपकी बहुत बड़ी बात आई है ? आपने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी यह है कि आपने जो एम. ओ. यू. किया था एक रुपया पिचानवे पैसे से हमने किया है एक रुपये सैंतालिस पैसे से यह है हमारी वाह-वाही।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन फिर भी आप जिस भाव पर देंगे वह उससे

(श्री शिवचरण माथुर)

महंगा है। तो आप लोगों को देंगे मैं समझता हूं कि वह महंगा ही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक रुपया सितानवे पैसा कोई कम है। आप तो डुबोना चाहते थे राजस्थान को, उल्टा बचा लिया।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं यह कह रहा था कि बरसिंहसर की योजना कांग्रेस की योजना थी और एक बात मैं आपको और बताऊं माननीय मुख्य मंत्री जी आपको एक बात का ख्याल होना चाहिए। सूरतगढ़ के ताप बिजलीघर की योजना वह करीब-करीब फाइनल स्टेज पर थी। जिसमें केवल एक बात तय होनी थी। सब तरह से क्लीयरेंस हो गया था। केवल काल लिंकेज की बात थी और दोनों मिनिस्टरों की बातचीत में यह तय हो गया था कि काल लिंकेज को हम एट्थ प्लान के फाइनल ईयर में इसको तय कर देते हैं। चार साल इसको लगने में भी लग जायेगा। फाइनल ईयर में सूरतगढ़ का प्लान्ट आ जायेगा। ये बातें इस तरह से निश्चित हो गई थी। आज बरसिंहपुर के बाद में सूरतगढ़ प्लान्ट का क्या हुआ? धौलपुर की बात आपने कौन सी कर ली? धौलपुर का प्लान्ट क्या आपने मंजूर करवा लिया? जिस स्थिति में हमने छोड़ा था उसी स्थिति में धौलपुर का प्लाण्ट आज भी मौजूद है। साइट को बदलने वाली बात आपने की। साइट को बदलने वाली बात उस वक्त भी थी। आज भी वह बात चल रही है और धौलपुर के प्लाण्ट के बारे में आप बात कर के आते हैं और उसके बाद आप यह कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में एक प्राइवेट पार्टी को हमने लाइसेन्स दिया है यह लाइसेन्स तो कांग्रेस के वक्त में हमने भी दिया था। माण्डलगढ़ के प्लाण्ट को तो आप भूल ही गये। मैंने आपके विद्युत मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखकर दी है आपने उसका जिक्र ही नहीं किया और आपको मालूम ही नहीं है कि माण्डलगढ़ में भी एक प्लाण्ट लगने वाली बात थी। हमने उसकी कल्पना नहीं की थी। टाटा कन्सल्टेंसी ने उसकी सर्वे करके राजस्थान को दी थी और सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी के सामने वह पेश की थी। ये चार बड़ी योजना राजस्थान के द्वारा पेश की गई थी। अगर ये चारों योजनायें आठवें प्लान के अन्दर चालू हो जाती है तो मैं कहता हूं कि कोटा थर्ड यूनिट के अलावा राजस्थान में और कोई बिजली की योजना आपके सामने नहीं है। सूरतगढ़ की योजना को यदि आप ले आते तो कम से कम 440 मेगावाट की बिजली का लाभ हमको मिल जाता। ठीक बात है, दूसरी जगहों के थर्मल पावर प्लाण्टों में हमको हिस्सा मिलेगा, अन्ता में हमको हिस्सा मिलेगा, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के क्यू. एफ. एफ. में हिस्सा हमको मिलेगा लेकिन राजस्थान के अन्दर जो बिजली पैदा होने वाली है उसके अन्दर आपने सूरतगढ़ को एक प्रकार से स्कैटल कर दिया। सूरतगढ़ की कोई चर्चा नहीं करते। सूरतगढ़ का प्रोजेक्ट, जो बिल्कुल सामने था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चर्चा कैसे नहीं करते? आपका तो नाइन्थ फाइव ईयर

(110)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्लान के अन्दर देने का था कोल लिकेज, हम उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में लाए हैं।

श्री शिवचरण माथुर : एट्स फाइव ईयर प्लान।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं-नहीं, आपका नाइन्थ फाइव ईयर प्लान था और हम लाए हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में·······

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जो कहा, आपने सुना ही नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में कोल लिकेज वाली बात कही थी, यही तय हुआ था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोल लिकेज की ही मैं बात कर रही हूं।

श्री शिवचरण माथुर : तो कोल लिकेज उतना होता है·······

श्री अध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, कृपया थोड़ा सा मुझे इन्टरविन करना पड़ रहा है क्योंकि सदन ने तीन बजे का समय तय किया है। इसलिए प्लीज·····

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं बहुत गम्भीरता के साथ और चुनौती के साथ में कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी तक तो विकास के बारे में कोई खाता ही नहीं खोला है। जो कुछ भी कांग्रेस की सरकार ने कोई बात चालू की थी उसको ही कन्टीन्यू प्रोसेस में लेकर के उसको यहां बजट में पेश किया है और मैं समझता हूं कि पांच साल तक उसको भी निभा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। हम चाहते हैं कि उन चीजों को आप पूरा करें जो हमने शुरू की थी। एक कन्टीन्यू प्रोसेस है और गवर्नमेंट का एक कन्टीन्यू प्रोसेस हुआ करता है। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट जाती है, उसको चलाना उसका फर्ज हो जाता है। यदि उसको भी आप पूरा कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पंचायती राज के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। पंचायती राज के बारे में इस सरकार ने जो रूख अपनाया है, मुझे कहते हुए दुख है कि मुख्य मन्त्रीजी भाषणों में तो पंचायती राज की बड़ी वकालत करते हैं लेकिन पंचायती राज के साथ में जो अन्याय आपने किया है, मैं समझता हूं कि जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। पंचायती राज के बारे में हमारी कल्पना यह थी, संविधान की धारा 40 में केवल जिक्र गया है कि पंचायती राज संस्थाएं बनाई जायेंगी और उनको अधिकार दिये जायेंगे। राजीव गांधी की कल्पना यह थी कि इसको एक संवेधानिक दर्जा दिया जाए, कांस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया जाए और उसमें संविधान में परिवर्तन करने वाली बात भी कही थी। संविधान में परिवर्तन करने से पहले केबिनेट के सामने हमने एक बिल पेश किया, वह बिल केबिनेट ने मन्जूर भी कर लिया। मेहरबानी करके उसको आप यहां ले आते तो मैं समझता कि आप पंचायती राज के बारे में कुछ हमदर्दी रखते हैं। लेकिन आपने किया क्या ? पंचायती राज को जो अधिकार हमने दिए थे उनको वापस लेने

(श्री शिवचरण माथुर)

की कल्पना आपने कर ली। हमने कहा था कि पंचायती राज को आप शिक्षा दीजिए, पंचायती राज को आप औषधालय दीजिए, पंचायती राज को ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम दीजिए और जिले के स्तर पर जितनी योजनाएं होती हैं उन सब को करने का दायित्व आप पंचायती राज संस्थाओं को सौंपिये। आपने स्कीम्स को, सारी योजनाओं को, धीरे-धीरे, एक के बाद एक वापस लेने वाली बात करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने क्या दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : दिया न हमने, प्राइमरी एजूकेशन दी, उनको मिडिल स्कूल दी········

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी दी है, चुनाव के लिए·······

श्री शिवचरण माथुर : 1984 में। प्राइमरी एजूकेशन तो शुरू से ही है। हमने मिडिल एजूकेशन को दिया, उसको आप वापस लेने जा रहे हैं·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभी बंटाढार कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : और उसमें पंचायतों को जो हमने लैण्ड रेवेन्यू देने वाली बात की थी उसको आप विथड्रा कर रहे हैं, पंचायतों के साधनों को आप कम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि पंचायती राज में हमारा विश्वास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे तो अंग्रेजी राज ज्यादा अच्छा था। लॉर्ड रिपन ने एक बार कल्पना की थी, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफोर्म्स उन्होंने कायम किया था, वायसराय गवर्नर जनरल की कौंसिल के एक प्रस्ताव में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है उसको, उसमें उन्होंने लिखा है कि शासन चलाने का काम दिन प्रतिदिन इतना जटिल होता जा रहा है, केन्द्र में बैठकर शासन चलाया नहीं जा सकता। इसलिए शासन का विकेन्द्रीकरण करना सरकार की एक आवश्यकता है, इम्पेरेटिव नेसेसिटी है। इम्पेरेटिव नेसेसिटी वर्ड उन्होंने यूज किया है। हमको धीरे-धीरे शासन को नीचे ले जाना चाहिए। यह ठीक बात है, लोग कहते हैं कि नीचे गलतियां होंगी। लेकिन उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि गलतियां तो ऊपर भी होती हैं और ऊपर भी बड़ी-बड़ी गलतियां होती हैं। उन गलतियों का जनता पर व्यापक प्रभाव होता है। नीचे जो गलती करेंगे तो सीखेंगे और गलती को सुधारेंगे। आज उस पंचायती राज को आपने सम्पूर्ण रूप से स्केटल करने की कोशिश की है। मुझे कहते हुए दुख है, आने वाले समय में आप पंचायती राज को क्या स्वरूप देना चाहते हैं ? हमने कहा कि आप वक्त पर चुनाव करवाइए, आप चुनाव की घोषणा करिए। लेकिन उसके पहले चुनाव का पूरा समय नहीं हुआ, हमारी जिला परिषदों और पंचायत समितियों का पूरा समय नहीं हुआ और उसके पहले आप उनको तोड़ने की कोशिश में हैं। उनको तोड़ने के लिए बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा समय पूरा हो जाए

(श्री शिवचरण माथुर)

इन तीनों का, जिला परिषदों, पंचायत समितियों का, उसके बाद आप चुनाव कराइए। समरपालिकाओं के भी चुनाव करवाइए। नगरपालिकाओं के चुनाव के बारे में आपने आज तक भी कल्पना नहीं की है। एक के बाद एक तारीखें आगे खिसकाते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम चुनाव में विश्वास करते हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मैं शर्माजी से खास तौर से कहूंगा। आपने चुनाव के दिनों में जयपुर की कच्ची बस्तियों और गृह निर्माण सहकारी समितियों की बनाई हुई बस्तियों के बारे में कहा था, मुख्य मन्त्रीजी कहा करते थे कि एक हजार करोड़ रुपये के साधन आपने खोए हैं और मुझे अगर मौका दीजिए तो मैं एक हजार करोड़ रुपये के साधन इस शहरी भूमि से लेकर इकट्ठे करूंगा। आपके इस बजट में एक हजार करोड़ रुपये तो क्या, पांच करोड़ रुपये का भी परिलक्षित भाव नहीं दिखता कि पांच करोड़ भी आप जुटाने की कोशिश करेंगे। हमने डवलपमेंट चार्ज लगाने की बात कही थी और आपने कहा कि हम कोई डवलपमेंट चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन आज वह डवलपमेंट चार्ज आप ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि लीजिए, विकास कीजिए। जो वाजिब डवलपमेंट चार्ज है वह लीजिए। उसके बारे में आपकी नीति स्पष्ट नहीं और जो एक हजार करोड़ रुपये के रिसोर्स आप इससे जुटाना चाहते थे वह जुटाने वाली बात आप करना चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर पेश किया वह एक प्रकार से, मैं दिशाहीन तो नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान को विपरीत दिशा में ले जाने वाला बजट है और इस बजट के आधार पर एक साल की जो कुछ भी कठिनाई और जो कुछ भी कमियां राजस्थान में होंगी उसका व्यापक असर आने वाले चार-पांच सालों में पड़ेगा........

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शिवचरण माथुर : और राजस्थान बहुत पिछड़ जायेगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की ओर से राजस्थान की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में, राजस्थान में किस प्रकार से विकास किया जाए, इस सम्बन्ध में कई सुझाव आए हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह पहला ही बजट और उसके बाद का विनियोग विधेयक होगा जिसमें विपक्ष की ओर से किसी भी प्रकार का कोई रचनात्मक सुझाव दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस बात की चिन्ता कर रहा है कि हम पर इस बात का आरोप नहीं लगे कि राजस्थान का विकास कांग्रेस पार्टी के कारण से नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था—जैसे कोई व्यक्ति पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब तो यहां तक कह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गए कि विकास का खाता ही नहीं खोला। आपको यह तो जानकारी होगी कि किसी भी काम का यदि विकास करना है तो पहले विनाश की प्रक्रिया को बन्द करना पड़ेगा। लेकिन उस विनाश की प्रक्रिया पर क्या रोक लगाई है वह तो आपने देखी नहीं और वहां तक कह गए कि राजस्थान में यदि स्कूल नहीं खुलेंगे, राजस्थान में यदि चिकित्सालय नहीं खुलेंगे तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब को………

श्री हीरालाल देवपुरा : यही सीट याद आ रही है………

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई बात नहीं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 1981 में राजस्थान की बागडोर सम्भाली थी और 1985 तक आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहे। आपके बाद में श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने और उन्होंने 85–86 में बजट पेश किया और बजट के साथ ही विधायकों के लिए एक किताब बंटवाई, उसका नाम था—हम्बल एफर्ट्स। उस किताब का सार यह था कि श्रीमान् माथुर साहब ने राजस्थान में इतनी घोषणाएं कर दीं कि उनकी पालना करना असम्भव है और उसके बाद से ही आपका नामकरण हुआ माथुर साहब की जगह आपको घोषणा मंत्री कहने लग गये।

श्री शिवचरण माथुर : आजकल आपको कहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नामकरण किसी ने किया है, यह मैं नहीं कहता लेकिन आपका नाम पूरे राजस्थान में इस बात से जाना जाता है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर राजस्थान के घोषणा मंत्री रहे हैं। जनता कहती है मैं तो वही बोल रहा हूं। जनता तो आपका नाम भूलती ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब की जानकारी के लिए बता दूं मैंने पहले भाषण में भी कहा था, आप थे नहीं। वहीं 85–86 का बजट बताता हूं। वहां आप कह रहे हैं कि एक साल में स्कूल नहीं खोलेंगे तो राजस्थान बहुत पीछे चला जायेगा यह हरिदेव जोशी का भाषण है………

श्री शिवचरण माथुर : आप नहीं मानते क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनिये तो। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : आपने किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वह सब जवाब दूंगा। आप करोगे तो मुझे आपत्ति भी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले यह श्रेयस्कर समझा गया है कि पहले वर्तमान ढांचे को अधिक सुदृढ़ किया जाय। अब हरिदेवजी जोशी, जैसा आपने कहा प्रतिगामी कदम उन्होंने उठाया था तो मेरी समझ में नहीं आता कि

(114)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने हरिदेव जोशी को प्रतिगामी बता दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि राजस्थान के विकास की गति में अवरोध पैदा होगा। मैं तो समझता हूं कि अवरोध नहीं आपको इस सरकार का कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने जो घोषणाएं कर दी थी उसका पालन करने की जिम्मेदारी हमने ली है और उसी के साथ उन घोषणाओं में जो कमियां आप छोड़ गये उन कमियों को किस प्रकार पूरा किया जाय इस बात की इसमें व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से जो सारे भाषण हुए हैं उन में मुझे दो-तीन बातें प्रमुख तौर से देखने को मिली। विपक्ष को इस बात की नाराजगी है कि गरीब को गणेश क्यों माना? विपक्ष को इस बात की नाराजगी है कि 170 करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ क्यों किये? विपक्ष को इस बात की नाराजगी है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को, गरीब को 100 रुपये माहवारी की पेंशन देने की योजना क्यों बनायी?

श्री चन्दनमल बैद : हम तो 60 वर्ष वालों को दे रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी दे देंगे। आप चिन्ता छोड़िए। जो 78 की करेगा वह 68 की भी करेगा लेकिन जो एक भी नहीं दे रहा है, वह क्या देगा?

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष यहां पर यह कह गया कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हर बार दबाव की बात करता है कि केन्द्रीय सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं। परसरामजी साहब आपमें और हममें अन्दर है। हम दबाव डालने का सामर्थ्य रखते हैं और आप घुटने टेकने की कला में माहिर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप भैरोंसिंह जी हैं और मैं परसराम हूं। व्यक्तित्व हर आदमी का अलग-अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिल्कुल सही हैं आप परसरामजी हैं मैं भैरोंसिंह हूं। 1984 में परसरामजी और माननीय माथुर साहब दोनों गये थे और दबाव में आकर समझौता करके राजस्थान में सदा के लिए अन्धेरा कर दिया। बताइये किसने समझौता किया? 10 मई, 1984 को रावी-व्यास नदियों के पानी के सम्बन्ध में आप दोनों ने समझौता नहीं किया था? क्या घुटने नहीं टेके थे?

श्री परसराम मदेरणा : कतई नहीं टेके थे घुटने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घुटने टेके और ऐसे टेके कि उठाने के लिए चपरासियों की मदद लेनी पड़ी थी (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री हूं और राजस्थान का मुख्य मंत्री घुटने टेकेगा तो राजस्थान के इतिहास को कलंकित करेगा। मैं राजस्थान के हकों के लिए लड़ूंगा। आप कहें दबाव, दबाव डालने की क्षमता है और उसी क्षमता के आधार पर हमने भारत सरकार से जो बातें की हैं, करवायी हैं वह घुटने टेक कर नहीं करायी। माथुर साहब आप तो घुटने टेकने के प्रतीक हैं। 1981 में आपने घुटने टेके, जैसा प्रोफेसर केदार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कह रहे थे कि आपने 1981 में पानी का समझौता करके राजस्थान को सूखा रख दिया आपने 1984 का समझौता करके राजस्थान में परमानेण्ट अन्धेरा करने की व्यवस्था कर दी। आज आप कह रहे हैं हम भारत सरकार के पास जाते तो भारत सरकार इस तरह से मानती थी, मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि आपको जिन बातों की जलन हो रही है वह हमारे कार्यक्रम हैं।

आपको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने एक बात को स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार की रोकथाम में सरकार जो काम कर रही है अच्छा है और हम उसमें सहयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि आप भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन इसमें एक बात आपने छुपी हुयी स्वीकार की कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा और उसको रोकने का काम हमने किया है। पिछले 18 वर्षों में राजस्थान को भ्रष्टाचार खा गया और खा गया तो उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं ली। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा इतना तो कम से कम हाउस में कह देते और यह तो कह देते कि उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वह अच्छे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके बावजूद बड़ा ताज्जुब हुआ जब कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य देवपुराजी ने कल कहा कि भ्रष्टाचार के इस अभियान से कहीं लोगों का मनोबल न टूट जाय। मुझे बड़ी चिन्ता हुई आपके इस भाषण से। मनोबल किसका टूटेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ब्यूरोक्रेसी का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब ब्यूरोक्रेसी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए चाहे भ्रष्टाचार बढ़ता रहे. अगर वह आपका दृष्टिकोण है तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका बिल्कुल गलत सोचना है। मैंने यह कहा था जिस तरह आप प्रचार कर रहे हैं वह गलत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैंने मना नहीं किया, आप पकड़िए लेकिन उसका इस तरह से प्रचार मत करिए कि काम करने वाले डरें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रचार होगा तब ही तो लोग डरेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मनोबल टूटेगा या नहीं टूटेगा वह अलग है। पर आप भी चाहते हैं और भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए और आप भी यह चाहते हैं कि जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए और हम भी चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार से किसी प्रकार से पीछा छुड़ाकर निकले और राजस्थान का विकास हो। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है, या मनोबल की चिन्ता करना जरूरी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही जा रही है उससे लगता यही है कि सरकार के पास केवल मात्र वही काम रह गया है। दूसरा कोई काम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात और कह दूं कि अगर मैं इस एक काम में ही सफल हो गया तो राजस्थान का निश्चित रूप से विकसित होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन और राजस्थान की जनता जानती है कि हमने तीन वायदे मोटे रूप से किये थे, "जनता को स्वच्छ और संवेदनशील सरकार देना, यह एक वायदा किया······—

श्री चन्दनमल वैद : मण्डावरी में देख लिया।

श्री शिवचरण माथुर : हमारे माननीय सदस्यों ने एक बात की भ्रष्टाचार का जो लोअर लेबल है उस पर जाने की चेष्टा कीजिए। आज जो पटवारी रुपया लेता है या थानेदार जो करता है उसको करिए। उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मुझे आपसे कोई विरोध नहीं है। हम जिस लेबल तक भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन भगवान की दया से यह प्रचार तो मत करिए कि भ्रष्टाचार के विरोध में कार्यवाही हुई तो ब्यूरोक्रेसी का मनोबल तोड़ेंगे। कम से कम ईश्वर के नाम से यह बात तो कहनी छोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात का जिक्र किया गया कि 170 करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात कही गयी। आप सब बैठे हैं माननीय देवपुराजी भी वर्षों तक मंत्री रहे हैं, 13 दिन तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माथुर साहब भी कई वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे हैं और भी कई मुख्य मंत्री और मंत्री रह चुके हैं। आप अपनी ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर यह कह दें कि आपने किसान का एक रुपए का भी कर्जा माफ किया है क्या ? आप उस दिन नहीं थे मैंने कहा था कि कांग्रेस के राज में किसान से उसी कर्जे को वसूल करने के लिए मुर्गा बनाया गया, जमीन कुड़क की गयी, डण्डे मारे गये। आज हम काश्तकारों के 170 करोड़ के कर्जे माफ कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इस दर्द का तो मेरे पास इलाज नहीं है। किसानों के 170 करोड़ रुपए का कर्जा माफ ही नहीं किया है बल्कि भारत सरकार से हमारी बात चल रही है। उस बातचीत के आधार पर भारत सरकार ने हमारा फार्मूला मंजूर कर लिया तो और कर्जा माफ करेंगे। दर्द किस बात का, मेरी समझ में नहीं आ रहा है 170 करोड़ रुपयों में पहले यदि आपकी सरकारों में ढ़ाई सौ करोड़ रुपये का माफ किया और हमने 170 करोड़ का कर्जा माफ किया, तो शायद आप·······

श्री शिवचरण माथुर : माफ नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां क्या हो गया। 170 करोड़ रुपये का जो कर्जा माफ किया, उसमें एक कौड़ी वसूल नहीं हुई। और 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दूंगा, तो आप विधान सभा छोड़ देंगे ? आप कह रहे हों ना एक पैसा माफ नहीं होगा।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, अभी जो आर्डर विभाग ने भेजे हैं, जिसका जिक्र मदेरणा साहब ने किया, उसमें तो कर्जा छोड़ने वाली बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं····

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह बिल्कुल सही हैं।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं-नहीं, मुख्य मंत्रीजी कर्जा माफ करना तो दूर, इस साल का फसली लोन तो लोगों को दे दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो ठीक है। लेकिन आपके पास में बैठे हैं, वह कल यह कह गये कि मैं कर्जा माफ करने की फिलासफी में बिलीव नहीं करता, आप दोनों तो एक हो जाइए। और आप यह कहते हैं, 170 करोड़ के कर्जे की माफी की जो घोषणा की है, वह माफ नहीं होगा। आप दोनों तो एक ही पार्टी के सदस्य हैं।

श्री शिवचरण माथुर : वह तो छोड़ो, मैंने कहा कि 170 करोड़ रुपये का कर्जा तो माफ नहीं हो रहा है। आपके विभागीय आदेश गये हैं, उससे कोई झलक नहीं मिलती कि कर्जा माफ होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह आपको झलक नहीं····

श्री शिवचरण माथुर : मै निवेदन करता हूं कि कम से कम इस साल का फसली लोन देना तो शुरू कर दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : कर्जे का नाम ही क्यों लेते हैं। आप उसको ग्राण्ट इन एड ही कर दीजिए, ना। कर्जे का नाम लेंगे तो माफ करने का सवाल ही कहां आता है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपकी मानसिक स्थिति को जानता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप कर्जे का नाम ही मत लीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप किसानों के कर्जा माफ करने की बात का कभी समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। मैं केवल इतनी बात कह रहा था कि 170 करोड़ का कर्जा माफ किया है, इस चीज को कोई आदमी झुठला नहीं सकता। अब आज माथुर साहब कह रहे हैं कि आर्डर नहीं गये। आर्डर चले गये। मेरी बात सुनिये। देख लेना और देख लेना। नहीं गये, दो दिन बाद चले जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यहां बात समझ में नहीं आयेगी। अक्रोस दी टेबिल पर समझा देना। उसमें कैसे कर्जा माफ होगा और कैसे फसली लोन दिये जायेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, अक्रोस दी टेबिल पर बैठने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई चीज छिपानी नहीं है। मैंने इस सदन में वायदा किया है, बजट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भाषण में घोषणा की है और उसके बाद में भी कर्जा माफ नहीं होगा, मैं समझता हूं इतना अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो इस बात की तारीफ करिये कि इस सरकार ने 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जब हो जायेगा, तब कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन और सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन की बातों का भी जिक्र किया और मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मैं 77 से लेकर 80 तक जब मुख्य मंत्री था, तो सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने जो हमको डिवेल्यूएशन किया, वह केवल 4·33 प्रतिशत था। यह बात सही है लेकिन आप जैसा माहिर व्यक्ति यदि इसके साथ ही आठवें वित्त आयोग का पर्सेण्टेज भी बना देता तो आपकी काबलियत सामने आती। आपको मालूम है, 7 वें वित्त आयोग 4·33 प्रतिशत डिवेल्यूएशन था और 8 वें वित्त आयोग में 4·25 प्रतिशत हो गया। उस समय तो आपकी सरकार थी, हमारी तो सरकार नहीं थी। लेकिन आज मैंने एक विचित्र बात सुनी, आज माननीय माथुर साहब बोल रहे थे, कहने लगे, हम साल्वे साहब को राजस्थान केनाल ले गये, राजस्थान का रेगिस्तान दिखाया, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से उनको परिचित किया और भौगोलिक स्थिति देखकर साल्वे साहब इतने आकर्षित हो गये राजस्थान के प्रति कि उन्होंने काफी रुपया राजस्थान सरकार को 9 वें वित्त आयोग के अवार्ड के रूप में दिया। माथुर साहब ने आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान केनाल नयी है क्या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति नयी है, क्या राजस्थान का मरुस्थल नया है? आप पहले वित्त आयोग आये थे, उनको भी ले जाते। अगर राजस्थान केनाल को देखकर ही 6 हजार करोड़ के लगभग अवार्ड मिलता है।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें आपका क्या योगदान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा योगदान तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपने सारा आधार बनाया तो मैंने पश्चिमी राजस्थान दिखा दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुख्य मंत्री थे, जिस समय 8 वें वित्त आयोग का अवार्ड आया। आप उस समय राजस्थान केनाल और इनको क्यों नहीं ले गये? यदि राजस्थान केनाल को देखकर ही अवार्ड राशि बढ़ती है। आपने उस समय तो गलती की। मेरी समझ में नहीं आता, यह कोई आधार है? राजस्थान के पांच वर्ष मुख्य मंत्री रहे, और यह आधार बता रहे हैं कि साल्वे साहब ने पैसा इसलिए दिया कि मैं उनको राजस्थान केनाल दिखाकर लाया था। मैं समझता हूं कमाल हो गया सोचने का। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अभी परसरामजी एक बात और कह गये, कहते-कहते कह गये कि नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन और सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने, उस लिफ्ट में जहां रिप्रजेन्टेशन देते हैं, समिति का जो एनेक्सर लगा है, उसमें मेरा नाम नहीं है। मैं समझता हूं, नाम दें या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं दें। मैंने देखा नहीं है कि उसमें मेरा नाम है या नहीं है। लेकिन आपकी बात का मैं भरोसा कर लेता हूं कि मेरा नाम नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : तारीफ जरूर की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन क्या कोई इस बात को सही नहीं मान सकता कि फाइनेन्स कमीशन के सामने मैंने रिप्रजेन्टेशन नहीं दिया था, क्या इस बात को कोई मान सकता है कि स्वयं श्रीमान् माथुर साहब ने कहा था, आपने रिप्रजेन्टेशन ठीक ढंग से किया और फाइनेंन्स कमीशन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। यही कहा था। अब सोचें कि मेरा नाम नहीं है, नाम नहीं लिखा गया....

एक माननीय सदस्य : नाम है। मैंने पढ़ा है, नाम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो कह रहे हैं, इनको शायद मेरा नाम दिखता नहीं है। दिखता भी है तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। खैर, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, नाम होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : यह आपका नाम हिट लिस्ट में जोड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता था, अब फाइनेन्स अवार्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या है। माथुर साहब आपने भी लड़ाई लड़ी है, मैंने भी 77 से 80 तक लड़ाई लड़ी है। गाडगिल फार्मूला राजस्थान को तबाह करने वाला एक फार्मूला है। मुझे याद है कि 1978 में या 1977 में जब एन.डी.सी. की मीटिंग हुई थी, उस एन. डी. सी. की मीटिंग में मैंने पुरजोर शब्दों में इस गाडगिल फार्मूले का विरोध किया था और मैं यहां तक सफल हो गया कि एन. डी. सी. की मीटिंग में कम से कम यह विचार होने लगा, उस समय कि गाडगिल फार्मूले को बदला जाये। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी भाई ने गाडगिल फार्मूले में कोई परिवर्तन करने की बात कही, बाद में नहीं हुआ। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इस गाडगिल फार्मूले का प्रश्न मैंने एन. डी. सी. की मीटिंग में इस बार भी उठाया और यह उसी का परिणाम है कि प्लानिंग कमीशन की कल ही बैठक हुई है, प्लानिंग कमीशन सारे राज्यों से पूछेगा और पूछने के आधार पर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार को एडवाइस करता है कि गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया जाये। लेकिन मैं आज अधिकृत रूप से नहीं कह सकता। जो मुझे जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पापूलेशन के बेसिस पर जो धनराशि गाडगिल फार्मूले के आधार पर आवंटित की जाती थी, उसमें 5 प्रतिशत की कमी की गई है और मिनीमम नीड्स प्रोग्राम के आधार पर 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह पहली सबसे बड़ी सफलता है राजस्थान में जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी हो चाहे हम हों, जब तक गाडगिल फार्मूले में बेसिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परिवर्तन नहीं होंगे, राजस्थान को कम सहायता मिलेगी और राजस्थान विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में आने में कठिनाई अनुभव करेगा और इस आधार पर हमने परिवर्तन किया है, कोशिश भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न आया कि राजस्थान में फाइनेन्स कमीशन के अतिरिक्त और कौनसे मसले हैं ? यहां पर यह भी जिक्र आया कि रिर्सोसेज मोबिलाइ-जेशन के सम्बन्ध में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है, क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी ? मैं मानता हूं राजस्थान का विकास करना है तो रिर्सोसेज मोबिलाइज करने होंगे। दो तरीके हैं, अध्यक्ष महोदय, एक तरीका तो नये टैक्स लगाता है और एक जो करों का ढांचा है, उस ढांचे के आधार पर ईमान-दारी से कलेक्शन हो सकता है। उसी प्रकार कलेक्शन कर, हमने 170 करोड़ का कर्जा माफ किया, 30 करोड़ रुपये पेन्शन के ऊपर खर्च हो गये। हमने काफी रियायतों की घोषणा की।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : और कम कर देते, पेन्शन तो ज्यादा कर देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आ जाओ उस उम्र तक, मैं कर दूंगा। पहुंचो 58 तक जोर लगाकर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के इतिहास में आप कोई ऐसा बजट बता सकते हैं जिसमें इतनी बड़ी रियायत देने के बाद भी केवल दस करोड़ के टैक्स लगे हों, केवल दस करोड़ के ? इस आधार पर मुझे धन्यवाद न दो तो....

श्री चन्दनमल बैद : 1300 करोड़ रुपये फाइनेंस कमीशन से मिले, उसका जिक्र नहीं करेंगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैद जी, उस दिन थे नहीं। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि 1300 करोड़ में से कितना करोड़ इस वर्ष हमें मिला है। वह माथुर साहब अपने भाषण में कह गये। आप दोनों आपस में यह तो समझ ही गये कि पूरा का पूरा रुपया, जो आपका अनुमान है, उस हिसाब से नहीं मिला। तो रुपया गया तो नहीं। राजस्थान का वह रुपया जाने वाला नहीं है। लेकिन एक वर्ष के बजट में बिना टैक्स लगाये इतनी बड़ी रियायत किसान के साथ आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, यहां जिक्र किया गया कि राजस्थान में आपने क्या कर लिया, बिजली कहां से लाये, पानी कहां से लाये। माथुर साहब, आपको याद होगा, यहां माननीय सदस्य बैठे हैं उनको याद होगा कि एक हजार बावन करोड़ रुपये आपने पानी में खर्च किये हैं अब तक। कोई एक-दो करोड़ आपने खर्च नहीं किये। आप गये, उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी ? गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचा रहा था। एक हजार बावन करोड़ खर्च करने के बाद आपने इसी विधान सभा में एक बार नहीं अनेक बार कहा है। कभी किसी वर्ष में कहा कि हमने 27 हजार गांवों में पानी पहुंचा दिया, कभी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आपने 28 हजार का नाम लिया और जाते-जाते तो आप कह गये कि 32 हजार गांवों में हमने पीने के पानी का प्रबन्ध किया है। और आज आप ही इस विधान सभा में बोले हैं कि गांवों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है।

एक माननीय सदस्य : सोर्स नीचे चले गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सोर्स नीचे नहीं चले गये, सोर्स ऊपर ही ऊपर खा गये लोग। नीचे चले जाते तो कहीं से आ भी जाते, लेकिन जिस सोर्स का पता न नीचे लगे न ऊपर लगे, उस सोर्स को कहां से पकड़ें? आप यह तो मानकर चलेंगे कि आपकी योजनाएं फाल्टी थीं। अगर पानी नीचे चला गया तो योजनाएं बनाते समय और व्यवस्था करते समय आपने सोचा नहीं कि जिस राजस्थान में पांच-पांच वर्षों तक लगातार अकाल पड़ता है वहां पानी की सतह बराबर नहीं रहेगी, पानी की सतह कम होगी? लेकिन वह भी आप मानने को तैयार नहीं कि आपने योजनाएं गलत बनायी। यह उसी का परिणाम है कि एक हजार बावन करोड़ खर्च करने के उपरान्त भी आज राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है। आप अपनी गलती स्वीकार करिये। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर भविष्य में कोई गलती नहीं करें, ऐसी योजनाएं नहीं बनावें, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें। लेकिन आप यह मानस बनाकर चलें कि इस प्रकार की स्थिति में राजस्थान में पीने के पानी की कमी पैदा हो गयी तो इसका दोष देने की आवश्यकता नहीं, वह दोष अपने ऊपर लेने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया। जिक्र करते समय राजनीति आ गयी। एप्रोप्रिएशन बिल पर कहां से कश्मीर आ गया? एप्रोप्रिएशन बिल पर कहां पंजाब आ गया? एप्रोप्रिएशन बिल पर आसाम आ गया, प्रधान मन्त्री आ गये।

श्री शिवचरण माथुर : एप्रोप्रिएशन बिल पर आपका भाषण पढ़ लीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन मुझे जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अब समझ में आ गया कि आप जवाब दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि आप ही कल बोल गये— मूल्य आधारित राजनीति। बहुत जोर-शोर से बोले। आपने 25 मिनट इस सदन के ले लिये। माथुर साहब, माफ करना, मैंने आपके और मेरे, इस सदन के बनने के बाद इतना पुअर भाषण कभी सुना ही नहीं। मुझे दुःख हुआ, बहुत दुःख हुआ इस बात का। इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन दुःख हुआ। इतना मैं कह सकता हूं कि देवपुरा जी बोले। खैर, उनकी थीम बिलकुल अलग थी, उनकी थीम से मेरा मेल नहीं खाता, लेकिन बोले तो सही। आपने तो ऐसा लगता है कि सदन का समय ही लिया, बोले कुछ नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : आप ज्यादा जवाब मेरे ही दे रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूल्य आधारित राजनीति की बात करते-करते मेहम का जिक्र कर गये । अमेठी का जिक्र क्यों नहीं किया ? अमेठी भूल गये ? अमेठी का भी जिक्र कर लेते । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर का मामला यहां लाने का मतलब यह है कि आपकी बजट के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी और कश्मीर का जिक्र करके आपने सदन का एक घण्टा बेकार कर दिया । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसको मूल्य आधारित राजनीति की बात कहते है ? किस बात को कहते हैं मूल्य आधारित राजनीति ? यह मूल्य आधारित राजनीति राजस्थान में लागू करने की दृष्टि से हमने भ्रष्टाचार के विरोध का अभियान चलाया है । अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजनीति हो चाहे सर्विसेज हो, लोगों में भय पैदा होगा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा सकती है । इस राजनीति का शुद्धिकरण होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो कार्यवाही की है वह शायद कई वर्षों में नहीं हुई । हमने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का सुदृढ़ीकरण किया है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 45 लाख रुपये की राशि बरामद करना राजस्थान के इतिहास में एक अनहोनी घटना है । पहली घटना है जिसमें 45 लाख रुपये बरामद किये हैं । कई लोगों के चालान हुए, कई लोग जेल में पड़े हैं और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे वन रह हैं । यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, बड़े जोर से बोले कि विधान सभा में मैंने जो आरोप लगाये हैं उन आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी को कार्यवाही करनी चाहिए । मैंने आपको उस समय भी विश्वास दिलाया था कि मैं कार्यवाही करूंगा । मैं ऐसा समझता हूं कि यह कार्यवाही करने के लिए मुझे एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी । मैं ही राजस्थान का मुख्य मन्त्री हूं और मैंने ही विपक्ष में बैठकर आरोप लगाये हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाय कि लोग मुझे यह कहें कि इन्होंने विण्डिक्टिवनैस से किसी प्रकार का काम किया है । आज बेरी कमीशन का मामला है । बेरी कमीशन के सम्बन्ध में....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसीलिए मन्त्रिमण्डल में वह ले लिये जिनके खिलाफ आरोप लगाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसको ले लिया मन्त्रिमण्डल में ?

अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन की रिपोर्ट को कभी कांग्रेस की सरकार ने कभी मना नहीं किया । यह नहीं कहा कि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे । यह कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं । एक्शन की मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, माथुर साहब भी बैठे हैं, देवपुरा जी भी बैठे हैं । उस जानकारी से आपको इस बात का पता लग जायेगा कि बेरी कमीशन के मामले में इस सरकार ने इस रिपोर्ट को कितना किस प्रकार घुमाया है । 5.1.1978 को बेरी आयोग का गठन हुआ । 18.5.1978 से लेकर 30.10.1981 तक बेरी कमीशन की रिपोर्ट्स पेश हुई । 1.4.1982 को सुरेश एच. माथुर की अध्यक्षता में एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कमेटी बनायी गयी, 6.9.1982 को आयोग का प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा गया। 26.5.1984 को बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर सुझाव देने हेतु तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। 2.6.1984 को मुख्य सचिव द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया। 11.6.1985 को बेरी आयोग के प्रस्तावित नियमों का परीक्षण कर राजस्व मन्त्री महोदय द्वारा विचार-विमर्श किया गया। 7.11.1985 को विधि विभाग द्वारा मामले को महाधिवक्ता को अपनी राय देने हेतु भिजवाया गया और 23.12.1985 से चलते-चलते 22.9.1986 आ गयी। मै ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, और 26.6.1987 इसी प्रकार से यह फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे और एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास गयी है। माननीय माथुर साहब, आज आपको कह रहा हूं, मेरा चैलेंज आप एक्सैप्ट कर लीजिए कि यदि आपने 1981 के भूमि परिवर्तन के नियम नहीं बनाये होते और बेरी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया होता तो निश्चित रूप से राजस्थान के खजाने में एक हजार करोड़ रुपये की आय होती, कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आज उस रिपोर्ट पर मैं एक्शन लेऊं, विधान सभा में लगातार इसी रिपोर्ट के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आये माननीय सदस्य ने कई मामले जोर से उठाये। यहां पर पाइप स्कैण्डल की भी चर्चा हुई, सीमेण्ट का मामला उन्होंने उठाया, यहां पर फॉडर ट्रांसपोर्ट के मामले चल रहे थे उसके भी मामले कई आये। कई ऐसे मामले आये। इन मामलों में कहीं राजनीति न आ जाय, बिलकुल न्याय के आधार पर फैसला किया जाय उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति बनाने की घोषणा की है। इसमें होंगे एक जस्टिस बेरी, जिनकी ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। एक होंगे, भूतपूर्व फाइनेंस सैक्रेटरी मंगल बिहारी, जिनकी इण्टीग्रिटी, ईमानदारी और काबलियत पर कोई सन्देह की अंगुली नहीं उठा सकता। तीसरे होंगे श्री कपूर, राजस्थान कैनाल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन थे। इन तीनों की कमेटी राज्य सरकार बनायेगी और कमेटी इन सारे मामलों को लेकर सरकार को एडवाइज करेगी कि इन मामलों में चालान किया जा सकता है या इनमें सर्विस रूल्स के मातहत काम किया जा सकता है, इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है या इनकी सिविल लाइबिलिटी बनती है, यदि इन्क्वायरी में कमी है तो उस इन्क्वायरी को पूरा करना है। मैं आज आपको कहता हूं कि इस कमेटी का गठन होने के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी। न राजनीतिज्ञ बचेगा, न सरकार का कोई बड़ा अफसर बचेगा, जिसने घपले किये हैं वह निश्चित रूप से फंसेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं प्रोफेसर केदार और श्री रामकिशन जी साहब इन दोनों की बातों से सहमत हूं। अगर भ्रष्टाचार का विरोध करते-करते मेरी कुर्सी चली जाए तो मैं कुर्सी के लात मार कर चला जाऊंगा लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करूंगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, आज मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियां बनी क्यों ? अब कई प्रकार की बातें यहां कही जा रही है। यह बजट दिशाहीन बजट है। लेकिन देवपुरा जी ने कल कहा कि मैंने भूतपूर्व विपक्ष के नेता के भाषण पढ़े हैं। मैं फिर समझ गया कि आपने इसको दिशाहीन क्यों बताया ? क्योंकि मैंने अपने भाषणों में आपके बजट को हमेशा दिशाहीन बताया है। तो आपको मेरी और कोई बात तो याद रही नहीं और जो मैं कहता था कि दिशाहीन है, दिशाहीन है वो दिशाहीन आपको याद रह गया। अब ऐसी स्थिति में मुझे बताइये कि इस बजट में आपको किस प्रकार की दिशा चाहिए। मेरे से पहले बजट माथुर साहब ने पेश किया था उसमें कौनसी दिशा थी, उससे पहले हरिदेव जी जोशी ने पेश किया था उसमें कौनसी दिशा थी ? वह मेरा पढ़ा हुआ है। माथुर साहब आपने तो बनाया होगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सन् 1952 से लेकर आज तक राजस्थान की विधान सभा में जितने बजट पेश हुए हैं, भूल गया उसकी मैं कह नहीं सकता लेकिन हर बार कोशिश करता हूं कि एक एार उनको पढ़ लूं ताकि मेरी याददाश्त ताजा हो जाए। मैंने सारे बजट पढ़े हैं और पढ़ने के बाद कहता हूं कि आपने कौनसी दिशा दी है ? मुझे बताइये कौनसी दिशा दी है ?

श्री चन्दनमल बैद : विकास की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विकास की नहीं विनाश की। विकास की दिशा दी होती तो आज यह कह नहीं सकते। अब मुझे बताइये उस दिशा में और इस दिशा में क्या अन्तर है सिवाय प्राइमरी स्कूल खोलने के। श्री हरिदेव जी जोशी ने भी कहा था कि सुदृढ़ीकरण मैं भी करूंगा। तो कौनसी दिशा आपको ऐसी लगी है जिसमें दिशा ही नहीं है। लेकिन यह मेरी गलती है कि मैंने विपक्ष के नेता के रूप में बार-बार दिशाहीन-दिशाहीन किया तो उसका रिजल्ट आज यह निकला कि आपके माथे में भी दिशाहीन ही बैठ गई। अब उसका दोष मेरा नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : आगे दिशाहीन मत कहना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि इस बजट में कोई राजस्थान के विकास की बात नहीं है और माथुर साहब तो अभी सूरतगढ़, के मामले में, धौलपुर के मामले में और मांडलगढ़ के मामले में बड़े जोर-शोर से कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, मांडलगढ़ तो आपका निर्वाचन क्षेत्र है। घोषणा आपने ही की थी। उसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई ?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): हाँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, कहां केस था ? दिल्ली ले गये थे क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : हां बिल्कुल। सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी के पास मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि दिल्ली ले गये थे क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : हां ले गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की योजना मंजूर नहीं करा सकते तो राजस्थान की क्या करायेंगे ? आज आप बोल रहे हैं मैंने यह करवा दिया, मैंने यह करवा दिया। जो माण्डलगढ़ की योजना मंजूर नहीं करा सकते वो कहां की योजना मंजूर करा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं। मैं इतना कह सकता हूं सूरतगढ़ की योजना पहले बनी। यह भी मैं कह कि धौलपुर की योजना पहले बनी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं उन पत्रावलियों में नहीं जाना चाहता। भारत सरकार ने बार-बार आपसे जानकारियां की लेकिन आपकी सरकार ने जानकारियां ही नहीं दी। भारत सरकार ने धौलपुर के मामले में कहा कि इसके कारण से ताज पर विपरीत असर पड़ेगा, अतः जगह बदली जाए। कब का लेटर लिखा हुआ है और जगह बदलने के सम्बन्ध में पूर्व सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और अभी पिछले महीने की 11 तारीख को भारत सरकार के 3 अधिकारी आए हैं, बातचीत की है, आश्वासन देकर गए हैं कि अब पर्यावरण सम्बन्धी कोई विरोध इस काम में नहीं होगा। अब केवल कोल लिकेज का प्रश्न है जिसे हमको तय करना है। आपने अभी जब सुमित्रा जी बोल रही थी कि कोल लिकेज के मामले में केवल मामला पेंडिंग था। माथुर साहब मैं समझता हूं कि आप भूले नहीं होंगे साठे साहब जब एनर्जी मिनिस्टर थे आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे। आप एनर्जी मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में गये और कांफ्रेंस में जाकर माथुर साहब आप मंजूर करके आये थे कि केवल सुपर थर्मल प्लांट वहीं लगेंगे जहां कोयला है पिट हैड। आप प्रोसिडिंग देख लीजिए, यह आपके और मेरे कहने की बात नहीं है। आपने साठे साहब की मौजूदगी में यह निर्णय कराया कि कोल पिट हैड के ऊपर थर्मल प्लांट लगेंगे पहले नहीं लगेंगे। मैं आपको प्रोसिडिंग बता दूंगा, मैं पहले भी हाउस में बता चुका हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल.....

श्री शिवचरण माथुर : उस समय यह कहा था कि भटिंडा में तो कोल लिकेज की बात कही जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भटिंडा तो बाद में आया है।

श्री शिवचरण माथुर : तो फिर आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन एनर्जी मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में जो मीनिट्स रिकार्ड हुई है वो यूनानिमसली मीनिट्स रिकार्ड हुई है और रिकार्ड हुई है उसमें यह लिखा हुआ है कि कोल पिट हैड के ऊपर ही थर्मल प्लांट लगेगा, नहीं लगेगा। आपने तो राजस्थान में धौलपुर और सूरतगढ़ दोनों को खड्डे में डाल दिया था हमने निकाला है और मैं आज आपको बताता हूं बहुत जल्दी ही आप सुनोंगे कि वहां कार्यवाही शुरू हो रही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी सुमित्रा जी ने आपको कहा नेबेले लिग्नाइट के मामले में आप....

श्री शिवचरण माथुर : यह आते हैं तो कोटा का सर्टिफिकेट कैसे मिलता ? कोटा में हमको प्लांट कैसे मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसका।

श्री शिवचरण माथुर : अगर यह पिट हैड की बात ही स्वीकार कर लेते तो कोटा में कोल लिंकेज हमको कैसे मिलता ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आई। आप इतने बुजुर्ग है इसलिए कह नहीं सकता कि आपकी स्मरण शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। लेकिन यह तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय कोटा को कोल लिंकेज मिला उस समय ये सिद्धान्त नहीं थे। लेकिन अभी मैं तो यह कह रहा हूं कि साठे साहब जब एनर्जी मिनिस्टर थे उस कांफ्रेंस में आप गये और वहाँ सिद्धांततः यह तय कर लिया कि कोल पिट हैड के ऊपर ही सुपर थर्मल प्लांट लगेंगे बाकी की जगह नहीं लगेंगे। सारे कागज बस्ताए खामोशी में रख दिए गए। आज आप कहते हैं कोटा को कैसे मिल गई। कोटा की तो एक आउट गोइंग स्कीम थी। कोटा में पहले भी मिल रहा था फर्स्ट, सैकिण्ड सबमें कोटा मिलता रहा। उस कोटा को आप सूरतगढ़ और इससे मिलाने की कोशिश करो तो नहीं मिलेगा। यहां पर कल देवपुरा साहब कह गये कि 1977 में आप बिजली कहाँ से लाये। मैं आपको कह सकता हूं कि 1977, 78, 79 में किसानों को जितने बिजली के कनेक्शन मिले, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के राज में किसानों को कनेक्शन नहीं मिले। अब मैं एक और बताता हूं कि यहां पर अगर आप लोगों को जानकारी हो तो मुझे पता नहीं। आपको मालूम है कि भांखड़ा नांगल के एग्रीमेंट के अनुसार हमको 25 मेगावाट पावर भांखड़ा नांगल के कामन पूल से मिलनी चाहिए थी। मैं राजस्थान में 1977 में मुख्य मन्त्री बना और 77 तक राजस्थान की सरकार यह 25 मेगावाट प्रति यूनिट पावर जो उस समय शायद डेढ़ या दो पैसे में मिलने वाली थी कोमन पूल से वो नहीं ला सके। 1977 में वो 25 मेगावाट बिजली मैं लाया हूं और लोगों को बिजली के कनेक्शन दिये हैं। आपको अब याद नहीं रहता। मैं तो समझता हूं आप कागज चैक करवा लीजिए और कागज चैक कराने के साथ-साथ स्मरण शक्ति कैसे इसकी भी व्यवस्था करवा लीजिए ताकि दोनों काम सही ढग से चल जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि यहां पर राजस्थान के विकास की बातें की गई हैं। राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कैसे हो इसकी आपको भी चिन्ता है और मुझे भी चिन्ता है। लेकिन राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट से पहले हमको यह तो कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा विनियोजन सही प्रकार से हो। विनियोजन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो। हमने उस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है और उसी कोशिश के आधार पर अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में जो कुछ कार्यवाहियां चल रही हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वो कार्यवाही चारों तरफ चल रही है कोई एक डिपार्टमेंट में नहीं चल रही हैं। और एक डिपार्टमेंट मैं चाहता हूं माथुर साहब तो जानकार है लेकिन आप लोग शायद जानकार नहीं हैं। भ्रष्टाचार भीलवाड़ा में भी बहुत बढ़ा है। आपको मालूम है (व्यवधान) आपने स्वरोजगार योजना में कितने रुपये बांटे थे वो कहां गये ? मैं पूछ रहा हूं। बताओ तो सही आपको तो जानकारी होगी। कहां गये वो रुपये ? यह जो स्टील का और अन्य कोटा मिलता था वो कहां गया ? मेरे यह समझ में नहीं आती कि हम रुपया योजनाओं के नाम पर खर्च करते जाये। यहां परसरामजी मदेरणा अभी यहां बोल रहे थे कि अन्त्योदय में असेट्स नहीं बने। अन्त्योदय का तो छोड़ दीजिये। आप किसी बैंक के चैयरमेन भी थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके पास असेट्स थी उनके एक के खिलाफ भी एक्शन लिया ? उसी तरह से माथुर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने शासन काल में यह शार्ट टर्म लोन दिया है और जो करोड़ों रुपये लोग खा गये उनमें से एक के खिलाफ भी आपने कार्यवाही की क्या ? एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की। जो लोहे का इम्पोर्टेड कोटा खा गये उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की क्या ? कोई कार्यवाही आपने उनके खिलाफ नहीं की। इसलिए मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। राजस्थान में आवश्यकता है कि एक स्वच्छ शासन जनता के सामने आये ताकि लोगों को यह विश्वास हो जाये कि अमुक प्रकार की स्थिति में (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : गाल बजाने में माहिर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गाल बजाता हूं कई लोग और बजाते हैं उसका मैं क्या करूं ? (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट अधिवेशन में कई माननीय सदस्यों ने, खास तौर से विपक्ष के सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में अकाल पड़ रहा है, इस बार थोड़ी बरसात हुई है, किसानों को थोड़ी राहत मिली है और इसलिए मेलों पर पशुओं के आधार पर एन्ट्री टैक्स है इसको खतम किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : श्री देवीलाल जी का तार आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो समझता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो पहले ही अपने भाषण में कह दिया था कि श्री देवी लालजी आपको कहेंगे और आपको माफ करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री देवीलाल जी और आप में इतना ही अन्तर है— श्री देवीलाल जी हमेशा किसानों की सोचेंगे और आप उससे उल्टा सोचेंगे। श्री देवी लालजी ने दूर से फोन करके मुझ कह दिया तो मुझे स्वागत है और मुझे कोई आपत्ति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। मैं किसानों का कर माफ कर रहा हूं आपको आपत्ति हो सकती है, मुझे आपत्ति नहीं हो सकती है और इसलिए मेलों के सम्बन्ध में टैक्स लगाया गया था उस संबंध में मैं आज तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस समय इसका विधेयक पेश होगा उस विधेयक के समय आवश्यक व्यवस्थाएं जो होंगी वह करूंगा लेकिन उस प्रकार का कर नहीं वसूल किया जायेगा। उस कर को मैं छोड़ता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री जी हमें एतराज नहीं है मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो कहा था वही आपने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल। आपने तो कहा था कि श्री देवीलाल जी का संकेत आयेगा। मुझे तो आप ही संकेत देते तो मान लेता लेकिन आप तो किसानों के के हित में कभी सोचते ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में नमदा उद्योग में कार्यरत छोटे-छोटे उद्योग कर्मियों को राहत देने के लिए ऊनी नमदे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची ऊन पर देय 3 प्रतिशत विक्रय कर को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की थी। मुझे यह अवगत कराया गया है कि नमदा निर्माण में कच्ची ऊन के साथ कच्ची ऊन की छीजत (रा वूल वेस्ट) भी काफी अधिक मात्रा में काम में ली जाती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित समझा गया है कि कच्ची ऊन एवं कच्ची ऊन की छीजत दोनों को भी कर मुक्त किया जाना उचित है एवं तदनुसार मैं ऊनी नमदे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची ऊन की छीजत के क्रय पर लगने वाले 3 प्रतिशत कर को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि मतीरा, तूम्बा एवं अम्बाडी के बीज जो कि गरीब तबके के लोगों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उनके ऊपर तो टैक्स माफ कर दिया गया है लेकिन इनकी गिरी पर टैक्स माफ नहीं किया है। मैं आज सदन को और खास तौर से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए इस गिरी पर भी जो टैक्स लगा हुआ है उसको भी मैं समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कपड़े की बात कही गई थी। बजट से पूर्व 20 रुपये प्रति नग तथा मूल्य वाले मोटे एवं मध्यम (कोर्स एवं मीडियम) कपड़े के सिले-सिलाये वस्त्र बिक्री कर से मुक्त थे। इस छूट की आड़ में हो रहे करापवंचन को समाप्त करने की दृष्टि से मैंने उक्त छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। सदन में इस मुद्दे पर हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि 20 रुपये तक के मूल्य के कोर्स एवं मीडियम कपड़े के सिले-सिलाये वस्त्रों के संबंध में बिक्री कर से छूट पुनः इस शर्त के साथ लागू रहेगी कि संबंधित व्यापारी केवल मोटे एवं मध्यम कपड़े के सिले-सिलाये वस्त्रों का व्यापार करता हो।

यह भी मैं समझता हूं कि आपने भी मांग की थी, मैंने श्री देवीलाल जी का ही

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कहना नहीं माना है मैंने श्री चन्दनमल जी बैंद का भी माना है।

श्री चन्दनमल बैंद : धन्यवाद।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बस आप धन्यवाद देते जाओ और अच्छी बातें सुनते जाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में यह भी प्रस्ताव रखा था कि सभी प्रकार के बुनाई के धागे चाहे वे एक्रिलिक, केशमिलोन या अन्य किसी नाम से जाने जाते हों, पर विक्रय कर की दर 10 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत कर दी जावे। सदन में इस संबंध में माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक्रिलिक बुनाई के धागों की बिक्री दर के बारे में कुछ भ्रांति चली आ रही है, इस कारण कुछ स्थानों पर तो बजट के पूर्व 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है जबकि कुछ स्थानों पर 10 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करते हुए मैं इस संबंध में निम्न घोषणाएं करना चाहूंगा :—

—एक्रिलिक बुनाई के धागों पर 27 जून, 1990 के पूर्व यदि किसी व्यवहारी से 2 प्रतिशत दर से कर वसूल किया है तो ऐसी अवस्था में उससे अब 10 प्रतिशत की दर से कर वसूल नहीं किया जायेगा।

—इसी प्रकार से बुनाई में उपयोग किये जाने वाले सभी प्रकार के धागे चाहे वे ऊनी हों अथवा एक्रिलिक छोटे-छोटे कर्मियों तथा गरीब महिलाओं द्वारा स्वेटर बनाने के काम में लिये जाते हैं। अतः बुनाई के काम आने वाले सभी प्रकार के धागों के विक्रय पर लगने वाले कर की दर को जिसे मेरे परिवर्तित बजट भाषण में 10 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत किया गया था, को अब मैं 4 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सभी प्रकार के तंबुओं इत्यादि के उपयोग पर इस बजट में 10 प्रतिशत दर से लोंजिग कर लगाया गया था। तम्बुओं, कनातों, कुर्सियों, मेजों इत्यादि का उपयोग समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जाता है जिनमें निर्धन व्यक्ति भी हैं। इनकी समस्याओं के बारे में माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं, निम्नानुसार छूट घोषित करता हूं:—

(1) तम्बुओं आदि के व्यवहारियों जिनका कुल वार्षिक टर्न ओवर 5·00 लाख रुपये तक होगा के लिए एक नई स्वकर निर्धारण योजना (सेल्फ असेसमेन्ट स्कीम) लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे छोटे-छोटे व्यवहारी जो इस व्यापार में लगे हैं, एवं छोटे कस्बों तक फैले हैं को कर निर्धारण हेतु व्यापारिक पुस्तकें लेकर विक्रय कर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने कर योग्य टर्नओवर पर स्वयं ही कर निर्धारण कर सकेंगे।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस तम्बू का भी टैक्स कम हो गया ।

(2) तम्बू इत्यादि तैयार करने में व उनको खड़ा करने में, मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा होता है । तम्बू वगैरह लगाने के ठेके से सम्बन्धित टर्नओवर में शामिल श्रम के हिस्से की गणना करने में कर विभाग के अधिकारियों को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से, मैं, टर्नओवर के 30 प्रतिशत हिस्से को मजदूरी का हिस्सा मानने का प्रस्ताव करता हूं । अर्थात् ठेके की कुल राशि के मात्र 70 प्रतिशत पर ही लीजिंग कर लगेगा ।

(3) मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि तम्बुओं, कनातों, झालरों इत्यादि के परिवहन पर होने वाले व्यय पर कोई लीजिंग कर देय नहीं होगा ।

(4) साथ ही मैं, यह भी घोषणा करना चाहूंगा कि तम्बुओं, कनातों, झालरों, मण्डपों एवं अन्य उपसाधनों पर जो कि सम्बन्धित नोटिफिकेशन के क्रम संख्या 6 पर वर्णित हैं, लीजिंग कर की दर को, माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए 10 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इससे आप अन्दाज लगा लें, यहां मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्री माथुर साहब आप भी बैठे हैं, श्री पहाड़िया जी भी आ गये हैं, इस सदन में जो भावनाएं कभी व्यक्त की गई आप लोगों ने उन भावनाओं को स्वीकार नहीं कीं, कभी नहीं कीं । श्री पहाड़िया जी ने तो बिन्दी पर, सिंदूर पर टैक्स माफ किया था, उसकी मांग किसी ने नहीं की थी, हो सकता है कि घर में मांग की गई हो लेकिन विधान सभा में किसी ने मांग नहीं की थी और आपने प्लास्टिक की चूड़ियों पर टैक्स माफ किया । इस विधान सभा का आपने कभी सम्मान नहीं किया । लेकिन विधान के सदस्यों का सम्मान करते हुए इन सारी बातों को माना है ।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में 2–4 बातों को कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा । (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय से बजट पेश किया है उस समय से लेकर आज तक विधान सभा ही बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली है इसमें कोई सन्देह नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : लड्डू भी बंटे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लड्डू भी बंटे हैं और लड्डुओं का असर तो इतना हुआ, अध्यक्ष महोदय, पंडित जी से कल 100 रुपये ले लिए गये । आज तक भरतपुर में बरसात नहीं थी कल 100 रुपये देते ही भरतपुर में बरसात हो गई । (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आपका पेट तो नहीं दुखा ।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। थोड़ी बहुत बरसात की कमी है। अगर श्री पहाड़ियाजी की जेब श्री माथुर साहब टटोल लें तो यह कमी भी पूरी हो सकती है। मेरा विश्वास है कि श्री देवपुरा जी और श्री माथुर साहब कहेंगे, उसका कहना मानकर श्री पहाड़िया जी इस बात को स्वीकार कर लेंगे ताकि भरतपुर और धौलपुर में भी अच्छी बरसात हो जाये और वहां का संकट मिटे।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा रहा ही नहीं था। यह तो रोज सुबह अखबारों में पढ़ते थे कि कहीं फायरिंग हुआ है क्या? कोई मुद्दा ही नहीं था आप खुद अपनी छाती पर हाथ रखकर देख लें। आपने एक महीने में क्या काम किया जनता के हित में? रोज राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रदूत पढ़ते थे कि कहीं बलात्कार हुआ है क्या, कहीं गोली चली है क्या, कहीं कोई एक्सिडेण्ट हुआ है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी आप क्या करते थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी नकल कर रहे हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, बिलकुल। आपसे ही सीखा है हमने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप कांग्रेस पार्टी का सारा एक महीने का काम देख लें, मंडावरी काण्ड, सतवाड़ी काण्ड, यहां पर एक लड़का कोतवाली में मर गया उसका काण्ड, कहीं बलात्कार, कहीं हिण्डौली में किसी की मौत हो गई, इन 4–5 बातों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने बजट अधिवेशन में किया क्या है? कुछ नहीं किया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ड्राइवर का पैट्रोल भरवाने वाला मामला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां ड्राइवर ने पैट्रोल भरवा लिया तो सारी कांग्रेस की फौज एके–47 लेकर उस ड्राइवर के पीछे पड़ गई। मेरी समझ में नहीं आता और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तारा नगर से आने वाले सदस्य आप पहले भी बैठे हैं, मैं भी रहा हूं।

श्री जुबेर खां : हम लोगों ने आपको याद भी दिलाया कि चुनाव में आप लोगों ने क्या वायदे किये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बार का जिस प्रकार का पोचा विपक्ष रहा है, इस राजस्थान के इतिहास और विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं कि न तो आपने सत्तारूढ़ दल में रहकर राजस्थान का विकास किया और न विपक्ष में रहकर आपने रचनात्मक भूमिका निभाई। आपने वाक आउट किया है, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है या पत्रिका, नवभारत, राष्ट्रदूत, नवज्योति पढ़कर एडजार्नमेंट मोशन दिये हैं। इनके सिवाय आप कुछ कर नहीं पाये हैं। मैं समझता हूं जिस अपोजीशन में मैं था, उस अपोजीशन की यह हालत होगी मुझे अनुमान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही नहीं था, यह मैं कभी अनुमान ही नहीं लगा सका (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप मेरी समस्याएं बढ़ा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : शासन का यह हाल होगा हमने भी नहीं सोचा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक जिक्र और किया गया है, मैं भूल जाता अध्यक्ष जी, माथुर साहब ने कहा बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या किया ? मैंने जिस तरह का टैक्स रिलीफ दिया है, आप चाहे असेम्बली में कहें या नहीं लेकिन मन में यह जानते होंगे कि इसके कारण छोटे-मोटे उद्योग बहुत पनपेंगे। एक इण्डस्ट्रियल पालिसी आ रही है। एग्रीकल्चर पालिसी आ रही है, ट्रांसफर पालिसी का हमने प्रारूप रखा है, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हम फुल प्रुफ सिस्टम लाने की कहें, आपके सामने जल्दी ही कोई स्कीम पेश कर देंगे लेकिन हमारा प्रयास है ट्रांसफर्स की एक पालिसी होनी चाहिए इण्डस्ट्रियल पालिसी राजस्थान में होनी चाहिये, एग्रीकल्चर पालिसी राजस्थान में होनी चाहिये इन सब बातों को बना रहे हैं। आपने बनाई या नहीं बनाई मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक बात आवश्यक है कि बेकारों की समस्या का समाधान करने के लिए हमें कुछ और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी और इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इस सारी समस्या का समाधान, यह समस्या कितनी है, इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है ? श्री विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करेंगे जो सारे राजस्थान में पूरी जानकारी प्राप्त करे। आप जानते हैं विजय शंकर व्यास को, आप नहीं जानते होंगे तो कोई जरूरी भी नहीं हैं। जरूरी इसलिए नहीं है कि अर्थशास्त्री को जानने का उनका कोई हिसाब नहीं है। जो हिन्दुस्तान का एक माना हुआ व्यक्ति है, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायेगी राजस्थान सरकार, जो इस सारे मामले का अध्ययन करेगी। हमारी नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, कर ढांचे में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, राजस्थान में उद्योग किस आधार पर बनवाये जा सकते हैं, इस आधार पर वह रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट को लागू कर हम इस प्रकार का आयाम पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे बेकारी की समस्या का समाधान हो। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका भी बहुत आभारी हूं कि आपने भी इस हाउस में....

एक माननीय सदस्य : विपक्ष को भी बहुत डांट लगाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह तो जैसा जिसके योग्य होगा वही काम होगा। अगर आप डांट खाने के योग्य हैं तो डांट खायेंगे, प्रोत्साहन देने के योग्य हैं तो प्रोत्साहन देंगे। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह सारी बात हुई है और परसराम जी मदेरणा ने जिस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्त में कहा था कि हम विनियोग विधेयक का समर्थन करते हैं उसी भावना से कांग्रेस पार्टी विनियोग विधेयक का समर्थन कर इस कर मुक्ति वाले, गरीब की पेन्शन वाले इस एप्रोप्रिएशन बिल में किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाये ?....

श्री परसराम मदेरणा : अभी आपने करों में जो छूट दी है....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद कर लीलिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : डिमाण्ड में संशोधन करने जा रहे हैं क्या आप। विनियोग विधेयक के पहले जो आपने दूसरी डिमाण्ड रखी है, छूट की वजह से वह डिमाण्ड बदल गई है। फाइनेन्स बिल में, फिर आज यह यहां पर छूट क्यों दी ? फाइनेन्स बिल के रोज देते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक पारित किया गया।

(3.20 म.प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था मैंने आज सुबह 10.00 बजे दे दी थी। कोई स्थगन प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया है। केवल उसकी सूचना देनी है कि जो मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन पर मैंने आगे क्या व्यवस्था दी है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री बी. डी. कल्ला, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पथ कर बढ़ाने के विरोध में बस आपरेटर्स द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की

(श्री अध्यक्ष)

लूनी पंचायत समिति के ग्राम सरेचासर व लूनी के बीच बाढ़ का पानी भरा होने के कारण सरेचा गांव को डूबने का खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में (व्यवधान)........ आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर हैं। माननीय सदस्य खड़े हो-होकर जा रहे हैं। हो क्या रहा है?

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपकी जानकारी के लिए फिर सूचित कर दूं कि जब आसन से व्यवस्था खड़े होकर दी जा रही हो कृपया लॉबी अधिकारी भी और माननीय सदस्य भी न उठें तो अच्छा रहेगा, यह अपना नियम है, यह परम्परा है इसका आप ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अनुमति से मैं जा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां आप जाइये।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत कालाखों पंचायत समिति दौसा के सरपंच द्वारा जीवन धारा के कुओं के निर्माण तथा अन्य मामलों में किए गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(4) श्री राम प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका बयाना, वैर तथा भुसावर में बहुत लम्बे समय से सड़कों का निर्माण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से तोडफोड़ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री लक्ष्मीलाल, श्री गोविन्द सिंह, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री राजेन्द्र कुमार, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समुचित व्यवस्था करने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री रामनारायण वर्मा, श्री बुलाकी दास कल्ला, श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(2) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती बसन्ती देवी का ग्राम सुन्दरपुरा (करौली) से अपहरण कर अन्यत्र बेच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रकाश चन्द बैरवा, श्री राम प्रसाद, श्री श्रीराम सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति देता हूं।

(4) श्री जर्नादन सिंह गहलोत, श्री सुनील विश्नोई, श्री परसादीलाल मीणा, श्री जुबेर खां, श्री राजेन्द्र कुमार, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से शायद एक्ट का खुला उल्लंघन कर रहे बाल विवाह के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(5) श्री बी. डी. कल्ला, श्री परसादी लाल मीणा, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री राम नारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चंदेरिया थाना, जिला चित्तौड़गढ़ में पंकज श्रीवास्तव की हत्या के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(1) जर्नादन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली शहर की दो प्रमुख बीड़ी निर्माता कम्पनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि करौली में श्री बाबू भाई रसीद भाई एवं प्रकाश छाप बीड़ी कम्पनी के निर्माता कार्यरत हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड का सारा प्रकरण केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (केन्द्रीय सरकार) से प्राप्त सूचना इस प्रकार है—

मै. बाबू भाई रसीद भाई बीड़ी निर्माता धौलीखार, करौली में माह जनवरी, 1990 में संस्थान द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार 348 श्रमिक कार्यरत थे एवं सभी को भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है।

मै. प्रकाश बीड़ी फैक्ट्री मौदरा बाजार, करौली में माह दिसम्बर, 1989 में 771 श्रमिक कार्यरत थे तथा इनमें से 604 श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ मिल रहा था।

पिछले वर्ष 80,000/– रुपये की दवाइयां वितरित की गयी एवं 30,000 रुपये से अधिक की राशि भोजन इत्यादि की सुविधा श्रमिकों को प्रदान की गई। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर न्यास की सीमा अन्तर्गत ग्राम गंवा पर कमला नेहरू नगर बनाने की स्कीम को क्रियान्वित न कर अन्य व्यक्तियों को जमीन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि श्री विजय सिंह व बाबू खां व उनके हितबद्ध व्यक्तियों को एक्सचेंज डीड जारी करने में वैधानिक त्रुटि रही है। इस हेतु मामला

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। उक्त एक्सचेंजडीड जारी करने के पूर्व खातेदारों द्वारा अल्सर एक्ट, 1976, के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त नहीं की गई। इस सन्दर्भ में मामला राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। उक्त छूट प्रदान नहीं करने से निष्पादित एक्सचेंज डीड अल्सर एक्ट की धारा 5 के तहत प्रभाव शून्य हो जाती है। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री नाथू राम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में जोगी समाज को आरक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी जाति को शामिल करने लिए भारत सरकार सक्षम है। जब भारत सरकार अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन हेतु राज्य सरकार से सुझाव आमंत्रित करती है तभी राज्य सरकार अपने स्तर से किसी भी जाति को या जाति के पर्यायवाची नाम को, इस सूची में शामिल किये जाने हेतु भारत सरकार को सिफारिश कर सकती है। अतः प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(4) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जागीर प्रथा खत्म होने के बावजूद भी भूमि जोतन वाले की भूमि के बीच में स्थित कुवे का मालिकाना हक अभी तक भी न मिलन के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल ने रामप्रताप बनाम भैंरूसिंह ने 20 फरवरी, 1964 में यह निर्णय किया है कि यदि कुआ काश्तकार की भूमि में स्थित है तो इस पर अन्य कोई व्यक्ति का स्वामित्व नहीं रह सकता। अतः यदि ऐसे कोई मामले काश्तकारों के हैं कि जमीन तो काश्तकार की है और कुऐं सम्बन्धी अधिकार और किसी का है तो कुऐ पर अपने अधिकार के लिये घोषणात्मक दावा कर अधिकार प्राप्त कर सकता है। अतः प्रस्ताव अविलम्बीय लोक महत्व का नहीं है। मैं प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(5) श्रीमती रमा पायलट, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री जुबेर खान, सदस्य, विधानसभा की ओर से बजट में महिलाओं पर ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि 20 रुपये तक के कपड़ों पर टैक्स लगाने से महिला वर्ग पर अधिक भार पड़ेगा, क्योंकि सम्बन्धित कर छूट का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने से पूर्व ही बहुत से व्यापारियों द्वारा इसका दुरुपयोग कर स्वयं के लाभ के लिये कर लिया जाता है।

टैन्टों पर कर लगाने का प्रभाव मात्र बड़े व्यापारियों पर ही पड़ेगा क्योंकि एक लाख रुपये तक वार्षिक (टर्न ओवर) गणनावर्त वाले व्यापारी इस कर की सीमा में नहीं आयेंगे। इस कर को लगाने के पीछे

(श्री अध्यक्ष)

महिलाओं का अपमान का बिन्दु कभी नहीं रहा है और न ही इस कर का महिलाओं के अपमान से कोई सम्बन्ध है। विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी की महिलाओं को नियुक्ति देने हेतु रोजगार कार्यालयों से बिना नाम मंगाये ही नियुक्ति अधिकारी द्वारा सीधे ही नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने ऐसी श्रेणी की महिलाओं हेतु 2 प्रतिशत पदों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है और इस हेतु नियमों में प्रावधान करने की कार्यवाही विचाराधीन है जिसे शीघ्र लागू किया जायेगा। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री रिछपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में पंचायत समितियों में से अप्रशिक्षित अध्यापकों को हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधानसभा की ओर से वनों की भूमि पर बसे हुये आदिवासियों को नियमित करवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांदीकुई न्यायिक दण्ड नायक प्रथम को अतिरिक्त सी. जे. एम. एवं सिविल जज की शक्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर परियोजना के प्रथम चरण में डूब में आने वाले काश्तकारों के मुआवजे के सम्बन्ध में।

5. श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समस्याओं के सम्बन्ध में।

6. श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदूषण के निवारण में कार्यरत सरकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार के संबंध में।

7. श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा के विकास अधिकारी द्वारा किये गये घोटाले के सम्बन्ध में।

8. श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की विधान सभा क्षेत्र नैनवा के ग्रामों के विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में।

9. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी सहायक प्रोफेसरों को स्थाई करने के संबंध में।

10. श्री बाबूलाल खाण्डा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मनफरा तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं में हरिजन महिला पर किये गये अत्याचार के संबंध में।

(130)

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से मल्लम काण्ड के दोषियों को सख्त सजा दिलवाने के संबंध में।

12. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में सांस्कृतिक नीति की आवश्यकता एवं प्रदेश में कला एवं संस्कृति के विकास सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में।

13. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से समरथ फार्मासीटकल कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी कर आंखों की मलहम के स्थान पर चमड़ी की मलहम सप्लाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत राज कर्मचारियों के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सरकार के सौतेले व्यवहार के संबंध में।

15. श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर मीनाक्षी उर्फ मंजू दहेज हत्याकांड के संबंध में।

16. श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारी विभाग के पुर्नगठन एवं सुधार के संबंध में।

17. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बांध एवं एनीकट निर्माण की आवश्यकता के संबंध में।

18. श्री गुलाम मुस्तफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाल अधिनियम पूरी तरह से लागू नहीं होने से बाल अपराधियों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

1. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिये गये प्रस्ताव मेंहदीपुर बालाजी में बाई पास बनाने के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 1990 को ध्यानआकर्षण आ रहा है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।

2. श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल पीड़ितों को अन्धा बनाने वाली कम्पनी के प्रबन्धकों को दण्डित करने के संबंध में, प्रस्ताव की जांच करने पर पाया गया कि प्रस्ताव में 500 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आसन से तो ऐसी व्यवस्था दी गयी....

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया किसी का ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर और ट्रकों के यूनियन के बारे में जो गोली काण्ड हुआ है उसके बारे में आपने किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है ।.

श्री अध्यक्ष : आपका 127 का आज लगा हुआ है । आप कार्य सूची नहीं पढ़ते क्या ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज लगाया है लेकिन जिस तरह आपने अभी जो सूची आउट की है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट आफ बिजनैस में नहीं है, लिस्ट आफ बिजनैस अलग है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : है तो रात को कितने बजे आयेगा यह ।

श्री अध्यक्ष : आपने पढ़ लिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने पढ़ लिया लेकिन अध्यक्ष महोदय इनका जवाब रात को कितने बजे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : I am helpless for that.

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मंत्री जी चले जायेंगे और जवाब होगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : 127 में मंत्री जी जवाब देंगे उस पर आप सवाल करेंगे क्या बात कर रहे हैं आप ? 127 में किया है मैंने ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ट्रक यूनियन वाले मामले मैंने भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष : उसमें जिन लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उन सबके नाम उसमें हैं । आप यदि कहें तो मैं नाम पढ़ कर सुना दूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप पढ़ कर सुना दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, श्री रिछपाल सिंह, श्री मोहनलाल, श्री राम करण सिंह, श्री चुन्नीलाल, श्री मोहन लाल, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री रामनारायण वर्मा, श्री जुबेर खां, श्री पूनमचंद विश्नोई, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री हेतराम बेनीवाल इसके बाद फिर कौन बचा है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मामला बड़ा गम्भीर है साहब ।

श्री अध्यक्ष : गम्भीर है तो मैंने बड़ी गम्भीरता से लिया है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव 4–5 माननीय सदस्यों के जरिये आपके पास आज दिया। पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी हमारे राजस्थान में आ रहे हैं और कुछ पांच सौ के करीब परिवार तो आ भी चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जवाब नहीं आया तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा । आप विराजिये । श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिया था लूणी के सरेचासर एरिये में

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पानी भरा हुआ है। वहां पांच छः कि. मी. में पानी भरा हुआ है। इस संबंध में आपने व्यवस्था दी थी मैं चाहता हूं मंत्री जी जवाब दे दें या मुझे बोलने की अनुमति दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्री जी तो है नहीं। मैं उनसे बात कर लूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : पांच-छः कि.मी. में पानी भरा हुआ है और ज्यादा बरसात हो गई तो गांव के डूबने का खतरा है।

श्री अध्यक्ष : मैं विशेष तौर से उनके ध्यान में ला दूंगा।

बूंदी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पुलिस का अत्याचार

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में सरकार बदलने के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरे बूंदी में अनुसूचित जाति के मोहल्लों को, हैण्ड पम्प लगाने से जानबूझ कर अवाइड किया गया। शिड्यूल्डकास्ट के लोगों की जमीनों पर दूसरे लोग जबरदस्ती कब्जा करने लग गये। हाल ही में तहसील केशोरायपाटन में कुछ लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के गोपाल पुत्र छीतर-बैरवा और उसके परिवार के साथ इसलिए मारपीट की कि वह जिस जमीन पर जोतता था उस जमीन पर वह प्रभावशाली लोगों को कब्जा नहीं करने दे रहा था। माननीय अध्यक्षजी, समस्या यहीं समाप्त नहीं हो जाती है उस गोपाल बैरवा के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा, एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन द्वारा अदालती आदेश भी जारी किया हुआ था। अदालती आदेश के बावजूद भी जमीन पर खड़ी उसकी फसल को बरबाद किया गया, पुलिस द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। अदालत के द्वारा लिखकर देने के बावजूद भी कि इसके पक्ष में कार्यवाही की जाय, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाय। उसके बावजूद भी उसके पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पुलिस के अधिकारी मुलजिमों को बचाते रहे। यह सारी परिस्थितियां जिस तरह से होती जा रही हैं काफी अशोभनीय बात है और मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के लिए भी बड़े सोचने की बात है कि यह सारी शर्मनाक घटनायें हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। रामचन्द्र पुत्र गंगाबिशन मीणा जिसको जमीन अलॉट हुई है गांव रायथल में। उसके खसरा नम्बर 729, 730 3-11-77 को अॉलट हुई, 5 बीघा 16 बिस्वा जमीन है उसकी जमीन को काश्त नहीं करने दे रहे हैं। कितनी दरख्वास्तें दी, पत्थरगडी नहीं की गई, पुलिस प्रशासन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इस तरह के जो मामले हैं। इन मामलों में ईमानदारी से सरकार को मदद करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं इस सदन में यह मांग करूंगा कि छोटे लोगों के साथ, गरीब तबके के साथ जिस तरह की घटनायें हो रही हैं उन घटनाओं में कमी आवे और केशोरायपाटन के केस को सरकार अच्छी तरह से देखे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्रीमती बसन्ती देवी का अपहरण

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से मैं यह चाहूंगा कि करौली थाने के अन्तर्गत धारा 363 और 386 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उसका एफ. आई. आर. नम्बर 299/90 है। इसमें रोडकला गांव के गम्भीर नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी को गांव सुन्दरपुरा से कुछ लोग उठाकर ले गये। उसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय समापति महोदय, करौली इलाके के अन्दर अक्सर इस प्रकार की वारदातें होती रहती हूं और कई घटनायें पुलिस की नजर में हैं। कई वारदातें ऐसी हो चुकी हैं जिसके अन्दर वहां पर औरतों के बेचान का काम कुछ लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। माननीय समापति महोदय, जब स्पेसिफिक मामला पुलिस थाने में दर्ज है तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार

(3·45 म प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

इस मामले के अन्दर सक्रियता वरतते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार करे। मुझे इस बात की भी जानकारी मिली है कि इस मामले को वहां से उठाने के लिए कोशिश की जा रही है और ऐसी स्थिति में अगर किसी गरीब व्यक्ति को जिसके ऊपर, जिसकी पत्नी को लेकर गये हैं उसके बाद लोगों ने गवाही दी है और एक नामजद रिपोर्ट है। वहां के पांच हजार लोगों ने इकट्ठे होकर गांव के अन्दर मीटिंग करके इस बात के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सभापति महोदय, जो भी इसके अन्दर मुजरिम हो उनको शीघ्रता से गिरफ्तार कराने की कार्यवाही की जाय। यही मुझे आपके मार्फत से निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा।

राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में एस. सी., एस. टी. के आरक्षण के बारे में मेरा निवेदन है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर सन् 1986 से एस. सी., एस. टी. के लिए आरक्षण लागू है फिर भी वाइस चांसलर साहब ने वहां पर इसको लागू नहीं कर रखा है। यह बहुत ही खेद का विषय है कि सरकार एस. सी., एस. टी. के विकास के लिए हमेशा योजना बनाती है। उन लोगों को लाभ देने के लिए आरक्षण रखा जाता है लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय जहां से सारे योग्य बनकर निकलते हैं, ऐसे स्थान पर भी एस.सी., एस.टी. को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो आरक्षण के नाम पर जो दुनिया भर में ढकोसला और हंगामा मचा रखा है वह सब बेकार है। इसलिए

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में 140 करीब लेक्चरार्स की जगह है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि एस. सी., एस. टी का उनमें एक भी नहीं है। क्या इसी का नाम आरक्षण है, क्या कागजों में ही आरक्षण रखा गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एस. सी., एस.टी का आरक्षण जो रखा गया है विश्वविद्यालय के अन्दर उसमें इनका भी स्थान होना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ राजस्थान विश्वविद्यालय की पी.जी. कक्षाओं का एडमीशन तो जनरल कास्ट का 48 पर्सेण्ट तक हो जाता है लेकिन एस. सी., एस. टी का नहीं होता है। कहते हैं कि तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है। यही हाल यूनिवर्सिटी के पास छात्रावासों का है। एस. सी., एस. टी. के छात्रों के ज्यादा अंक होते हुए भी छात्रावासों के अन्दर आज उनको प्रवेश नहीं मिलता है। जब आपने हमारा रिजर्व कोटा कर रखा है, आपने अंक भी निर्धारित कर रखा है कि इतने अंक तक इनको एडमीशन मिलना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों में एस.सी., एस.टी. के छात्रों को एडमीशन नहीं मिलता है। मात्र एक दो लड़कों को छोड़कर किसी को भी एडमीशन नहीं दिया गया है जबकि कानून में यह है कि जो छात्र जनरल केटेगरी में आवे उन्हें सीट के लिए आरक्षण दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार समय पर छात्रवृत्ति नहीं बांटने देता है। यह भी एक बहुत खेद की बात है कि सरकार छात्रवृत्ति देती है और छात्रवृत्ति की घोषणा करती है लेकिन राजस्थान विश्वविद्यागय के अन्दर एस. सी., एस. टी. के छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिलने दी जाती है। इससे बड़े दुःख और शर्म की बात क्या होगी? छात्रों की छात्रवृत्ति आ जाती है उसके बावजूद भी छात्रवृत्ति को रोक लिया जाता है। ऐसा घोर अन्याय एस. सी., एस. टी. के साथ किया जा रहा है।

इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन एक माह से यह राशि समाज कल्याण विभाग से जाने के बाद भी आज रजिस्ट्रार के कार्यालय में पड़ी हुई है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस राशि के बारे में जांच करवाई जाय और जिस अधिकारियों या रजिस्ट्रार ने इस राशि को रोका है ऐसे व्यक्तियों की जांच कराकर उनको दण्डित करवाया जाय। यह मेरा आपसे निवेदन है। अतः मैं आज माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, आज की कार्यवाही स्थगित करके पिछड़ी जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय के अन्दर न्याय दिलाने की मांग करता हूं। विश्वविद्यालय के अन्दर इन लोगों को एडमीशन दिये जाय और इनकी छात्रवृत्ति समय पर दिलवाई जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है। जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक छात्रों का एडमीशन होने से रोका है, जिन्होंने उनको छात्रवृत्ति मिलने से रोका है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जांच करवायी जायं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और उनको दण्डित करवाया जाय। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय जनार्दन सिंह गहलोत।

शारदा एक्ट का उल्लंघन

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैंने राजस्थान में शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है, इसकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मीनारायण चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने रेनवाल थाने के अन्दर तार भेज कर सूचना दी और उस सूचना के अन्दर यह साफ तौर से कहा कि गांव में तीन बच्चियों की शादी एक चार साल की, दूसरी बच्ची पांच साल की और तीसरी चौदह साल की जिसका कि ढाणी इटावा भोमिया थाना रेनवाल के अन्तर्गत आता था इनकी शादियां हो रही है और मुरली और भागीरथ और गणेश पुत्र खेताराम भिवाड़ी ढाणी में यह कह रहे हैं। इस बात की सूचना थाने को दिनांक 11-6-90 को मिल गई कि शादी 16 तारीख को की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, इस सूचना के साथ-साथ प्रार्थी ने इस सम्बन्धित सूचना राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को लिखित के अन्दर 16-6-90 को पत्र लिखकर सूचना की कि इस तरह से बाल विवाह वहां हो रहे हैं और शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन है और मुख्य मंत्री जी को 11 तारीख को चिट्ठी इस सम्बन्ध में मिली। उसके बाद भी मुख्यमंत्रीजी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई और पुलिस थाने की तरफ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं सभापति महोदय, उसके बाद 15-6-90 को एक स्मरण पत्र पुनः मुख्य मंत्री को दिया गया। इसी लक्ष्मीनारायण चौधरी के द्वारा कि 4 साल, पांच साल और 14 साल की बच्चियों का बाल विवाह हो रहा है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इस प्रकार की सूचना सम्बन्धित थाने को मिल जाय राजस्थान के मुख्यमंत्री को मिल जाय और उसके बाद अगर राजस्थान में खुला बाल विवाह हो रहा हो और सरकार की आंख नहीं खुले इससे ज्यादा अनर्थ की बात और क्या होगी? माननीय सभापति महोदय विवाह तो सम्पन्न हो गया और उसके बाद 19 तारीख को फिर एस. पी. रूरल ने राइटिंग में चिट्ठी पर ऑर्डर किया कि इस बाल विवाह को करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और सम्बन्धित शिकायतकर्ता के साथ भी इस प्रकार की घटना होने की सम्भावना है कि उसको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं कि आपने इस सम्बन्ध में शिकायत क्यों की। उसकी जान-माल की रक्षा के लिए भी एस. पी. रूरल ने चिट्ठी लिखी कि इसकी सुरक्षा करें और सम्बन्धित मामले में जिन्होंने बाल विवाह किया उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाय। माननीय सभापति महोदय, आज तक राजस्थान सरकार ने इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान के अन्दर बाल विवाह की

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

छूट राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री ने और पुलिस प्रशासन ने दे दी है। शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन हो उसके बाद सरकार कार्यवाही नहीं करे, मैं सोचता हूं कि सरकार के लिए शर्म की बात है इससे राजस्थान के अन्दर बाल विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक आधार खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही शीघ्र की जाय और इसके अन्दर जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाय। यह ही मुझे आपके माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री सुनील कुमार विश्नोई (अनुपस्थित)

माननीय परसादी लाल (अनुपस्थित) माननीय जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य करौली से आने वाले वे भी बताया है कि शारदा एक्ट का खुल्लेआम पुलिस की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन लेवल पर जानकारी होने के बाद भी उल्लंघन हो रहा है। यह न सिर्फ इस सरकार के लिए शर्म की बात है बल्कि हमारे समाज के लिए भी शर्म की बात है। एक तरफ ये बात करते हैं कि हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज की बुराईयों को हटाना चाहते हैं अच्छाइयों को लाना चाहते हैं पर मैं यह मानता हूं कि सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करें चाहे उसके लिए किसी का भी सहयोग क्यों ना लेना पड़े। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों में अक्सर यह होता है कि जहां भी बाल विवाह होवे हैं प्रशासन के लोग या राजनीति के लोग या जन प्रतिनिधि दूर नहीं होते हैं। जन प्रतिनिधि या राजनीति में रहने वाले या अक्सर कानूनी कार्यवाही से दूर हटकर भी समाज में चेतना की बात अगर करें यह कोशिश करें कि बाल विवाह रूकना चाहिए तो मैं मानता हूं कि काफी रोक लगाई जा सकती है इस पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए, कहीं जातिवाद के दबाव में आने के लिए कहीं और दूसरे दबाव में आने के कारण हम ऐसे जो कांड होते हैं इस तरह के जो विवाह होते हैं उनमें शामिल हो जाते हैं जहां हम एक जन प्रतिनिधि के नाते, जिम्मेदार शहरी होने के नाते जहां विरोध करना चाहिए वहां उसके समर्थन में शादी अटेंड करने लग जाते हैं। यह काफी बार अखबारों में भी आया है कि जन प्रतिनिधि और सरकार के अफसर लोग और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ लोग ऐसी शादियों में मौजूद रहे हैं, फोटो तक छपे हैं। जब तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी कि कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी जन प्रतिनिधि, जिसका महत्व है और जिसके साथ कोई पद जुड़ा हुआ है अगर वह व्यक्ति ऐसी जगह मौजूद पाया जाता हैं ऐसी बात का विरोध नहीं करता है अगर उसके खिलाफ आप कोई अंकुश नहीं लगायेंगे, कोई एक्शन की कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं

(श्री जुबेर खां)

मानता हूं इसमें ज्यादा सफलतायें नहीं मिल पायेंगी।

मेरा तो अन्त में यही निवेदन है कि हम लोगों को चाहे जन प्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन के लोग हो जो लोग जिम्मेदार हैं कम से कम सरकार ऐसी कार्यवाही करे कि अगर ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं तो अनपढ़ों को छोड़िये, जो नादानी में यह काम करते हैं जो समझदार होते हुए इस तरह के बाल-विवाह में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए यही मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र कुमार माननीय रमा पायलेट।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, बाल विवाह एक ऐसी रूढ़ीवादी परम्परा बन गई है इसके सरकार ने कानून भी बना रखे है सवाल इस बात का नहीं रह गया है कि बाल विवाह कहां हो रहे हैं कौन-कौन का इसमें इन्वोलमेण्ट है। प्रश्न यह है कि सरकार ने जहां एक ओर इस के लिए कानून बना रखा है उस कानून की खुल्लेआम अवेहलना जहां हो रही है या तो सरकार को यह चाहिए कि यह जो कानून बना हुआ है उसका औचित्य ही समाप्त हो गया, सरकार के कानून की खुल्लेआम अवेहलना होना और सरकार उस पर आंख बंद कर बैठी रहे ऐसे कानून का फिर औचित्य क्या रह जाता है? तो मेरा इस विषय पर अधिक बोलने का नही है। मेरा प्रश्न तो यही है कि जब इस कानून का कोई औचित्य ही नहीं है तो इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए। यदि यह कानून है तो इसको इतनी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए कि लोगों को यह लगे कि कोई कानून बना हुआ है। सरकार ने कानून बना दिया उसकी पालना में सरकार की रुचि नहीं हैं तो खामख्वाह कानून की आड़ में जो यह रोज-रोज चर्चा का विषय बनता है जहां इस तरह की शादियां होती है तो कोई न कोई मुद्दा बनाकर के खड़ा कर देते हैं। तो यह मात्र इसलिए बना हुआ है। कि सरकार ने इसके खिलाफ एक कानूनी आवरण ढक रखा है इस आवरण को हटा दिया जाय या तो यह हो। या फिर इसका कड़ाई से पालन हो और ऐसे लोग जो इस अपराध में सम्मिलित हैं उनके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। मेरा तो आपके मार्फत सरकार से यह अनुरोध है कि या तो यह औचित्यहीन कानून बना हुआ है कानून समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यदि सरकार इस कानून को समाप्त करने में रुचि नहीं रखती है तो इसका इतना कड़ाई से पालन होना चाहिए कि हकीकत में यह लगे की कोई कानून है। धन्यवाद

श्री सभापति : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

चित्तौड में श्री पकंज श्रीवास्तव की हत्या

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, 1 जून शुक्रवार को पकंज श्रीवास्तव जो सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तीड़गढ़ में काम कर रहा था उसको उसके सिक्योरिटी अफसर ने यह कहा कि आपको

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बुलाया जा रहा है वे उनके साथ गये उसके बाद 4 तारीख को उनके घर वालों को रात के बारह बजे उसकी लाश मिली। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार बनी है ऐसा लग रहा है कि थानों में हत्याओं का सिलसिला बढ रहा है। जयपुर में लाला खलासी की हत्या हुई। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों यहां पर एक बिल्डिंग बन रही थी उसकी लिफ्ट के नीचे एक व्यक्ति को मार दिया गया और बताया गया कि....

श्री सभापति : अब प्रस्ताव पढिये आप।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह पढना नहीं है यह स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें पढना नहीं पड़ता है इसमें दिमाग से बोलना पड़ता है 295 नहीं है एडजॉर्नमेण्ट मोशन है सभापति महोदय इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर बढ रही है। मैं चाहता तो यह था कि 9 दिन पहले जो मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था, गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिये था। फिर भी मैं आपके माध्यम में घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करना चाहूगा। बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौडगढ़ ने 6-6-90 को एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें यह लिखा है कि हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद उसी दिन पकंज श्रीवास्तव को पूछताछ के लिये थाने में बुला लिया गया। उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में प्रबन्धकों को कोई जानकारी नहीं है। एक जून को उनका सिक्योरियटी आफिसर पंकज श्रीवास्तव, जो 32 वर्ष का था, उसको घर से ले कर गया। उसके बाद थाने के अधिकारियों को उसको सोप दिया; और उसके बाद उसकी लाश मिलना, मैं समझता हूं बहुत ही शर्मनाक बात है। इस घटना के पीछे हम दो तीन बातों को देखें तो सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि यह व्यक्ति भूख से, प्यास से और मानसिक आघात से मर गया। एक नौजवान 32 वर्ष का जो घर से अच्छी तरह से गया था, वह मानसिक रोग से ग्रसित नहीं था। उसको मारा गया, पीटा गया और इतनी चोटें पहुंचाई कि वह थाने में ही मर गया। इस सबंधं में जब वहां के मजदूर भाईयों को पता लगा तो उन्होंने इस बारे में एजीटेट किया और पूछा कि वह व्यक्ति कहां पर है। थाने के लोगों ने उस के परिवार के लोगों को आगरा से बुलवा कर कोशिश की और पांच छः किलोमीटर चित्तौड़ से दूर ले जाकर कहा कि इसको ले जाओ यहां से। वहां मजदूर लोग पहुंचे, उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। उसके बाद में जब झगड़ा पैदा होने की स्थिति आ गई तब जाकर वह उस की लाश को लेकर घर पर आयें। मैं इस संबंध में चार पांच सवाल करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पोस्टार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल असत्य दी गई। स्वयं सिंचाई मंत्री जी वहां संवेदना प्रकट करने गये थे। उन्होंने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वहां आकर देखा कि उसके पैरों में चोट के काले निशान आये हुए थे। उन्होंने डाक्टरों को बुलाया और डाक्टरों ने उनको यह कहा कि यह चोट के निशान हमारी नजर में नहीं आये। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उन्होंने दुबारा बदला और चोट के निशानों को उसमें सम्मिलित किया। इनकी मौत दिन को हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रात को किया गया। तीसरी बिन्दु, जैन वहां पर मजदूर कर्मचारी एजीटेट हो रहे थे, तो कहा गया कि इस मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करवायेंगे। हम एक लाख रुपया इसके परिवार को मुआवजा देंगे। हम इसकी पत्नी को वहां पर नौकरी देंगे। और पूरे घटना-क्रम में किसी भी दोषी व्यक्ति को, चाहे वह थानेदार हो, डी. वाई. एस. पी. हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जयपुर चूंकि राजधानी है, इसलिये लाला हत्याकाण्ड के बारे में आपने थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन चन्देरिया के थानेदार, जो सिंचाई मंत्री जी के थानेदार हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि पंकज श्रीवास्तव जिसको एक तारीख को गिरफ्तार कर लिया, बिना रिमाण्ड चार दिन तक कैसे रखा। क्या उस व्यक्ति को थाने में खाना दिया गया? उसको पानी नहीं पिलाया गया। उस 32 वर्ष के नौजवान की किस तरह से मौत हुई? लेकिन इन सभी प्रश्नों के बारे में सरकार ने जानबूझ कर वक्तव्य नहीं दिया ताकि तथ्य सामने नहीं आये और इस मामले की लीपा-पोती करके इसको रफा-दफा कर दिया जाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आज पंकज श्रीवास्तव की मां यहां जलेब चौक में आई हुई बैठी है। वह इस बात का इन्तजार कर रही है कि उसकी पुत्र वधु को, प्रमिला को कब नौकरी मिलेगी। उसके हत्यारों को कब गिरफ्तार किया जायेगा। और इसी के साथ-साथ सबसे बड़ा तथ्य यह है कि दो और तीन तारीख को थानेदार ने अपने सिपाहियों को पंकज श्रीवास्तव की पत्नी प्रमिला के पास भेजा और कहा कि थानेदार जी दस हजार रुपये मंगवा रहे हैं। यदि आप दस हजार रुपये दे देंगे तो हम आपके पति को छोड़ देंगे। चूंकि दस हजार रुपये उसके पास नहीं थे, इस कारण उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया और मार-मार कर थाने में मौत के घाट उतार दिया गया। सभापति महोदय, सरकार वक्तव्य दे या न दे, लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी वहां वायदा करके आये हैं कि हम इस घटना की जूडिशियल इन्क्वायरी करेंगे। अब एक एस. डी. ओ. से जांच करवा रहे हैं जो स्वयं इस मामले दबाने में पुलिस प्रशासन के साथ लगा हुआ था, वह उसकी जांच करके एक खानापूर्ति कर लेगा। मैं समझता हूं यह बहुत अन्याय है। आप संवेदशील प्रशासन की हिमायत करने वालों को चाहिये कि इस मामले की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करें और थाने में तीन चार दिन बिना रिमाण्ड रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पंकज श्रीवास्तव की हत्या की न्यायिक जांच कर थानेदार को और सम्बन्धित अधिकारियों को गिरफ्तार कर,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादीलाल मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, यह प्रसंग चित्तौड़गढ़ के पास बिड़ला जी की फेक्ट्री के एक कर्मचारी का है। पंकज श्रीवास्तव यू. पी. का एक प्रवासी क्लर्क हमारे राजस्थान में एक सेठ की फैक्ट्री में नौकरी करने आया था। रहस्यमय परिस्थितियों में उसका कत्ल हुआ, उसे मारा गया, उसकी मां, 60–65 साल की एक बुढ़िया, श्रीमती मिथलेश श्रीवास्तव, अब भी हमारे इस असेम्बली की चौखठ पर पिछले तीन दिन से बैठी है। वह शायद यह समझती है कि हम, जो इस सदन में बैठे हैं, राजस्थान में जो कुछ घटनायें हो रही है उस में कुछ करने की स्थिति में हैं। माननीय सभापति महोदय, 1977 में जो परिवर्तन हुआ था कांग्रेस के बाद, कांग्रेस का असर तो पुलिस पर था, प्रशासन पर था। पर अब मुझे लगता है कि विपरीत ही है। अब शायद पुलिस ने समझ लिया है कि यह सरकार उनके इशारों पर उनकी सहायता से चलने वाली सरकार है और यही वजह है कि इस तीन चार महीने के थोड़े से अन्तराल में पुलिस के होसले जिस तरह से जनता पर दमन करने के बढ़े हैं उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। पंकज श्रीवास्तव को एक गबन के शक में बुलाया गया। क्या, माननीय सभापति महोदय, शक में किसी गरीब कर्मचारी को बुलाया जाये और पुलिस वाले उसको मार दें, उसके बाद प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करे, क्या वजह है कि चार दिन तक वह घर से गायब रहा, वहां सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी जिसके छः और चार साल के दो बच्चे हैं और वह 26-27 साल की जपान, जो अब विधवा हो गई है। उसने चार दिन तक रो रो कर इन्तजार किया। जब वह नहीं आया तो वह मैनेजमेंट के पास पूछने के लिये गई कि आपने उसको बुलाया था, वह कहां गया ? उन्होंनें कहा हमने तो पुलिस को सौंप दिया और पुलिस जाने और तुम्हारा पति जाने। वह पुलिस थाने में गई। पुलिस वालों ने कहा कि हमने इन्क्वायरी करके वापिस भेज दिया, मैनेजमेंट वाले जानें। मैनेजमेंट के अधिकारियों ने उस कर्मचारी की धर्म पत्नी को उसके क्वार्टर में बन्द कर दिया कि आप इस से बाहर नहीं निकलोगी। चार दिन के बाद मैदान में उसकी लाश मिलती है और उसका पोस्टपार्टम मैनेजमेंट और पुलिस वाले दोनों मिलकर के करवाते हैं और रातों रात उसका पोस्टमार्टम करके उसकी लाश को बाहर जब ले जा रहे थे तब लोगों को पता लगता है। एक हजार कर्मचारी जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं उन्होंने फैक्ट्री को बन्द कर दिया, फैक्ट्री में हत्या हो गई और उसके बाद में उसकी लाश उनको दी गई। माननीय सभापति महोदय, हमारे केबिनेट के सदस्य माननीय सिंचाई मंत्री भी उस वक्त शहर में हाजिर थे। उन्होंने भी उस लाश को देखा और उस

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लाश को देखने के बाद में विधवा के आंसू पोंछने की बजाय उस बच्चे की कीमत एक लाख रुपये समझी और उस सेठ से एक लाख रुपये दिलवा दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछता हूं कि इस तरह से अगर एक नौजवान की लाश की कीमत सेठ की नजर में एक लाख रुपये है तो उस थानेदार को उस डी. वाई. एस. पी. को जिन्होंने उसको बुलाया....

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, आपको अगर ज्यादा तकलीफ हो तो मैं बैठ जाता हूं। यह में जब पूरी घटना नहीं सुना दूं उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं। मैंने इस घटना को सुनाने के लिए आपको कहा है, अगर आपकी आज्ञा है नहीं सुनाने की, तकलीफ होती है, तो वह तकलीफ होती होगी। मैं जानता हूं कि जिस तरह से यह घटना हुई है, राजस्थान में बहुत से लोगों को तकलीफ है। बड़े-बड़े सेठ और पुलिस इन्सान की कोई कीमत नहीं समझ ले। आपने उस थानेदार के खिलाफ....

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो मिनट का समय दिया था, 6 मिनट हो गये हैं। माननीय सदस्य मैंने आपको सूचना दी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट में कोई घटना बयान कर सकता है ?

श्री सभापति : दो मिनट का समय दिया गया था, 6 मिनट हो गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : या तो आपको मुझे इस पर बुलाना नहीं चाहिये था। जिस घटना के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसको दो मिनट में कोई बता ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्सान मरा है 32 साल का और उसकी मां यहां बैठी है 3 दिन से। आप यह समझते हैं कि उसे थानेदार के खिलाफ, उस पुलिस के एस. पी के खिलाफ जिन्होंने उसको बुलाया, किसके सामने छोड़ा उसको, क्या उसने कार्यवाही की ? गबन के केस में बुलाने पर, जो मंत्री हैं और जिम्मेदार है उस होम डिपार्टमेन्ट के, आप बैठे हैं सामने, इनके सामने भी एक सवाल आया था यहां कोतवाली में मरने का और उस दिन भी बहुत सीरियस बात थी। पुलिस के कर्मचारी किसी भी नागरिक को बुलाते हैं अपने थाने में, उसका कोई रिकार्ड नहीं होता बुलाने का, उसका कोई सबुत नहीं होता बुलाने का और उसको वह मार कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमारे थाने में आया ही नहीं। यह ऐसी घटना है कि उसको बुलाया उन्होंने और बुलाने के बाद....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप विराजिये, उनको बोलने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : बुलाने के बाद उसकी लाश 4 दिन बाद फैक्ट्री के बाहर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दूसरे एरिया में मिली है। लाश किस तरह से पहुंची ? क्या कोई आदमी इस तरह से आबादी में तड़पकर मर गया ? क्या पानी के बिना प्यासा मर गया ? उसके बारे में डाक्टर्स ने रिपोर्ट दी थी कि यह प्यास से तड़पकर मर गया। इसको झटका लगा। किस बात का झटका लगा ? यह सारी की सारी बात हुई। उसके बाद में माननीय सिंचाई मंत्री जी भी गये। उन्होंने उसके पैरों की चोट देखी है डाक्टर्स को बुलाया है। उसके बाद जांच की है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय को और हमारी सरकार को चाहिये कि इसकी जांच करें और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। एक जो उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि उस मां को उस पत्नी को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नौकरी देंगे। किसी भी स्थिति में यह परिवार उस सेठ के यहां नौकरी नहीं कर सकता जिसके यहां इस तरह से कत्ल होता हो। उसकी जो पत्नी है, 26-27 साल की पढ़ी लिखी है, उसको हम कहीं न कहीं फैक्ट्री में नौकरी देंगे, इस आश्वासन को पूरा करें। और उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उनको गिरफ्तार करें, यही मुझे कहना है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

माननीय श्री रिछपालसिंह (अनुपस्थित) माननीय श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति, मैं नियम 295 के अन्तर्गत....

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने व्यवस्था दी थी कि माननीय गृह मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री सभापति : हां, वह देंगे। आप बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने का मौका देने की बात थी।

श्री सभापति : आप बिराजें। माननीय श्री दयाराम परमार। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, गैलरी में कृपा करके बातें नहीं करें।

वनों की भूमि पर बसे आदिवासियों का नियमिति करण

श्री दयाराम परमार : मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत वनों की भूमि पर बसे हुए आदिवासियों को नियमित करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा जंगल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं लेकिन हमारे पास जितने भी जंगल थे, बढ़ती हुई आबादी ने उनको नष्ट करने का काम किया और आज धीरे-धीरे स्थिति यहां तक आ गई है कि जहां घने जंगल थे वहां पेड़ का नामो-निशान भी नजर नहीं आता है।

(श्री दयाराम परमार)

श्रीमान्, आप जानते हैं कि जंगलों से सबसे ज्यादा प्रेम आदिवासियों को रहा है और उसका उपयोग भी इन्हीं लोगों ने किया है। लेकिन ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गई त्यों-त्यों काश्त की भूमि कम पड़ती गई और अपने जीवन निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं होने से वे लोग अपने नज़दीक के जंगलों में प्रवेश करते बसने लग गये और आज वहां स्थिति यह है कि उन बसे हुए स्थानों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि बस्ती जंगल की भूमि पर बसी हुई है और वहां भी कभी जंगल थे, यहां उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

श्रीमान्, उदयपुर जिले की खैरवाड़ा, झाड़ोल कोटड़ा, गोगुन्दा, दरियावद, सहाड़ा, समुन्दर आदि आदिवासी बाहुल्य तहसीलों के अलावा अन्य जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, आदि जिलों में भी जनजाति बाहुल्य तहसीलों में ऐसे हजारों परिवार बसे हुए हैं और उनका भविष्य भी अंधेरे में है। जैसा कि आप जानते हैं आदिवासियों का मुख्य धन्धा खेती है और उसी पर उनका जीवन निर्भर है। ऐसी स्थिति में उन्हें उस जंगल की भूमि से जहां वे वर्षों से बसे हुए हैं, हटा देना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके साथ ही खेती की भूमि नहीं होने से उन्हें कृषि सुधार भी नहीं मिल पाती है।

अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जंगलों की भूमि पर बसे हुए आदिवासियों को खातेदारी हक दिलाने के लिए राज्य सरकार अपनी कोई रीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करें और उन्हें खातेदारी हक देने का फ़ैसला करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामकिशोर सैनी।

बांदीकुई न्यायिक दण्डनायक प्रथम को सी. जे. एम. एवम् सिविल जज की शक्तियां देने हेतु।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत बांदीकुई न्यायिक दण्डनायक प्रथम को अतिरिक्त सी. जे. एम. एवं सिविल जज की शक्तियां भी दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर जिले के बांदीकुई न्यायिक मुख्यालय पर वर्तमान में मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक प्रथम वर्ग, अतिरिक्त मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक, प्रथम वर्ग तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दौसा, कैम्प बांदीकुई, की तीन अदालतें कार्यरत हैं।

तहसील बसवा एवं तहसील सिकराय क्षेत्र की समस्त लगभग तीन लाख की आबादी के लिए बांदीकुई न्यायिक मुख्यालय ही दीवानी व फ़ौजदारी न्याय पाने का केन्द्र है। बांदीकुई न्यायिक मुख्यालय राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व भी जयपुर राज्य की न्याय शासन व्यवस्था में प्रसिद्ध केन्द्र रहा है। राजस्थान राज्य की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के अनुसार मुंसिफ कोर्ट को केवल 5,000/- रुपये की मालियत तक के डी. आर. ए. केसेज़ का श्रवणाधिकार है और इससे ऊपर के केसेज के लिये ए. सी. जे. एम. एवं सिविल जज की अदालत में ही श्रवणाधिकार निहित

(श्री रामकिशोर सैनी)

हैं और दीवानी दावों में 5,000/- रुपये तक की मालियत के दावे मुंसिफ न्यायालय में और इसके ऊपर 10,000/- रुपये तक की मालियत के दावे ए सी. जे. एम. अदालत व इसके ऊपर की मालियत के दावे ए. डी. जे. कोर्ट के श्रवणाधिकार में आते हैं।

तमाम स्पेशल एक्ट, पी. सी. आर. एक्ट, ई. सी. एक्ट, पी. एफ. एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट आदि के समस्त मुकदमात का बुनियादी श्रवणाधिकार भी अदालत ए. सी. जी एम. में ही निहित है।

इसके अतिरिक्त, अदालत ए. डी. जे. द्वारा समस्त फौजदादी मुकदमात, जो उनके न्यायालय द्वारा काबिल समाअत नहीं पाये जावें, उन्हें द्वारा 288 जा. फा. के अन्तर्गत ए. सी. जे. एम. कोर्ट को ही श्रवणार्थ भेजे जाने की व्यवस्था होती है। इन अदालतों में वर्णित मुकदमात जो बांदीकुई न्याय क्षेत्र में उपजते है, उनकी वार्षिक संख्या हजारों में होती है जिनके लिए अनावश्यक परेशानियां और अतिरिक्त व्यय भुगत कर बांदीकुई न्याय क्षेत्र के मुकदमों से सम्बधित हजारों लोगों को आये दिन दौसा मुख्यालय पर ए. सी. जे. एम. कोर्ट में उपस्थित होकर व्यथित होना पड़ता है। और इस व्यवस्था से मुकदमात के निर्णय में भी अतिरिक्त विलम्ब होता हैं जो कि जन संत्रास का कारण है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत कई मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक की अदालतों को ए. सी. जे. एम एवं सिविल जज की निर्णायक न्यायिक शक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा दी जाकर एक न्यायालय का आर्थिक भार भुगते बिना जनता को सत्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने की व्यवस्था लागू है।

यह भी स्पष्ट हैं कि ए. सी. जे. एम. एवं सिविल जज की अदालत, एम. जे. एम. एवम् ए. डी. जे अदालतों के मध्य की एक कड़ी के स्वरूप की अदालत है जिसके अभाव में न्याय पाने वाली जनता को अतिरिक्त परेशानी व व्यय न्याय प्रक्रिया में भुगतना स्वाभाविक है।

अतः जनहित में एक अनिवार्य एवं उचित मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके बांदीकुई मुख्यालय पर कार्यरत पीठासीन अधिकारी अदालत एम. जे. एम. को सिविल जज एवं ए. सी. जे. एम. के न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जावे ताकि जन साधारण को सुलभ एवं शीघ्र न्याय पाने की सुविधा प्राप्त हो और मुकदमों से सम्बन्धित पत्रकारों का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय और आवागमन की परेशानियों से निजात मिल सके। धन्यबाद।

श्री सभापति : श्री घासीलाल चौपड़ा।

बीसलपुर परियोजना में डूब में आये काश्तकारों को मुआवजा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिह): माननीय सभापतिजी, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बीसलपुर परियोजना के प्रथम

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

चरण में डूब में आने वाले काश्तकारों के मुआवजे के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में बीसलपुर परियोजना निर्माणाधीन है। उसके अन्दर प्रथम चरण में देवली तहसील के दस गांव, टोडारायसिंह के चार गांव केकड़ी तहसील के चार गांव डूब में आयेंगे। अगले साल में प्रोजेक्ट का प्रथम चरण पूरा होने वाला है लेकिन काश्तकारों को मुआवजा दिलाने में अभी भी सरकार उदासीनता बरत रही है। सो माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय एवं सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि डूब में आने वाले काश्तकारों को चाही व नहरी भूमि के 20,000 रुपये व बारानी भूमि के 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से एवं कुएं, पुख्ता मकान, कच्चे मकान, बाड़ा, नोहरा, ईमारती पेड़ों का मुआवजा आज की बी. एस. आर. की ऊंची दर से दिलाया जाने की कृपा करें तथा विस्थापितों को उठाने से पहले जहां भी सरकार उनको बसाना चाहती है वहां आवासीय भूमि, काश्त के लिये कृषि भूमि जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि डूब में आने वाले काश्तकार उठने से पहले अपना आवासीय मकान बना सकें तथा कृषि भूमि को तैयार कर सके। साथ ही मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि विस्थापितों के बीसलपुर परियोजना के कमाण्ड एरिया में ही बसाया जावे तथा कृषि भूमि भी उसी क्षेत्र में दिलाई जावे ताकि अगर उनको जमीन कम भी मिलेगी तो भी पर्याप्त रहेगी तथा जहां-जहां सरकार विस्थापितों को बसाना चाहती है वहां का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज भी दिलवाने की व्यवस्था करें। डूब क्षेत्र में आने वाले काश्तकारों की पीड़ा को ध्यान में रख कर उनको मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

(अनुपस्थित)

माननीय मदनलाल सैनी।

प्रदूषण निवारण की कार्य प्रणाली में सुधार

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, नियम 295 के अन्तर्गत अति लोक महत्व के प्रश्न पर वन मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करने हेतु प्रस्ताव रखता हूं।

मान्यवर सभापति जी, इस विधान सभा सत्र में प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण पर माननीय सदस्यों ने गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। ये प्रदूषण चाहे पानी में हो, भले ही वायुमण्डल में व्याप्त हो, दोनों ही प्रकार के प्रदूषण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण के निवारण हेतु वर्तमान में कार्यरत सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार की चर्चा भी सदन में की गई। मान्यवर, प्रदूषण निवारण की दृष्टि से वनों की अपनी बहुत बडी भूमिका है। केवल प्रदूषण निवारण में ही नहीं अपितु वनों का लाभ हमें अनेक रूपों में प्राप्त होता है। जंगलों से प्राप्त ईंधन,

(154)

(श्री मदनलाल सैनी)

इमारती लकड़ी, गोंद, शहद, चूना कत्था, तेन्दू पत्ते, विभिन्न प्रकार के फल-फूल, रत्न से लेकर भवन निर्माण के विभिन्न पत्थरों तथा अन्य और भी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो जंगलों से हमें प्राप्त होती हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन मंत्री महोदया का ध्यान इन जंगलों की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि करने वाले, जिनके बिना यदि जंगल लग भी जाय तो सुरक्षित नहीं रह सकते और यदि कहीं आधुनिक तकनीक से जंगल सुरक्षित रह भी जाय तो उनकी अभिवृद्धि नहीं हो सकती, मजदूर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कहा भी है कि शेर जंगल की रक्षा करता है और जंगल मनुष्य की रक्षा करता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मजदूर जंगल की रक्षा करता है, अभिवृद्धि करता है तथा जंगल देश व समाज की अभिवृद्धि करता है।

सभापतिजी, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंग, वन श्रमिक, के सम्बन्ध में क्या किसी ने सोचा है। सन् 1964 में वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये नियम बनाये गये और और उन नियमों के अन्तर्गत प्रदेश में जल-जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयुर्वेद विभाग, सिंचाई विभाग में कार्यरत हजारों श्रमिक सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी सरकार के वन विभाग में जो इन विभागों के समय से प्रारम्भ किया गया, उसके कर्मचारी को वर्क चार्ज सेवा नियम स्थाई आदेश का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके विरुद्ध श्रमिक संघ, भारतीय वन विभाग कर्मचारी संघ, के सदस्यों ने न्याय प्राप्ति हेतु विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही की। सरकार ने भी गरीब मजदूर के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने में कमी नहीं रखी। हाई कोर्ट ने दिनांक 25-9-86 को राजस्थान के वन विभाग में काम करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 8-5-73 के स्थाई आदेश लागू करने का आदेश दिया। उन आदेशों के विरूद्ध सरकार एवं विभाग उच्चतम न्यायालय में गये। वहां दिनांक 14-8-89 को माननीय न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध निर्णय देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चार माह में लागू करने के निर्देश दिये। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार ने पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उच्चतम न्यायालय ने 17-1-90 को एक अन्तरिम आदेश पारित करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि निर्णय की पालना करने हेतु 6 सप्ताह का समय और दिया जाता है तथा साथ ही यह भी निर्देश दिया कि तब तक प्रत्येक श्रमिक को 2000 रुपये राहत के रूप में दिये जावें। अब दिनांक 25-2-90 को सरकार द्वारा प्रस्तुत पुनः सुनवाई का प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया गया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वन मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहता है? क्या आपका विभाग गरीब मजदूरों के साथ न्याय करेगा? और न्यायालय के निर्णयानुसार भुगतान कब कर रहा है? क्या मंत्री महोदया यह बताने का

(श्री मदनलाल सैनी)

कष्ट करेंगी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार 8-5-73 के स्थाई आदेशों की कब पालना की जावेगी ? मंत्री महोदया यह भी बतावें कि क्या मजदूरों को उक्त निर्णयानुसार दी जाने वाली रकम का भुगतान न करने के लिये कोई दूसरी प्रक्रिया की खोज कर रहे हैं और इस खोज में कितना समय लगने वाला है ?

अन्त में माननीय सभापतिजी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से मांग करना चाहूंगा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 14-8-89 की पालना अतिशीघ्र करते हुए मजदूरों को उनका न्यायिक हक दिलायें। धन्यवाद

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, मैं चला गया था जरा, मेरा नाम आया था, यदि आप मुझे इजाजत दे दें, तो....

श्री सभापति : अभी दे देंगे इसके बाद। आप विराजें। श्री बी डी कल्ला।

कला एवं संस्कृति के विकास के सम्बन्ध में।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्रदेश के लोक कलाकार, संगीतज्ञ, रंगकर्मी, प्रतिवर्ष देश एवं विदेश में विभिन्न समारोहों एवं उत्सवों में भाग लेकर राजस्थान की संस्कृति के गौरव को बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के साहित्यकारों ने समय-समय पर साहित्य का सृजन करके विभिन्न भाषाओं के विकास में अनूठा योगदान दिया है। प्रदेश में सांस्कृतिक नीती के अभाव में आठवीं पंचवर्षीय योजना में कला एवं संस्कृति के विकास को भारी आघात लगेगा। राज्य में विभिन्न भाषा अकादमियों, संगीत एवं नाटक अकादमी साहित्य अकादमी, बृज भाषा अकादमी, उर्दू अकादमी के माध्यम से प्रदेश में कला व भाषाओं का विकास हुआ है। इसी तरीके से जवाहर सांस्कृतिक कला केन्द्र, जिसका निर्माण चल रहा है, न केवल प्रदेश की बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक होगा। इस हेतु प्रयास किये थे परन्तु प्रदेश के नये बजट के प्रस्तुत होने के बाद कला एवं संस्कृति का विकास कैसा होगा, इस हेतु बजट प्रावधान न होने एवं इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण न होने से प्रदेश के कलाकार, साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी लोगों में रोष व्याप्त है।

आठ वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिर्गत राज्य के सभी जिलों में संग्रहालय बनाये जाने चाहिए। प्रदेश में पुरातत्व सामग्री एवं मूर्तियों की बहुतायत है। ऐसी परिस्थितियों में 4–5 जिले, जहां संग्रहालय अभी तक नहीं है, वहां अविलम्ब समयबद्ध कार्यक्रम बना कर संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। ताकि जो राष्टीय धरोहर की दुर्दशा हो रही है वह न हो। भारतीय स्वाभिमान के स्मृति चिन्ह हल्दीघाटी का स्वरूप नष्ट हो रहा है, खमतलाई पर लोगों के कब्जे हो रहे हैं। आन-बान का प्रतीक माने जाने वाले भरत-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पुर के एवं बीकानेर के किलों में सरकारी व बोर्ड के दफ्तर चल रहे हैं। फतेहपुर के किले में बाजार और 77 लड़कियों का छात्रावास बन गया है। कुम्हेर के किले के किले में सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। नाहरगढ़ में होटल, नायला दुर्ग में ओबेराय ग्रुप ने अनधिकृत निर्माण कर आवास गृह बनवा लिया है। महाभारत का अतीत समेटे बैराठ का संग्रहालय न सिर्फ एक चौकीदार के ऊपर चल रहा है बल्कि उसकी कोई विशेष सुध नहीं ली जा रही है। जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेरी गेट एवं अजमेरी गेट एवं अजमेरी गेट पर पुलिस चौकियां खोली हुई हैं। राज्य के सभी शहरों के परकोटों का अतिक्रमण एवं तोड़ने की कार्यवाही निरन्तर हो रही है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं। आपके समय में इन परकोटों को तोड़ कर 6–6, 8–8 दूकानें और खोल ली। यह भी गलत किया है।

श्री सभापति : आप तो विराजिए, माननीय उजला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह कहा निरन्तर हो रहा है। (व्यवधान) हमने तो कई चहारदिवारियों को ऐतिहासिक द्वार घोषित करके ऐसी कार्यवाही को रोका था।

श्री सभापति : आप अपना प्रस्ताव पढ़िये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सांस्कृतिक धरोहर की वजह से देशी व विदेशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं और विदेशी मुद्रा की कमाई भी इससे होती है परन्तु पुरातत्व विभाग के पास इस हेतु पर्याप्त बजट का अभाव है एवं राज्य की विशाल सांस्कृतिक धरोहर के रख-रखाव के लिए विभाग असमर्थ है। ग्रुप की सांस्कृतिक नीति बनाये जाने की आवश्यकता इस रूप में भी है कि प्रदेश में रंगकर्मियों के लिए रंगमंच, ओपन एयर थियेटरों की पर्याप्त संख्या नहीं है। साथ ही कलाकारों के लिए आर्ट गैलेरी का अभाव है। गांवों के रंगकर्मी एवं कलाकारों के लिए खुले मंच भी नहीं हैं।

आठ वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक तहसील मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खुला मंच, जो दिन में दुग्ध संकलन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का कार्य करें एवं रात्रि में वह खुला मंच कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उपयोग में दे सकें एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक रंगमंच एक ओपन एयर थियेटर एवं एक आर्ट गैलेरी का निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम बना कर किया जाना चाहिए। राज्य में नये रंगकर्मियों, कलाकरों एवं साहित्यकारों को तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, पुरालेख सामग्री जो राज्य से बाहर जा रही है उसे रोका जाए एवं प्रदेश में उसका संकलन एवं संग्रह किया जाए। प्राचीन मूर्तियों एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षण देने हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जावे।

शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साहित्यकार, लेखक, कवि एवं रंगकर्मी

(157)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये जावें। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों "पर्यटन स्थलों पर साहित्यकारों' लेखकों के लिए अलग से विश्राम गृह बनाये जाने चाहिए ताकि वह वहां रह कर साहित्य का सृजन कर सकें।

लोक कलाकारों के जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करने के लिए सांस्कृतिक दल बना कर सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। रंगकर्मियों के लिए रंगमण्डल की स्थापना की जा सकती है। परम्परागत संगीत एवम् शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए हिन्दुस्तानी संगीत विद्यालय की स्थापना प्रदेश में आवश्यक है।

इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य प्रदेश के सांस्कृतिक विकास के लिए हाथ में लिए जा सकते हैं। परन्तु प्रदेश में इस हेतु नीति निर्धारण एवं बजट के अभाव में जो प्रदेश अपनी सांस्कृतिक कला के लिए विख्यात था वह इस क्षेत्र में निरन्तर पिछड़ता जा रहा है।

जयपुर की ढाई सौवीं एवं बीकानेर का पंच शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उस समय दोनों शहरों को 20-20 लाख रुपये रंगमंच के निर्माण हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री ने दिये थे। जयपुर के रंगमंच के 20 लाख रुपये तत्कालीन नगर विकास न्यास, जो आज जयपुर विकास प्राधिकरण के रूप में काम कर रहा है, उसके पास आज भी जमा है एवं बीकानेर के रंगमंच हेतु 6 लाख बीकानेर नगर विकास न्यास को मिल गये हैं, 14 लाख और दिये जाने हैं, परन्तु दोनों जगह रंगमंच बनना प्रारम्भ नहीं हुआ है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने संबंधित पत्रावली में इस योजना को रद्द कर दिया। पूर्व में मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये वायदे का जहां उल्लंघन किया जा रहा है वहीं बीकानेर में रंगमंच के न बनने से लोगों में व्यापक रोष है, अतः शेष 14 लाख की राशि नगर विकास न्यास, बीकानेर को शीघ्र दी जावे एवं रंगमंच का निर्माण कार्य जयपुर एवं बीकानेर दोनों में अविलम्ब शुरू किया जावे।

इन बिन्दुओं पर भी कला एवं संस्कृति मंत्री विचार करें, प्रदेश के सांस्कृतिक विकास हेतु सांस्कृतिक नीति बनाई जावे एवं इस हेतु सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की राय लेकर नीति निर्धारण कर इस हेतु सरकार समुचित वित्तीय प्रबन्ध कर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास को गति दे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नवनीतलाल नीनामा।

बांसवाड़ा के विकास अधिकारी द्वारा घोटाला।

श्री नवनीतलाल नीनामा : सभापति महोदय, मैं दक्षिण राजस्थान, जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट के विकास अधिकारी दारा किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री नवनीतलाल नीमामा)

पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा के विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 1989-90 में न गरीब का छप्पर" योजना में 14,250 रुपये का दुरुपयोग करने बाबत निवेदन करता हूं। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट अनुसूचित जनजाति बाहुल्य पंचायत समिति है तथा जब से मांगीलाल चरपोटा विकास अधिकारी ने कार्यभार संभाला है उस समय से पंचायत समिति में कई भ्रष्टाचार के घपले सामने आये हैं जिनकी पुष्टि एवं जांच जिला प्रशासन द्वारा की गई है जिसकी जीती-जागती मिसाल बताना चाहता हूं।

(1) भू. पू. सरकार के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत छप्पर योजना में 14,250 रुपये भुगतान हेतु अनुदान दि. 15-5-89 को जारी किया गया था परन्तु मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाकर स्वयं हड़प गये जिसकी सूची इस प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम कृषक व नाम नाम पिता	गांव
1.	फूलीया पुत्र श्री रकमा	माता का बड़
2.	मांगीया पुत्र श्री हुरजी	कटारों की भै
3.	जीवणा पुत्र श्री धारा	बोरी
4.	रूपला पुत्र श्री जगला	बांध घाटी
5.	अमरू पुत्र श्री देवजी	,, ,,
6.	नानीया पुत्र मेगा	,, ,,
7.	गोबरीया पुत्र मनीया	कुण्ड
8.	देवजी पुत्र जीवा	सुरपुर
9.	रतना पुत्र हुरजी	,, ,,
10.	देवा पुत्र बागा	सिवडी महुडीबी
11.	मेगजी पुत्र नाथीया	देणदा
12.	केरेणा पुत्र नाथीया	सुरजपूरा
13.	रकमा पुत्र धारणी	कल्याणपुरा
14.	कानजी पुत्र नाराजी	कटौरा की भै
15.	उदिया पुत्र फारू	,, ,,
16.	माणकलाल पुत्र भवना	सैमालिया
17.	इन्दूडा पुत्र खेगा रेणदा	रेणदा
18.	नाथू पुत्र खेगा	माता का बड़
19.	उदीया पुत्र हकरा	रेणधा

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

इन कुल 19 व्यक्तियों के नाम से फर्जी फार्म भरवाया जाकर प्रत्येक व्यक्ति से 750/- के नाम झूठे नाम माण्डे जाकर पंचायत समिति पीपलपुर के रेकार्ड में दर्ज किया, जिसका पता किसानों को आज दिन तक नहीं है और पैसा हड़प गये हैं।

यह राशि गांवों के काश्तकारों के नाम फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे करवा कर स्वयं हड़प गए, मौके पर किसी काश्तकार को राशि नहीं दी गयी है।

जवाहर रोजगार योजना के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में ज्यादातर कार्य केवल कागजों में ही किये गये हैं। मौके पर वस्तुस्थिति की जांच करने से मालूम हुआ है कि कोई जनहित में कार्य नहीं हुये हैं। तथा अशिक्षित सरपंचों को डरा धमका कर ज्यादातर, राशि हड़प ली है। जनता के धन का भारी दुरूपयोग हुआ है।

जीवनधारा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति पीपलखूट में काश्तकारों को कुयें मंजूर किये गये एवं प्रत्येक काश्तकार को योजना के अन्तर्गत 18,400/- की राशि मंजूर की गई। परन्तु मौके पर एक भी काश्तकार को सही मुगतान नहीं हुआ व काश्तकार आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। इस बाबत सबूत के तौर पर पिछले दिनों ग्राम पंचायत सोड़लपुर के गांव छरी के सात काश्तकारों ने जिलाधीश महोदय, बांसवाड़ा को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर जिलाधीश महोदय, ने उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को व तहसीलदार घाटोल के माध्यम से जांच कराई जिसका विवरण यह है। शिकायतकर्ता काश्तकार है। उन काश्तकारों को प्रति व्यक्ति जीवनधारा योजना में जो राशि कम भुगतान की गई है, वह निम्न प्रकार है श्रीमान् सरकार की सेवा में जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

1. कचरू पुत्र नाकला गांव छरी पंचायत सोडलपुर को रेकार्ड में 6880 रुपया नामे माण्डा गया है और किसान को 2500/- रुपये ही दिये गये हैं।
2. बजेंग/आसीया गांव छरी, पंचायत सोडलपुर को रेकार्ड में 7660/- रुपया रजिस्टर्ड रेकार्ड में माण्डा गया है और किसान को 3150/- रुपया दिया गया है।
3. रामला पुत्र भैरा गांव छरी, पंचायत सोडलपुर को 7840/- रुपया रेकार्ड में खर्च माण्डा गया है और किसान के हाथ में 4700/- रुपया दिया गया है।
4. गौतम पुत्र जोरजी गांव छरी पंचायत गांव छरी, पंचायत सोडलपुर को 7120/- रुपया रेकार्ड में नामों खर्च बताया गया है और किसान के हाथ में 5900/- रुपया दिया गया है।
5. भाणजी पुत्र हमीरा गांव छरी, पंचायत सोडलपुर को 6086/- रुपया रेकार्ड नामे माण्डा गया है और किसान के हाथ में 3500/- रुपया दिया गया है।
6. गौतम पुत्र हुरजी गांव छरी पंचायत सोडलपुर को 6840,50 रुपया खर्च रेकार्ड दिखाया गया है और किसान के हाथ में 4100/- रुपया दिया गया है।

(160)

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

7. मेगला पुत्र भाणीया गांव छरी, पंचायत सौडलपुर को 8480/- रुपया खर्च दिखाया गया है और किसान को 3900/- रुपये दिये गये हैं। इस तरह से योग 50,806.50 रुपये का चुकारा भुगतान राशि रजिस्टर्ड कैशबुक में दिखाई गई है और मौके पर 27750/- रुपया किसानों के हाथ में दिया गया है। अतः कुल राशि 22,056.50 रुपये का गबन किया गया है इसलिए श्री मांगलीलाल विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा, को तत्काल उनके समय का रैकार्ड पंचायत समिति पीपलखूंट से जब्त कर जांच की जाकर नौकरी से बर्खास्त किया जावे व आदिवासी बाहुल्य पंचायत समिति पीपलखूंट की जनता को राहत दिलाई जाए।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी वर्मा।

नैनवां के ग्रामों में विद्युतिकरण।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र नैनवां में बिजली विभाग द्वारा हो रही धांधलियों और बिजली की आपूर्ति में शोचनीय कमी के हालत पर नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहूंगा। नैनवां शहर एवं इससे लगवा इलाके में विद्युत सप्लाई में कभी-कभी काफी दिनों तक लगातार एवं कभी आये दिन विघ्न पैदा होता रहा है पूरा इलाका ही कई दिनों तक भी अन्धकार में डूबा रहता है। कुछ वर्षों पूर्व तक नैनवां शहर को उनियारा से विद्युत सप्लाई की जाती रही है। किन्तु अब उनियारा से विद्युत दिया जाता बन्द कर दिये जाने से ही यह समस्या खड़ी हुई है। इस क्षेत्र को, या कम से कम नैनवां शहर को, उनियारा या देवली से विद्युत सप्लाई किया जाना समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक हो गया है।

नैनवां विधान सभा क्षेत्र बून्दी जिले का पिछड़ा इलाका है तथा किसानों को वर्षों तक भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को भी विद्युत सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है। नैनवां तहसील को विद्युतिकृत घोषित किया हुआ है। फिर भी ग्राम अरियाली, गजराकरवर, मोर झीलके झौपड़े, मजरा लीलदा, कमारिया, गुढा गोपाल जी, सांगोदा आदि कितने ही गांवों को विद्युतिकृत नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से तालेड़ा उत्तरी में पड़ने वाले तहसील बून्दी के रावधल, मण्डीत्या, जालेड़ा, बागदा, छावणी भाटों का खेड़ा, हणुत्या, जखाना, भीमगंग जांवरा, जावरा की झौपड़िया आदि कितने ही गांवों को विद्युतिकृत नहीं किया गया है जिससे कुरल एवं मेज नदी से कृषि सिंचाई हेतु बनाई जाने वाली लिफ्ट योजनायें भी नहीं बन पा रही हैं और किसान अपनी सही कृषि उपज भी नहीं ले पा रहे हैं और राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र को विद्युतिकृत करने में सही सफलता प्राप्त करने के लिए रायथल गांव में 33 के. वी. ग्रीड सब स्टेशन की स्थापना, जो विचाराधीन

(श्री रामनारायण वर्मा)

है, उस को मूर्त रूप दिया जाना भी अति आवश्यक है।

(4.47 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

इस समय श्रीलाल आत्मज मोडूलाल मेघवाल, निवासी ऊंकार पूरा ही नहीं, बहुत से ऐसे गरीब किसान हैं जिन्होंने डिमाण्ड राशि एक वर्ष पूर्व ही जमा करा दी, इस के बावजूद भी उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

ऐसे मामलों के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, किंतु दोषी कर्मचारियों को विभाग की ओर से दण्डित करने के बजाय प्रोत्साहित किया जाता है। नैनवां स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय में स्थाई रूप से जीप या ट्रक विद्युत मण्डल की ओर से उपलब्ध नहीं करवाने से इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, जिससे साधनों के अभाव में भी कार्य होने में शिथिलता आ रही है। अतः इस पवित्र....

श्री सम्पतसिंह : और भी कागज हैं क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : आपको जनता ने इतना अधिकार दे दिया है क्या कि आप मुझको पढ़ने नहीं दे रहे हो ? अतः इस पवित्र सदन के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इन तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये नैनवां विधान सभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने एवं राहत देने हेतु विद्युत व्यवस्था में स्थाई सुधार लाने की दृष्टि से नैनवां शहर को उनियारा या देवली से विद्युत सप्लाई करने की व्यवस्था करें तथा रायघल में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने की अविलम्ब व्यवस्था की जावे एवं बचे हुये गांवों को बिना किसी देरी के विद्युतिकृत करने की योजना हाथ में ली जावे ताकि इस इलाके का पिछड़ापन दूर हो सके और किसानों को विद्युत सप्लाई समय पर मिल सकें।

श्री सभापति : माननीय ईश्वरलाल सैनी।

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को स्थायी करना।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में 175 अस्थाई सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं जिनमें से कई लगभग दस वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं व....।

श्री जगमाल सिंह (तिजारा) : साहब, मंत्री महोदय नोट ही नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदित्य (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री) : यह लिखा हुआ प्रस्ताव है इसलिए नोट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसी भी शिक्षक का सेवाकाल दो वर्ष से कम नहीं है। अस्थाई सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त उत्कृष्ट शैक्षणिक मापदण्डों के

(ढ्)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

आधार पर गंभीर संवीक्षा के माध्यम से होती है। कार्यरत सभी अस्थाई सहायक प्रोफेसर यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित योग्यता की पूर्ति व उच्च श्रेणी की शैक्षणिक डिग्रियां/पी. एच. डी., एम. फिल. धारण करने केसाथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य में योगदान देते हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि अस्थायी सहायक प्रोफेसरों को वर्षों के सेवाकाल के बाद भी स्थायी नहीं किया गया। इनमें से अधिकतर शिक्षक अन्य सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। सरकारी सेवा के किसी भी अधिकारी को इतने लम्बे समय तक अस्थाई नहीं रखा जाता है और एक बार अस्थाई नियुक्तियां देने के बाद उन्हें निश्चित समय बाद स्थायी कर दिया जाता है। लेकिन विश्वविद्याय के अस्थाई शिक्षकों को संस्थाई कार्य-भार के बावजूद भी 6-6 महीने की नियुक्तियां दी जाती हैं और प्रति वर्ष एक दिन का गैप दिया जाता है और इस तरह से वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट व सिण्डीकेट ने एक प्रस्ताव पारित कर इन सभी स्थायी व्याख्याताओं की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से नियमों में संशोधन जारी करने का आग्रह किया है। सन् 1989 में विगत विधान सभा में 132 सदस्यों ने बगैर किसी दलीय भेदभाव के राज्य सरकार से इनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया था। आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करता हूं कि पिछले दो मुख्य मंत्रियों ने भी विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी व्याख्यताओं की स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश जारी किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति अंकित कर दी थी। किन्तु विधान सभा चुनावों की घोषणा होने के कारण इस पर कियान्वयन न हो सका। इसी तरह की समस्या के समाधान हेतु 12 जून, 1978 को तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत की जनता पार्टी सरकार की अनुशंसा पर उस समय कार्यरत अस्थायी सहायक प्रोफेसरों को स्थायी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश की धारा 4 के अधीन एक अनुवीक्षण समिति, जिसके सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति, संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष, संबंधित संकाय का शाखाध्यक्ष तथा कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया संबंधित विषय का विषेयज्ञ, जो संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित न हो, होंगे। इस समिति ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों राजस्थान, सुखाड़िया व जोधपुर विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 280 अस्थायी सहायक प्रोफेसरों की सेवाओं को स्थाई किया।

विश्वविद्यालय के कई विभागों में 1983 से आज तक सहायक प्रोफेसरों के स्थाई पदों के लिए साक्षात्कार नहीं कराये गये जबकि क्रमशः 1986, 1989 में इन विभागों में सहायक प्रोफेसरों के स्थाई पदों के लिए विज्ञापन किये गये किन्तु साक्षा-

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

त्कार नहीं कराये गये। विश्वविद्यालय में लगभग 140 स्वीकृत पद भी रिक्त हैं। यदि यह साक्षात्कार समय-समय पर होते रहते तो यह समस्या इतना गम्भीर रूप नहीं लेती।

श्री सम्पत सिंह : क्या करा रहे हो सैनी साहब ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : इन प्रोफेसरों को स्थाई करा रहा हूं, जो अस्थाई हैं। आप करवा दो, आपकी सरकार है, आपकी ज्यादा चलती है। यह सिफारिश भी करूंगा।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं।

श्री सम्पत सिंह : यह उम्र आपकी कोई प्रौढ़ शिक्षा की है क्या ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 295 में क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : यों कहो कि आपके + + +

श्री ईश्वर लाल सैनी : मुझे आपके बच्चों की ज्यादा फिक्र है।

आज सामान्य प्रक्रिया से चयन होने पर शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये छात्र भी इन पदों की प्रतिस्पर्धा में हैं। यदि इनमें से शिक्षकों का चयन नहीं होता है, तो उनको कोई भी उनके स्तर की नौकरी मिलना भी असम्भव है क्योंकि यह सभी अन्य सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालयों में हालात ने 1978 से भी अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। अब क्योंकि विधान सभा सत्र में है, मैं सरकार व शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की सेवाओं को स्थाई करने की प्रक्रिया में संशोधन कर केवल कार्यरत अस्थाई सहायक प्रोफेसरों की अनुवीक्षक समिति द्वारा साक्षात्कार करके योग्य पाये जाने पर स्थाई कर दिया जावे व इनमें व्याप्त भय, असुरक्षा व आशंका दूर की जावे। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन अस्थाई सहायक प्रोफेसरों की सेवाओं को स्थाई करने पर सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सभी शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है और यह अन्य सुविधाओं को भी पाते हैं, व इनका पी. एफ. भी कटता है अतः मेरा आग्रह है कि एक बड़ी संख्या में कार्यरत अस्थायी सहायक प्रोफेसरों को स्थायी करने के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य चयन नियमों में संशोधन वर्तमान सत्र में कर दिया जायेगा तो अस्थाई सहायक प्रोफेसरों के साथ अन्याय होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सम्पत सिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, संकल्प है और एक घंटा ही बढ़ा रहे हो।

श्री नत्थी सिंह : फिर बढ़ जायेगा।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : फिर बढ़ जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : ऐसे स्वेटर बुनने की तरह काहे को एक साथ बढ़ाओ, आरपार करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : कार्यवाही समप्त होने तक बढ़ा दो आप।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : अभी एक घंटे का है, फिर बढ़ा देंगे।

श्री नत्थीसिंह : बढ़ा देंगे।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

श्री जगमाल सिंह यादव : एक घंटे में तो नियम 295 के प्रस्ताव भी नहीं पढ़े जायेंगे, सचेतक महोदय।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पढ़े जायेंगे।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, अध्यक्षजी ने दो मिनट का समय दिया है, और सदस्य बीस-बीस मिनट में पढ़ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप भी यही करते हैं।

श्री सम्पतसिंह : पूरे सत्र में हमने एक भी 295 का प्रस्ताव नहीं पढ़ा।

श्री रामस्वरुप मीणा : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत....

श्री सभापति : एक मिनट, क्या सदन की सहमति है? (स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री सम्पतसिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : आप कृपया व्यवधान न करें। काग्नीजेंस ले ली है मैंने, मैं दिखवा रहा हूं ऐसा है कि जो स्वीकृत हो जाते हैं वह पहले ही देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि पांच सौ शब्दों से ज्यादा के जो प्रस्ताव आते हैं वह, अध्यक्षजी ने रिजेक्ट कर दिये हैं। आप बिराजो। यह अपन करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : ठीक बात है, लेकिन आखिर में दिक्कत आ जाती है। जो आइटम पीछे लगे हुए हैं उनमें बहुत दिक्कत होगी और अगर ऐसे धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री रामस्वरुप मीणा : तेज पढ़ेंगे, आप बिराजो।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मंत्री महोदय, इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। यह मामला पंचायती राज कर्मचारियों और राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सरकार द्वारा उनके साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के बारे में है मैं निवेदन कर रहा हूं कि सन् 1988 में राजस्थान मंत्रिमण्डल का यह निर्णय हुआ था कि राज्य कर्मचारियों की तरह ही पंचायती राज कर्मचारियों को भी सुविधाएं मिलेंगी।

श्री सम्पत सिंह : +++

श्री रामस्वरुप मीणा : उनमें एक यह भी निर्णय था कि कोई भी पंचायत राज कर्मचारी 40 वर्ष की उम्र तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह आयु सीमा में छूट रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के विज्ञापन संख्या 6-89-90 दिनांक 23-8-89 के अनुसार स्कूल व्याख्याताओं के कुल 1363 रिक्त पदों के लिए आवेदनपत्र आयोग ने आमंत्रित किए थे। लेकिन लिखित परीक्षा होने के बाद जब साक्षात्कार का समय आया तो पंचायत राज्य कर्मचारियों को, जो स्थाई रूप से पंचायत समितियों के अध्यापक हैं, आयोग से यह सूचना मिली कि पंचायत राज्य कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी और वे आयु सीमा पार करने के कारण साक्षात्कार नहीं दे सकेंगे।

क्या एम. ए., बी. एड., एम. काम., बी. एड. एवं एम. एस.सी., बी. एड. अध्यापक, जो अपनी विवशता के कारण पंचायत समितियों में अध्यापक हैं, आयु सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण प्राईमरी स्कूलों में ही बैठे रहेंगे? उनके साथ अन्याय हो रहा है।

दूसरा, स्कूल व्याख्याताओं की भर्ती हेतु सन् 1984 के बाद सन् 1989 में, यानि पांच वर्ष के लम्बे समय के बाद ही, विज्ञापन निकाला है। इस लम्बे समय में बहुत से व्यक्ति आयु सीमा को पार कर गये हैं। अतः आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावे जैसा कि आयोग अन्य परीक्षाओं में देता है।

अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान पंचायत राज्य कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहूंगा कि इनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जब कि पंचायत राज्य कर्मचारी राज्य बीमा का प्रीमियम भी कटवाते हैं। अतः इन्हें अन्य राज्य कर्मचारियों के समान ही सुविधाएं दी जाएं। यह मेरा आपसे निवेदन है और साथ ही यह भी निवेदन है पंचायत राज कर्मचारियों को भी अन्य राज्य कर्मचारियों के समान आयु सीमा में छूट होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय बाबूलाल खाण्डा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

ग्राम मनफरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं में हरिजन महिला पर अत्याचार

श्री बाबूलाल खाण्डा (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम मनफरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं में एक विधवा हरिजन महिला के साथ अत्याचार की घटी घटना के सम्बन्धमें मेरा प्रस्ताव है।

महोदय, मैं आपके मार्फत झुंझुनूं जिले में कलक्टर की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता की वजह से कमजोर वर्ग पर बढ़ते अत्याचार और उनकी जमीनों पर किये जा रहे जबरन कब्जों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी चार रोज पहले, यानि 16 जुलाई, 1990, को ग्राम मनफरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं की हरिजन विधवा मंगली के साथ सवर्णों द्वारा निर्दयता से मार-पिटाई करके उसके खेत पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। इसी एक घटना से जिला प्रशासन की पोल खुल जाती है। घटना इस प्रकार घटित हुई है। मेड़ता काण्ड के कुख्यात थानेदार रिछपाल सिंह जाखड़ जब से पिलानी थाने में तशरीफ लाये हैं, या बड़े नेताओं द्वारा नये कीर्तिमान स्थापित कराने हेतु लाये गये हैं, तभी से कमजोर वर्ग के लोग भयभीत हैं।

उदमीराम हरिजन की बेवा मंगली की 11 बीघा 13 बिस्वा खातेदारी की जमीन है। उसी गांव के इसर पुत्र सीताराम जाट की बुरी नजर उक्त जमीन पर लगी हुई थी। रिछपाल सिंह जाखड़ के आ जाने से उसका काम आसान हो गया। उसने थानेदार से हरिजन महिला के खेत पर जबरन कब्जा करने के लिए सहयोग मांगा और उसने पूरा सहयोग दिया।

15 जुलाई, 90 को शाम के वक्त चार सिपाही मंगली के घर आये और उसके तीनों बेटों लीलाराम, जगदीश और और शीशराम को धारा 107 के तहत पकड़ ले गये ताकि वे खेत पर कब्जा करने से रोक न सकें। दूसरे दिन यानि 16 जुलाई, 90 को आठ बजे ईसर पुत्र रत्तीराम, गुगन, चेतराम, धर्मपाल और उनकी और उनकी औरतों की मदद से मंगली के खेत को जबरन कब्जा करके जोत लिया, उसकी झोपड़ी को नष्ट कर दिया। अकेली मंगली ने जब उनका मुकाबला किया तो उसे निर्दयता से पीटा गया और उसके कपड़े फाड़ कर उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। निर्वस्त्र मंगली के साथ डंडे से जो सलूक उन्होंने किया वह बड़ा शर्मनाक है। हर संवेदनशील व्यक्ति का सर शर्म से झुक जायेगा।

इस अत्याचार, मार-पिटाई और खेत पर जबरन कब्जा करने की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कुछ लोग गये तो थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उलटे उन्हें अन्दर कर देने की धमकी दी। एक जागरूक और संवेदनशील अध्यापक महीपाल शर्मा और बनावा पंचायत के सरपंच के प्रयास और जमानत देने पर मंगली के बेटों को दो रोज तक थाने में बंद रखने के बाद छोड़ा गया।

मंगली इस हादसे और अत्याचार के समस्त घावों और पीड़ा को लिये अपने घर में खाट पर पड़ी हुई है। सरकारी डाक्टर

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

भी उसका इलाज नहीं कर रहा है। शायद यह भी थानेदार रिछपाल सिंह जाखड़ से डर गया है। गांव वालों ने कलक्टर को भी अन्याय और अत्याचार की शिकायत की लेकिन हरिजन विरोधी कलक्टर ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री की अन्तरात्मा को झकझोरना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि—

मंगली को तुरन्त माकूल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय, मंगली के खेत पर से नाजायज कब्जा हटाया जावे तथा कब्जा करने और मारपिटाई करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये, मंगली और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाये। जिला कलक्टर तथा पिलानी के थानेदार रिछपाल सिंह जाखड़ से झुंझुनू जिले को मुक्ति दिलायी जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगमाल सिंह यादव।

मल्हम काण्ड के दोषियों को सजा।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने राजस्थान में हुए मल्हम काण्ड में विभाग में कार्यरत दो कर्मचारियों को निलम्बित करने की घोषणा की है लेकिन राजस्थान की जनता इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इससे न केवल गरीब मारा गया है, बल्कि इससे इस काण्ड का असली अभियुक्त व दोषी बच गया है। अकाल की स्थिति को देखते हुए जल्दी में इस मल्हम की खरीद की गयी और अकालग्रस्त क्षेत्र में भेज दी गयी। यही नहीं, जिला स्तर पर भी उक्त सप्लायर ने लाखों की तादाद में उक्त दवाओं की सप्लाई की। इस दवा को खरीदने के लिये मात्रा व किस्म को देखने के लिए तीन डाक्टरों की समिति बनी, जिन्होंने इसे खरीदने की स्वीकृति दी। इस मल्हम की शिकायत के बाद इसकी जांच हेतु एक कमेटी गठित की गयी जिसने इस मामले में इस बाबत रिपोर्ट दे दी। प्रश्न यह है कि एक के बाद एक, तीन कमेटियां बनी और उसके बाद भी नकली मल्हम खरीद ली गई, और एक वर्ष तक यह फर्म धोखाधड़ी करती रही। पूर्ण रूप से धोखा देती रही। फर्म ने सेन्ट्रल स्टोर में सप्लाई की और अपनी सभी ट्यूबों पर "स्ट्रेलाइज" अंकित कर दिया जबकि बाद में इसी फर्म ने ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के जरिये अकाल ग्रस्त क्षेत्र में यह ट्यूब भेजते वक्त बिल्टियां बनाते समय ट्यूब पर अंकित स्ट्रेलाइज शब्द को स्याही अथवा पेन से काट दिया, नतीजे में यह सभी ट्यूब "स्कीन ओइंण्टमेण्ट" होकर रह गयी।

हकीकत यह है कि इस फर्म के पास आंखों की ट्यूब बनाने का लाइसेन्स ही नहीं था, जिसकी इजाजत खुद ड्रग कण्ट्रोलर अर्थात् चिकित्सा निदेशक देता है। जब चिकित्सा निदेशक को ही इस बात का ज्ञान नहीं हुआ तो निलम्बित गैर तकनीकी कर्मचारियों को इसका भान कैसे हो? अतः इनको निलम्बित करना कहां तक उचित है?

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

(168).

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने एक नाम नहीं बोला, श्री बी. डी. कल्ला मेरे पास भी लिस्ट है।

श्री सभापति : बोल दिया।

समर्थरथ फार्मास्यूटिकल कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत समरथ फार्मास्यूटिकल कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी कर आंखों की मल्हम के स्थान पर चमड़ी की मल्हम सप्लाई किये जाने बाबत निवेदन है कि राज्य के लाखों लोगों की नेत्र ज्योति से खिलवाड़ की कहानी की शुरूआत वर्ष 1987–88 के दौरान हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पोली मिक्सिन बी. सल्फेट बी. पी. पांच हजार यूनिट्स जिंक बेसिटेरियन बी. पी. सी 400 यूनिट्स तथा न्योमाइसिन सल्फेट आई. पी. 3400 आई. यू. के साथ ही पैट्रोलियम आधारित स्ट्रलाइड फार्मूला निर्धारित किया। विभागीय टेण्डरों में सबसे कम रेट तीन रुपये प्रति पांच ग्राम की ट्यूब के हिसाब से समरथ फार्मास्यूटिकल की "जेसेनि" की आयी जिसे विभाग ने स्वीकृत कर दिया और सप्लाई अनुबन्ध करने के साथ ही अमानत राशि भी जमा करा ली। इसी बीच राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल सहायता के तहत केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग को दवाइयां खरीदने का विशेष बजट प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने 31 जुलाई, 1988 तक इस बजट के तहत दवाइयों की खरीद के आदेश दिये। विभाग ने दवाइयों की किस्म व मात्रा तय करने के लिये तीन डाक्टरों की एक समिति गठित की जिसमें डाक्टर पी. एन. शर्मा, डाक्टर होलाराम व डाक्टर जी. एस. सक्सेना को शामिल किया। समिति ने अन्य कई दवाइयों के साथ टेण्डर केटलाग संख्या 435 की 50 हजार ट्यूब "जेसेप्रिन" खरीदने की सिफारिश की जिसे चिकित्सा निदेशक ने भी स्वीकृति दे दी। इसी स्वीकृति के आधार पर समरथ फार्मास्यूटिकल को 13-7-88 को 50 हजार ट्यूब सप्लाई करने के आदेश दे दिये। समरथ फार्मास्यूटिकल ने 27 जुलाई, 1988 को जेसेप्रिन की 50 हजार ट्यूब सप्लाई कर दी जिसका 1 लाख 69 हजार का बिल भी पेश किया। समरथ फार्मास्यूटिकल से तय हुई शर्तों के मुताबिक एफ. ओ. आर. डेस्टीनेशन था जिससे सप्लाई किया जाने वाला माल सैण्ट्रल स्टोर में नहीं रखा गया एवं उक्त सप्लाई अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को सीधी की गयी। इसके बाद भी सितम्बर, 89 तक विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों की मांग पर उक्त दवा की मांग पर उक्त दवा की अकालग्रत क्षेत्रों के अलावा कई जिलों में करीब 2 लाख ट्यूब और सप्लाई की।

दिसम्बर 1989 में चिकित्सा विभाग को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी पी. सी. सिंधी के नाम से शिकायत मिली जिससे शिकायतकर्ता ने उक्त फर्म द्वारा आंखों की ट्यूब सप्लाई करने के बजाय चमड़ी पर लगाने वाली ट्यूब सप्लाई करने बाबत लिखा जिसकी वजह से लाखों लोगों की आंखों के खराब होने का अंदेशा बताया। इस शिकायत पर तत्कालीन चिकित्सा निदेशक ने विभाग के

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर फर्म के रिकार्ड की जांच की एवं फर्म से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेना तय किया। इस दरम्यान चार माह गुजर गये थे। तभी यह मामला जयपुर से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ और साथ ही जयपुर दूरदर्शन से भी इस समाचार का प्रसारण हुआ। इससे यह मामला जन-जन में चर्चित हो गया। तब विभाग ने एक जांच समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट मई माह में पेश कर दी गयी थी। इसके चलते माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के आदेश से दो कर्मचारी मुअत्तिल हुए। फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पुलिस में रजिस्टर होना तय हुआ एवं फर्म को ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया। लेकिन जानकारी मिली है कि ऐसी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं हुई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी सारी कमेटियां एवं तकनीकी विशेषज्ञों की राय के बाद यह कहर इन गरीब कर्मचारियों पर क्यों उतरा? जब कि विभाग को साफ पता था कि इस फर्म के पास स्ट्रलाइजेशन प्लांट का लाइसेंस ही नहीं है और फिर इसकी कुछ ट्यूब, जो सैण्ट्रल स्टोर में सप्लाई की गई उन पर स्ट्रलाइज्ड लिखा होना एवं जो माल अकाल ग्रस्त इलाके में भेजा गया उसपर इस शब्द को स्याही से मिटा देना स्वतः इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की नीयत ही धोखाधड़ी की थी।

अब आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि उक्त फर्म से वह सारा पैसा, जो करीब 2.5 लाख ट्यूब सप्लाई का 7.5 लाख रु. के करीब है, वसूल किया जाय एवं मानवता के हत्यारे ऐसे लोगों को इस तरह की प्रताड़ना दी जाय कि भविष्य में इन्सानियत के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो एवं निर्दोष लोगों को बख्शा जाय। इस विषय में उचित होगा कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाय एवं दोषी लोगों को दण्डित किया जाय।
धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री जुबेर खां।

मीनाक्षी उर्फ मंजू दहेज हत्याकाण्ड।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस प्रस्ताव के माध्यम से मीनाक्षी उर्फ मंजू दहेज हत्या काण्ड, जो कि 22-4-90 को हुआ, पर केन्द्रित करना चाहता हूं। इस जघन्य हत्या काण्ड को हुए आज तकरीबन 3 माह हो रहे हैं लेकिन पुलिस डीग जिला भरतपुर द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस हत्या काण्ड के दो मुख्य अपराधी मीनाक्षी की सास कमला एवं उसका पति अनिल कुमार निर्बाध रूप में खुले आम घूम रहे हैं। मीनाक्षी उर्फ मंजू का विवाह आज से तकरीबन 5 वर्ष पूर्व अनिल कुमार पुत्र श्री राधाकिशन खण्डेलवाल, निवासी डीग जिला भरतपुर के साथ सम्पन्न हुआ। श्री गिर्राज प्रसाद खण्डेलवाल, निवासी रामगढ़ जिला अलवर ने अपनी सामान्य आर्थिक स्थिति के अनुसार विवाह भली-भांति किया। लेकिन दुर्भाग्य से मीनाक्षी की सास, कमला को दहेज कम आने का बड़ा सन्ताप रहा। वह लगातार अनेक रूप में दहेज की तरह-

(श्री जुबेर खां)

तरह की मांग करती रही। इसी दहेज पिपासा ने दिनांक 23-4-90 रविवार को सुबह करीब 9.15 बजे, जब महाभारत सीरियल आ रहा था, के समय तीन बच्चों की मां मीनाक्षी को अपना शिकार बना लिया और उसको सास, पति एवं तीन देवरों ने मिलकर जला कर मार डाला। उक्त सामाजिक कलंक के प्रतीक हत्या काण्ड की प्राथमिक घटना सूचना सं. 122/90 दिनांक 23-4-90 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 'ए' एवं 394 'बी' मे थाना डीग जिला भरतपुर में मृतका मीनाक्षी के भाई ताराचन्द ने दर्ज कराई। पुलिस डीग की निष्क्रियता पर कस्बा रामगढ़ व डीग के निवासियों ने एक सामूहिक प्रदर्शन दिनांक 27-4-90 को डीग के मुख्य बाजारों से होते हुए निकाला। मुख्य अभियुक्त कमला व अनिल कुमार दोनों फरार हो गये, जैसा कि पुलिस कहती है। जबकि वे आम तौर पर डीग में नजर आ रहे हैं। उक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारण्ट भी पुलिस ने जारी करा लिये हैं पर मात्र एक बहकाने वाली बात है। पुलिस चाहती तो अभियुक्त कब के ही पकड़े जा सकते थे। उनकी अग्रिम जमानत का आवेदन राजस्थान उच्च न्यायालय से रद्द हो चुका है।

मृतका मीनाक्षी की सास कमला अध्यापिका है तथा फरार अपराधी घोषित होने पर भी उसने 2 जुलाई, 1990 को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो स्पष्टतः पुलिस की निष्ठा पर संकेत करती हैं। अभियुक्तगण अत्यन्त ही धनाढ्य व्यक्ति हैं तथा पैसे के जोर पर अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय समाज में दहेज के नाम पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कलंक हैं तथा इस प्रकार के अपराधियों को कठोर से कठोर दण्ड शीघ्र दिलाना प्रशासन का नैतिक कर्तव्य है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना समय नष्ट किये हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर दण्ड दिलाने के साथ ही शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जावे जिन्होंने न्यायालय से गिरफ्तारी वारण्ट जारी शुदा अपराधी को उपस्थिति दर्ज करने का अवसर दिया। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी।

सहकारी विभाग का पुर्नगठन।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं सहकारी विभाग के पुनर्गठन एवं एवं सुधार के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। सहकारी विभाग की वर्तमान व्यवस्था में कार्यकारी, अंकेक्षण एवं न्यायिक तीनों शाखाएं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के अधीन है। यद्यपि अंकेक्षण शाखा के लिए एक मुख्य अंकेक्षक, जो कि सुपर टाइम स्केल का मुख्य लेखाधिकारी होता है, नियुक्त किया जाता है, परन्तु स्थानान्तरण एवं अन्य समस्त अधिकार रजिस्ट्रार में निहित हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण शाखा के जिला, खण्ड एवं राज्य स्तर के पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी राजस्थान सहकारी सेवा के अधिकारी होते हैं। वे ही समय-समय पर सहकारी संस्थाओं में

(श्री गंगाराम चौधरी)

प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तथा वे ही कार्यकारी शाखा का संचालन भी करते हैं। रजिस्ट्रार स्वयं ही राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर तथा राजस्थान राज्य गृह निर्माण वित्त समिति का प्रशासक है तथा अंकेक्षण का भी सर्वोच्च अधिकारी है। उसके अधीनस्थ काम करने वाले निरीक्षक (अंकेक्षण) तथा अन्य अधिकारी इनके कार्यों का निष्पक्ष एवं निर्भीक अंकेक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, यह विचाराणीय है। इस प्रकार एक ही अधिकारी के पास में अंकेक्षण तथा प्रशासन होने से सही अंकेक्षण नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है कि वर्ष 1986-87 में जोधपुर सहकारी भण्डार के प्रशासक श्री अविनाश रणवां उप रजिस्ट्रार थे, वे साथ ही जोधपुर के क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियां भी थे। उन्होंने प्रशासक की हैसियत से भण्डार की कई शाखाएं ठेके पर दे दी। परन्तु अंकेक्षण भी उन्हीं के पास में था, इस कारण से किसी ने इस पर आक्षेप नहीं किया तथा इसका परिणाम यह हुआ कि भण्डार घाटे में आ गया तथा उसका अवसायन हो गया पचास कर्मचारी बेरोजगार हो गये।

इसी प्रकार गंगानगर स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ की वर्ष 1984–85 की रिपोर्ट में तत्कालीन प्रबन्ध संचालक एवं प्रशासक श्री फतेह सिंह चारण के विरुद्ध अंकेक्षण किये गये थे। प्रबन्ध संचालक सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार श्री अशोक जैमन थे। वर्ष 1988–89 में श्री चारण सहकारी विभाग में स्वयं रजिस्ट्रार बने तब उक्त संयुक्त रजिस्ट्रार श्री अशोक जैमन के आवेदन पर श्री चारण ने 1984-85 की रिपोर्ट निरस्त करके पुनः अंकेक्षण के आदेश दे दिये। यह अधिकारी के दुरुपयोग की चरम सीमा है। अंकेक्षण रिपोर्टों के आधार पर धारा 74 (1) में मामला दर्ज करने, निर्णय करने तथा वसूली करने का कार्य भी रजिस्ट्रार के पास है। यह एक न्यायिक कार्य है। मई, 1988 से पूर्व अंकेक्षण शाखा में अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर धारा 74 (1) में मामले दर्ज होते थे। जब अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सहकारी विभाग के अधिकारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध मामले दर्ज हुए तो उन्होंने रजिस्ट्रार से एक परिपत्र जारी करवाकर समितियों का गठन करवाया। शीर्ष संस्थाओं के लिए गठित समिति में सम्बन्धित सहकारी संस्था का प्रबन्ध संचालक, सम्बन्धित संयुक्त रजिस्ट्रार एवं मुख्य अंकेक्षक होता है। इस समिति की स्वीकृति के बाद में ही मामले दर्ज हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि कई बार प्रबन्ध संचालक के विरूद्ध भी धारा 74 (1) के मामले होते हैं। जैसा कि राजफैड के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालकों श्री दिनेश कुमार तथा श्री राम मोहन का मामला है ऐसी स्थिति में कोई सही निर्णय किस प्रकार होगा। दिसम्बर, 1989 से पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंकेक्षण कार्यालयों में तथा निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कार्यकारी शाखा में मामले दर्ज होते थे। परन्तु दिसम्बर, 89 में एक परिपत्र जारी करके धारा 74 (1) के मामले, अंकेक्षण प्रतिवेदनों वाले भी, कर्मचारी शाखा को स्थानान्तरित कर दिये गये। इस प्रकार सहकारी समितियों

(श्री गंगाराम चौधरी)

में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को ही गबन-घोटालों पर निर्णय करने का अधिकार देदिया गया है।

सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण के लिए सहकारी अंकेक्षण विभाग का गठन किया जाना चाहिये। इसमें कोई खर्चो का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि 21 विशिष्ठ अंकेक्षक कार्यालय तथा 8 खण्ड कार्यालय (क्षेत्रीय अंकेक्षक) कार्यरत हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर एक मुख्य अंकेक्षक, दो उप मुख्य अंकेक्षक सहित पृथक कार्यालय है। मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह जी ने भी विपक्ष के नेता के रूप में गत वर्षों में विधानसभा में सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण महा लेखाकार के नियंत्रण में देने की बात कही थी। उसके लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक विभाग से अंकेक्षण को अलग किया जाये। वर्तमान में राजस्थान सहकारी सेवा के स्थान पर राजस्थान सहकार (कार्यकारी) सेवा तथा राजस्थान सहकारी (अंकेक्षण) सेवा का गठन किया जाये। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा के स्थान पर राजस्थान सहकारी (अंकेक्षण) अधिनियम सेवा तथा राजस्थान सहकारी (कार्यकारी) अधीनस्थ सेवा का गठन हो। सहकारी अंकेक्षण विभाग का विभागाध्यक्ष शोभाराम कमेटी की सिफारिश के अनुसार भारतीय लेखा अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण सेवा का वरिष्ठ अधिकारी ही जिससे राज्य के राजनैतिक तत्व तथा अधिकारी उसको प्रभावित नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त न्यायिक कार्यो के लिए रजिस्ट्रार से पृथक न्यायालय होने चाहिए जिसमें कार्यकारी अथवा अंकेक्षण के किसी अधिकारी का दखल नहीं हो, जिसमें अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर धारा 74 (1) में मामलों को दर्ज किया जाय तथा निर्णय हो। वर्तमान व्यवस्था से न्याय के सामान्य सिद्धान्तों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लंघन हो रहा है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाना चाहिए।

सहकारी विभाग की कार्यवारी, अंकेक्षण तथा न्यायिक शाखाओं को सही स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। सहकारी अंकेक्षण विभाग की स्थापना तत्काल किया जाना आवश्यक है, जिससे सहकारी संस्थाओं में होने वाले गबन-घोटालों पर नियन्त्रण हो सके। नियम 295 के अन्तर्गत इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बांध एवं एनीकट का निर्माण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जयपुर ग्रामीण के मूंडला बांध, जिस पर से होकर सड़क जाति थी और जो 40 गांवों-ढाणियों को जोड़ती थी, को तत्काल बनाये जाने की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माइक मेरा टूटा हुआ है, मेरे यहां बैठने से पहले से टूटा हुआ है। यहां से कुछ तार इसके गड़बड़ हैं, अगर ठीक हो जायं तो अच्छा है।

एक माननीय सदस्य : सीट बदल लो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां बैठते हैं उसी सीट पर से बोलने का नियम है, उससे अलग हटकर बोलने का नियम नहीं है। मैं उस नियम की पालना कर रही हूं।

श्री सम्पत सिंह : आपको मन्त्री नहीं बनना ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, संतरी भी नहीं।

प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मैं जयपुर ग्रामीण के मूण्डला बांध, जिस पर से होकर सड़क जाती थी और जो 40 गांवों-ढाणियों को जोड़ती थी, तत्काल बनाये जाने की आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में 1981 की बाढ़ में गांवों के निकट के छोटे-बड़े बन्ध करीब 110 फूट थे। इन बन्धों में यदि पानी भरता तो कुओं की सीम रहती, कुओं में पानी भरता, आस पास चारा होता और मवेशी पानी पीते। लेकिन खेद है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। वैसे तो माननीय शिवचरण जी माथुर कह रहे थे कि 1981 की बाढ़ में बहुत काम हुए।

श्री सभापति : आप कृपया लिखा हुआ ही पढ़ें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं लिखा हुआ ही बोल रही हूं, विधान सभा में आयी हुई बात पर ही बोल रही हूं। लेकिन उन्होंने काम तो किये नहीं, इसलिए कठिनाई मुझे आज भी है, यह बात बोल रही हूं।

श्री सभापति : आप लिख देतीं इसमें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खेद है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया कि उनके निर्माण हेतु पैसा आबंटित करती और ये काम होते। उनमें से एक बांध की ओर भयावह स्थिति है। यह बांध जयपुर से 17 किलोमीटर दूर रामगढ़ रोड पर हीरांवाला के सामने से रूपवास पंचायत का मुख्य बन्ध व पंचायत हैडक्वार्टर के रास्ते पर सड़क से दो किलोमीटर दूर है। इस बन्ध के बीच में से पक्की सड़क, सड़क के स्तर पर ऊंची जाती थी, जो आगे की चार पंचायतों रूपवास, राहोरी, पापड़, एवं नायला को जोड़ती थी, वह गयी। इस बन्ध की गहराई 100 फीट से भी ज्यादा है। अब लोगों को बन्धे में इतनी गहराई में उतर और फिर चढ़कर जाना पड़ता है। उक्त पंचायतों के गांव-ढाणी मिलाकर पचास से भी ऊपर हैं, जिनमें जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं। मान्यवर, स्वयं का जाना कठिन है और सामान का ले जाना तो और भी कठिन। कोई बीमार हो जाय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो उसको ले जाना बेहद मुश्किल है। पंचायत रूपवास में कोई अस्पताल भी नहीं जो वहीं किसी बीमार को दिखा लें। स्कूल मास्टर और पोस्टमैन आदि भी नहीं पहुंचते। इस बन्धे और उस सड़क के टूटने से ग्रामीण परेशान हैं।

मैं इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहूंगी कि आज की राजस्थान पत्रिका में श्री बिशनसिंह शेखावत का इसी रूपवास-राहौरी का "आओ गांव चलें" शीर्षक से आया है। उसकी दो लाइनें पढ़कर सुनाती हूं—"रूपवास एवम् राहौरी के बीच बने नाले पर एनीकट बना हुआ था, वह टूट गया। गांव वालों का कहना है कि इसका पानी रोका जाय तो कुओं में सीम भरे और यहां के लोगों को फायदा हो।

इतनी-सी बात कहने के बाद मैं कहना चाहूंगी कि गांव वालों का कष्ट अकथनीय है। सरकार इस कार्य को तत्काल कराये। यह बान्ध भू-संरक्षण व बाढ़ राहत विभाग में से कोई विभाग बना सकता है। सड़क की कुल लम्बाई आधा किलोमीटर पाड़ के रूप में है। यह सड़क राहत कार्य में मंजूर है और आगे वाली बन रही है लेकिन बन्ध पर वह स्पष्ट रूप से नहीं बनाते, बनाने के लिए मना करते हैं। इस कष्ट को देखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी सरकार से कि इस कार्य को तात्कालिक रूप से लें ताकि ग्रामीण लोगों को राहत पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

बाल अधिनियम लागू न होने से अपराध

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान में बाल अधिनियम, 1986 के पूरी तरह लागू नहीं होने से बाल अपराधियों के साथ अन्याय होने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं।

सभापति महोदय, अपने देश में बाल अपराधियों को अन्य अपराधियों से अलग रखकर उनके सुधार के लिए भारत सरकार ने जूबेनाइल जस्टिस एक्ट, 1986 बनाया था, जो राजस्थान में भी लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी बाल अपराधी को साधारण जेल की सजा नहीं दी जा सकती तथा बाल अपराधियों को अन्य अपराधियों के साथ भी नहीं रखा जा सकता। उनके लिए बाल सुधार गृह बनाने का भी प्रावधान है। उक्त अधिनियम के तहत विशेष रूप से जूबेनाइल कोर्ट अथवा जूबेनाइल वेलफेयर बोर्ड बनाये गये हैं जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा समाजसेवी व्यक्ति भी सदस्य होते हैं। राजस्थान में भी इसी प्रकार के जूबेनाइल कोर्ट बनाये गये हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान में मात्र डिवीजन मुख्यालयों पर ही इस प्रकार के कोर्ट बनाये गये हैं। इसका असर यह हुआ है कि बाल अपराधियों की ट्रायल का अधिकार डिवीजन मुख्यालय पर स्थित बाल न्यायालयों को ही है। अन्य जूडीशियल न्यायालयों को बाल अपराधियों के ट्रायल के अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिये गये हैं। इस कारण बाल अपराधियों को अपराध

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

की ट्रायल के लिए अपने निवास से डिवीजन मुख्यालय पर स्थित न्यायालय पर आना पड़ता है, जिससे उन्हें तथा उनके संरक्षकों को भारी आर्थिक कठिनाई होती है।

जूवेनाइल जस्टिस एक्ट, 1986 की धारा 7 (2) के तहत यह प्रावधान भी है कि जहां पर बालक न्यायलय स्थापित नहीं हैं वहां पर बाल अपराधियों की ट्रायल सम्बन्धित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। परन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी राजस्थान में मात्र डिवीजन हैडक्वार्टर पर स्थित बालक न्यायालय ही ट्रायल करते हैं, जिस कारण बाल अपराधी को मात्र जमानत व ट्रायल के लिए अपने संरक्षक के साथ डिवीजन हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, अर्थात बाड़मेर के अपराधी को जोधपुर तथा नागौर के अपराधी को अजमेर जाना पड़ता है।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मात्र डिवीजन हैडक्वार्टर पर बाल न्यायालयों को ट्रायल के एक्सक्लूजिव अधिकार देकर बाल अपराधियों के साथ अन्याय कर रही है जब कि 1986 के उक्त अधिनियम के तहत, अन्य स्थानों पर स्थित प्रथम श्रेणी जूडीशियल मजिस्ट्रेट भी इस प्रकार की ट्रायल करने में सक्षम हैं।

डिवीजन हैडक्वार्टर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन इस प्रकार के न्यायालय बनाने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि बाल अपराधियों द्वारा हत्या डकैती आदि के गम्भीर अपराध भी किये जाते हैं।

मेरी सरकार से यह अपील है कि इस प्रक्रिया में संशोधन किया जाय तथा जिस मंशा से अधिनियम बनाया गया है उसको तथा बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए सेशन कमिट प्रकरण की ट्रायल का अधिकार वर्तमान बाल न्यायालय को दे दिया जाय तथा अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों की ट्रायल का अधिकार उक्त अधिनियम के तहत सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया जाय ताकि बाल अपराधियों पर हो रहे अन्याय से राहत दी जा सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की लापरवाही

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम (3) के अंतर्गत श्री जगमाल सिंह यादव, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की लापरवाही से अनेक कर्मचारियों तथा मवेशियों की करंट लगने से हुई मौतों के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

अगर वह नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट दें। बोलना चाहें तो बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : फिर मैं स्टेटमेंट दूं, वह पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कह दें कि इस समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित है, फिर अपना रिप्लाई दे दें।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, नियम (3) के अधीन विद्युत निरीक्षणालय द्वारा असावधानी बरते जाने पर हर साल करोड़ों बेगुनाह इन्सान और पशुओं की मौत पर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, एक ओर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : दो लाइन की बात बता रहा हूं....

श्री सभापति : जब इनका स्टेटमेंट आ जाए तो मैं आपको अवसर दे दूंगा। (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काफी असंख्य लोगों के मरने की, पशुओं के और आदमियों के मरने की जो बात कही है वह बात तो सही नहीं है क्योंकि में पिछले 5 साल के आंकड़ों के जरिए सदन को यह बताना चाहूंगी कि 1981 के अंदर 36 घातक दुर्घटनाएं हुई, और अघातक दुर्घटनाएं हुई है 42 और इस तरह से क्षतिपूर्ति की राशि जो उनको दी गई है वह है 19, 51,940.38 रुपय। 1986 में 42 हुई है घातक दुर्घटनाएं तथा 49 हुई है अघातक दुर्घटनाएं और इस तरह से क्षतिपूर्ति की राशि 26,13,561 रुपये 7 पैसे चुकाए हैं। 1987 में 40 घातक दुर्घटनाएं, 51 अघातक दुर्घटनाएं और क्षतिपूर्ति की राशि 23,83, 251 रुपए 4 पैसे चुकाई गई है। 1988 में 27 घातक दुर्घटनाएं 53 अघातक दुर्घटनाएं और 16,54723.31 रुपया क्षतिपूर्ति का चुकाया गया है। 1989 में 29 घातक दुर्घटनाओं में मारे गए 48 अघातक दुर्घटना और इस तरह से 7,83,-258.84 क्षतिपूर्ति का चुकाया गया है। क्योंकि कर्मचारी विद्युत खंभों पर कार्य करते हैं इसलिए काफी सावधानी बरतने के बावजूद भी प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सामान्य जनता में से करंट से मरने वाले की संख्या की पूरी जानकारी मुझे नहीं है परन्तु 1987–88 में यह संख्या 10 थी क्योंकि कई लोग इसकी सूचना भी नहीं देते। यदा-कदा जानवर भी करंट से मारे जाते हैं। विद्युत मण्डल का तेज गति से विस्तार हो रहा है। प्रतिवर्ष करीब 100 से अधिक गांवों का विद्युतिकरण किया जाता है। 25000 कुओं के विद्युतिकरण का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है। राज्य में विभिन्न श्रेणी की लाइनों की लबाई लगभग 3,65,099 किलोमीटर है। एक ओर जहां राज्य सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप तेज गति से विद्युत मण्डल का विस्तार किया गया है वहीं इसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हुई है जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष विद्युत मण्डल को करोड़ों रुपए का घाटा होता रहता है। अकेले कृषि कनेक्शनों में प्रति यूनिट 82 पैसे का नुकसान हुआ

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है। बड़े उद्योगों के अलावा सभी श्रेणियों में विद्युत मण्डल को घाटा हुआ है। यानि उत्पादन जितनी राशि में हुआ है उससे कम में विद्युत मण्डल द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। विद्युत मण्डल की अब तक की देनदारिया करीब 2300 करोड़ रुपए की है। अकेले इस वर्ष विद्युत मण्डल द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के रूप में विभिन्न संस्थाओं को चुकाई जाएगी। ऐसी विषय परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि विद्युत मण्डल की सेवाओं में गिरावट आई है। तकनीकी दृष्टि से समय-समय पर यह विचार व्यक्त किया गया है कि मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ किया जाए परन्तु प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर हुए कुओं के विद्युतिकरण एवं गांवों के विद्युतिकरण के कार्यों के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती है। लाइनों में पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का नहीं होना भी खराब आर्थिक स्थिति का ही परिणाम है। विद्युत नियमों के तहत कर्मचारियों के अतिरिक्त जन साधारण एवं मवेशियों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित होने पर ही मुआवजा दिया जाता है। माननीय सदस्य ने बिना संख्या बोले सैंकड़ों व्यक्ति, हजारों जानवरों के करंट से मरने का उल्लेख किया है जबकि ऐसा नहीं है। मेरे दिए हुए आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है। विद्युत मण्डल के 200 कर्मचारी प्रति वर्ष करंट से मरने का उल्लेख किया है जबकि विद्युत मण्डल के अनुसार गत वर्षों का औसत लगभग 40 व्यक्तियों का आया है। विद्युत मंडल के ट्रांसफार्मर, लाइनों आदि के लिए नियमानुसार कोई 'एल' फार्म नहीं देना होता है। भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 44 (ए) के अनुसार किसी भी दुर्घटना की सूचना सप्लायर मतलब आर. एस. ई. बी. को समय पर निर्धारित प्रोफार्मा में देनी होती है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जांच की जाती है। व्यक्तियों की घातक दुर्घटना जांच रिपोर्ट मय पुलिस एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर जांच पश्चात् राज्य सरकार को भिजवा दी जाती है जिसमें नियमों के उल्लंघन का ब्यौरा होता है। विद्युत मण्डल के ट्रांसफार्मर्स, लाइनों आदि का साधारण निरीक्षण नहीं होता है जबकि ऐसे उपभोक्ताओं के संस्थापनों का सामयिक निरीक्षण राज्य सरकार के नोटिफिकेशन नं. 5665/59/6/132/पीडब्ल्यूडी/ईएम/54 दिनांक 25 अगस्त, 1959 के द्वारा किया जाता है। वायरिंग कांट्रेक्टर को राज्य सरकार के मुद्रणालय से छपाकर 'एल' फार्म की पुस्तकें सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर प्रत्येक माह ज्यादा से ज्यादा दो पुस्तकें दी जाती है। प्रत्येक में 50 'एल'.फार्म होते हैं। उपभोक्ता अपना बिजली फिलिंग कार्य कराकर ऐसा 'एल'-फार्म विद्युत मण्डल को प्रस्तुत करता है जिससे कनेक्शन होता है। जहां तक आवासन मण्डल का सवाल है वहां के अध्यक्ष आदि को समय-समय पर नियम के अनुसार वायरिंग कांट्रेक्टर से कार्य करवाने हेतु लिखा जाता रहा है। राज्य भर में लगभग 22.000 'एल' फार्म, हर माह तकरीबन 220 कांट्रेक्टर जो किताब चाहते हैं, उनको, दिए जाते हैं। कांट्रेक्टर्स आपसी द्वेष भाव से एक-दूसरे का 'एल'

(178)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

फार्म लेकर उसको अखबारों में किसी भी वी. आई. पी. के नाम से छपवा देते हैं और शिकायतें करते हैं। इससे बिजली दुर्घटना होने का प्रश्न ही नहीं है और न ही जनता को असुविधा होती है। क्योंकि ये 'एल' फार्म राजकीय प्रेस से छपाए जाते हैं अतः माननीय सदस्य के ध्यान में कोई नकली 'एल' फार्म हो तो ऐसा उपलब्ध कराए मुझे ताकि सरकार उसकी जांच करवा सके। 'एल' फार्म देना विभाग का एक बहुत छोटा काम है। जैसे सरकार द्वारा सैंकड़ों दुकानें रजिस्टर्ड हैं वैसे ही ये हजारों 'एल' फार्म नियमानुसार दिए जाते हैं और कुछ ठोस सबूत के साथ शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे फार्म वाले वायरिंग कांट्रेक्टर का कार्य रोक दिया जाता है। ऐसे गत 2 माह में फर्जी 'एल' फार्म की कोई शिकायत प्राप्त होने पर 5 वायरिंग कांट्रेक्टर का कार्य रोक दिया गया है। बिना सबूत के विभाग की मिली भगत का आरोप लगाना मैं समझती हूं कि उचित नहीं है। 'एल' फार्म का मामला उपरोक्तानुसार आम जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता है एवं दुर्घटनाएं भी इस राज्य में और राज्यों की अपेक्षाकृत कम होती हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो आंकड़े अभी मंत्री महोदया ने सदन में रखे इसी से यह आभास हो गया कि 85 से लेकर 89 तक एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी गई। महोदय, एक तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो आंकड़े मरने वालों के, घातक और अघातक की संख्या बताई है यह बोर्ड के कर्मचारी हैं या आम जनता जो इन्सीडेंट होता है नागरिकों को, वह भी इसमें शामिल है ? पहला सवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये केवल बोर्ड के कर्मचारी हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : बोर्ड के कर्मचारियों का तो माननीय सभापति महोदय, आपने मुआवजे का इन्तजाम कर दिया और यह संख्या तो मात्र इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके तो बाकायदा प्रावधान है और आर. एस. ई. बी. बाकायदा यह केस टेक-अप करता है। मैं तो, माननीय मंत्री महोदया. आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि इस विद्युत निरीक्षणालय की लापरवाही से प्रति माह सैंकड़ों नागरिक और पशु मर जाते हैं उनका रखवाला कौन है ?

दूसरा, माननीय मंत्री महोदया, आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में विद्युत निरीक्षणालय जो चल रहा है इसका जो मुख्य काम है वह यही है कि विद्युत दुर्घटनाओं को रोकना, विद्युत कनेक्शन्स का सामयिक निरीक्षण करना, दुर्घटना हो जाय तो जांच करना, पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करना, पीड़ितों को मुआवजा दिलाना, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन 5 कामों में से, विद्युत निरीक्षणालय की राजस्थान में जब से स्थापना हुई है तब से, इसने कितना काम किया है ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

तीसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जब से विद्युत निरीक्षणालय की राजस्थान में स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक हाउस में इसका वार्षिक प्रतिवेदन पेश नहीं हुआ है। जबकि हम करोड़ों रुपयों का बजट राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय का हर साल पास करते हैं। 1967 से लेकर अब तक कितनी बार वार्षिक प्रतिवेदन सदन के सामने पेश हुआ है ?

माननीय मंत्री महोदया, एक निवेदन मैं और आपसे करना चाहता हूं कि जहां तक 'एल' फार्म बाबत मुझे आपने बताया कि एल फार्म की धोखा-धड़ी राजस्थान में दो तरीके से होती है। पहली धोखा-धड़ी यह है कि किसी भी सिविल इन्जीनियर को एल फार्म का एजेन्ट बना दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक का कोई ज्ञान ही नहीं होता है जबकि नियमों में प्रावधान है कि इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर को ही केवल एल फार्म का लाईसेन्स दिया जाय ताकि वह इस मामले को जान सके और फिटिंग के मामले में ठीक काम कर सकें। लेकिन क्या यह सही है कि राजस्थान में आज भी बहुत से सिविल इंजीनियर्स को 'एल' फार्म की बुक्स आपने दी हुई हैं ? जिसमें हमारा सरकारी निगम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वह भी सिविल इंजीनियर्स से ही फिटिंग करवा रहा है। मंत्री महोदया, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 1967 से लेकर आज 1990 तक आपके विद्युत निरीक्षणालय में एक पदाधिकारी सहायक अभियन्ता के रूप में आया और आज वह मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में बैठा हुआ है जिसका 1967 से लेकर आज तक आपने कोई तबादला नहीं किया है।

यही नहीं, माननीय मंत्री महोदया, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जिसको सारा सदन सुनकर सोचेगा और चौंकेगा कि 1967 में जो व्यक्ति सहायक अभियन्ता की ग्रेड का आदमी था, सहायक निरीक्षक के पद पर आया था, उसने 1-10-1981 को अपनी तरक्की बकलम खुद करके बहुत निरीक्षक बन गया। अब यह सारी घटनाएं हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विषयान्तर हो रहे हैं जो विद्युत मण्डल की लापरवाही की वजह से ...

श्री जगमाल सिंह यादव : चलिए, पहले इनका ही जवाब दे दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी विद्युत मण्डल की बजाय विद्युत निरीक्षणालय में जो कुछ हो रहा है और जो गड़बड़ियां हुई हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि विद्युत निरीक्षणालय के मुख्य तीन से 3 काम हैं-पहला काम तो विद्युत निरीक्षणालय का है सामयिक निरीक्षण करना, इन्होंने 5 काम बताए हैं, 5 नहीं, 3 काम हैं मुख्य तौर से सामयिक निरीक्षण करना--सामयिक निरीक्षण नहीं होता है, यह मैं मानती हूं, स्वीकार करती हूं इस बात को कि सामयिक निरीक्षण नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। मैं इस चीज को भी स्वीकार करती हूं कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जंगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कोई अन्दर अर्थिग की टूब है या और कोई उपकरण, जो लगने चाहिए वह नहीं लगे सेफ्टी के और उसकी वजह से भैंस पास से जा रही है, भैंस मर गई। गांव वालों को पता ही नहीं है कि इस तरह से भैंस के मरने से हम कोई क्लेम ले सकेते हैं विद्युत मण्डल से या विद्युत निरीक्षणालय आकर हमारी इस बात की जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा। उनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए इस मामले में मैं स्वीकार कर लेती हूं कि विद्युत निरीक्षणालय इसके क्या-क्या काम हैं इसको प्रापर पब्लिसिटी करे, जनता को इसकी जानकारी नहीं है और इनकी जानकारी नहीं होने की वजह से जो लोग असावधानी के कारण दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, वह सूचना ही नहीं होती है, उनका पता ही नहीं लगता है उन्हें।

इसलिए मुख्य तौर से 3 मुख्य काम है—सामयिक निरीक्षण, वह नहीं हुआ है। स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के साथ में मैं यह भी स्वीकार कर लेती हूं, मुझे उसमें एतराज नहीं है करने में, कि यह विद्युत निरीक्षणालय न तो आर. एस. ई. बी. के नीचे है, यह सीधे गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में है, ऊर्जा सचिव के नीचे होता है इसके ऊपर आर. एस. ई. बी. का कन्ट्रोल नहीं है....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके नीचे तो है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, मेरे नीचे तो है, सरकार के नीचे तो है ही। मैं निवेदन कर रही थी कि दूसरा काम दुर्घटनाओं की जांच करना मात्र है। केवल जांच करना है, दुर्घटना कैसे हुई, क्या है वह रिपोर्ट देता है आर. एस. ई. बी. और आर. एस. ई. बी. तब करती है कि इसका मुआवजा, कम्पनसेशन राशि जो दी जाय। यह काम इस निरीक्षणालय का नहीं है, यह आर. एस. ई. बी. का काम है।

तीसरी जो ड्यूटी है वह परीक्षा लें। यह परीक्षाएं आयोजित करें लाइनमैन और सहायक विद्युत निरीक्षकों की उनको लाइसेन्स प्रदान करे ताकि वह लोग काम कर सकें। यह तीसरा इनका मेजर काम है।

आपने यह भी चार्ज लगाया कि इन्होंने अपनी पदोन्नति अपने आप कर ली....

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका मैंने पूछा ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं भूल गई हूं तो आप बता दीजिए और क्या आप पूछना चाहते है ताकि मैं उनका जवाब दे दूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं पूछ लेता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक एल फार्म फर्जी होने का सवाल है एक ही सबूत काफी है नवभारत टाइम्स के ईश मधु तलवार नाम के चीफ एडिटर है उन्होंने माननीय श्री हरिदेव जी जोशी और श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब के नाम से दो 'एल' फार्म खरीदे और वह दोनों 'एल' फार्म नवभारत टाइम्स अखबार में छपे हैं जबकि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको राज-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

स्थान का शायद बच्चा-बच्चा जानता होगा केवल 50 रुपये के लालच में बेचे गये। क्या 'एल' फार्म बेचने वाले जो आदमी हैं, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर, उनके देखने का काम नहीं है, वह देखते ही नहीं हैं। इसलिए संवाददाता ने बड़ी चतुराई से काम किया श्री हरिदेवजी जोशी साहब और श्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, दोनों के नाम से 'एल' फार्म लिए और पता लिखा हाउसिंग बोर्ड, जयपुर। यह मैं सदन की मेज पर रखूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आपने ध्यानपूर्वक, जो मैंने आखिर में कहा, उसे सुना नहीं। मैंने कहा कि 'एल' फार्म कोई भी किसी को भी गलत दे सकता है ढंग के कारण से लेकिन इससे दुर्घटना का क्या मतलब है। इससे कोई मरता तो नहीं है 'एल' फार्म देने से ? इसलिए उसके साथ क्यों जोड़ते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री महोदया, मुझे सुन तो लीजिए। मरता कैसे नहीं है ? 'एल' फार्म का अर्थ है किसी भी भवन में बिजली फिटिंग सुव्यवस्थित ढंग से हो गई है और उसको चैक कर लिया गया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जिस आदमी ने श्री शेखावत साहब और जोशी साहब के नाम से 'एल' फार्म बैठकर बेच दिया, आवासन मण्डल के पते के आधार पर दे दिया। इसका अर्थ यह है कि उस आदमी ने उस भवन में जाकर, माननीय श्री भैरोंसिंहजी जी शेखावत साहब या माननीय श्री हरिदेवजी जोशी साहब के मकान में जाकर फिटिंग चैक ही नहीं की, चाहे वह नंगे तार ही फिट कर लिए हों। उसको तो बाजार में बैठकर 50 रुपये लेने थे वह ले लिए और दोनों के नाम से 'एल' फार्म दे दिए। यह दोनों 'एल' फार्म छपे हैं। आप कहते हैं कि इससे एक्सिडेन्ट्स नहीं होते हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे होगा इससे एक्सिडेन्ट, एक्सिडेण्ट कैसे हो जायगा ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अभी और बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो 'एल' फार्म गलत इश्यू हो जाते हैं, गलत लोगों को इश्यू हो जाते हैं, गलत उसके एजेण्ट बन जाते हैं उनको फिटिंग का कोई ध्यान नहीं होता है, कोई टेक्निकल मसला वह जानते नहीं हैं और 50–100 रुपये लिए और उसको 'एल' फार्म दे दिया, चाहे नंगे तार ही फिट किये हुए हों।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कितनी तारीख का अखबार है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : बता दूंगा, मैं पेश ही कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, डोमेस्टिक परपज के अन्दर जो दुर्घटनाएं होती है घरों में, उनमें मैं मानता हूं कि 90 फीसदी 'एल' फार्म गलत दिये जाने और 'एल' फार्म बेचने वाले लोगों की वजह से होती हैं। किसी भी नौसीखिए इन्सान से फिटिंग करवा लेते है और 'एल' फार्म इलेक्ट्रिकल इजीनियर से प्राप्त कर लेते हैं जैसा कि इस केस में प्राप्त किया गया है।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दूसरा, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रजिस्टर्ड वायरमैन या रजिस्टर्ड इन्सपेक्टर ही कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता है। 'एल' फार्म का मतलब तो यह माननीय सदस्य....

श्री जगमाल सिंह यादव : पहले आप मुझे सुन लें।

श्री हेतराम बेनेवाल : आप डिफेण्ड क्यों कर रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : I am not defending anyone. मैं कहां डिफेण्ड कर रही हूं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : गड़बड़ी तो होती ही है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप पहले सुन तो लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने किसी को डिफेण्ड नहीं किया। सही बात कह रही हूं कि 'एल' फार्म से कोई दुर्घटना नहीं होती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको अवसर मिलेगा मंत्री महोदया।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लें।

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं है इस विभाग की 1967 से लेकर आज तक आम आदमी को कितनी जानकारी होगी यह इस बात का सबूत है कि पिछली विधान सभा में माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब, श्री भाटीजी जो कांग्रेस के नेता थे, श्री शोपतसिंहजी वे और दूसरे लोगों ने जो सवाल पूछे थे राजस्थान में कोई ऐसा विभा है जो दुर्घटनाओं की रोक-थाम के उपाय हों तो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि राजस्थान में हमारे पास में इस तरह का कोई विभाग नहीं है जो दुर्घटनाओं को रोके और मुआवजा दिलाने की बात आदि करें। यह कब का है मुझे ध्यान नहीं है। यह मैं रख रहा हूं। यह माननीय पावर मिनिस्टर का जवाब था। तो माननीय मंत्री महोदय आप ऐसा महसूस नहीं करें....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उस टाइम ऐसे ही जवाब देते थे।

श्री जगमाल सिंह : अब भी ऐसा ही देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप डिफेन्ड क्यों कर रहे हो उसको, सीधी सी बात कहो ना कि यह होता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब कहूंगी ना जब पता लगेगा, तब कहोगे कि मत कहो। जब मैं बोलूंगी ना, तब आप कहोगे कि मत बोलो।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसको इंगित करने से मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि जब सम्बन्धित विभाग का मंत्री, जो उनको कण्ट्रोल करता है, जिसका यह विभाग है, उस मंत्री महोदय को जब यह नहीं पता कि

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मेरे अधीन कोई ऐसा विभाग भी है जो दुर्घटना रोकने का काम भी करता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब से इस विभाग की स्थापना राजस्थान में हुई है इस विभाग ने आम लोगों में कितना प्रचार और प्रसार किया कि इस विभाग का दुर्घटना रोकने का काम है और अगर दुर्घटना हो जाए तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का काम है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि इसका कोई प्रचार और प्रसार आम आदमी तक नहीं पहुंचा। जब मंत्री को इस बात का भान नहीं है तो आम आदमी को क्या भान होगा ? (व्यवधान) में पूछ रहा हूं। अभी मेरा खतम नहीं हुआ।

श्री सभापति : आम भाषण न दें, आप प्रश्न करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : पहले जब मैंने आपको कहा था कि ध्यानाकर्षण करें तब तो आपने किया नहीं। अब केवल प्रश्न पूछिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : दूसरा, माननीय मंत्री महोदया आप यह कहती हैं कि इसमें गड़बड़ और दूसरे काम नहीं होते। इस विभाग के द्वारा प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। क्या यह सही है कि जहां यह प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, इनकी आज्ञा के बगैर कोई करण्ट प्रवाहित नहीं किया जाता है और रूल्स में अस्थाई आदेश देने के कहीं प्रावधान नहीं हैं। यह रूल्स मैं आपको बता दूं। इसके बावजूद 'एल' फार्म वही इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर देता है कि मैंने इस ट्रांसफारमर की किसी फैक्ट्री या उद्योग में अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से फिटिंग कर दिया, इसमें विद्युत प्रवाह कर दी जाए। माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग इसमें 6 महीने के लिए अस्थाई आदेश दे देता है। यहां तक कि बीस साल हो गए मन्त्री महोदय, किसी भी प्राइवेट सैक्टर में आप मुझे स्थाई आज्ञा बता दें जबकि अस्थाई आज्ञा का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। हर 6 महीने बाद उसको अस्थाई, अस्थाई बढ़ाए जाते हैं और बढ़ाने के पीछे भी कारण हैं। स्थाई परमिशन इसलिए नहीं दी जाती कि अगर स्थाई परमिशन एक बार दे दें तो फिर आपके विभाग को इसमें कहीं कुछ मिलेगा नहीं।

तीसरा, माननीय ऊर्जा मन्त्री महोदया, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपके मुख्य विद्युत निरीक्षक महोदय का मैं एक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दस्तावेज में उन ट्रांसफार्मस को, जिनको परमिशन दे दी परचेज करने के लिए और उनके टेस्ट सर्टिफिकेट अभी भी कम्पनी के पास रखे हुए हैं, इनके पास आए नहीं है। यह सही हैं या गलत है ?

मेन जो आप मुझे जवाब दे रही थी उसके मामले में तो मैं आपसे प्वाइन्टेड क्वेश्चन्स पूछना चाहता हूं। महोदय, क्या यह सही है कि आपके मुख्य विद्युत निरीक्षक ने 1·10·1981 को अपनी पदोन्नति स्वयं कर ली। क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 14·10·1981 को इस

184

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उप-शासन सचिव द्वारा एक आदेश निकलवाया कि इन महाशय ने जो अपनी पदोन्नति स्वयं अपने हस्ताक्षर से की है उनको ऐसी पदोन्नति करने का कोई अधिकार नहीं था और वह पदोन्नति निरस्त की जाती है। क्या यह सही है, माननीय मन्त्री महोदया, कि दिनांक 6·10·1989 को इन्हीं महाशय ने मुख्य विद्युत निरीक्षक ने बकलम खुद ही अपनी तरक्की खुद कर ली ? यही नहीं, क्या यह भी सही है माननीय मन्त्री महोदय, कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने, 1·10·1981 को जो अपनी पदोन्नति की थी उसको लेकर कवर करने के लिए एक आदेश निकाला दिनांक 9·10·1983 को ? उस आदेश में यह हवाला दिया गया कि राजस्थान में वह जो मुख्य विद्युत निरीक्षक का पद माना जाएगा और यह आदेश 16·9·81 से लागू किए जाएगें ? क्या यह सही नहीं है माननीय मन्त्री महोदया कि 16·9·81 को दो साल पहले से किसी पद को अपग्रेड करना 1·10 1981 के आर्डर को वैध करार देना था। यही नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय कि इतना भी आप मुझे बताइए कि यह आदेश हुए 16·9·1981 को, इस आदेश में यह कहा गया कि यह पद 16·9·1981 से प्रभावी होगा। इसके बावजूद इन महाशय ने अगर आदेश अपनी पदोन्नति के खुद भी निकालने का काम करना था तो यह आदेश इनको 9·10·83 से पहले किसी कीमत पर नहीं निकालना था। सरकार का आदेश हुआ उससे चार दिन पहले ही निकाल लिया। इन्होंने यह दूसरा आदेश जो अपने प्रमोशन का किया, माननीय मन्त्री महोदया, क्या यह सही है कि 6·10·1983 को इन महाशय ने जब सरकार कहीं फाइल पर भी नहीं थी, सरकार ने कोई डिसीजन भी नहीं लिया 6·10·83 को इन्होंने अपना प्रमोशन दुबारा कैसे कर लिया ? क्या यह भी सही है माननीय मंत्री महोदया की इस सरकार के बाद इन्होंने जो मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद का वेतन उठाया था उस पद के वेतन को वापस राजकोष में जमा करवाया और दुबारा दो साल का वेतन इन महाशय ने फिर उठा लिया। तो कहां तो आप लोगों को रिलीफ देने की बात करते हो, मैं तो यह कहता हूं माननीय मन्त्री महोदय, कि आप सस्पैण्ड करिए उनको, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं तो मैं देता हूं। यही नहीं, इस विभाग की आप जांच कराइए और एण्टी-करप्शन में मुकदमा दीजिए, मैं सबूत दूंगा इस बात के लिए कि आपका विद्युत निरीक्षणालय, जो करोड़ों रुपये का बजट इस राजस्थान की विधान सभा से ले जाता है उसका कहां क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री सभापति : माननीय श्री रामसिंह जी।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन की सहमति सदन की बैठक का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

माननीय श्री रामसिंह जी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : इनका तो जवाब दे दीजिए ।

श्री सभापति : रामसिंह जी को पुकार लिया है । साथ ही जाएगा जवाब ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, यह जो एक्सीडेंट होते हैं, जो जन और धन की हानि होती है, गाव में को मेन लाईन खींची हुई है, जब किसी गांव में या किसी ढाणी में या किसी कुएं पर जब लाइन खींचते हैं उस समय विभाग के अधिकारी या कर्मचारी लाइन न खेंचकर गांवों के लोगों के सुपुर्द कर देते हैं । उसकी वजह से इसमें जो सीमेण्ट या पत्थर से खम्बे लगाने चाहिये वह नहीं लगाकर के यूं ही लगा देते हैं जल्दी में । वह खम्बे आंधी में, बरसात में गिर जाते हैं उसकी वजह से करण्ट से यह मौतें होती हैं । दूसरा यह है कि गांव के अन्दर जब आप लाइन खींचते हैं उसकी जो साइज होती है उससे दो, तीन, चार फीट ऊपर होनी चाहिए जिससे गांव के अन्दर जब ट्रक्टर जाता है घास या चारा भरकर जाता है उस समय उसमें आग लग जाती है । यह दो आपके मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इन्सीडेंट होती है, करण्ट से जो मौतें होती है इसके दो ही कारण हैं इसलिए आप इसमें सुधार यह करें कि, मेरे ख्याल से एक-एक खम्बे से को लगाने के लिए कर्मचारी, अधिकारियों को काफी पैसे मिलते हैं, बहुत पैस बच जाते हैं गांव के लोग अपने ट्रक्टर से खम्बे लगाते हैं और एकदम लाइन खड़ी कर देते हैं और उसके अन्दर न तो वह सीमेण्ट डालते हैं, न पत्थर डालते हैं केवल मिट्टी के अन्दर तीन-चार फीट खड्डा खोदकर उसमें डाल देते हैं उसकी वजह से खम्बे और तार गिर जाते हैं । उसकी वजह से ही यह एक्सीडेंट होते हैं । तो एक तो गांव के अन्दर चौराहे पर जो लगाते हैं उसकी साइज बड़ी हो और खम्बा लगाने की व्यवस्था कर्मचारी खुद करे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में जो कहा है कि आर. एस. ई. बी. का जो भी काम चाहे वह लाइन का हो, चाहे वह ट्रांसफार्मर्स का हो, उनके इन्पेक्शन करने का इस निरीक्षणालय को अधिकार नहीं है । यह तो केवल प्राइवेट जो कन्जूमर्स हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर के कन्जूमर हों, चाहे डोमेस्टिक के कन्जूमर हों, चाहे एच. पी. और एल. पी. के कन्जूमर हों, उनका ही निरीक्षण करते हैं। आर. एस. ई. बी तो अपने सेफ्टी उपकरण अपने आप लगाता है लेकिन फिर भी आप जैसा कह रहे हैं वह सारी अव्यवस्थाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय में थी । क्योंकि उस समय काम से कराया (व्यवधान) पूरी छूट दे रखी थी आपने (व्यवधान) यूं करने से कोई काम नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चलेगा। बात सुनिए पूरी आप, उसके बाद आप करियगा यूं-यूं। मैं निवेदन कर रही थी कि ऐसे करने से काम नहीं चलता है। बात सुनिए पूरी, उसके बाद कहिएगा, आपको जो कुछ कहना हो। माननीय सभापति महोदय, मै यह निवेदन कर रही थी कि आर. एस. ई. बी. के अन्दर कितने धपले, कितने घोटाले, कितनी अनियमितताएं गांव वालों से खम्बे खड़े करवा कर कीं। उसका भुगतान अधिकारी लोग, इन्जीनियर्स लोग स्वयं उठाते थे। वह जाता था, प्राइवेट लोग अपने खम्बे लेकर जाते थे

श्री हेतराम बेनीवाल : अब भी यही करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिए तो आप। मुझे पहले पूरी बात कहने दें, फिर कहिएगा।

जो व्यवस्थायें थी उसमें हमने काफी इसमें किया। गांव वाले अपने खम्बे ले जाये। अपने कनवेन्स में आर. एस. ई. बी. अपना ले जाना दिखाता था कि हम ले गये। उसका चार्ज करते थे। उन सबके ऊपर रोकथाम करने में, मैं समझती हूं काफी हद तक काबू किया है। लेकिन इतना बिगड़ा हुआ मामला है कि मैं नहीं कह सकती कि हमने पूरा कन्ट्रोल किया है···· (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मेरी बहस को आर. एस. ई. बी. पर क्यों ले जाया जा रहा है।

श्री सभापति : मन्त्रीजी का उत्तर आ रहा है। सुनिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं ? मैं आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगी आप निश्चित रहें। मैं यह निवेदन कर रही थी आपने कहा विद्युत निरीक्षणालय केवल प्राइवेट कन्जूमर्स के ही निरीक्षण करता है बाकी आर. एस. ई. बी. तो अपना स्वयं करती है। लेकिन आपने जो कहा कि तार नीचे हैं, मैंने इस बात के लिए सारे लोगों को, चाहें एस. ई. हों, चाहे चीफ इन्जीनियर्स हों उन्हें कहा है कि एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना करके जहां तार ढीले हो गये हैं उन तारों को आप कसने का काम करें ताकि इस तरह की दुर्घटना न हों। अब मैं माननीय तिजारा से आने वाले माननीय के प्रश्नों के जवाब पर आती हूं। उन्होंने उप मुख्य विद्युत निरीक्षक के बारे में कई बातें यहां पर कहीं हैं और कई आरोप लगाये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि सन् 1981 में उन्होंने स्वयं ने अपना प्रमोशन कर लिया यह सही बात है। उसके 6–7 दिन बाद जब यह बात नोटिस में आई तो सरकार के उप सचिव ने यह भी कह दिया कि इनको अपना स्वयं का प्रमोशन करने का कोई अधिकार नहीं था और यह प्रमोशन निरस्त किया जाये। यह बात भी सही है कि दो साल बाद फिर इन्होंने अपना प्रमोशन कर दिया। "सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का" यह बात भी सही है। सरकार कांग्रेस की थी शिवचरण जी माथुर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुख्य मन्त्री थे, इस तरह की जो बात हुई है अनप्रेसिडेन्टेड जिसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं। हालांकि काम किया हुआ है आपका। आप कह रहे थे कि बोलो इसलिए मैं बोल रही हूं। लेकिन मैं खेद प्रकट करना चाहती हूं कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है मुझे शर्म महसूस होती है इस बात के लिए कि आदमी स्वयं अपना प्रमोशन कर लें और फिर सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव····(व्यवधान) आप सुनिये तो मैं क्या करने जा रही हूं।

श्री सभापति कृपया व्यवधान नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : आपने जो चालीस साल में बेड़ा गर्क किया है उसको चार महीने में ठीक से नहीं सुधारा जा सकता। आपने चालीस साल तक बेड़ा गर्क किया है स्टेट का और आप चाहते हैं चार महीने में ठीक हो जाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान से बोलें।

श्री लालचन्द डूडी : यह प्रमोशन आपके टाइम पर ही हुआ था उसकी जांच करके बतायेंगे हम तो जांच करके देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि मैं अपनी बात कम्पलीट करूं।

श्री लालचन्द डूडी : पूरी बात कहने से इनकी पोल खुलती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं मुझे इस बात का बहुत खेद है कि शायद किसी भी डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई कानून व्यवस्था कहीं होती है। कोई भी सरकार ही चाहे 2 साल पहले का अपने आप किया हुआ प्रमोशन और 2 साल बाद उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस बात के लिए कह दे कि यह प्रमोशन वेलिड है और यह पोस्ट अपग्रेड की जाती है (व्यवधान) इन्होंने अपनी मर्जी से किया उस समय इनको पैसे वापिस देने पड़े इन्होंने जमा करवाये पैसे। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दो साल बाद दो साल पहले से इस पोस्ट को अपग्रेड करके इन्हें उप मुख्य विद्युत निरीक्षक बना दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कौन अधिकारी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : श्री पी. एन. माथुर है।

एक माननीय सदस्य : सस्पेंड करो उसे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब सारी बात समझ में आ गयी ना (व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : ऐसा जिसमें कोई माथुर नहीं है? कोई डिपार्टमेंट है क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : शेखावत साहब के मन्त्रिमण्डल में कोई माथुर मन्त्री नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मन्त्री महोदया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, वह जो कुछ हुआ है मैं उसके बारे में सदन को यही जानकारी देना चाहूंगी कि उन्होंने कैसे अपने आप प्रमोशन किया, कैसे उसको डिप्टी सेक्रेटरी ने निरस्त किया, कैसे पोस्ट अपग्रेड हुई और कैसे इसको दो साल बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पोस्ट को अपग्रेड करके उनको सारी तनख्वाह अपग्रेडेड पोस्ट की दिलाई गयी, इस सारे मामले की जांच के लिए तो मैं डी. ओ. पी. को लिख देती हूं डी. ओ. पी. इसमें जांच करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सस्पेंड करें आप तो उसे। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : तत्काल निलम्बित करके फिर बाद में जांच करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप पूरी बात कहने नहीं दे रहे हैं। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। आप इतने उत्तेजित मत होइये। Let me complete first.

और आपने जिन घोटालों की बात कही है उसके बारे में ए. सी. डी. में आलरेडी जांच चल रही है और भी आपके पास जो मामले हों उन मामलों को मैं ए. सी. डी. को सौंप देती हूं वह एन्टी करेप्शन कर लेगा और बाकी जो प्रमोशन की बात है इसको मैं डी. ओ. पी. को सौंप देती हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : ए. सी. डी. को क्यों नहीं सोंपा आपने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ए. सी. डी. क्या करेगी It is a proven fact. It is a proven fact. सुनिये, मुझे पहले कहने दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह मामला इतना गम्भीर है और जो तथ्य आप बता रही हैं और सच मान रही हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बड़ी अनियमितता की गयी है। एक बार नहीं बार-बार की गई है तो उसको क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना कुछ किया है तो आप निलम्बित करके ही जांच कराइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं कहता हूं···· (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपने स्थान से बोलें। मैं दो बार कह चुका हूं आपको। (व्यवधान) मैं आपको अवसर दे चुका हूं। आप उत्तर सुनिये मन्त्री महोदय का। मन्त्री महोदया, आप उत्तर देना चाहती हैं क्या नहीं तो अगला आइटम लूं मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि मैं इस मामले को डी. ओ. पी. को सौंप देती हूं एक महीने के भीतर-भीतर इसकी जांच हो जायेगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : प्राथमिक जांच तो हो ही गयी माननीय मन्त्री महोदया,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, जब तक यह अधिकारी उस पद पर रहेगा... यह आर. एस. ई. बी. का मामला है उस पर डी. ओ. पी. क्या करेगा (व्यवधान) आप उसको सस्पेंड करिये। आप मामले को लम्बा करना चाहती हैं। यह जो पूरे राजस्थान का है उसमें उसको निलम्बित क्यों नहीं करते तो जांच अधिकारी इसके विभाग से क्या प्राप्त कर लेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसा हुआ है तो बार-बार दूसरे अधिकारी भी ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं आप इस पर ब्रेक लगा देती हो।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभादय, मैं सुन नहीं पा रही हूं सदन की मन्शा क्या है ?

अनेक माननीय सदस्य : उस अधिकारी को सस्पेंड करने की है।

श्री सभापति : आप विराजें, आप भी अपने स्थान से बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, चूंकि एक साथ कई माननीय सदस्य बोलते हैं, मैं नहीं सुन पा रही हूं। सदन की मन्शा क्या है, सदन क्या चाहता है, मुझे बता दें सदन क्या चाहता है... सदन की मन्शा क्या है ? बताओ आप मुझे क्या मन्शा है. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और कोई दुर्घटना हो जाय तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता कोई मरे चाहे जिये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत श्री सम्पतसिंह, श्री दिलसुखराय और श्री जगमाल सिंह भरतपुर जिले की गुड़गांवा नहर का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना बड़ा घपला कर रहा है। अपने आप डिसीजन ले रहा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सस्पेण्ड करो इसको तो मन्त्री महोदया। आप खुद मानती हैं कि उसने गबन किया है, अनियमितता की है (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय महोदय, मैं सदन की भावना को देखते हुए....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सदन की भावना को देखते हुए कर दीजिए (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की उत्तेजना को देखते हुए तथा गम्भीर आरोपों की पुष्टि के आधार पर मैं श्री पी. एन. माथुर को सस्पेण्ड (व्यवधान).

एक माननीय सदस्या : आपको देखते हुए कहिये (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे कोई डांटने से थोड़े ही काम चलेगा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप लोग नहीं चाहते कि वह सस्पेण्ड हों। आपको क्या तकलीफ हो रही है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सस्पेन्शन की मांग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मन्त्रीजी का यह कहना है कि सदन की भावना को देखते हुए सस्पेंड कर देंगे, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चला करती है। अगर आप प्राइमाफेसी मानते हैं कि उसने+++की है (व्यवधान)

(6·15 सांय)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री नत्थी सिंह : यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, एक मिनट बिराजिये। शान्ति तो हो जाय। लेट अस रेस्टोर दी पीस। प्लीज सिट डाउन, एक मिनट, मुझे समझने दीजिये। एक मिनट, जरा मैं समझ लूं। मन्त्री महोदया क्या कह रही हैं। जस्ट ए मिनिट। पहले मन्त्रीजी क्या कह रही हैं, सुन तो लेने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आई विल अलाऊ यू। मन्त्रीजी क्या कह रही हैं सुन लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरा वाकया भी कम्पलीट नहीं करने दिया आपने। (व्यवधान) मेरा सेन्टेन्स कम्पलीट करने दीजिये। वाक्य पूरा कर लूं तब कहियेगा। सदन की भावना को देखते हुए, सदन की उत्तेजना को देखते हुए और आरोपों को...... सुनिये, आप बीच में न बोलिये, और आरोपों की की गम्भीरता को देखते हुए मैं उन्हें सस्पेण्ड करने की.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. का एम्प्लाई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आर. एस. ई. बी. का नहीं है। ही इज नॉट एन एम्प्लाई ऑफ आर.एस.ई.बी.।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेन्ट का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, गवर्नमेन्ट का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाह रहा था कि जब मन्त्रीजी ने खुद ने तथ्य रखे और एडमीटेड फैक्ट्स हैं। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि फेक्ट्स एडमीटेड हैं अब उस बात को आपने कहा सदन की भावना, सदन की उत्तेजना, इसका प्रश्न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सदन के इस प्रकार के दबाव से आप सरकार चलायेंगी तो क्या सरकार चलायेंगी। (व्यवधान)

अगर प्राइमाफेसी केस है तो सस्पेण्ड कीजिये। नहीं है तो मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्राइमाफेसी केस मानती हैं तो सस्पेण्ड कीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सुनिये, नेक्स्ट। श्री सम्पतसिंह........बिराजिये, प्लीज, श्री सम्पतसिंह।

भरतपुर जिले की गुड़गांवा नहर को शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दीजिये। उनका स्टेटमेन्ट आ जाय, सवाल पूछ लीजिये।

श्री सम्पत सिंह : भरतपुर जिले की गुडगांवा नहर के कार्य को समयावधि में पूरा नहीं करने के सम्बन्ध में मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री विजय सिंह झाला (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भरतपुर जिले में भूमिगत पानी खारा है। तथा सिंचाई की भूमि सिंचाई साधनों के अभाव में खारी और क्षारीय होती जा रही है। गुड़गांवा नहर के भरतपुर जिले के कामां, डीग और कुम्हेर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह झाला : इस परियोजना के निर्माण हेतु 130.55 करोड़ रुपया स्वीकृत है जिसमें से 1990 तक 17 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसकी लम्बाई 274 किलोमीटर है जिसमें से 260 किलोमीटर यह बन चुकी है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय यह है कि हरियाणा से जो राजस्थान को पानी मिलना चाहिए, पांच सौ क्यूसेक फीट हर रोज 90 दिन का यानि 45,000 क्यूसेक फीट एक साल में जो मिलना चाहिए वह पानी हमको नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सुनियेगा।

श्री विजयसिंह झाला : विगत 11 साल का जो हमने इसका एवरेज निकाला है, 11 साल में जो पानी हमको मिला है वह 60570 क्यूसेक मिला है जबकि मिलना चाहिए था 4,95,000 क्यूसेक्स। इसका जो एवरेज आया है वह पांच सौ के अगेन्स्ट केवल 62 क्यूसेक्स आया है। ऐसी स्थिति में यह बड़ा चिन्ता का विषय होता जा रहा है। इसलिए पानी हमको क्यों नहीं मिल रहा है इसके बारे में जांच होनी बहुत ही जरूरी है। आज हमारी क्षमता इतनी है कि हम यह सारा पानी ले सकते हैं तथा भरतपुर में यह पानी दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा हमको पूरा पानी नहीं दे रहा है। मैंने, अध्यक्ष महोदय, इसकी भी जांच की है कि जो 1300 क्यूसेक्स पानी हरियाणा को मिलता है उस समय हमको पांच सौ का शेयर मिलता है।

श्री सम्पत सिंह : 1600.

श्री विजयसिंह झाला : हरियाणा को 1300 मिलता है तब अपने को पांच सौ मिलता है। लेकिन अवेलेबिल्टी के आधार

(श्री विजयसिंह झाला)

पर इसी रेशों से यह आगे बढ़ता जाता है। लेकिन 11 साल में कितना पानी अवेलेबल था इसका रेकार्ड अभी हमारे पास में नहीं है। आज हमने विभाग को यह आदेश दिये हैं कि एक अधिकारी ओखला पर नियुक्त किया जाय जो वहां का डिस्चार्ज देखे कि यू. पी., हरियाणा को कितना देता है तथा जहां पर हमको राजस्थान में पानी मिलता है, एक अधिकारी वहां पर नियुक्त किया जाय ताकि रोज हमको कितना पानी मिलता है उसकी रिपोर्ट बराबर हमको मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम इस समस्या को केन्द्रीय सरकार के सामने भी रखेंगे और इसका एग्रीमेन्ट हो जाय इसके बारे में कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्रीजी ने साफ-साफ सदन के सामने यह माना कि राजस्थान सरकार चाहे वर्तमान, चाहे पूर्व में अपने पूरे हिस्से को मुस्तैदी के साथ हरियाणा से नहीं ले सकी और अब वह कह रहे हैं कि हम यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हैड्स है वहां हम अपने आदमी बिठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे कुछ विनम्र प्रश्न करना चाहूंगा कि आखिर यह गुड़गांवा कैनाल, हमारे माननीय राजस्व मन्त्रीजी बिराजे हुए हैं, भरतपुर की सारी समस्याओं को व्यक्तिशः जानते हैं, हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं वह समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के इनण्डेशन सिस्टम को देखते हुए गुड़गांवा कैनाल का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेन्ट हुआ था और उसके पीछे रिपोर्ट यह थी कि भरतपुर का पानी जहां 25 और 30 फीट वाटर टेबल है वह बदस्तूर बना रहेगा, न तो इससे वाटर लोगिंग होगा और बारिश के दिनों में भरतपुर के लिए गुड़गांवा नहर का पानी मिलेगा। पांच सौ क्यूसेक पानी बारिश के दिनों में जुलाई से लेकर अक्टूबर, सितम्बर तक। उससे वेट लैण्ड बनेगा पूरे इलाके का, बारहों मास उसमें सिंचाई के लिए वाटर लेबल बदस्तूर बना रहेगा। इनण्डेशन सिस्टम जिन्दा रहेगा। एक तो इसको देखते हुए यह स्कीम बनाई गई थी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली और हरियाणा और उत्तरप्रदेश की जमीन बाढ़ में नहीं डूब जाय इसलिए मूल रूप से यह ड्रेनेज है। यह बात दूसरी है कि यह हमारे लिए जीवनदायिनी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जब 11 साल का स्वयं आप तसलीम कर रहे हैं कि हमने अपना पूरा पानी नहीं लिया और इस पर करोड़ों रुपया आका लग चुका। जो हरियाणा में लिक चैनल है। जिस वक्त हरियाणा उस पोरसन में, हमारे पोरशन से पम्पसेट लगा लगाकर दूसरे और साधनों से पूरे पानी को खुर्द-बुर्द कर रहा था, राजस्थान की सरकार अपने कानों पर बिल्कुल हाथ रखकर बैठी रही।

उसके बाद जितनी भी रिवाइज स्कीम बनी उसके संक्षेप में जरा मन्त्री महोदय गौर करें। पुराने ओखला बेराज का क्या सिस्टम था, उत्तर प्रदेश को था 3258 क्यूसेक्स उस वक्त, पंजाब हरियाणा का था 1600 क्यूसेक्स, हमारे राजस्थान का था 500 क्यूसेक्स कुल मिलाकर 5350 क्यू-

(श्री सम्पत सिंह)

सेक्स। अध्यक्ष महोदय, इनके बाद अब जो नई स्कीम बनी है ओखला पर इसमें ओखला बेराज पर कुल उन्होंने 8568 क्युसेक्स दिया 5350 के अगेंस्ट में इसे किस तरह से वितरण हुआ है, आगरा केनाल के लिए कुल चार हजार क्यूसेक्स राजस्थान के लिए वही पांच सौ क्यूसेक्स, हरियाणा के लिए 1740 क्यूसेक्स, बदरपुर के लिए उन्होंने रख छोड़ा 60 क्यूसेक्स और सिल्ट इन्जेक्टर के लिए उन्होंने रख दिया 1260 क्यूसेक्स और आगरा केनाल के लिए फ्यूचर डिमाण्ड के लिए रख दिया उन्होंने 1000 क्यूसेक्स। टोटल हो गया 8560 क्यूसेक्स।

अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो शुरू से ही सिंचाई सिस्टम में गड़बड़ हो रही है जब आगरा केनाल से भरतपुर फीडर की व्यवस्था हो गई उन दिनों ही अधीन डिस्ट्रीब्यूटरी की कहीं कोई चर्चा नहीं की। रियासत के जमाने से ही जब इसको जिन्दा करने की कोशिश की गई तो 1905 में और 1909 में यह अनुबंध हुआ कि हम आपको बारिश के दिनों में पानी देंगे 90 दिन तक। और क्या वजह है अध्यक्ष महोदय, वह आज दिन तक भी पूरी नहीं हुई और नये औखला में अब टोटल हो गया उनका 5350 क्यूसेक्स। इसमें हमारा हिस्सा आज तक भी वही 500 क्यूसेक्स है। अध्यक्ष महोदय, यह सिद्धांततः मान लिया गया है कि जमना, गंगा में न सिर्फ भरतपुर का हिस्सा है अलवर का है, सवाईमाधोपुर का है, चूरू का है, झुन्झुनू का है, बीकानेर, सीकर तक का है ऐज ऑफ राईट अधिकार स्वरूप हमारी सरकार ने क्या किया? एक तरफ जब हम रोना रोते हैं हमारी फसल दर फसल अकाल पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ है जो हारवेस्टिंग हमारी है पूरा उत्पादन हमारा खेती से होता है हमारे राजस्थान में। आज भी हम इण्डस्ट्री से उतना उत्पादन नहीं करते। फिर अध्यक्ष महोदय बड़े अचम्भे की बात है कि राजस्थान के पानी की समस्या को भी हम ध्यान से नहीं देख सकते आज भी हमने सी. डब्ल्यू. सी. पर अपना कोई केस बनाकर नहीं भेजा, आज भी हमारा पानी केनाल के हिसाब से उसके सन्दर्भ में वह ही 500 क्यूसेक्स रखा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सालाना जो ऐवरेज है वह 270 क्यूसेक्स से आगे नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, इस नहर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल काम रुका पड़ा रहा। सन् 1977-78 में दुबारा शुरू हुआ और इसकी त्रासदी देखिये कि जनता के शासन की बात थी तब शुरू हुआ अब 1991–92 तक पूरा करने का विचार रखते हैं आज दिन तक इसका कोई सिविल कोन्टेक्ट नहीं है दोनों प्रांतों, तीनों प्रांतों से और जब-जब आप उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तब-तब वह अपनी मजबूरी बताते और मजबूरी नहीं बताते साधिकार कहते हैं कि गंगा और जमना में आपका क्या साझा है। अध्यक्ष महोदय, टेहरी बांध बन गया। पिछले विधान सभा में, आठवीं विधान सभा में पुरजोर राजस्थान सरकार से गुहार की गई। राजस्थान के बहरे कानों पर बार-बार इस बात की दस्तक देते रहे हम सब लोग भरतपुर, से आने वाले माननीय सदस्य हुआ करते थे कि आप

(श्री सम्पत सिंह)

टेहरी बांध में राजस्थान का हिस्सा लीजिए और उत्तर प्रदेश में जो गंगा पर, अध्यक्ष महोदय, आपको अचरज होगा चार-चार, पांच-पांच जगह उन्होंने अपनी गंगा मुख्य नदी में से गंग केनाल उन्होंने बना ली, एक बनाई अध्यक्ष महोदय, अपर गंगा केनाल हरिद्वार में, एक लोअर गंग केनाल बनाई नरोरा से, एक फिर लोअर गंग केनाल बनाई नरोरा पर ही, चौथी बनाई उन्होंने मध्य गंग केनाल और पांचवीं बनाई उन्होंने पूर्वी गंग केनाल हरिद्वार पर। अध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ होती होगी उस वक्त जिस वक्त मिनिट्स चल रही होती हैं, डिस्कशन चल रहे होते हैं हमारे भी विशेषज्ञ वहां बैठते हैं, उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ वहां बैठते हैं, हरियाणा के विशेषज्ञ वहां बैठते हैं जब हमारे विशेषज्ञ अपनी पूरी बात भी नहीं कहे तो वे लोग क्या सोचते होंगे कि यह हमारे बराबर पढ़े लिखे हैं या हमसे कम पढ़े लिखे हैं। उसके पीछे अध्यक्ष महोदय एक ही पीड़ा है राजस्थान सरकार की कभी कोई इच्छा-शक्ति नहीं रहती कि पानी जैसी महत्ती योजना के लिए वो पुरजोर तरीके से वह अपने हकों की मांग करे और अपने हकों को समझौतों में तब्दील कराये। आज बड़ी हंसी आती है अध्यक्ष महोदय, अपने ऊपर हमें पीड़ा होती है, ग्लानी होती है कि हम अपने पानी जैसे हक के लिए भी नहीं लड़ सकते और लगातार राजस्थान में अकाल पड़ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान कुछ दे सकता है अध्यक्ष महोदय इस नहर की सबसे बड़ी खूबी क्या है ठेठ आदमी और फसल एवं मनुष्य के लिए यह कल-कल करती यह नहर अगर बहे तो जन-जीवन नहीं सुधरेगा बल्कि दूर-दराज जो घना बर्डस सेन्चुरी बनी हुई है उसके पानी के जितने भी पंकिट्ज हैं चिड़िया उनमें डाई तो करती है लेकिन पूरे इलाके में जो वेटलेण्ड हुआ करता था रियासत के जमाने में, अध्यक्ष महोदय, आज कहीं भी आप देख आइये पूरे भरतपुर रीजन में कहीं भी वेटलेण्ड नहीं बचा। वो चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उसे खुराक नहीं मिलती। वो घना बर्ड्स सेन्चुरी में डाई तो करती थी लेकिन खुराक के लिए उसे 50-50 मील तक जाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, आज कोई वेटलेण्ड नहीं है। हम कहते हैं कि आप रबी के मौसम में हमको पानी मत दीजिए। आप खरीफ के मौसम में भी जो हमारा 500 क्यूसेक्स पानी का अधिकार है वह दीजिए और बारिश में भी अगर यह नहर चलेगी तो हमारा इननण्डेशन सिस्टम सुधर जाएगा। चारों तरफ वेटलेण्ड बन जाएगा और 500 क्यूसेक्स से ऊपर आप इसमें अपना पूरा हिस्सा क्यों नहीं बढ़ाते? सिद्धान्ततः यह मान लिया गया है कि गंगा में, जमुना में दोनों में हमारा हिस्सा है। हम उसके बेसिन में आते हैं।

(6·30 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

जब बाढ़ आती थी तो उसका नुकसान तो हम झेला करते थे लेकिन आज, आज हमारी जो जीवनदायनी फसल चौपट हो गई। आज ज्वार और बाजरे की कोई कीमत नहीं रहती। अगर इस साल हमे बारिश का पूरा पानी मिलता तो हमारे

(श्री सम्पत सिंह)

विशेषज्ञों ने जो चावल की फसल करने का इरादा किया था....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुरा) : डिमांड्स पर नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : यह ध्यानाकर्षण है। (व्यवधान)

पीड़ा यह है कि पिछले 5 साल में आपने 3–4 बार सुना होगा और एक से ज्यादा माननीय सदस्य अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे। यह सरकार है और सरकारों को खूब तजुर्बा है। आप कहते थे वहां बैठकर सुध हो जायेंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था जहां हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। राजस्थान प्रान्त को आप एक तरफ जहां गरीबी की रेखा से जीने, करने के लिए लोन देने, लोन माफ करने के सारे सिरदर्द जो आपके होते हैं उन सबसे बचने के लिए और आप बाकायदा मास्टर प्लान पूरे प्रान्त के लिए बना रहे है। जब पीने के पानी की जहां समस्या आ गई। आज गर्मी के दिनों में जिस इलाके में पीने के पानी के लिए लोग तड़फ-तड़फ गए। सिंचाई के लिए शायद आज भी आपका मन-मानस इसको नहीं देखता। आप टेहरी बांध में, ओखला बैराज में, गंगा में, जमुना में जहां भी हमारा हिस्सा बनता है उसको बढ़ाकर, अगर बढ़ाते नहीं तो कम से कम हमारा जो वाजिब हिस्सा है उसको तो लेने की आप पेशकश करिये। सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो ओखला बैराज की स्कीम है उसमें लें और अब तक जो मन्थर गति से चलती रही है, नहर की प्रक्रिया इसमें चाहे किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी तकनीकी अधिकारी की, किसी भी मंत्री की या किसी भी सरकार की कोताही रही हो, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता लेकिन आप इसमें निश्चित रूप से पहल करिये। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे गुड़गांवा नहर पर कम से कम हमें आपका वक्त खराब नहीं करना पड़े और वहां कोई आन्दोलन खड़ा हो उससे पहले, आज बड़ी घटिया-घटिया बातें वहां चलने लगी है। वह कहते हैं राजस्थान में आगे आने वाले सौ साल तक जब इंदिरा गांधी केनाल पूरी नहीं हो रही, सौ साल तक आगे राजस्थान में सिंचाई का साधन बनेगा नहीं। हम यहां भूखों मर जायेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कल-कल करती हुई नहरें बहती है, दूसरी तरफ हमारे खेत मुंह बाहें बड़े-बड़े डेल पड़े रहते हैं। उन लोगों में आज एक तरह की राजनैतिक रूप से आन्दोलित होने की बात आ रही है। वह कभी हरियाणा में मिलने की बात करते हैं.....

श्री चन्द्रभान : शादियां बन्द हुई पड़ी है।

श्री सम्पत सिंह : शादियां तो डाक्टर साहब बन्द-सी पड़ी हैं और दूसरे जो नये लड़के पढ़ रहे हैं उनका भी कोई चांस नहीं। यह बात भी ठीक कह रहे हैं। सभापति महोदय, आज यह आपके लिये सिरदर्द हो सकता है। आपको आर्थिक सिरदर्द तो है ही। आज जहां हमारी सांस्कृतिक, तमाम उत्तर प्रदेश, बदरपुर और हरियाणा के प्रान्त से जहां हमारे रीति-

(श्री सम्पत सिंह)

रिवाज ज्यादा मिलते हैं, वहां राजनैतिक रूप से जब यहां बंधे हुए हैं तो उनके दिल-दिमाग में दिन प्रतिदिन आक्रोष बढ़ता चला जा रहा है कि भाई इसकी बजाय तो हम किसी दूसरे प्रान्त में होते। उत्तर प्रदेश में होते, हरियाणा में होते तो पूरा पानी होता। आज आप यकीन नहीं कर सकते कि वहां की इकॉनॉमी का क्या हाल होता। मैं दूसरे सिस्टम के हिसाब से बाद में कभी निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, यह गुड़गांवा केनाल एक तरह से हमारे डाट की इन्शोरेन्स हो सकती है। कभी अकाल नहीं पड़े, कभी पीने के पानी की समस्या पैदा न हो। उस इन्शोरेन्स करने जैसी योजना को तो आप कम से कम पूरा कराइये। और चाहे आपको केन्द्र में सी. डब्ल्यू. सी. में जाना पड़े चाहे आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से, वैसे आज इत्फाक से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। पहले तो वह कोताही करते थे और एक तरह से टैपिज्मि फैला हुआ था लेकिन आज आप कौन-सा बहाना लेना चाहते हैं। इसलिए मैं विनती करूंगा और दृढ़ता से निवेदन करूंगा कि कम से कम आप समय बांधिये तीस दिन का, साठ दिन का, नब्बे दिन का, इस तरह से नहीं कोई वेग वायदा आपने इस पवित्र सदन में कर दिया और जिस तरह से दस, पन्द्रह, बीस साल वह खिंच गये, और यह भी आगे पांच-दस साल और खिंच जायें। सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी बात को संशोधित करिये और इस महती योजना को समय बांध कर पूरा करिये और जितने भी हमारे अन्तर्राज्यीय विवाद हैं गुड़गांवा केनाल को लेकर, भरतपुर फीडर को लेकर हथीन एस्केप को लेकर, डीग एस्केप को लेकर, जो टोटल गंगा और जमुना के सिस्टम से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी समस्यायें हैं उसको समयबद्ध पूर्ति करने का आज निश्चित रूप से सदन में वचन दीजिये।

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : माननीय सभापति महोदय, हरियाणा से जो यह गुड़गांवा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है वह कामां क्षेत्र से प्रवेश करती है। 1962 से यह गुड़गांवा नहर पर काम शुरू हुआ। आज लगभग 28 वर्ष हो गये आज तक भी वह काम पूरा नहीं हुआ है। जहां पर वह पक्की नहर है वह कभी सेजा लग जाता है, कभी पक्की नहर भी टूटती है वह पूरी होती रहती है। जो कच्ची रह गई है वह हर साल खुदती है और हर साल भर जाती है। एक सुरसा का सा स्वरूप उसने ले लिया है कि काम बढ़ता ही जाता है और फिर वहीं की वहीं दिखता है। तो मेरा पहला निवेदन तो यह है कि यहां पर जो काम अधूरा पड़ा है उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाया जाये। छोटे-छोटे काम हैं वह भी अभी पूरे नहीं हुए हैं जैसा कामां विधान सभा क्षेत्र में नगला-बाहरा, नगला-भौंरा, और सहेला गांव के लिए जो नहर से पार करके जाना पड़ता है 507 चेन पर पुलिया बनने के 1971 में टेण्डर हुए थे, आज 19 साल होने जा रहे हैं वह टेण्डर कहां चले गये आज तक यहां पुलिया नहीं बनी। जिन्होंने नहर के लिए अपनी जमीन दी है वह आज अपने गावों में जाना चाहते हैं तो नहर पर पुलिया नहीं बनी है। दूसरी

(श्री मदन मोहन सिंघल)

बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि राजस्थान को 500 क्यूसेक पानी प्रतिदिन इसमें समझौते के तहत मिलता है। उसमें से हमें जो मिल पाता है मात्र 62 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिल पाता है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सही बात तो यह है कि यह 62 क्यूसेक पानी भी हमें नहीं मिल पाता है। ओखला से जब हमारे राजस्थान के लिये पानी छोड़ते हैं तो वह पानी हरियाणा से होकर राजस्थान में आता है और जहां हरियाणा और राजस्थान की सीमा है वहां एक रेगुलेटर बना हुआ है जहां पर हरियाणा के अधिकारी इस पानी को रोक लेते हैं और 62 क्यूसेक पानी भी जो हमारे नाम से छोड़ा गया है वह सब हरियाणा में ही यूटीलाईज करते हैं। सही बात तो यह है कि हमारे राजस्थान को पानी प्राप्त करने के लिये हर साल हमारे किसानों को आन्दोलन करना पड़ता है और स्वयं जब हमारे किसान बसें भर करके, ट्रक भर के हैड पर जाकर लड़ाई करते हैं तब जाकर थोड़ा बहुत पानी मिलता है वह हम ले पाते हैं। तो मेरा तो यह निवेदन है कि सरकार इस बारे में ध्यान देकर के शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराये और हमारा जो हक है जो हमें मिलना चाहिये, हमें जो पानी दिया जाता है वह हमें खैरात की तरह मिलता है। बार-बार हमारे किसानों को दिल्ली जाकर के सिंचाई मंत्री से निवेदन करना पड़ता है। राजस्थान में हमें मुख्य मन्त्री महोदय से कहना पड़ता है। यह काम कब पूरे होंगे, इस बारे में हमें आश्वस्त करें।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की हैं वह बिल्कुल सही है। विगत सरकार ने राजस्थान का हिस्सा लेने के लिये जो कोशिश सिन्सीयरली करनी चाहिये थी वह नहीं की।

श्री राम किशन : सरकार विगत नहीं होती, पूर्व सरकार ने।

श्री विजयसिंह झाला : पूर्व सरकार कहिये, कुछ भी कहिये। मेरा मतलब, विरोध में बैठे हुए सदस्यों ने इसके लिये जो एफर्ट करना चाहिये था वह नहीं किया। प्रश्न दो तरह के हैं कि इसका निर्माण शीघ्र हो जाये, यह तो अपने कन्ट्रोल की बात है। 274 में से 260 किलोमीटर पूरा हो चुका है और आज हमको यदि 500 क्यूसेक पानी....

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : यह भी आपने किया है।

श्री विजयसिंह झाला : आप सुनें। मैं जवाब दे रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्माण के पहले हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिये था, एग्रीमेंट होना चाहिये था, उसका एफर्ट आप लोगों ने नहीं किया। चाहे किसी प्रकार का एफर्ट हो, अन्तर्राज्यीय विवाद में राजस्थान ने पानी के मामले में हर समय डिफीट खाई है। सभापति महोदय, उसी की वजह से आज हमको जो हमारे सारे भारतवर्ष में सबसे पहले जो सोर्सेज सबसे कम 1 पर्सेण्ट है सबसे ज्यादा एफर्ट पानी का प्राप्त करने के लिये करना चाहिये था। लेकिन हर जगह हमने डिफीट

(श्री विजयसिंह झाला)

खाई है। सभापति महोदय, जहां तक अब हमारी इच्छा-शक्ति का प्रश्न है हम सबसे पहले, मैं कोई किसी प्रकार का टाईम तो यहां पर नहीं देना चाहता, हमारे मुख्य मन्त्रीजी में भी और इस सरकार में कोई इच्छा-शक्ति की कमी नहीं है। हमने केन्द्र सरकार को कहा है कि सारा विवाद पानी की एक नेशनल प्रापर्टी मानकर के....

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य मन्त्री जी अलग हैं, सरकार अलग है।

श्री विजयसिंह झाला : आप बैठिये मैं जवाब दे रहा हूं। आप घबराइये मत। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखिये, पहले आपकी चली नहीं थी। और आपका एफर्ट भी नहीं था। आपको मालूम ही नहीं था कि कहां-कहां, किस-किस राज्य में कितना-कितना पानी मांगते हो। मुझे आज यह सारा रिकार्ड देखकर के दुख हुआ कि 11 साल में जो आपका एवरेज 62 क्यूसेक का आया उसका रीजन सरकार ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किस-किस कारण से हमको पानी कम मिल रहा है। क्या हमारी क्षमता नहीं है, क्या हरियाणा इन्टेन्शनली पानी कम दे रहा है या हम ले नहीं पा रहे हैं? इसके बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की है। सभापति महोदय, जहां तक हमारी सरकार की इच्छा-शक्ति का सवाल है बहुत प्रबल है और हम सारा एफर्ट लगाकर के जल्दी से जल्दी इस विवाद को किस तरह से सुलझे और हमारा सभी राज्यों से पानी का हिस्सा जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिये एफर्ट किया जायेगा।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय सभापति महोदय, एक बात रह गई। माननीय मन्त्रीजी निश्चित रूप से इसमें गम्भीर है और चिन्तित हैं कि ओखला में जो तमाम कानूनी अड़चनें आयेंगी, उस पर सबसे पहले आप अपना शेयर लीजिये, वह कब तक ले लेंगे? टेहरी बांध में जहां 2200 करोड़ रुपये का प्लान बन गया, उसमें से राजस्थान का हिस्सा लेने के लिए, उसमें भी कानूनी अड़चनें आयेगी, उसमें कब तक ले लेंगे? दोनों में आप निश्चित रूप से यह कर दीजिये कि ओखला बेराज सिस्टम से हम कब तक हिस्सा लेंगे और 500 क्यूसेक्स को भी बढ़ाकर ले लेंगे, यह बता दीजिये।

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : सभापति महोदय, गुड़गांवा केनाल में से जो छोटी माइनर हमारे इलाके में है, फाई माइनर है, पालसर ड्रेन है, वो भी अधूरी पड़ी है। उस बारे में मंत्री महोदय....

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, कब पानी हमको मिल जायेगा, इसका समय अभी मैं बताने में असमर्थ हूं। उत्तरप्रदेश भी इसमें है, हरियाणा भी इसमें है और राजस्थान भी इसमें है और सबसे ज्यादा हमारी जो गलती है, हम सोये रहे। इतने दिन तक सबसे ज्यादा गलती है कि हमारा क्लेम कितना है, क्या एफर्ट किये इसके लिए कभी कोशिश नहीं की....(व्यवधान)

हम जा रहे हैं, हम गये हैं और कोशिश की है हमने कहा है कि इसको राष्ट्रीय समस्या मान करके और पानी को राष्ट्रीय

(श्री विजयसिंह झाला)

प्रोपर्टी मान करके हमारा हिस्सा जल्दी से जल्दी मिले, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री जिला पुलिस जोधपुर द्वारा ट्रक आपरेटर्स यूनियन, जोधपुर के कार्यकर्ताओं पर अकारण गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

ट्रक आपरेटर्स यूनियन, जोधपुर के कार्यकर्त्ताओं पर गोली चलाने सम्बन्धी

श्री सम्पत राम (एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री) : जोधपुर नगर में ट्रक यूनियन तथा व्यापारियों के मध्य तथा व्यापारियों द्वारा नगर के बाहर माल भिजवाने के सम्बन्ध में विवाद चलता आ रहा है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि ट्रक यूनियन अपनी मनमर्जी से एक निश्चित रेट पर माल नगर से बाहर ले जाती है और जो भी ट्रक यूनियन से सम्बन्धित नहीं हैं और उनका माल बाहर नहीं ले जाने देते। इससे ट्रक यूनियन का माल जोधपुर नगर से बाहर भेजने में एकाधिकार हो गया। इससे जो व्यापारियों में प्रतिस्पर्द्धा प्रायः ऐसे कार्यों में होती है, वह समाप्त सी होती जा रही है। व्यापारियों ने भी अपनी एक एसोसियेशन बनायी हुई है और वे यह महसूस करते आ रहे थे कि ट्रक मालिकों द्वारा यूनियन बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किये कि ट्रक यूनियन से सम्बन्धित ट्रकों से बाहर से माल लाने पर उन ट्रकों के माध्यम से नगर से माल बाहर भेजा जावे और ट्रक यूनियन के शोषण से मुक्ति पाई जावे। ट्रक यूनियन को यह उनके हितों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। इस मूल कारण से ही जोधपुर नगर में दिनांक 27.6.90 को ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। दिनांक 27.6.90 को व्यापारियों ने ऐसे 15 ट्रकों की व्यवस्था की जो उनका माल कृषि मण्डी बासनी से भरकर नगर के बाहरी विभिन्न क्षेत्रों में ले जाते। ये सभी पन्द्रह ट्रक, ट्रक यूनियन से सम्बन्धित नहीं थे। ट्रक यूनियन को इस बात की सूचना मिलते ही वे इसका विरोध करने लगे और उन्होंने यह प्रयास किया कि इन ट्रकों से माल बाहर नहीं जावे। वास्तव में 27.6.90 से पूर्व भी व्यापारीगण ऐसे छोटे-छोटे प्रयास करते रहे हैं और ट्रक यूनियन द्वारा इसका प्रतिरोध होता रहा है। इस सन्दर्भ में दिनांक 17.6.90 से लेकर 27.6 90 दोपहर 12 बजे से पूर्व ही विभिन्न तिथियों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 प्रकरण पंजीकृत हुए थे जिसमें ट्रक यूनियन के कार्यकर्त्ताओं द्वारा व्यापारियों के माल ले जाने पर आपत्ति तथा मारपीट की घटनाएं हुई। दिनांक 27 6.90 को व्यापारियों की एसोसियेशन द्वारा और ट्रक यूनियन के सदस्यों द्वारा 15 ट्रकों की व्यापारियों के माल ले जाने के सम्बन्ध में सामूहिक रोकथाम हुई तो सूचना मिलते ही थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन बासनी जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा ट्रक यूनियन से सम्बन्धित

(श्री सम्पत राम)

व्यक्ति ट्रकों में भरकर आये, जिनमें कुछ व्यक्तियों के पास लाठियां, धारियां और सरिये भी थे। जिसमें से कुछ ट्रकों को माल से भरे ट्रकों के सामने रोक दिया गया तथा अन्य ट्रकों को झालामण्ड की ओर रवाना कर दिया। शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने की आशंका से अतिरिक्त जिलाधीश नगर तथा वृत्ताधिकारी पश्चिम, जोधपुर भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गये। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों को समझाने का प्रयास किया गया। परन्तु ट्रक यूनियन से सम्बन्धित व्यक्ति अपनी जिद पर अड़े रहे और सामान भरकर ले जाने वाले ट्रकों के ड्राइवरों से हाथापाई करने पर उतारू हो गये। समझाने का प्रयास फिर भी जारी रहा और कुछ समय बाद ट्रक यूनियन से सम्बन्धित व्यक्ति इस बात पर राजी हुए कि वह माल से भरे ट्रकों को जाने देंगे परन्तु जैसे ही इन ट्रकों को रवाना किया गया, माल से भरे ट्रकों का रास्तों रोकना शुरू कर दिया। यही नहीं, झालामण्ड की ओर से भी 15-20 ट्रकों में हथियारों से लेस व्यक्ति आये और इस प्रकार माल से भरे ट्रकों को और उपस्थित पुलिस बल को दोनों दिशाओं से घेर लिया। माल से भरे ट्रकों की तोड़-फोड़ शुरू कर दी और ट्रकों को टक्कर मारकर उलटने की भी कोशिश की। थानाधिकारी बासनी ने एक बार पुन: समझाने का प्रयास किया परन्तु उसे अनसुना करते हुए उनकी जीप को घेर लिया और उन पर हमला बोला। सरिये से जीप का विंड स्क्रीन तोड़ दिया गया। थानाधिकारी ने हल्का लाठी चार्ज कर हमला बोलने वाले व्यक्तियों को भगाने का प्रयास किया परन्तु इससे वे लोग और अधिक क्रोधित हुए। पुलिस बल पर हमला हुआ। मारने की नीयत से ट्रकों से पुलिस बल और थानाधिकारी को कुचलने की कोशिश की। आत्म रक्षा हेतु थानाधिकारी को अपने रिवाल्वर से हवाई फायर करने पड़े। उन्होंने 6 हवाई फायर किये। परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। ट्रक यूनियन से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा जमकर पत्थरबाजी आदि प्रारम्भ कर दी गई। थानाधिकारी पर धारियों से हमला करने के लिए आगे बढ़े। पुनः थानाधिकारी के रक्षार्थ हेतु दो पुलिसकर्मियों ने दो-दो राउण्ड फायर किया। इससे वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में गिरने से भी कई व्यक्तियों को चोटें आई। गोली से एक व्यक्ति घेवरराम पुत्र बस्ताराम निवासी काकानी को दाहिने पैर के घुटने में चोट आई। थानाधिकारी सहित एक सहायक उप निरीक्षक, पुलिस तथा एक कांस्टेबिल को भी चोटें आईं। माल से भरे ट्रकों के ड्राइवर्स में से बलवीर सिंह, के. सी. यूसुफ, कन्नू भाई, बारीलाल, मोहन लाल, विजय सिंह को भी चोटें आई। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी, जिनके चोटें आई, उनमें से तीन व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मजरूम घेवरराम को इलाज के लिए चिकित्सालय भिजवाया गया तथा इस घटना से सम्बन्धित एक अभियोग 59/90 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 332, 336, 337, 427, 407 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.6.90 के प्रकरण से पूर्व तथा इसके तत्काल बाद जो प्रकरण बने, उनकी कुल संख्या 7 हैं, इन प्रकरणों

(श्री सम्पत राम)

में से 3 प्रकरण पर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, शेष प्रकरणों पर अनुसंधान जारी है। अब तक कुल इस प्रकरण से सम्बन्धित 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को बहुत गम्भीरता से लेती है और प्रयास करना चाहती है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में........ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, 1986 में यह जोधपुर ट्रक यूनियन रजिस्टर्ड हुआ था लेबर एक्ट के तहत। यह लेबर यूनियन है। यह सही है कि दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कामर्स और ट्रक आपरेटर्स और एक यूनियन उनकी ट्रांसपोर्ट की है। दोनों के समझौते से यह ट्रक आपरेट करते थे, माल ले जाते थे। दोनों के आपसी बातचीत से इनकी रेट्स इत्यादि सब तय होती थी। 4 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई आपस में मतभेद या कोई संघर्ष नहीं रहा लेकिन इस वक्त में। यह सबसे पहले इन्होंने 22.5.90 को चैम्बर ऑफ कामर्स ने यह तय कर दिया कि हम ट्रक आपरेटर्स यूनियन से अपना माल नहीं लदायेंगे और उन्होंने अपना अलग माल लदाने के प्रयत्न जारी कर दिये। हमें ऐसा महसूस हुआ ट्रक यूनियन वालों को भी और दूसरे लोगों को भी कि पुलिस की सांठ-गांठ से उन्होंने यह सब शुरू किया। इन्होंने ट्रक आपरेटर्स यूनियन के सदस्यगण और उनके खिलाफ मुकदमें.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप वक्तव्य न दें। बहुत लोग पूछने वाले हैं। यह वक्तव्य हो जायगा। आप प्रश्न पूछिये।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, 127 में मेरा प्रस्ताव है। मैं प्रश्न पूछूंगा इसलिये मैं थोड़ा बैक ग्राउण्ड बताना चाहता था। माननीय मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह प्रयत्न भी हुआ दो तीन बार, मन्त्री महोदय को भेजा गया कि उनके आपस में बातचीत करके समझौता करवायें। लेकिन बातचीत और समझौते में ट्रक आपरेटर्स यूनियन के अधिकारी तो तैयार हो जाते लेकिन व्यापारी वर्ग और चैम्बर ऑफ कामर्स के कोई अधिकारी कभी तैयार नहीं होते। सामने वह मान लेते कि हां, साहब, हम आयेंगे, इतने बजे आयेंगे लेकिन वह कभी इस बात के लिये तैयार नहीं हुये। उनका तो यही एक उद्देश्य था कि ट्रक आपरेटर्स यूनियन को भंग करा दिया जाय। ऐसी जो लेबर यूनियन है उनके ऊपर आघात करने का उन्होंने यह प्रयत्न किया। अब मैं सभापति महोदय, 27 तारीख की जो घटना हुई है उसके बारे में मन्त्री....

श्री सभापति : यह ग्राप भाषण नहीं दीजिये, ग्राप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। सभापति महोदय, मैं यह मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जो गोली चलाई गई वह केवल दो व्यक्ति उस वक्त मौजूद थे उन पर चलाई गई ? नम्बर एक बात। उन दो व्यक्तियों में एक कैलाश बेनीवाल ग्रौर एक मिस्टर घेवर राम विश्नोई थे, यह दो एक मोटर साइकिल से ग्रा रहे थे ? क्या यह सही है कि बाकी ट्रक ग्रापरेटर्स यूनियन के सदस्य-गण उनसे ग्राधा-पौन किलोमीटर दूर थे ? क्या यह सही है कि उस वक्त बाबूलाल थानेदार ने निशाना साध कर सीधा घेवर राम पर ही वार किया ? क्या यह सही है कि उसके घायल होने के बाद बाबूलाल ने ग्रपने ग्रादमियों को ग्रार्डर देकर कैलाश बेनीवाल के ऊपर लाठियों से मारपीट करवाई, हमला करवाया ? लाठीचार्ज जैसी चीज नहीं थी, लाठीचार्ज तो भीड़ पर होता है। एक ग्रादमी पर ही उन्होंने वार किया। क्या यह सही है उस व्यक्ति के 28 इंजरीज तो मेडिकल सर्टिफिकेट, इंजरी रिपोर्ट के हिसाब से ग्राई हैं ? क्या यह सही है कि वहां से फिर कैलाश को उन्होंने ग्ररेस्ट किया ग्रौर वहां से ले करके गये इस बात की रिपोर्ट हुई है ? एफ. ग्राई. ग्रार. जो पुलिस ने पेश की है, क्या यह सही है कि पुलिस ने जो ग्रपने ग्रादमियों की इंजरी रिपोर्ट करवाई है, तारीख 27 की, उसी तारीख की, डेढ़ बजे की इंजरी रिपोर्ट है उन ग्रादमियों की ? क्या यह सही है, यह बात वह देख लें। क्या यह सही है, वाकिया जो एफ. ग्राई. ग्रार. के हिसाब से पुलिस ने बताया है वह चार बजे का है ? तो फिर यह इंजरी इन सिपाहियों के या पुलिस वालों के पहले कैसे ग्राई ? क्या यह सही है कि पुलिस ने जो एफ. ग्राई. ग्रार. पेश की है उसके ग्रन्दर जो तथ्य बताये हैं उनमें ग्रौर ग्रभी जो माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसमें एक ग्रन्तर है ? पुलिस ने जो एफ. ग्राई. ग्रार. इनके खिलाफ पेश की है उसमें पुलिस थानेदार ने यह बताया है कि जाब्ता गैस पार्टी, लाठी पार्टी ग्रा चुकी थी, उच्च ग्रधिकारी की समझाइश पर यूनियन वालों ने यह ग्राश्वासन दिया कि स्वेच्छा से जाने वाली ट्रकों को नहीं रोकेंगे। स्वेच्छा से जाने वाली ट्रकों को नहीं रोकेंगे यह बात वहां पर हुई थी, क्या यह सही है ? स्वेच्छा से जाने वाले ट्रकों के ग्रलावा, क्या यह सही है, पुलिस ने कुछ ड्राइवर्स को जबर्दस्ती ट्रक हांकने के लिये कहा था ? जिस पर करीब तीन बजे माल से भरी हुई ट्रकों को....

श्री सभापति : ज्यादा प्रश्न हो जायेंगे। इतने मन्त्रीजी को ध्यान नहीं रहेंगे, बहुत हो जायेंगे।

श्री सम्पत राम : ग्रब क्या चाहते हो ?

श्री गंगाराम चौधरी : हम यह चाहते हैं कि....

श्री सभापति : सारे प्रश्न याद नहीं रहेंगे तो वह उत्तर नहीं देंगे किसी का।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, इन घटनाग्रों से बिल्कुल यह जाहिर है कि जो गोली चलाई गई वह थानेदार ने एक व्यक्ति विशेष पर चलाई, किसी भीड़ पर

(श्री गंगाराम चौधरी)

नहीं चलाई और बदनीयती से चलाई। इसलिये उस थानेदार को सस्पेण्ड किया जाय, डी.वाई.एस.पी. जो पास में खड़ा था, जिसने आर्डर दिया है उसको सस्पेण्ड किया जाय और इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जावे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, हमारी तरफ से भी....

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र राठौड़। आपका भी नम्बर आ जायेगा। विराजिये। आपका नाम सूची में है, मैं नाम लेकर पुकार लूंगा। सूची में आपका नाम है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 27 तारीख को जो गोलीकांड हुआ, उस समय जो गोली चली क्या यह सही है कि यह गोली बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के चली? नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, क्या यह सही है कि जब स्थिति तनावपूर्ण थी उस समय मजिस्ट्रेट और डी.वाई. एस. पी. खुद उस मौके से आधा किलोमीटर दूर खड़े थे और गोली चलाने का निर्णय थानेदार ने बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के लिया? क्या यह सही है कि एफ. आई. आर. में यह कहा गया कि कैलाश बेनीवाल के जो चोटें आई हैं वह गिरने से आई हैं? जब मेडिकल रिपोर्ट में 28 चोटें आनी बताई गई हैं तो क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति के गिरने से 28 चोटें आ सकती हैं? इसके अलावा क्या यह सही है कि जो वाकिया एफ. आई. आर. में चार बजे का बताया गया है, वासनी के एस. एच. ओ., ए. एस. आई. और उनके ड्राइवर तीनों ने अपना मेडिकल मुआयना वाकिया से ढाई घंटे पहले यानि डेढ़ बजे करा दिया और वाकिया बताया चार बजे का? तो इन सारे तथ्यों से क्या यह नहीं लगता कि वासनी के थानेदार ने जान बूझकर रंजिश निकालने के लिये ट्रक यूनियन वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये और कैलाश बेनीवाल को मारने की कोशिश में फायर किया और फायर में धेवरचन्द के गोली लगी? मैं यह भी पूछना चाहूंगा, जब 27 तारीख को चार बजे का वाकिया बताया है तो क्या कारण है कैलाश बेनीवाल का मेडिकल मुआयना दो दिन बाद 29 तारीख को होता है? मन्त्री महोदय यह बतायें।

श्री सम्पत राम : और कोई पूछना चाहते हैं?

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जो पुलिस अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट भेज दी आप उस रिपोर्ट के आधार पर मान कर हाउस में जवाब दे रहे हैं या आपने खुद भी अपने स्तर पर इस पर जांच करवाई?

श्री सांवर लाल (भिनाय): मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि लाठियां और धारदार हथियार लेकर ट्रक वाले और उनके कर्मचारी गये। तो कितने धारदार हथियार इन्होंने बरामद

(श्री सांवर लाल)

किये ? दूसरा, यह कि जब कैलाश बेनीवाल और इनके साथ मोटर साइकिल पर जा रहे थे उस समय उस थानेदार ने या डिप्टी ने, कौनसी ऐसी परिस्थिति आ गई थी, जिससे गोली चलाने का आदेश दिया ? क्या उसका उद्देश्य यह था, कैलाश बेनीवाल जो कि इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी है उसको मारने के इरादे से चलाई है ? कैलाश बेनीवाल अगर मोटर साइकिल से कूद नहीं जाता तो निश्चित रूप से वह गोली उनके लगती। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है, मंत्री महोदय को लगता कि नहीं, कि क्या उस व्यापारिक एसोसियेशन और पुलिस की साँठगांठ से ऐसा मामला हुआ और उनका मकसद कैलाश बेनीवाल की जान लेने का था ? क्या मंत्री महोदय पुलिस उप अधीक्षक और थानेदार को निलम्बित करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं ? क्योंकि वहां शहर की जो स्थिति है वहां एक वर्ग उन्होंने पैदा कर दिया है उन वर्गों को पाटनें का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोख) : सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जिस तरह का आपने बयान दिया है, यह एक पुलिस वालों ने चार्ट बना कर दिया है, हकीकत से बहुत दूर है। यह जो थानेदार है ईर्ष्यावादी, जो नौजवान कैलाश बेनीवाल है आप, सभापतिजी, उनकी शक्ल देखोगे, वह हमारे लोक दल का, जनता दल का एक बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा इंजीनियर व्यक्ति है, फौज में ऐसा ब्रिगेडियर नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस वालों को इतनी उससे ईर्ष्या थी। बहुत अच्छा व्यक्ति है वह। पुलिस वालों की लम्बे अरसे से इस पर नजर थी कि इसको किसी तरह से गोली से उड़ाया जाय। सभापति महोदय, यही हुआ। वहां न तो कोई नजदीक इनकी समझौते की मीटिंग चल रही थी....

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

(7.00 सायं)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, डेढ़ कि. मी. दूर मोटर साइकिल चल रही थी उसे थानेदार ने रोक कर उसको गोली मारने की चेष्टा की लेकिन कैलाश बेनीवाल कूद कर एक किनारे हो गया और दूसरे साथी के पैर में गोली लगी। आज भी कैलाश बेनीवाल घायल स्थिति में है, हाथ के पट्टा बन्धा हुआ है और पुलिस वालों ने जान-बूझ करके, षड़यन्त्र रच करके यह किया। जोधपुर की स्थिति आज बहुत बिगड़ी हुई है। क्या यह सही है कि थाने के सामने ही ट्रक यूनियन दफ्तर और आज भी वहां तनाव की स्थिति है क्या राज्य सरकार इस तनाव को समाप्त करने का इरादा रखती है ? थानेदार और डी.एस.पी. को तत्काल सस्पैण्ड करे और एस. पी. वहां लगे हुए हैं उन्होंने हालात खराब किये हैं। अगर आप वहां पर शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो तत्काल इसका एक्शन लें।

श्री गुलाम मुस्तफा खां : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने वक्तव्य में जो लाठी चार्ज करने की बात दी है, उसकी एफ. आई. आर.

(श्री गुलाम मुस्तफा खां)

एस. एच. ओ. ने खुद ने दर्ज की है। उसमें कहीं लाठी चार्ज करने का जिक्र तक नहीं किया, इसलिए यह लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है और आपने वक्तव्य जो दिया है वह एफ. आई. आर. के बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरा मेरा निवेदन है कि गैस पार्टी वहां मौजूद थी उसका युद्ध होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया और लाठी चार्ज भी नहीं किया गया, डायरेक्ट फायर किया गया है। तीसरा, वहां पर मजिस्ट्रेट मौजूद थे उनसे किसी प्रकार का आदेश नहीं लिया गया।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये, रिपीटीशन मत कीजिए।

श्री गुलाम मुस्तफा खां : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है कि लाठी चार्ज वहां क्यों नहीं किया गया, गैस पार्टी को क्यों नहीं काम में लिया गया और डाइरेक्ट फायर क्यों किया गया? दूसरा, एफ. आई. आर. में तो हवाई फायर बताये हैं जबकि टायरों पर और एक आदमी के पांव में चोटें लगी है तो हवाई फायर में उनके कैसे लगी? यह स्पष्ट करें।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, वास्तव में मामला इतना गम्भीर है कि इस पर केवल ध्यानाकर्षण ही नहीं, पूरी बहस होनी चाहिए। इतना गम्भीर मामला है सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ रहा हूं क्या 40 दिन तक पुलिस ने अपनी फोर्स उन ट्रकों को ले जाने के लिए नहीं लगाई? मैं यह पूछना चाहता हूं आखिर यह झगड़ा क्यों हुआ? उनका काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। ज्यों ही डीजल की कीमतें बढ़ीं, यूनियन ने अपना किराया बढ़ाया और व्यापारी उतना किराया देना नहीं चाहते थे और उन्होने सारे मामले का विरोध किया और उससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। सभापति जी, आपको यह सोचना होगा कि वे लोग कौन हैं? यह ट्रक यूनियन वाले वही लोग हैं जो एक्स मिलिटरी मैन हैं जो गांवों में खेती से अलग हो गये। उन लोगों की खेती इकानामिकल नहीं रही। उन्होंने बैंकों से 4–4, 5–5 लाख रुपये 40% तक ब्याज दर पर लेकर यह ट्रक लिये और वह अपना पेट भरने का साधन कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गांव के आदमी जहां कहीं भी शहर में जाते हैं तो व्यापारी यूनियन बना लेते हैं। रिक्शा वाले, ट्रक वाले यूनियन बना लेते हैं और बड़े-बड़े सेठ चेम्बर आफ कामर्स और फलाना-ढिकड़ा यूनियन बना लेते हैं और अपनी मर्जी के भाव तय करते हैं, मर्जी की शर्तें रखते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप प्रश्न पूछिये।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति जी, यह गम्भीर मामला है, इसको गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए कि आज जितनी भी ट्रक यूनियन हैं - चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब, राजस्थान या दिल्ली की हो, इनमें तकरीबन सभी में गांवों के किसान जमीन से सरप्लस हो गये। इन लोगों की बनाई हुई यूनियन है और इस एक जोधपुर की यूनियन का असर इस देश की सभी यूनियनों पर और गांव में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। गांव का आदमी महसूस करेगा कि खेती के धन्धे से सरप्लस होकर इस धन्धे में

(श्री लालचन्द डूडी)

गये तो यहां बड़े व्यापारी मोनोपोलिस्ट् किसी भी धन्धे में कामयाब नहीं होने देना चाहेंगे । इस सारे मामले को हमारी पुलिस शह दे रही है । सभापति जी, बहुत सीधी सी बात है । दो और दो चार ही होते है । फैसला यही करना है । यह कह रहे हैं कि जो एफ. आई. आर. पुलिस थानेदार ने लिखाई है कि समझाने-बुझाने के बाद भीड़ चली गई थी और भीड़ के जाने के पहले एफ. आई. आर. में बतलाया है कि लाठी फोर्स भी आ गई, गैस पार्टी भी आ गई ।

श्री सभापति : आप प्रश्न करिये ।

श्री लालचन्द डूडी : मैं मंत्री जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं । यह जो फायर किये गये हैं इससे पहले क्या लाठा चार्ज हुआ या गैस का इस्तेमाल किया गया ? नहीं किया गया । क्योंकि भीड़ चली गई थी और जहां यह घटना घटी है वहां भीड़ नहीं थी । वहां पर केवल दो आदमी थे जिन पर गोली चलाई गई । अगर वह नहीं गिरता तो वह मरता । यह जानबूझ कर उस थानेदार की नीयत थी कि उस कैलाश बेनीवाल को मारा जाय । यह बात साबित हो गई कि वहां भीड़ नहीं थी, न झगड़ा था । भीड़ चली गई थी, लाठी चार्ज हुआ नहीं था गैस चली नहीं थी । केवल दो आदमी वहां थे । मंत्री जी आप यह बताइये कि ऐसी स्थिति में ऐसी साजिश करने वालों के खिलाफ सस्पैण्ड की कार्यवाही करेंगे, क्या उस थानेदार के खिलाफ 308 का मुकदमा दर्ज करेंगे ? क्या उस डी. एस. पी. को सस्पैण्ड करेंगे और क्या उस एस. पी. को वहां से हटायेंगे ? यह सारे का सारा एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ, गांव के लोगों के खिलाफ यह सारा षडयन्त्र किया गया ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे यह कहते हुए भी संकोच नहीं है कि हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि हम दो दिन, चार दिन वहां बाढ़ के एरिया में घूमे परन्तु वे बाढ़ के एरिया में नहीं गये बल्कि वह वहां बैठ कर एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे थे कि इस यूनियन को तुड़ाना है, मुझे यह कहने में भी शंका नहीं है । ऐसी स्थिति में मंत्री जी, आप बताइये, आपको क्या कहना है और क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है, मेरी समझ में आप एक दफा जवाब दे दें । यह सारे सवाल हम पूछेंगे, माननीय मंत्री जी भूल जायेंगे । इसलिए इनका उत्तर आ जाय ।

श्री सभापति : जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया है उनकी सूची बहुत लम्बी है, आप बिराजिये ।

श्री सम्पतराम : मेरा सुझाव अगर माननीय सदस्य को मान्य हो तो सारी चीजें एक ही दफा आ जाय । कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है । एक दफा आ जाय, सभी का जवाब दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रहे हैं इश्यू छोटा है, पूरे डिवीजन में तनाव है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सम्पतराम : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। इश्यू का मतलब क्या है? मैं कहता हूं पाइण्ट्स कितने भी गम्भीर हों, वह बहुत ज्याद नहीं हैं। यह मेरे कहने का तात्पर्य है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ये जो मुद्दे इसमें उठे है माननीय मंत्री जी उनका जवाब देते जाए क्योंकि....

श्री सभापति : आप भी एक प्रश्न पूछ लीजिये, वक्तव्य के बजाय वे जवाब दे देंगे। आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि जो पन्द्रह सवाल पूछे गये हैं और मेरे पन्द्रह सवाल और हो जायेंगे उनका जवाब कौन देगा?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जो नोट कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : मौके पर समझौता कराने गये थे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी भी और माननीया श्रीमती मदन कौर भी। वह भी अपना वर्णन दे दे, क्या था, क्या नहीं था?

श्री सभापति : आप बिराजिये। हां, बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, सवाल नम्बर एक : आपने जो वक्तव्य दिया है शोषण मुक्ति के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभियान किया है। क्या यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मुक्ति अभियान चार साल तक नहीं चला तो यह इस पांचवे महीने में क्यों शुरू हुआ? यह पांचवा महीना लगा, साल नया बदला और उसमें यह मुक्ति अभियान शुरू किया। सवाल नम्बर दो : यह कि पुलिस ने जो गाली चलाई उस वक्त ए. डी. एम. वहां पर था। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया?

श्री सभापति : देखिये, जो पहले आ चुके है ना, वो तो नोट कर लिए है, उनका रिपिटेशन नहीं हो कृपया।

श्री सम्पतराम (प्रभारी मंत्री) : यह आ गया है....

श्री सभापति : ये बोल चुके है कि मजिस्ट्रेट से परमिशन ली थी क्या?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नहीं आया है कि मजिस्ट्रेट वहां पर था।

श्री सम्पतराम : यह भी आ गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक सवाल यह है कि 6 मुकदमे बने। यह वक्तव्य ख में आया है। ये मुकदमे किस पार्टी के खिलाफ बने? एक तरफ बने या दोनों तरफ बने। क्योंकि 6 मुकदमे बनने का मतलब काफी ज्यादा लोग इन्वोल्व होना है। ये 6 मुकदमे क्या ट्रक ऑपरेटर्स के ही खिलाफ बने या कुछ व्यापारियों के खिलाफ बने? अभी माननीय मंत्री ने जो बयान दिया, उसमें

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बताया कि इन दोनों का संघर्ष काफी दिनों से चल रहा था। जो संघर्ष काफी लम्बे समय से चलता हो उसमें दोनों तरफ से कुछ न कुछ कठिनाइयां अवश्य होती है। इसमें पुलिस ने दोनों तरफ मुकदमे दर्ज किये या एक ही तरफ से दर्ज किये। मेरा सवाल एक यह है कि इन्होंने यह बतलाया है कि लाठियां, हथियार, लठ सभी चीजें ट्रकों में थी तो पुलिस ने ट्रकों को रोका क्यों नहीं और वहां तक उनको क्यों जानें दिया? जब उन्होंने ट्रक देखा और उनमें ये सामान लदा हुआ था....

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये जो बीच में बोल रहे है न। एक मुझे यह पूछना है कि उस वक्त यह घटना हुई। उस जिले में माननीया मंत्री महोदया वहां थी। क्या माननीया मंत्री महोदया को यह पता था कि यह झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े में उनका क्या रोल है? ये जो माननीया सुश्री पुष्पा जी अकाल राहत मंत्री है....

श्री चन्द्रभान (यातायात मंत्री) : उस दिन मौजूद नहीं थी।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं थी तो जवाब आ जायेगा मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि उस जिले में थी, उस घटना में उनका क्या रोल था? इसमें मुझे एक यह पूछना है कि जिन 15 ट्रकों में माल भरा गया, वे ट्रक कहां से आये? उस जिले के थे या उस जिले के बाहर से आये या किसी और प्रान्त से आये और उनको कौन लाया? माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि 15 ट्रक एक साथ भर रहे थे। इसका मतलब यह कि किसी ने योजना बनाई और उन 15 ट्रकों को बाहर से लाया गया और उन ट्रकों को लाकर भरवाया गया। यह योजना बनाने वाला कौन था और उसमें किसका हाथ था इन पन्द्रह ट्रकों को एक साथ लाने में? दूसरा मेरा यह कहना है कि इन पन्द्रह ट्रकों में एक साथ क्या माल भरा गया था? ऐसी क्या चीज थी जो इन पन्द्रह ट्रकों में एक साथ भरी गई और एक साथ ही निकाली गई? दूसरा मुझे यह कहना है इस मामले में....

श्री सम्पतराम : इससे क्या मतलब निकालोगे आप?

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे यह मतलब निकालेंगे कि प्रशासन व पुलिस इसमें साथ थी।

श्री सम्पतराम : मुझे क्या पता कि उसमें गेहूं था, बजरी था या क्या था?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा यह इल्जाम है। मैं आपसे पूछता हूं। यह इल्जाम है कि पुलिस और प्रशासन....

श्री सम्पतराम : आप मेरे से एक घंटे तक पूछिये मैं एक घण्टे तक जवाब दूंगा....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह माननीय मंत्री जी आपका जवाब नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप सवाल पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे एक सवाल पूछना है, वो यह है कि माननीय मंत्री जी आपने जो बयान दिया है वह तो आपको किसी ने लिखकर दिया है जो आप पढ़ रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछिये। यह प्रश्न नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : किसी का लिखा हुआ पढ़े क्या यह प्रश्न नहीं है ? मैं यह समझता हूं....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय मंत्री जी खुद अध्ययन कर के आये हैं, आप जैसे मंत्री नहीं है।

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य, आप बिराजिये आप। आप प्रश्न पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, इस सिलसिले में मुझे यही कहना है और एक ही सवाल मुझे यह पूछना है कि जिस तरह से यह घटना हुई है, इसमें निश्चित तौर से एक थानेदार ने गोली चलाई है जो डी. वाई. एस. पी. वहां हाजिर था, उनको सस्पैण्ड किया जाये और उनको सजा दी जाए।

श्री सभापति : इसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ? माननीय श्री रामसिंह जी (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह (तिजारा) : क्या इनकी याददाश्त इतनी है कि चार घन्टे तक जवाब देने की क्षमता रखते हैं ? पहले तो आप इनका जवाब दीजिये।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है माननीय मंत्री महोदय से।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये आप।

श्री रिछपाल सिंह : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ट्रक यूनियन के मालिकों के ऊपर जो गोली चलाई व उनके हाथ-पैर तोड़े गये। क्या उसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई या नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल चौहान : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा गोली काण्ड और इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या वहां पर जाकर के कलक्टर और एस. पी. ने जायजा लिया ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि यूनियन अथवा ट्रक मालिकों की हठधर्मिता एवं मनमानी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस जोधपुर ट्रक यूनियन में 1400 ट्रक हैं। अगर ये मनमानी और हठधर्मी करते तो दिनांक 23-5-90 से 2-7-90 तक अर्थात् डेढ़ महीने तक ये गाड़ियां शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी नहीं रहती। क्या यह सही है या गलत है ? नम्बर दो—जब 15 ट्रक दूसरे लाये तो अगर इन दोनों का झगड़ा था तो क्या पुलिस ने पार्टी बन कर के काम किया या एक तरफा पक्ष लिया ? एक तरफ के लोगों को पूरा पुलिस का संरक्षण देकर दूसरे लोगों को नाजायज परेशान करने का काम

श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पुलिस ने किया या नहीं किया ? नम्बर–3 मजिस्ट्रेट की इजाजत लिये बिना पुलिस के थानेदार और डी. वाई. एस. पी. ने कैलाश बेनीवाल और घेवर राम विश्नोई पर एक सुनियोजित षड़यन्त्र के तरीके से उनकी हत्या करने के इरादे से गोली चलाई या नहीं चलाई ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका रिपिटेशन नहीं करे, जो बात आ गई कृपया उसे न बोले ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब स्वयं थानेदार ने एफ.आई.आर. में यह स्वीकार किया है कि मैंने....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न ही पूछ रहा हूं । क्या यह सही है कि थानेदार ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उनका माल लदवा रहे थे । वे ट्रक दूसरे स्टेट मे लाये थे । आप जब यह कह रहे हैं कि वे ट्रक वाले मनमानी करते थे । अगर वे मनमानी करते तो क्या यह सही नहीं है कि 23-5-90 से 2-7-90 तक उन्होंने अपने 1400 ट्रक खड़े रखे । ट्रक वालों के जो चोटें आई उनके मेडिकल मुआयने में क्या-क्या चोटें दिखाई गई है और उसमें थानेदार और पुलिस वाले भी शामिल थे या नहीं ? इनका जवाब दिलवाइये ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, नोट कर रहे है, जवाब दे देंगे । माननीय श्री रामसिंह जी विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, क्या यह सही है कि पूरे भारत में एवं राजस्थान के अन्दर काफी संख्या में ट्रक यूनियन बनी हुई है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्रश्न है साहब । यह प्रश्न तभी तो बनेगा । अगर यूनियन है ही नहीं, नाजायज है तो....

श्री सभापति : यूनियनें बनी हुई हैं, यह सब जानते हैं आप, प्रश्न पूछिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई : जानते हैं तो फिर यह झगड़ा किस आधार पर होता है । आपने कहा था कि एकाधिकार है । उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बताया था कि उन्होंने तो समझौता करने का प्रयास किया था । इनका एकाधिकार था इसलिए यह बात पैदा हुई ।

श्री सभापति : हां, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री चन्द्रभान (यातायात मंत्री) : मैं आपके सवाल का जवाब देऊं, चूंकि यह ट्रक यूनियन का मामला है । यह यातायात से जुड़ा हुआ है । ट्रक यूनियन की जो बात आपने कही है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी आप विराजे । आप बाद में जवाब दे दीजिये, जब इसकी आवश्यकता होगी तब । माननीय सदस्य ।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि आज जोधपुर में राजस्थान की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जितनी भी यूनियनें बनी हुई है, उनमें सबसे ज्यादा करीब 1400 ट्रक मालिक इसके मेम्बर है ? क्या यह सही है कि यह जो इसके मेम्बर हैं 1400, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त कौमों के लोग इसमें मेम्बर हैं ? केवल कोई जाट या विश्नोई नहीं, बल्कि राजपूत, माली ब्राह्मण, मुसलमान और यहां तक कि शिड्यूल कास्ट के यानि सब कौमों के लोग इसमें मेम्बर हैं ? क्या यह सही है कि बाबूलाल जोशी, जो एस. एच. ओ. बासनी लगा हुआ है यह पहले एस. एच. ओ. बासनी नहीं था। एस. पी., जोधपुर ने मैनुप्लेट करके जो डी. वाई. एस. पी. जोशी को लगाया है, उसको जब यह कहा कि भाई इस तरह यूनियन को फेल करना है और व्यापारियों को सहयोग करना है तो डी. वाई. एस. पी. के कहने से उस एस. एच. ओ. बाबूलाल जोशी, जो पिपाड़ सिटी बिलाड़ा तहसील में आता है, वहां से ट्रांसफर करके इसको बासनी के अन्दर लगाया और जो बासनी एस.एच.ओ. था जिसको वह समझते थे कि यह किसानों का और इन ट्रक यूनियन्स का समर्थक है उसको लूणी में ट्रांसफर किया ? क्या यह सही है कि जब सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद था तो क्या जरूरत पड़ी एस.एच.ओ. को, जो कि वहां यह गोली चलाते ? जब डी. वाई. एस. पी. खुद उसके साथ था सिटी मजिस्ट्रेट साथ में था तो ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी ? क्या यह सही है कि एस. पी., जोधपुर ने पिछले छह महीने से इन ट्रक यूनियन्स के लिखाफ जगह-जगह मुकदमे बनाये, उनको परेशान करने की कोशिश की और क्या यह सही है कि जब चार-पांच साल से ट्रक यूनियन रजिस्टर्ड है और इसके 1300-1400 मेम्बर्स हैं, जब कोई विवाद आज तक नहीं हुआ, क्या स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से यह सब हादसा हुआ ? क्या यह सही है कि इसके पीछे एस. पी. का और उसके पीछे काफी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस यूनियन को फेल करने में। जब यह यूनियन अच्छी काम कर रही थी, जब ऐसा कोई विवाद पैदा हुआ नहीं, जब कोई किराया ऐसा बढ़ाया नहीं और किराया जब समझौते से कम हो सकता था तो ट्रक यूनियन के एकाधिकार को या और कुछ बात कहने की आवश्यकता कहां पड़ी ? मतलब क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से यह नौबत आई, झगड़ा करना पड़ा ? जब मालूम था कि गांव के लोग या ट्रक यूनियन के सैंकड़ों कार्यकर्ता या कर्मचारी वहां पर है, वहां पर लगे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं तो फिर पुलिस को 15 ट्रक लेकर जबरदस्ती निकलवाने की जरूरत क्या पड़ी, शांति स्थापित होने के बाद यह करते, इन्होंने यह गोली चलाने का, इस तरह का कार्यक्रम क्यों बनाया ?

श्री सम्पतराम : Should I speak, Sir ?

श्री सभापति : इनको और बोलने दीजिए।

श्री सम्पतराम : आप तो वैसे ही कह लेना, मेरे से ही।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा भी नाम है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सही बात तो यह है कि सरकार ने पुलिस को पूरी शह दी है और यही कारण है कि जल्दबाजी में....

श्री सभापति : सही बात है, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये। रिपिटीशन न हो कृपया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हां, यही है। रिपिटीशन नहीं होगा। यही कारण है कि पुलिस ने एफ. आई. आर. अफरा-तफरी में दर्ज की है। मैं कहता हूं कि पुलिस के रिकार्ड में ऐसी एफ. आई. आर. कभी दर्ज हुई ही नहीं होगी।

श्री कालीचरण सराफ : प्रश्न पूछो आप तो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि बाबू लाल मौके पर गया, किस की रिपोर्ट पर, किसकी दरख्वास्त पर, क्या इत्तला उसको थी जो वह मौके पर गया? पहला प्रश्न मेरा यह है।

श्री सभापति : हां, हां, बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब बाबूलाल एस.एच.ओ. मौके पर पहुंच गया तो वहां से उसने वायरलैस किया है और वायरलैस के बाद वहां डी. एस. पी. पहुंचा है वेस्ट का और वहां पर मजिस्ट्रेट भी पहुंचा है क्योंकि उसने यह वायरलैस किया कि दो-तीन सौ लोग वहां है और वहां लॉफुल असेम्बली है उसको हटाने के लिए वहां पुलिस की फोर्स चली गई है जो एफ. आई. आर. में लिखा है और पुलिस फोर्स जाने के बाद अश्रु गैस पार्टी भी गई है, लाठी पार्टी भी गई है।

श्री सभापति : अब आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यही तो पूछ रहा हूं। लाठी पार्टी भी गई है, यह प्रश्न बन गया न? यह मैं एफ. आई. आर. की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। इसलिए लॉफुल असेम्बली को तितर-बितर करने के लिए नियम हैं तो पहला मेरा प्रश्न यह है कि जब वहां यह अश्रु गैस पार्टी चली गई थी, लाठी पार्टी चली गई थी तो उसका प्रयोग नहीं किया गया, एक बात। एस.एच.ओ. के रिवाल्वर से छह फायर दिखाये हैं और दो-दो फायर दो थ्री नॉट थ्री से दिखाये गये हैं और यह भी फायर आसमान में दिखाए हैं....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हवाई फायर दिखाये हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वह हवाई फायर नहीं है, वह टारगेट में फायर किये गये हैं। वह एक तो ड्राइवर को लगा और दूसरा फायर....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये न।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं साहब, मेरे पास गोली है, हवाई फायर नहीं किये, ट्रक में भी गया है....

श्री सभापति : आपके पास गोली है, आपके पास सब है, माननीय सदस्य। इस

(श्री सभापति)

पर काफी सदस्य बोल चुके हैं। आप वक्तव्य न दें। (व्यवधान)....

श्री ईश्वरलाल सैनी : ट्रक में फायर किये गये हैं और यह भी बात सही है कि उस वक्त जो मजिस्ट्रेट था उसने मना किया था, मना करने के बाद एस. एच. ओ. ने अपनी मनमर्जी से फायर किये हैं। यही नहीं, मुलजिम जो गिरफ्तार किये गये हैं उनके चोटें भी आई हैं। उनके कितनी चोटें आई, कौन-कौन सी चोटें...(व्यवधान) एक मिनट, कितनी चोटें, कौन-कौन सी किस-किस मुलजिम के आई? क्यों जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनके चोटों का मुआयना कराया था और दूसरी बात है कि जब....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह रिपिटीशन कर रहे हैं आप। मुआयना वगैरह की सब बात आ चुकी है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रिपिटीशन मेरा कुछ नहीं हो रहा है, उनका हुलिया भी लिखा होगा। मैं कहता हूं कि यह मुलजिम ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं, उनका हुलिया भी लिखा होगा, उनकी चोटें भी लिखी होंगी....

श्री सभापति : यह आ चुका है, लिखा होगा। रिपिटीशन न करें, कृपया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मुलजिम ही नहीं है। आप सुनिये सीधे-सीधे। जब मंत्री जी जवाब देंगे तो बीच में फिर पूछेंगे....

श्री सभापति : हां, हां। मंत्री जी तो जवाब देंगे पर आप....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मुलजिम ही नहीं है, यह वह केस ही नहीं है, सही बात यह है। यह तो पता नहीं, कौन सा केस है।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुलजिमों से हथियार दिखाये हैं एफ. आई. आर. में, मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्या वह हथियार बरामद किये हैं?

श्री सभापति : यह बात भी पहले आ चुकी है, आप कृपया रिपिटीशन न करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं आया है। चार बजे उन्होंने वाकया दिखाया गया है घटना का और सात बजे एफ. आई. आर. दर्ज की है। क्यों? तीन घण्टे किस वजह से चले गये? होता यह है कि जब मजिस्ट्रेट....

श्री सभापति : होता नहीं है। आप कृपया प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह देखिये, हंसने की बात नहीं है। तीन घण्टे लगाये हैं, उसमें अफसरों से मिली भगत करके असत्य मुकदमे बनाने की, इसलिए। अब मेरे दो प्रश्न और हैं। मेरे दो प्रश्न यह है कि जो एस.एच.ओ. ने फायरिंग की है और उसके

श्री ईश्वरलाल सैनी)

बाद जो वाकया दिखाया है चार बजे का, उससे पूर्व जो मेडिकल हुए हैं उनके, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेडिकल हुआ है उनका, पुलिस वालों के, वह डेढ़ बजे के दिखाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह घटना वह है ही नहीं। इसलिए माननीय मंत्री जी जब जवाब दो तो सबसे पहला जवाब यह दोगे कि इन मुलजिमान को आपने बरी कर दिया है, यह घटना ही नहीं है। चार बजे झगड़ा हुआ है और पुलिस वालों का डेढ़ बजे डाक्टरी मुआयना किया है। डाक्टरी मुआयना पता नहीं किससे करवा लिया है? सही बात यह है कि जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया तो मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मिनट सर, मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा था कि इनका डाक्टरी मुआयना कराइये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : डाक्टरी मुआयना भी उनका बाद में किया है। यह जो हवाई फायर किये गये हैं....

श्री सभापति : अब और क्या बाकी रह गया?

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह टारगेट की गोली है, मैं इसे सदन में रख रहा हूं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गोली? सदन में?

श्री सभापति : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, रखने की।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न है इसमें....

श्री सभापति : केवल प्रश्न पूछेंगे, रिपिटीशन नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : पूछने दिया जाये मुझे। केवल प्रश्न पूछूंगा।

श्री सभापति : हां, प्रश्न पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा प्रश्न यह है कि मंत्रिमण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल वहां समझौता कराने के लिए गया था और समझौता करा कर आया। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो समझौते में उन्होंने शर्तें रखी और वह मंजूर करके आये थे, क्यों नहीं उनको लागू किया गया? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो ड्राइवर घायल हुआ है, उसके गोली लगी है और उसकी टांग कटने को तैयार हो रही है, उसके परिवार को अब तक क्यों नहीं सहायता दी गई और सहायता नहीं दी गई तो आगे क्या सहायता देंगे? घोषणा करें।

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : यह समझौता एक जुलाई को हुआ है।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हमें यह पता पड़ा कि पुलिस ने काबू में करने के लिए हवा में गोली चलाई। मैं तो मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मोटर साइकिल सड़क पर चलती है या वह उड़ रही थी ? क्या भेंवर राम हवा में उड़ रहा था जो टांग में गोली लगी ? जब उसके गोली लगी, सड़क के ऊपर, that mean, it was deliberate aim and fire.

हवा में जब कोई गोली चलती है तो मोटर साईकल पर चलते हुए आदमी के गोली नहीं लगा करती माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सभापति : माननीय मदेरणा जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी क्या यह सही है कि एडशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (सिटी) स्पॉट पर मौजूद थे ? क्या यह सही है कि जो फायरिंग हुई उससे पहले अन-लॉ फुल असेम्बली को डिस्पर्स होने की कोई वार्निंग नहीं दी गयी। क्या यह सही है कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व स्पॉट पर हो तो बिना ऑर्डर के फायरिंग करना गैर कानूनी है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो इस घटना से थोड़ी अलग है। हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में ट्रक यूनियन में खास तौर से लेबर क्लास व दूसरे लोगों की बहुतायत है और उसमें किसान वर्ग ही ज्यादातर काम करता है तो आज तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि ट्रक यूनियन बन जाय और एक तरफ व्यापारी व्यापार करता है, वह माल लाने ले जाने और आदान प्रदान जितना जो कुछ होता है, करता है, उसके लिए कोई ऐसी एजेन्सी नहीं है जो उसकी रेट तय कर दे। नम्बर एक। नम्बर दो, यह क्या पाबंद किया जा सकता है कि यूनियन तो बन गई, मैं भी चाहता हूं कि यूनियन बने, मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि यूनियन बने और उसके जरिये काम हो लेकिन लीगल बाइंडिंग नहीं है कि कोई भी ट्रक ले जाये तो वह यूनियन का ही ले जाय, किसी दूसरे का नहीं।

मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। जैसा परस राम जी ने पूछा मजिस्ट्रेट ने आज्ञा नहीं दी। यह सत्य है कि मजिस्ट्रेट ने आज्ञा नहीं दी और यह कहते हैं कि थानेदार ने रिवाल्वर से गोली चलायी, वह किसी के नहीं लगी, वह बन्दूक की गोली लगी। फिर मजिस्ट्रेट था तो मजिस्ट्रेट की बगैर आज्ञा के गोली क्यों चली ? निश्चित रूप से पुलिस वाला दोषी होता है लेकिन सूचना यह मिली कि मजिस्ट्रेट और बड़े पुलिस के गोली अफसर बहुत दूर थे। नंबर एक। फिर जब नजदीक थे तो टियर गैस जैसा माननीय सदस्य ने बताया वह क्यों इस्तेमाल नहीं की गई ? फिर क्या जरूरत थी कि इतनी एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल किया गया।

(श्री सम्पतराम)

यह सारे पाइन्ट मेरे ख्याल से इसी दायरे में आते हैं। यह भी कहा गया कि वह पुलिस की साझेदारी से हुआ और पुलिस ने मिल कर यह हादसा करा दिया तो सभापति महोदय, यह सब जांच का विषय है यह आज तय करना बड़ा मुश्किल है कि एस पी. थानेदार और सारा पुलिस प्रशासन मिला हुआ था यह तो कबूल करना मुश्किल है मैं यह चाहता हूं कि यह सारा विषय एक ऐसी एजेन्सी को दिया जाय जिसमें सारे तथ्यों की जानकारी होकर आ जाय। यह मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जांच होगी वह सही होगी। जहां तक मेरा मानना है उसमें जो दोषी पाया जायेगा मुअत्तिल करने का सवाल नहीं अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी तो उन को गिरफ्तार करेंगे। इसलिए मैं यह मानता हूं....

श्री प्रेमसिंह दहिया : सदन की भावना है कि उन को गिरफ्तार किया जाय।

श्री सम्पतराम : सदन की भावना से काम नहीं चलेगा। यह सिद्ध नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : जब तक वह अधिकारी वहां है पूरी जांच नहीं होगी। जांच से पहले सस्पैण्ड कीजिए....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पहले उसको ससपैण्ड कीजिए....

श्री सभापति : पहले आप बिराजिये.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : न्यायिक जांच होनी चाहिए किसी अधिकारी से नहीं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक-एक बोल लेना। इतने लोग खड़े हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : गोली चलाने की अनुमति मजिस्ट्रेट ने नहीं दी, यह मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है तो थानेदार को सस्पैण्ड क्यों नहीं करना चाहते हैं थानेदार को सस्पैण्ड करिये .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं जांच कराऊंगा और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे बल्कि क्रिमनल लायबिलिटी फिक्स करेंगे तो आपके माध्यम से यह कहना है कि जब तक वह दोषी आफिसर वहां मौजूद है। किस से जांच करायेंगे पुलिस की? कौन सी एजेन्सी सेफ है जो जांच करेगी? इसलिए मेरी यह मान्यता है कि उन को आप सस्पैण्ड करें या न करें। स्वतन्त्र जांच हो तब तक जांच में बाधा न पड़े इसके लिए उनको वहां से तो हटाया जाय... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे क्या मतलब है। हटाना क्या सजा है....... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। एक-एक की बात सुनने दीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, सदन में यह बात आ गयी और मंत्री महोदय ने यह बात मान ली तो सस्पैण्ड क्यों नहीं करना चाहते हैं ? इसको सरकार दबाना क्यों चाहती है ?

श्री सभापति : माननीय सिंचाई मंत्रीजी वक्तव्य देंगे....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया तो सस्पैण्ड क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराजें....

(व्यवस्था सूचक-घण्टी)

एक-एक बोलें तो बात समझ में आयेगी। आप सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा....आप विराजिये....

श्री ईश्वरलाल सैनी : एस.एच.ओ. को सस्पैण्ड करने की घोषणा की जाय।

श्री सभापति : आप कृपया बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आसन पैरों पर है....

श्री प्रेमसिंह दहिया : सभापति महोदय, थोड़े टाइम पहले ही सदन की भावना के साथ एक अधिकारी को सस्पैण्ड किया गया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सदन की भावना को ध्यान में रखो....

श्री सभापति : माननीय सैनी जी। आप विराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : विद्युत मंत्री जी ने सदन की भावना से एक अधिकारी को सस्पैण्ड किया है....

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले तो यह सीखाओं कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अगर इस तरह से लोग मारे गये तो लोग सिखा देंगे।

(7·40 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रकरण चल रहा है....

श्री अध्यक्ष : वह तो चला गया। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : 21-6-90 को माननीय यातायात मंत्री जी····

श्री अध्यक्ष : इस सदन में बहुत काम काम बाकी है। सारा प्राइवेट मेम्बर्स का काम बाकी है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन नहीं चलाने देंगे तो मुझे हाउस को एडजोर्न करना पड़ेगा (व्यवधान) यदि आप हाउस को नहीं चलाने देना चाहते हैं..

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आप मंत्रीजी को बोलने दीजिए। आपने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मंत्रीजी तो बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर आप क्या चाहते हैं ? व्हाट डू यू वाण्ट।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय ने स्वयं ने मान लिया कि थानेदार ने बिना ए. डी. एम. के ऑर्डर के गोली चला दी। इससे उसका अपराध सिद्ध हो गया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। तो इसके बारे में तो मंत्री महोदय बोलेंगे कि उनको सस्पैण्ड क्यों नहीं कर सकते। लेट हिम से। उनको तो सुनिये। (व्यवधान)

आप नहीं चाहते तो, मत चलाइये हाउस को। अब आप सुनिये प्लीज, हियर प्लीज।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं ही आपके पधारने से पहले ही बहुत कुछ कह चुका था। यह ठीक है कि मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था। मेरे पास जो सूचना है। तो वह आज्ञा नहीं ले सके, ऐसी क्या इवेन्च्युलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को फायरिंग करना पड़ा। एक्सेस फोर्स यूज करने के क्या हालात बन गये थे, जिससे पुलिस ने गोली चलायी, नम्बर एक। मजिस्ट्रेट की परमीशन नहीं ली, बहुत से मामले माननीय सदस्यों ने भी मेरे ध्यान में लाये हैं। यह कहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है, किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गुनाह करेगा, उसको दण्ड मिलेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि जब तक कोई लायबिलिटी किसी के ऊपर फिक्स नहीं होगी, तब तक सरकार कैसे उसको दण्डित करेगी, यह शंका तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की कि पुलिस के लोग वहां हैं, तो पुलिस कैसे जांच करेगी। मैं यह बात कहने ही वाला था कि मैं कोई इनडिपेंडेन्ट एजेन्सी कायम कर रहा हूं, जो इसकी जांच करेगी। जोधपुर संभाग के कमिश्नर को नियुक्त किया जा रहा है, इस जांच के लिए। और 20 दिन के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके ऊपर जो तथ्य आयेंगे, उसके आधार पर .. (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना गम्भीर मसला था....

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप जोर से बोलेंगे तो गंभीर हो जायेगा क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि लाठी चार्ज हुआ है, यह आपने स्टेटमेण्ट में कहा है पहले लाठी चलायी है। इसका मतलब अगर लाठी चलाई है, तो वहां परिस्थितियां इस तरह की नहीं थी कि पीछे से मजिस्ट्रेट ना पहुंच सकें, यह बिल्कुल गलत बात है। लाठी-चार्ज—

श्री अध्यक्ष : यह गलत है, या सही, इसका निर्णय यहां कराओगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं कह रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : लाठी-चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, बैठिये। वह बोल रहे हैं कुछ। डूडीजी बोल रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, पिन पाइण्टेड क्वेश्चन है मेरा कि वहां लाठी फोर्स पहुंच गई, गैस फोर्स पहुंच गई। गैस फोर्स पहुंचने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि भीड़ समझाने-बुझाने से चली गई थी और यह वाकया जो हुआ है, यह भीड़ के पास नहीं, भीड़ से दूर जाकर जो चुंगी चौकी है, उसके पास घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य स्वीकार कर रहे हैं क्या ?

श्री लालचन्द डूडी : हां यह स्वीकार कर रहे हैं। यह स्वीकार किया है कि वहां पर गैस फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ और मैजिस्ट्रेट वहां इस वास्ते नहीं था। उस मौके पर, क्योंकि वहां भीड़ नहीं थी। मैजिस्ट्रेट भीड़ को समझाने-बुझाने के लिए भीड़ के पास ही खड़ा था। जहां यह गोली चलाने का वाकया हुआ है, वहां केवल दो आदमी, एक मोटर साइकिल चला रहा था और एक पीछे था, और उस जगह पर उसके लगी है, तो गोली वहां चली है, तो वहां गोली चलाने की क्या नौबत आ गई थी ? यह बात तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि जहां गोली चली है, वहां 2-3 आदमियों से अधिक नहीं थे, जबकि एक एस. एच. ओ. था और उसके साथ पुलिस के 5-7 आदमी भी थे, तो वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो यह क्लीयरली इन्डीकेट करता है कि एस. एच. ओ. की नीयत थी उस कैलाश बेनीवाल को मारने की तो हम क्या चीज को इतना नहीं समझ सकते ? श्री सम्पतराम जी तो बहुत सालों तो गृह-मन्त्री भी रहे हैं, काफी समय तक वकील भी रहे हैं, सारी बातें हैं। इन परिस्थितियों में क्या वह यह नहीं पहचान सकते हैं कि उस थानेदार की इन्टेन्शन थी, जब उसकी मेलाफाइड इन्टेन्शन थी, तो उसको सस्पेण्ड करने में कहां दिक्कत आती है। तो यह मुद्दा है, जिसके ऊपर आप उसको सस्पेण्ड करने की कार्यवाही करें। अगर पुलिस की वर्दी के अन्दर, उस वर्दी का गलत इस्तेमाल पुलिस के लोग करने लगे, तो फिर आखिर रक्षा कौन करेगा, यह तो भक्षक बन जायेंगे। तो इस वास्ते इसके अन्दर यह कार्यवाही करनी ही पड़ेगी कि उनको सस्पेण्ड करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और जांच किसी न्याय परिसर से इनसे नहीं जिनके बारे में आपने नाम लिया है, उसके बारे में मैं हाउस में कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां के लोगों की जो फीलिंग है कि वह एस. पी. भी, आपके कमिश्नर भी, आपके व्यापारी भी और एकाध हमारे और कोई सदस्य भी, यह सारे के सारे इसके अन्दर इन्वोल्व हैं, उस सारे मामले को अगर वह देखें और उनको करना ही पड़ेगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी माननीय मंत्री

(श्री गंगाराम चौधरी)

जी ने कहा है कि घेवरराम को जो गोली लगी है, वह रिवाल्वर की नहीं है, राइफल की है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, घेवरराम की जो इन्जुरी रिपोर्ट है, उस इन्जुरी रिपोर्ट को देखेंगे तो पता लग जायेगा कि इतनी छोटी इन्जुरी है कि वह राइफल की गोली नहीं है, जो राइफल की बात कह रहे हैं। वह थानेदार को बचाने के लिए कह रहे हैं, जो थानेदार के हाथ में रिवाल्वर था और उस घेवरराम के राइफल की चोट लगी है। उसके बूण्ड को अगर आप देखेंगे, एण्ट्री. 7 सी. एम.। खैर एण्ट्री तो हर गोली की छोटी है, लेकिन अगर आप एग्जेक्ट देखेंगे तो एग्जेक्ट भी 1.7 सी. एम. से ज्यादा नहीं है। अगर राइफल की गोली होती तो, एग्जेक्ट बूण्ड भी अध्यक्ष महोदय, वह 4-5 सी. एम. का है। थानेदार को बचाने के लिए यह कहा गया है कि राइफल से गोली लगी, यह गलत बात है और माननीय मंत्रीजी उसको करेक्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में खुद माना है कि यह जो गोली चलाई गई, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के चलाई गई और जब गोली चल रही थी, तो मजिस्ट्रेट और डी. वाई. एस. पी. उस जगह से आधा किलोमीटर दूर थे। जब मजिस्ट्रेट के बिना आदेश से चलाई गई, इतना बड़ा अपराध थानेदार ने किया, तो उसको सस्पैण्ड करने में क्या दिक्कत आ रही है, यह बताइये। अब आप यह कहते हैं कि आप उस पूरे प्रकरण की जांच करवा लेंगे, डिवीजनल कमिश्नर से। अध्यक्ष महोदय, डी वाई. एस. पी. भी वहीं, थानेदार भी वहीं, फिर किस तरह से निष्पक्ष जांच हो जायेगी ? इसलिए मेरी यह मांग है कि पहले उस थानेदार को सस्पैण्ड किया जाये, डी. वाई. एस. पी. और एडीशनल एस. पी., जो भी इसमें इन्वोल्व थे, उनका वहां से तुरन्त स्थानान्तरण करें, और उसके बाद आप ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करवायें, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी से क्या मिलेगा ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे डिवीजन में तनाव है, इस बात को आप छोटा मत लीजिए।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं था, आधा किलोमीटर दूर था, यह बिल्कुल मानने जैसी बात नहीं है। केवल 15 ट्रक थे और एक ट्रक की लम्बाई 14-15 फीट होती है, वह 50 फीट तो नहीं होती है, तो अध्यक्ष महोदय, वह आधा किलोमीटर पर क्या कर रहा था ? जब उसको मालूम था कि बड़ा हादसा हो सकता है, तो आगे-पीछे तो हो सकते हैं, आवाज से आ सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात कहना कि वह आधा या एक किलोमीटर दूर थे, डी. वाई. एस. पी. साथ था, सिटी मजिस्ट्रेट साथ था, सब आगे और पीछे थे और उनके साथ में सौ-दो सौ सिपाही थे। ट्रक भरे हुए थे, अलग से। डी.वाई.एस.पी. और सिटी मजिस्ट्रेट साथ था, फिर ऐसी स्थिति में थानेदार को गोली चलाने की कहां आवश्यकता पड़ी। और दूसरा जो आपने कहा, मन्त्री महोदय। आप इधर देखिये, ऐसा है....

श्री सम्पत राम : मेरा काम तो कान कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे कहने से तो होना नहीं, काम तो आपके कहने से ही होगा। अगर कान इधर लगे हैं, तो अच्छी बात है। कई आदमी सुनते हुए भी नहीं सुनते, उनका क्या इलाज करें। अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि जो जोधपुर के कमिश्नर हैं, मैं आरोप तो नहीं लगाता, लेकिन वह कमिश्नर, वहां का एस. पी., व्यापारी और जो भी हैं, वह सब इस मामले में एक ही हैं। मैं उचित समझता हूं, इसमें कोई निष्पक्ष आदमी लगावें, वह एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो आपके सामने आ गये हैं, उसमें डी. वाई. एस. पी. तक का हाथ है, लेकिन इतनी हिम्मत आपसे नहीं होगी, क्योंकि आप थानेदार को ही सस्पेण्ड नहीं करते, तो एस. पी. को आप क्या करेंगे, लेकिन कम से कम जो आपके सामने हैं, आंखों के सामने जो हादसा हुआ है, उसको आप जानते हैं, इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इस हाउस में अभी सुमित्राजी ने कितनी बड़ी हिम्मत की। न तो वहां पर गोलियां चली, न वहां पर कोई मामला हुआ। एक मंत्री महोदय हैं, जो बिना सदन की भावनाओं को समझकर के, माननीय सदस्य ने कहा कि अगर भावना नहीं है तो कानूनी दृष्टि से करें। लेकिन इन्होंने भावना को परश्यू नहीं किया, और एक आप मंत्री हैं, जो मेरे ख्याल से सख्त हृदय है, जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने गम्भीर आरोपों के आधार पर किया है, केवल सदन की भावनाओं पर ही नहीं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इसको गम्भीरता से नहीं लेती क्या? आपकी क्या ओपीनियन है इसमें?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की भावना तो थी, तभी तो मैंने कहा। लेकिन यह सदन की भावनाओं के साथ गम्भीर आरोपों की पुष्टि भी हुई थी। अगर आरोपों का का प्रमाण नहीं मिलता तो केवल सदन की भावना के आधार पर नहीं करती।

श्री लालचन्द डूडी : आप इसको गम्भीर आरोप नहीं मान रही क्या? इस घटना को गम्भीर नहीं मान रहीं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मन्त्री महोदय, यह आप वाले मामले से ज्यादा गम्भीर है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं डिफैण्ड नहीं कर रही। यह आरोप तो प्रूव्ड थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस मामले में आपकी क्या भावना है?

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मामले में सब भावना शून्य हो। इस मामले में बताइये भावना क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने चूंकि मुझ पर आरोप लगाया....

श्री अध्यक्ष : माननीया मन्त्रीजी, आप क्यों उलझ रही हैं बीच में? माननीया मन्त्रीजी, आप बैठिये। (व्यवधान)

आप बैठिये, पहले यह बोल लें। इन सब को बोलने दीजिए। लैट दैम स्पीक।

(श्री अध्यक्ष)

आज इनका दिन है। आप खुलकर बोलिये।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए नहीं बोल रहे।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, समय बढ़ा देता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

(8.00 रात्रि)

शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है कि सब इंस्पेक्टर, पुलिस ने जिस मोटर-साइकिल पर कैलाश बेनीवाल और घेवरराम सवार थे उस पर गोली चलायी और गोली चलाने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया है मौके पर ?

श्री सम्पत राम : यह सही नहीं है। सब इंस्पेक्टर के लिए तो मैं मान चुका हूं, रिवाल्वर से गोली चलायी गयी थी, हवाई फायर किया था। सिपाही ने गोली चलायी थी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस मामले में आपके सामने फैक्ट्स को और तरह से रखा गया है, केस को कनकाक्टेड बनाया है। इसलिए कनकावटेड है यह कि जिस मोटर साइकिल पर यह सवार थे, एफ आई. आर. में सब इंस्पेक्टर कहता है कि यह लावारिस मोटर साइकिल पड़ी थी और उस पर सवार दोनों व्यक्तियों को वहीं स्पाट पर उसी वक्त अरेस्ट करता है। क्या यह सही है ?

श्री सम्पत राम : माननीय परसराम साहब, अगर यह बात शक के दायरे में नहीं होती तो मैं कमिश्नर को जांच का अधिकारी नहीं बनाता। मैंने डिफरेण्ट वर्जन आये हैं इसीलिए मैंने यह सोचा कि पुलिस अधिकारी को यह जांच किसी भी स्तर पर न देकर मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर को यह जांच दूं और कमिश्नर ग्रेड के अधिकारी को मैंने यह जांच दे दी। वह जांच करेंगे हम। इसमें जो दोषी पाया जायेगा उसको दण्डित किया जायेगा। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : दहिया जी बोल रहे हैं। आप क्यों उठ रहे हैं बीच में ? वह खड़े हैं, आपको क्या है ? श्रीमान दहिया जी। बिराजिये, आप बैठिये। लैट हिम स्पीक। यह बहुत उत्तेजित हो रहे हैं बिना मतलब। एक-एक को बुला रहा हूं फिर भी उत्तेजना आ रही है आपको। किस बात की उत्तेजना आ रही है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : क्या यह सही है कि वारदात के दूसरे दिन व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल यहां सरकार के मन्त्रियों

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

से मिलने आया था ? आया था तो उन्होंने यहां पुलिस के थानेदार और उनकी पैरवी की थी। इससे यह जाहिर होता है कि पुलिस और व्यापारी आपस में मिले हुए थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी को आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : अब सारा श्रेय आप एक ही दिन ले लोगे क्या ? एक ले लिया श्रेय, बहुत है। सन्तोष हो जाय। सबको एक ही दिन में ले लिया जायेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप न्याय-प्रिय आदमी हैं, न्याय करना चाहते हैं, कमिश्नर को आप जांच देना चाहते हैं तो आपको इसमें कहां एतराज है ? अगर न्याय करना चाहते हैं तो ज्यूडीशियरी से इन्क्वायरी कराने में आपको कहां दिक्कत आ रही है ? अगर आप फैक्ट्स को लाना चाहते हैं हाउस के सामने, हाउस की भावना की कद्र करना चाहते हैं तो और तो क्या आप करेंगे नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं लेकिन ज्यूडीशियल इन्क्वायरी मन्त्रीजी, सुनिये, डॉक्टर साहब सुनिये। यह तो बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बात कर रहे हैं, आपके जवाब के लिए कर रहे हैं। सुन ली जो इन्क्वायरी की बात आप कह रहे हैं। आप अब उसके लिए पांच तर्क देंगे। मैंने मांग आपकी एक ही है ज्यूडीशियल इन्क्वायरी। यही तो है, सुन ली उन्होंने।

श्री जगमाल सिंह यादव : ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कराने में माननीय मंत्री महोदय को, जहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष : यह तो सुन ली, अब आप तर्क ही दे रहे हैं न ? अब तो तर्क देंगे, बात तो आपकी आ गयी। और किसी को पूछना है ? माननीय मंत्रीजी, अब बताइये।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सारी बातों पर प्रकाश डाल चुका हूं, सबके प्रश्न भी आ चुके हैं। सारे संदिग्ध-पूर्ण वातावरण में जो कुछ हुआ, इसलिए मैंने कमिश्नर की जांच की घोषणा की है। वह जांच आ जायेगी, उसके बाद राज्य सरकार जो भी उचित होगा....

श्री जगमाल सिंह यादव : ज्यूडीशियल इन्क्वायरी में क्या दिक्कत है आपको, न्याय करना चाहते हैं तो आप ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विजय सिंह झाला, सिंचाई मंत्री।

अनेक माननीय सदस्य : ऐसे नहीं जायेगा, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : न्यायिक अधि-कारी से जांच करायी जाय, उसको सस्पैण्ड किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को दबा रहे हैं। सदन की भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सदन के अन्दर गलत तरीका है। एक मैम्बर को दूसरा मैम्बर दबा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बुला रहा हूं, मेरी तो मानते नहीं हो आप। कुछ समझते ही नहीं है। पॉलिटिक्स भी नहीं समझते।

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्व मंत्रीजी सदस्यों को दबा रहे हैं, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार दबाव डाल रही है दबाने के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है, अध्यक्ष महोदय।

अनेक माननीय सदस्य : सस्पैण्ड करो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई नहीं दबा रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डी. एस. पी. को सस्पैण्ड करवाया जाय और न्यायिक जाँच करायी जाय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, गोली चलायी मन्त्रीजी ने मान लिया। थानेदार दोषी है फिर सस्पैण्ड करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ? (व्यवधान)

आप हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ?

एक माननीय सदस्य : हां, नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बताइये, नहीं चलने देना है ? (व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.58 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

शासकीय वक्तव्य

(रात्रि 8.13)

पुनः समवेत होने पर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मन्त्रीजी कहीं होंगे उनसे आदेश ले लो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या निर्णय हुआ इसमें ?

श्री अध्यक्ष : वह आ रहे हैं कर लेंगे निर्णय। आप सुनिए इनका स्टेटमेण्ट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक इश्यू सामने है। उस इश्यू को लेकर आपने हाउस को एडजोर्न किया। आपने उस इश्यू के ऊपर हाउस को एडजोर्न किया श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई इश्यू पर नहीं किया, मैंने हाउस को चलाने के लिए हाउस को एडजोर्न किया, हाउस चला नहीं इसलिए एडजोर्न किया, नहीं चलेगा तो फिर एडजोर्न करूंगा। मैं इश्यू पर नहीं करता हूं। मेरा किसी इश्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा हाउस से ताल्लुक है। आप चाहते हैं कि हाउस चलना चाहिए चलाऊंगा आप नहीं चाहते हैं तो नहीं चलाऊंगा। मैं तो आपकी इच्छाओं पर हूं, मेरा इश्यू से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है ...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी भावनाओं के लिए कद्र करते हैं उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा है आपके सामने कि यहां पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गोली चलाई गई ...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, मन्त्रीजी आ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्रीजी आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उनसे पूछ रहा हूं कि वह क्या कहते हैं। हां, माननीय मंत्रीजी आप।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्षजी, मैं तो सारी बात स्पष्ट कर चुका हूं। मैं कमिश्नर को आदेश दूंगा 10 दिन के अन्दर यह जांच पूरी करके ले आये। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला....। नेक्स्ट श्री विजयसिंह झाला।... (व्यवधान)

नेक्स्ट – श्री विजयसिंह झाला।

आप शुरू करिये। (व्यवधान)

माननीय श्री झालाजी।

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कृषि पंडित श्री बलवन्त सिंह को यह उपाधि वर्ष 1972-73 में 12858 किलोग्राम गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा करने पर तत्कालीन कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान की गई थी। इससे पूर्व वर्ष 1967 व 1970 में भी कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा उनको सम्मानित किया गया था। दिनांक 14-6-89 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने श्री बलवंत सिंह को लिखा कि वे उनके .. (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री विजयसिंह झाला : फार्म चक 2 जो प्रथम में आगामी खरीफ मौसम से 'चोलेटेड यूरिया' व 'नीम पर्त चढ़ा यूरिया'

(श्री विजयसिंह झाला)

का परीक्षण करेंगे जिससे कि पूर्व में पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई।

इसी क्रम में श्री बलवन्त सिंह ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनाक 26-3-90 को सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता, श्री गंगानगर को लिखा कि उनको 2 जो प्रथम चक को संयुक्त परिवार को भूमि में कृषि विश्वविद्यालय खोज का कार्य करना चाहते हैं इसके लिए उनको अतिरिक्त पानी दिलाया जावे। इस पर अधिशासी अभियन्ता, श्रीगंगानगर ने लिखा कि अन्वेषण कार्य के लिए कुल माँग बाग व नर्सरी क्षेत्र जो 94 बीघा 11 बिस्वा के लिए सामान्य तीन गुना अर्थात् 273 बीघा 13 बिस्वा या 171 एकड़ बनता है और 2.56 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ से यह मांग 0.43 क्यूसेक्स बनती है।

अधीक्षण अभियन्ता, श्रीगंगानगर ने इस प्रार्थना-पर अपनी अभिशंसा की और लिखा कि प्रार्थी ने अपने आपको यह भी पाबन्द किया है कि उसकी उपज को सरकार अपने स्तर पर लेकर जिस तरह चाहे किसानों में वितरण कर सकती है। इस सम्भागीय कार्यालय जोधपुर ने केस मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को भेजते हुए "ड्रीप सिंचाई" का भी विकल्प बताया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे खेद है यह कहते हुए कि वाक-आउट की एक परम्परा है, इस परम्परा को भी माननीय सदस्य तोड रहे हैं यह उचित नहीं है। जब वाक-आउट करना है तो वहां खड़े होकर बोलने की आवश्यकता नहीं है वाक-आउट होना चाहिए। इस तरह से परम्पराएं जो तोड़ी गई हैं वह उचित नहीं है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से वह परम्पराओं को नहीं तोड़ें। वाक-आउट करना उनका अधिकार है· उस अधिकार की वह रक्षा करें लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर बोलते रहें यह वाक-आउट करने की परम्पराओं के विरुद्ध है।

आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवधान करने के कारण सुन नहीं सका....

श्री अध्यक्ष : आपको सारा पता है। आपको मालूम है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दौराजी आप पूछिये। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने क्या वक्तव्य पढ़ा, कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मैं 3-4 सवाल करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि गत 20 वर्षों से गंग कैनाल क्षेत्र में बागों और रिसर्च के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है।

दूसरा, क्या यह सही है कि गंग कैनाल क्षेत्र में रिसर्च और बागों के लिए एक वरीयता सूची बनाई गई है? और यह भी सही है कि श्री बलवन्त सिंह जिसको पानी दिया गया है उसका वरीयता सूची में कहीं नाम नहीं है?

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

क्या यह सही है कि जिस कृषि पंडित श्री बलवन्त सिंह को पानी दिया है उसका वरीयता सूची में कहीं नाम नहीं है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला जी। आप क्यों बोल रही हैं? किस विषय में बोल रही हैं आप? आप डिस्टर्ब मत करिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं टू दी पाइन्ट बोल रहा हूं आपकी तरह से नहीं, बोल रहा हूं।

चौथा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि कृषि पंडित श्री बलवन्त सिंह को 93 बीघा में पानी दिया गया है वह स्वयं उनकी है या किसी दूसरे की है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। वह जवाब दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन में पानी दिया गया है वह श्री बलवन्त सिंह की खुद की है, नम्बर एक। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जिस आधार पर पानी दिया गया है उसके तीन आधार है इस कृषि पंडित को ...

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि गंग कैनाल क्षेत्र में गत 20 वर्षों से रिसर्च और बागों के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है यह सही है क्या?

श्री विजयसिंह झाला : मैं जवाब दे रहा हूं। यह बात सही है कि 1978 के बाद में पानी रिसर्च के लिए नहीं दिया गया लेकिन इन को एक तो कृषि पण्डित का भारतीय स्तर पर पुरुस्कार मिला था। राजस्थान से भी कई प्रकार के पुरुस्कार मिले हैं और इसके सिवाय कृषि विश्व-विद्यालय ने हमको लिखा है कि हमको रिसर्च करने के लिए इस पण्डित को पानी दिया जाए। इस प्रकार का पत्र हमको दिया गया है। नम्बर दो, जैसा कि बजट भाषण में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जो ड्रिप्स योजना है, जो ड्रिप से संचालन करेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस पण्डित जी को भी बिल्कुल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जात से पण्डित नहीं है लेकिन कृषि पण्डित की उनको उपाधि मिली हुई है।

श्री विजय सिंह झाला : मैं ब्राह्मण नहीं बना रहा हूं। कृषि पण्डित को यह एग्रीमेंट किया गया है कि आप ड्रिप सिस्टम इसमें लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने उस आर्डर में यह भी स्पष्ट किया है कि जो कोई भी आदमी ड्रिप्स लगायेगा उसको आज भी पानी हम देंगे क्योंकि ड्रिप्स से 30 से 80 प्रतिशत पानी की बचत होती है। हम इस सिस्टम को लागू करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। पहले इनको पूछने दीजिए आपका फिर नम्बर आ जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो एक सवाल का स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि आपने तो पानी दे दिया यह जो राजकीय आदेश है, इसका हवाला मैंने दिया है 14-3-1990

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

का। यह आदेश राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट में 1954 या इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज रूल्स 1955 इसमें कौनसे प्रावधान में या अन्य कोई प्रावधान है, जिसके तहत आपको पावर्स हैं. किस तहत आपने आर्डर पास किया यह बता दीजिए आप।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, हमने यह नीति निर्धारित की है ड्रिप्स योजना पर हम प्राथमिकता देंगे। यह बजट भाषण में भी कहा है और इसी को प्राथमिकता दी है और हम दूसरों को भी देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी। सब पूछ रहे हैं दुबारा रोटेशन आता रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि कृषि पण्डित होने के कारण भारत सरकार ने इनको पानी लेने के अन्दर विशेष छूट दी है। क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के अन्दर श्री चण्डी दान देखा जो पद्म श्री के नाम से विभूषित है इसको भी केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान की सरकार ने चार मुरब्बे जो छतरगढ़ गंगानगर में अलाट किये थे उनको भी क्या आप पानी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यह तो अलग से प्रश्न है। यदि नहीं दे रहे हैं और वह ड्रिप्स से पानी लेना चाहते हैं तो कोई किसी प्रकार का किसी पर नियन्त्रण नहीं है।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एक व्यक्ति को पानी दिया है कृषि के लिए क्या और भी लोग जो इसके तहत पानी मांगेंगे उनको भी इस तरह से पानी दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो मन्जूर कर रहे हैं कि देंगे।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और पूछ रहा हूं, क्या गंगानगर जिले में गंग कैनाल के अन्दर जितनी भी माइनर हैं उनके सबके टेल के ऊपर पानी की शिकायत है। वहां पर यह शिकायत हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां के काश्तकार रो रहे हैं, उनकी फसलें बरबाद हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। अब आपका सवाल हो गया। माननीय मन्त्री जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं आपको अलाऊ करूंगा इनका जवाब आ जाए, एक-एक का जवाब आ जाए। (व्यवधान) पहले इनके जवाब का उत्तर दे दें। आप माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए फिर आपको····

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरा इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां तो मैं आपको बुलाऊंगा। आप उतावले क्यों हो रहे हैं।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बहुत ही स्पष्ट कहा है कि यह सरकार ड्रिप्स योजना को और फव्वारा योजना को किस रूप में परिणित करना चाहती है क्योंकि आज हमारे पास में शार्टेज है पानी की। यदि ड्रिप से पानी दिया जाए तो तीस से अस्सी प्रतिशत पानी की बचत हो सकती है। जो सिंचाई विभाग ने कैपिटल लगा रखा। इसी कैपीटल पर डेढ़ी या इससे ज्यादा सिंचाई हो सकती है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में आवें और मैंने कहा किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है इस पर। तो तीन आधार दिए हैं लेकिन हम तो एक ही आधार पर जो ड्रिप्स लगाएंगे उनको प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप रोटेशन में एक-एक करके बोलिए। एक-एक पूछिए ताकि वह भी जवाब दे सकें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। गंग कैनाल क्षेत्र का है। माननीय मन्त्री जी ने यह बिल्कुल असत्य कहा कि 93 बीघा जमीन किसी पण्डित बलवन्त सिंह की है जबकि एग्रीकल्चर लैण्ड की सीलिंग सीमा 48 बीघा है। एक तो माननीय मन्त्री महोदय यह बताए कि 93 बीघा कैसे हुई जमीन उनकी? अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया ना कि 93 बीघा बलवन्त सिंह की है और मैं यह कहता हूं कि 48 बीघा सीलिंग सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए तो 93 कैसे हुई? यह बेमानी जमीन थी। दूसरी बात यह हुई कि (व्यवधान) कैसे दे सकते हैं। जब सीलिंग सीमा में 48 बीघा है तो 93 बीघा आप कैसे दे सकते हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : बाग की विशेष छूट होती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बताओ ना कौनसे कानून के तहत होती है। Under what provision of Law it is.

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप यह बता दो कि सीलिंग सीमा कितनी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आप मन्त्री जी का जवाब सुन लीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि कोई प्रायोरिटी लिस्ट गंग कैनाल एरिया में बनी है क्या? और उसमें बलवन्त सिंह का किसी प्रायोरिटी लिस्ट में नाम है क्या? और है तो कितने नम्बर पर है?

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटी हमने इस वर्ष ड्रिप्स योजना की है। बहुत स्पष्ट है बार-बार इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बलवन्त सिंह के नाम पर है मुरब्बा नम्बर 21, 23 बीघा 15 बीस्वा, मुरब्बा नम्बर 22, 22 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा

(श्री विजय सिंह झाला)

नम्बर 33, 23 बीघा 15 बिस्वा, और 34 में 24·10×94 बीघा 11 बिस्वा जमीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय व्यास जी।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना····

श्री अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं ना। यानि मैं जब रोटेशन में आपको बुलवाता हूं फिर भी आप खड़े होते हैं····

श्री सुनील विश्नोई : नम्बर ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : क्या नम्बर नहीं आ रहा है। You have already asked and again I have assured you. I have assured you to call again. क्या बात कर रहे हैं आप तीन आदमी पूछ रहे हैं One by one I am asking you. Till you are satisfied or the matter runs I will go on. आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजी-नाराजगी तो हमारे बीच में चलने दो। आप काहे को नाराज होते हो।

श्री अध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। जब आप तीन पूछ रहे हैं। तीनों का मैं रोटेशन में बराबर नाम बोल रहा हूं। फिर भी वह खड़े हो जाते हैं। यह क्या मतलब हुआ, यह तो गलती कर रहे हैं ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदाशयता बरतते हैं आप तो, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष : तो मैं व्यवस्था ही तो कर रहा हूं। मैं अव्यवस्था नहीं कर रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो कराएं मन्त्री जी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल ऑफ लॉ है यहां पर कण्ट्री के अन्दर, आपके प्रदेश के अन्दर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो यह सब सैकेण्ड्री बातें हैं। पहले रूल ऑफ लॉ है। आप कोई ठाकुर साहब नहीं हैं वहां पर। आपने कौनसे एक्ट के कौनसे प्रोवीजन में कैसे दे दिया। वहां कोई प्रोवीजन ही नहीं है। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप यह स्पष्ट रूप से बता दीजिए, सवाल यह है कि एक आदमी को 167 घण्टे के अन्दर 46 घण्टे पानी दिया जा रहा है, जो परलीशेबल नहीं है और बाकी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात यह है कि या तो वह आपकी + + + है। आप बता दीजिए क्या है आपने जो किया है यह ?

श्री अध्यक्ष : यह + + + शब्द एक्सपंज कर दीजिए। हां आप पूछिए अब।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिए यह एक का जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष : हां आ जाएगा, आपका जवाब तो। उन्होंने कहा है कि कोई रूल नहीं है हमने नीति बनाई है। यह कह दिया है उन्होंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : फिर कह देंगे। आप बैठिए।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ड्रिप इरिगेशन इन्होंने चालू की है……

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको भाषण नहीं देने दूंगा।

श्री सुनील विश्नोई : क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे कि ड्रिप इरिगेशन में पहले जो पानी था उसी में ड्रिप सिस्टम कर सकते थे एक्सट्रा पानी देने की क्या जरूरत पड़ गयी?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मंत्री जी।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, पानी की ड्रिप सिस्टम से बचत होती है। अब माननीय व्यास जी ने कहा कि आप + + + करते हैं या क्या करते हैं।

श्री अध्यक्ष : + + + शब्द एक्सपंज कर दीजिए।

श्री विजय सिंह झाला : चाहे जैसा भी समझ लें। वह मेरे से सीनियर है मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन नीति यह है कि हमने ड्रिप योजना के प्रिन्सिपल के आधार पर पानी दिया है और आगे भी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : बस कह दिया, अब आ जायेगी अब बैठिये आप नेक्स्ट। आसाम के प्रवासी बन्धुओं पर चर्चा।

श्री कालीचरण सराफ : No Please Now I would not allow. No, No. This is final no. This is final no. No. No. आपका लिखेंगे नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करिये। No. I have said no. Now it is no. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपने इस चर्चा को यहीं समाप्त करा दिया और दूसरा विषय ले लिया लगातार यही तरीका चल रहा है। इनका ये ही जवाब देते ना।

श्री अध्यक्ष : What is the point of order?

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am submitting Sir.

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । ये पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं । क्या पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है बताइये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था । और संकल्प के साथ में नियम 305 के तहत एक नोटिस की सूचना दी उस नोटिस के अन्दर जब तक फैसला नहीं कर देते । मैंने यह निवेदन किया है कि 110 की जो प्रक्रिया निर्धारित करते हैं वरीयता निर्धारित करता है संकल्पों की कल बेलेट निकला

श्री अध्यक्ष : बेलेट आया नहीं है अभी । बेलेट आयेगा तब तक I will hear you. अभी मैं ले रहा हूं आसाम के प्रवासियों पर चर्चा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं मैं यह समझा उसके बाद बिजनैस आ गया । अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष है और आपका आदेश हमको मानना है । मिनिस्टर्स तो आपके आदेश मानते नहीं है, मर्जी आती है वह करते हैं, बिना कानून के काम करते हैं । ऐसे + + + और ना समझ आदमियों की फौज खड़ी करके क्या करेंगे । कौनसे प्रावधानों के तहत आपने पानी दिया है । आपको कोई घर की जागीर है क्या, आप राजा है क्या वहां पर । आप कानून के तहत बात करिये मन्त्रीजी ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ ऑर्डर खतम । आप विराजिये । + + + शब्द एक्सपंज कर दिया जाये ।

श्री नत्थी सिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर का इतना ही ध्यान है आपको बस ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप + + + बताओ पहले । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ आपको जो बोलना है शुरू करिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : कहां है + + + आप पहले + + + बताइये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं वही कर रहा हूं ! आप खड़े क्यों हो गये जब तक यह खड़े हैं आप भी तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । आपके कलीग खड़े हैं, बोल रहे हैं और आप भी खड़े हो गये । यह कौनसे नियम में है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान है । तो आप बता दीजिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैंन कही वह बात आपने सुनी नहीं । मैंने कहा ही नहीं कि कोई कानून में प्रावधान नहीं है । मैंने तो यह कहा कि आप

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो + + + बोलते हैं यह आपको कहना नहीं चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : कोई + + + दूसरों को + + + कहे तो बुरा मत मानो।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो पहले दिन श्लोक कहा था मैं फिर उसको रिपीट करता हूं।

"अज्ञ सुख माराध्यते सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ
ज्ञान लव द्वविदग्धम् ब्रह्मा पि नर न रंजमीत"

मूर्ख को समझाना सरल है, विशेषज्ञ को समझाना और भी सरल है लेकिन ज्ञान लव द्वविदग्धम् जो मूर्ख है ना समझदार उनको साक्षात सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : किस श्रेणी में लिया है आपने इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप इस आसन पर विराजमान हैं। आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। मंत्री जवाब नहीं देते। मर्जी आती है वह काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई विषय नहीं है अभी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कैसे नहीं है विषय।

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर बोल रहे हैं आप। प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप हाउस को इस तरह उलझाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : वह विषय समाप्त हो गया। आसाम पर चर्चा नहीं चाहते आप। मैं बन्द करता हूं। आसाम पर चर्चा माननीय सदस्य नहीं चाहते इसलिए मैं इसको बन्द करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं चाहते है। हम चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आसाम के विषय पर यदि आप चर्चा चाहते हैं तो मैं वह शुरू करने जा रहा हूं। श्री कालीचरण सराफ आप शुरू क्यों नहीं करते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट आफ आर्डर। शुरू करिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तानाशाही की वजह से और गलत कारनामों की वजह से मैं सदन से वाक आऊट करता हूं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष की आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : जाइये । धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : + + + आपका कर्त्तव्य बनता है कि आप विपक्ष को कम से कम जवाब तो दिलवायें । आप हमारे अधिकारों की रक्षा तो करिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, न ये समझदार है ना मूर्ख है ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।
श्री कालीचरण सराफ ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक श्लोक सुनाना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । कोई श्लोक नहीं सुनना । हो गया । हर बार खड़ी हो जाती हैं आप । आप विराजिये कोई श्लोक नहीं सुनना, हो गया । मैं श्लोक बोलता हूं सबको जरूरत नहीं है बोलने की ।

आसाम के प्रवासी बन्धुओं पर चर्चा

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य आसाम में क्षेत्रीयता की संकीर्ण मनोवृत्ति के चर्चे से भारत की राष्ट्रीयता खतरे में पड़ गयी है । वहां जिस प्रकार 30 लाख हिन्दी भाषी लोग रहते हैं जिसमें अधिकांश प्रवासी राजस्थानी हैं । जिन पर एक अलगाववादी संगठन द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की जा रही है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । ग्रसित होकर स्वाधीन असम का सपना संजोये कुछ भ्रमित लोगों ने आसाम में एक संगठन का निर्माण किया है ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रवासियों के बारे में बोलिए ।

श्री कालीचरण सराफ : बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : संगठन की चर्चा मत करिये ।

श्री नत्थीसिंह : अभी जाते-जाते श्री इन्दोरा साहब ने कहा कि + + + वाक आउट करते हैं, यह शब्द प्रोसीडिंग में से निकाल दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : निकाल दीजिये ।

श्री कालीचरण सराफ : यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जो अल्फा के नाम से जाना जाता है किस प्रकार तीस लाख हिन्दी भाषी लोग उनसे आतंकित हैं उसके बारे में मैं यहां बताना चाहूंगा । इस संगठन ने व्यापारियों, जिनमें अधिकांश प्रवासी राजस्थानी हैं, से फिरौती वसूलने, इन्हें प्रताड़ित करने और पैसा नहीं देने पर उनकी हत्यायें करने जैसे अपराध वहां कर रहे हैं जिससे वहां के प्रवासी राजस्थानियों में जबरदस्त आतंक छाया हुआ है । अपनी बुद्धि, मेहनत एवं व्यापार कौशल से असम राज्य को समृद्ध करने वाले हमारे राजस्थानी बन्धु पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय से आसाम में रह रहे हैं, जिन्होंने आसाम की संस्कृति को आत्मसात

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री कालीचरण सराफ)

कर लिया है, अब अपने को असुरक्षित एवं असहाय मानने लगे हैं। अल्फा, असम के हिन्दी भाषी लोग विशेषकर राजस्थानी लोगों के लिए दिल दहलाने वाली ध्वनि बन गया है। इतना ही नहीं, आज असम में जो तीस लाख हिन्दी भाषी लोग रहते हैं उन्होंने असम की आर्थिक सामाजिक, और शैक्षणिक विकास में जो सराहनीय सेवायें की हैं, जिसको कि सभी स्वीकार करते हैं, उनको भी भुला दिया गया है। सर्वप्रथम असमी पत्रिका एक राजस्थानी बन्धु द्वारा निकाली गई। एक राजस्थानी द्वारा ही सर्वप्रथम असमी चलचित्र का निर्माण किया गया। आज मारवाड़ियों के कारण वहां सैंकड़ों उद्योग चल रहे हैं, हजारों असमी बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला हुआ है। आज सैंकड़ों स्कूल और कॉलेजेज प्रवासी राजस्थानी वहां चला रहे हैं जहां असम के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। परन्तु आज इस इन सब बातों को भुला दिया गया है। 7 अप्रेल, 1979 को स्थापित यह आतंकवादी संगठन अल्फा असम में बसे राजस्थानियों और अन्य हिन्दी भाषी लोगों के लिए मौत का पैगाम बन गया है। आज इस संगठन ने स्वाधीन असम की मांग करनी शुरू कर दी है। पंजाब और काश्मीर की तरह असम भी सुलग रहा है। इस आग में हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई झुलस रहे हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस उग्रवादी संगठन के सदस्यों की संख्या पांच सौ के आस पास है। यह लोग वर्मा के जंगलों तथा नागालैण्ड में वहां के उग्रवादी संगठनों से आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग लेते हैं। यह संगठन अस्त्रशस्त्रों की खरीद के लिए एवं अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को जारी रखने के लिए गैर असमी व्यापारियों से जबरन पैसा उगा रहे हैं। जो इनको पैसा नहीं देता उनका वह अपहरण करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों का अपहरण करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं और उसको बाद यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। आज स्थिति यह हो गई है कि अल्फा द्वारा किसी व्यापारी से पैसा मांगा जाय उसे मना नहीं किया जाता। एक व्यापारी के लिए अल्फा का पत्र मौत का पैगाम लेकर आता है। इतना ही नहीं प्रत्येक समृद्ध व्यापारी की व्यापार की बैलेन्स शीट, ट्रायल बैलेन्स, प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउण्ट एवं अन्य खातों की नकल भी इन उग्रवादियों के पास रहती है। कोई व्यापारी अपना पैसा ड्राफ्ट के द्वारा यदि आसाम से बाहर भेजना चाहे तो बैंक वालों को हिदायत है कि वह ड्राफ्ट नहीं बनाये। आज स्थिति यह हो गई है कि एक हजार रुपये से ज्यादा का ड्राफ्ट आसाम की बैंकों में प्रवासी राजस्थानियों का नहीं बन रहा। कोई व्यापारी यदि बैंक से कैश निकालकर ले जाना चाहे तो उसकी निगरानी रखी जाती है और बैंक से बाहर आते ही उसको लूट लिया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वह छीन लिये जाते हैं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इन उग्रवादियों की एफ. आई. आर. पुलिस थाने में दर्ज कराने के लिए कोई थाने में जाता है, तो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जाती और कुछ ही देर में व्यापारी जिन

(श्री कालीचरण सराफ)

उग्रवादियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराना चाहता है, एफ. आई. आर. तो दर्ज नहीं होती परन्तु उन उग्रवादियों को सूचना मिल जाती है कि फलानां व्यापारी हमारे खिलाफ यहां पर रिपोर्ट कराने के लिए आया था और उग्रवादी कुछ ही घण्टों में उसको सबक सिखा देते हैं। उसकी हत्या कर देते हैं आज स्थिति यह है कि असम में कोई भी व्यक्ति अल्फा की कोई भी शिकायत पुलिस में करते हुए डरता है। और जितना पैसा अल्फा के उग्रवादी मांगते हैं उतना देने के लिए वह मजबूर होता है। पिछले दो वर्षों से तो इन घटनाओं में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इन घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अल्फा के आतंकवादियों ने तीस करोड़ रुपये से अधिक प्रवासी राजस्थानियों से जबरन वसूल किया है। और डेढ़ सौ से अधिक हत्यायें इस संगठन के उग्रवादियों ने की है। सबसे ज्यादा दुखदायी बात तो यह है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों एवं उत्पीड़न के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया भी यदि प्रवासी राजस्थानी व्यक्त करना चाहे तो उसका अधिकार भी उसको नहीं है। इसी साल पिछली 15 जनवरी को जोरहाट में इसी प्रकार से जबरन पैसा वसूल किया गया, लोगों का अपहरण किया गया तो वहां के व्यापारियों ने मिलकर 15 जनवरी को अनिश्चित काल के लिए जोरहाट बन्द का आह्वान किया। तीन दिन तक तो जोरहाट सही तरीके से बन्द रहा परन्तु फिर अल्फा के उग्रवादियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि यदि आप लोगों ने व्यापारिक संस्थान नहीं खोले तो जबरन आपकी दुकानें खोली जायेंगी आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पांच सौ की भीड़ ने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिनके पास लोहे की छड़ें थी, हथौड़ों से लैस होकर के व्यापारियों की दुकानों को जबरन खोला गया, उनकी दुकानों को लूटा गया और हिंसक हमले किये गये। इसमें लगभग डेढ़ सौ लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इतना ही नहीं जब इसकी प्रतिक्रिया पूरे असम के अन्दर हुई और कामरुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शंकर बिरमीवाल ने 20 जनवरी को पूरे आसाम के प्रतिष्ठान बन्द करने का आह्वान किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, अध्यक्ष महोदय, सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम के अन्दर, जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। करना चाहिए, नाम अगर लेंगे—

श्री अध्यक्ष : सही बात है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके किसी का नाम अवाइड करें। यह अच्छा रहेगा और अन्त में आप क्या चाहते हैं वह बताइये। यह तो हो गया।

श्री कालीचरण सराफ : मैं वर्णन तो करूं ना पूरा।

श्री अध्यक्ष : हो गया टाइम, अब आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कामरूप चेम्बर ऑफ ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने यह घोषणा की की तो 20 जनवरी को गोली मार कर उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके पहले भी कामरूप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। आज यह स्थिति हो गई है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने पदों से इस्तीफे दे दिये हैं और कोई भी व्यक्ति वहां विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं इन उग्रवादियों ने लाइसेंस धारियों से लगभग डेढ़ हजार हथियार भी छीन लिये और आज तक उनमें से एक भी बरामद नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि असम की सरकार के कई मन्त्री और विधायक भी इन उग्रवादियों को संरक्षण देते हैं, पुलिस का भी वरदहस्त इन उग्रवादियों को प्राप्त है डेढ़ सौ से ऊपर कत्ल किये गये, लेकिन आज तक एक भी उग्रवादी को कत्ल के जुर्म में सजा नहीं हुई। करोड़ों रुपये लोगों से वसूल किये गये। एक भी व्यक्ति को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिला। एक भी पैसा पुलिस ने बरामद नहीं किया। नागरिकों से लाइसेंसशुदा लगभग डेढ़ हजार हथियार छीने गये उसमें से मात्र 46 हथियार वहां की पुलिस ने बरामद किये हैं। असम सरकार से जब पूछा जाता है तो उनका जवाब यह होता है किसी ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई। कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिये जावे उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जावे उसका नाम उग्रवादियों को बता दिया जाय तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो-जो अपना नाम वहां पर दर्ज करायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे मामले असम की सरकार पूर्णतया असफल सिद्ध हुई है मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहूंगा कि वह असम के मामले में हस्तक्षेप करे, असम में सेना भेजे, इस प्रकार के उग्रवादी संगठन अल्फा को गैरकानूनी घोषित करे, प्रशिक्षण केन्द्र जो नागालैण्ड और अन्य जगह स्थित हैं, उनको नष्ट करने की योजना बनाये। उग्रवादियों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय। हथियारों की तस्करी रूक सके इसके लिए सीमाओं को सील किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनिट लूंगा। यदि इस प्रकार की कार्यवाही भारत सरकार ने की तो निश्चित रूप से जो तीस लाख हिन्दी भाषी लोग आसाम में रहते हैं वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे। मैं राजस्थान सरकार में भी दो तीन बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार पर, जो राजस्थानी लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए दबाव डाले और जो राजस्थानी भाई आसाम छोड़कर यहां आ रहे हैं, उनको उद्योगों में प्राथमिकता दी जाय। इस प्रकार की व्यवस्था करें। वहां के कॉलेजज में, मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज या अन्य कॉलेजेज

(श्री कालीचरण सराफ)

में जो मारवाड़ी भाई पढ़ते हैं, राजस्थानी पढ़ते हैं और जो वहां से छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं उनको यहां पर उसी कक्षा में जिसमें वे पढ़ते थे, प्रवेश देने की व्यवस्था करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : महोदय एक मिनट, थोड़ा समय बढ़ा दें अध्यक्ष जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ायें ?

श्री अध्यक्ष : क्या आप सभी सहमत हैं ?

(स्वीकृत)

आसाम के प्रवासी बन्धुओं पर चर्चा

आधे घण्टे के लिए समय बढ़ाया जाता है। आपकी जितनी लिस्ट ऑफ बिजनेस है पूरी करवा कर जाउंगा। आप क्यों उद्विग्न हो रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसाम में न केवल राजस्थान के बल्कि उत्तर भारत के जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर पिछले छः सात महीने से भारी अत्याचार हो रहे हैं और वे दमन और उनके शोषण से पीड़ित हैं। एक बहुत विचित्र स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि एक ही देश में रहने वाले नागरिकों पर उसी देश के नागरिकों द्वारा जो जोर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। राष्ट्रीय मोर्चा जब बना....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : ये बीज तो आप के ही बोये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं इस डिबेट में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है कृपया इण्टरफेयर मत करिये शांति से सुनिये। हां बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राष्ट्रीय मोर्चा में असमगण परिषद् और वहां के जो मुख्य-मंत्री हैं वह स्वयं राष्ट्रीय मोर्चे के सह-भागी हैं और किसी से यह बात छुपी हुई नहीं है कि आसाम में क्या हो रहा है ? मुझे इस सदन को बताते हुए यह जान-कारी देनी है कि नागालैण्ड में मिजोरम में और अभा में आज से करीब बीस साल पहले, 25-30 साल पहले जब ये घटनाएं हुई तब यहां के मुख्य मंत्री वहां गये और राजस्थान के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को कान्फिडेंस में लिया और वहां की सरकार से बातचीत की, केन्द्रीय सरकार से बात-चीत और बातचीत करने के बाद वहां पर घटनाऐं रूकीं। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि लगभग 150 से अधिक हत्याऐं हो गई लेकिन राजस्थान से कोई व्यक्ति वहां नहीं गया। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि

(बुलाकी दास कल्ला)

आपका एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल आसाम जाये और जाकर वहां की सरकार से बातचीत करे। कि एक ही देश के रहने वाले नागरिकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को अविलम्ब रोका जाय और साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री जी से और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी बातचीत की जाये कि वे इस सम्बन्ध में असम गण परिषद् की सरकार से वार्ता करके इस दमनकारी व आतंकवादी गतिविधियों को अविलम्ब रोकें और नहीं तो असम गण परिषद् की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन आसाम में लागू किया जाये। क्योंकि जब तक असम गण परिषद् के लोग अल्फा ग्रुप को संरक्षण दे रहे हैं, वे भागीदार +++ हैं उसके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लिया जायेगा, तब तक सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जायेगा तो वहां पर उत्तर भारत के रहने नागरिकों के ऊपर अत्याचार, दमन, जोर जुल्म बदस्तूर जारी रहेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य +++ आरोप मत लगाइये। आप जो बातें कह रहे हैं वह ठीक हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अखबारों में आ रहा हैं बराबर।

श्री अध्यक्ष : आ रही होंगी, आप तो मत लगाइये। हाऊस में तो नहीं लगनी चाहिए। वहां का गृहमंत्री यहां है नहीं। उसको मैं निकालूंगा देखिये मैंने फिर निवेदन किया था कि यह बहुत डेलिकेट मामला है इस डेलिकेट मामले में बहुत ही सावधानी से बोलना चाहिए। इस विधान सभा की सरकार के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। आप के प्रवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका वर्णन करिये। केन्द्र सरकार से जो आपकी मांग है वह कहिये। राजस्थान सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं वह मांग करिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार के ऊपर आक्षेप यहां पर मत लगाईये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय में महोदय मैं बहुत ही गार्डेड लेन्गुएज में बोल रहा हूं। हमें बहुत रोष है। आप स्वयं जानते है कि थली के लोग जो वहां रहते हैं रोज वहां पर कभी चार लाशें आ रही हैं कभी पांच लाशें आ रही हैं और मुझे सबसे बड़ा दर्द मुझे यह है कि जो व्यक्ति मुनीम गुमास्ते का या रसोईया का काम करता है उसकी ताकत नहीं है चन्दा देने की, जिसकी ताकत नहीं है। उन उग्रवादियों को पैसा देने की। वहां पर जो आठ सौ रूपये की नौकरी कर रहा है उससे पचास हजार रुपये की मांग की जा रही है और रुपया नहीं देने पर जैसे मौत का वारंट आता है उस तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं से मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार का वास्ता है। यहां के प्रवासी लोग जो वहां रहे हैं और जो उत्तर

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग वहां रह रहे हैं, बंगाली लोग पर रह रहे है।

एक माननीय सदस्य : गुजरात और महाराष्ट्र के नहीं हैं वहां पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बंगाल के लोग भी हैं, गुजरात महाराष्ट्र के भी कुछ लोग हैं वहां पर। तो सब प्रदेशों के लोग जो गैर आसामी हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को समय रहते हुए रोका जाये नहीं तो आज कोई भी देश का नागरिक जब दूसरी जगह जाता है तो वह कहता है कि आसाम में दूसरे लोगों के साथ में, देश के अन्य हिस्सों से आये लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य-मंत्री जी इसी महीने के अन्त तक अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में वहां जायें और जाकर लोगो को विश्वास में लें। उनको यह विश्वास दिलायें कि आपके ऊपर कोई भी अत्याचार, आतंकवादी गतिविधियां नहीं होगी और वहां की सरकार को भी इस बात के लिए पाबंद किया जाये। केन्द्रीय सरकार से मांग की जाये कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाये। क्योंकि पूरे देश के गैर आसामी लोग जो वहां पर रह रहे हैं, वे आज असुरक्षित हैं। भयाकित हैं और आतंक से ग्रसित हैं। ऐसे समय में उनको सुरक्षा प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कायम करना, निश्चित रूप से वहां की सरकार का और केन्द्रीय सरकार का फर्ज है। इसलिए यदि आसाम की सरकार वहां पर ढंग से काम नहीं कर रही है तो केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने असम के इन हालातों पर चर्चा उद्योगों की मांग की शुरूआत की थी कि वहां कि स्थिति बहुत भयानक है जो प्रवासी राजस्थानी उद्योगों में लगे हैं, संस्थानों में लगे हैं, इतना ही नहीं जो वहां पर केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में लगे हुए हैं वह सभी आतंकित हैं, भयभीत हैं। आप कहें तो मैं आपको एक घटना का विवरण सुनाना चाहती हूं कि मेरा पुत्र वहां बैंक में मैनेजर है। उसका एक मित्र जो मध्यप्रदेश का था। उसका एक साथी था दोनों में कोई शत्रुता नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था उसने उसको बुलाया खाने पर और खाने पर बुलाने के बाद अगले दिन उसकी लाश पेड पर टंगी हुई मिली। इतनी आतंक की स्थिति वहां हमारे लोगों की है कि वे पुलिस में रिपोर्ट करने गये तो उसकी रिपोर्ट नहीं हुई और उसकी लाश भी उसके माता-पिता को नहीं सौंपी गई। यह स्थिति वहां की है। हम लोग नहीं बोलते हैं अपने राजस्थान लोगों और अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बात बहुत ही गलत होगी हमको भी केन्द्र सरकार को लिखकर वहां की व्यवस्था को ठीक कर-वाना चाहिए। बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते बल्कि उद्योगों को वह कह दें तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बंद कर दें, वे कह दें तो खोलें। उनके इशारे पर नाचें। वह पैसा भी अपने घर ला सकते। लोगों का पैसा अटका पड़ा है, व्यापार बंद हो चुके हैं करीब-करीब। हमारे जानने वाले सैंकड़ों लोग यहां पर लौट आये हैं लेकिन यहां पर भी कोई सुविधा नहीं है। मेरा कहना है कि जो बस गये हैं वह वहां के लोग थे। यहाँ पर भी वहाँ के बहुत लोग हैं राजकीय सेवाओं में भी हैं? निश्चित है तो ऐसी स्थिति सारे देश में होनी चाहिए। केन्द्री सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वह हस्तक्षेप करे और सारी व्यवस्था सुधारे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल इतना उलझा हुआ है कि मैं समझता हूं इसमें चर्चा की बजाय हमें केन्द्रीय सरकार के सामने कुछ बातें रखनी चाहिये और यह स्थिति नई नहीं है। माननीय कल्ला साहब बोल गये कि नेशनल गवर्नमेंट है इसलिये गड़बड़ हो रही है तो उनको ख्याल रखना चाहिये कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय यह विवाद व्यापक हुआ था और इसी सदन में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी उस चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था और अगर आप पढ़ें तो मैंने बताया था कि बीस, तीस साल बाद जहां-जहां राजस्थान के प्रवासी बसे हुए हैं उनके सामने क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज असम की सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। वहां दो धारायें हैं। एक धारा वह है जो असम की सरकार चलाते हैं। वह चाहते है देश के साथ रहना, देश के साथ इकट्ठा रहना, सरकार में हिस्सेदार और दूसरे जो उग्रवादी संगठन हैं जो सारे देश में खड़े हो रहे हैं। वह निश्चित तौर पर कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं पूंजी का, कहीं सवाल कर रहे हैं रोजगार का, और कहीं सवाल नागरिकता का खड़ा करके इस तरह के विवादों को खड़ा कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से इतना निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि यह विवाद आसानी से सुलझने वाला नहीं है। यह और उग्र होगा। इसलिये राजस्थानियों को भी अगर वह यहां आते हैं तो राज्य सरकार को उनके प्रवास और रोजगार की कोई योजना बनानी चाहिये जितनी उनकी शक्ति है। मैं ऐसा नहीं कहता कोई साल 6 महीने में बहुत व्यापक निष्क्रमण होगा वहां से कोई भगदड़ मच जायेगी लेकिन यह संभावनायें बहुत व्यापक हैं और इस वक्त मैं राजस्थानियों के मन को नहीं दुखाना चाहता परन्तु दिक्कत क्या हो रही है, एक तरफ तो है बेरोजगारी, यहां से जो लोग जाकर बसे थे उन गैर आसामियों का आसामी शोषण करते हैं। इसलिये उसका दो तरह से वह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी हैं, एक जातीय तनाव भी पैदा हो रहा है और जितना व्यापार और उद्योग है वह सब गैर असमियों के हाथ में है। जहां-जहां इस तरह से है, उन जिलों की हालत और भी ज्यादा खराब है। तो इस सम्बन्ध में एक निवेदन मैं यह करुगा। दूसरा निवेदन यह है

(श्री रामकिशन)

कि जब हम आसाम में चले गये, हमारा आना-जाना दो, सौ ढाई सौ साल से है तो फिर आसामियों का यह भी कर्तव्य है कि यह विवाह शादी वगैरह भी आसामियों के साथ करें। अगर राजस्थानी केवल अपना अलग बचाव करके अलग संस्कृति के नाम पर या अलग अपने इलाके से बने रहेगे तो उनका जो सम्बन्ध बनना चाहिये बिना विवाह शादी के बन नहीं पायेगा। तो मेरा इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन है कि यह मामले बड़े उलझे हुए हैं। इसमें गृह मंत्री का नाम लेना, मुख्य मंत्री का नाम लेना यह बिल्कुल जरूरी नहीं हैं। गैर जिम्मेदारी की बात है। इसके साथ राज्य सरकार वहां से आने वाले लोगों के साथ क्या करें और केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिये मैं इस सुझाव का जरुर स्वागत करुंगा कि हमारे मुख्य मंत्री, राजस्थान के दूसरे लोग वहां जायें। लेकिन वहां उग्रवादियों पर इनके जाने का कोई असर पड़े यह जरूरी नहीं है। असम की सरकार क्या कर सकती है वह तो दिल्ली में बैठकर भी चर्चा हो सकती है। वहां जाने से नहीं हो सकती। वैसे हमारा आसाम से जो सम्बन्ध है वह तो बहुत पुराना है। पौराणिक सम्बन्ध हैं। आप जानते है उर्वशी तो आसाम की ही थी। उर्वशी और कृष्ण यह सारा जो महाभारत का प्रकरण है इतने पुराने सम्बन्ध के बाद भी जब हम अलगाव को खत्म नहीं कर पाये तो हमारी जो अलग-अलग जाति और अलग-अलग तरह के लोग रहते है, इससे तनाव बना हुआ है। मैंने तो आन्ध्र के गांवों में सुना था आन्ध्र के गांवों में राजस्थानी रहते हैं। अब जैसे-जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो हर जगह यह सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसा समझते हैं कि जैसे राजस्थानियों ने ही आकर हमें बेरोजगार कर दिया है। तो आन्ध्र तो शांत हैं लेकिन आंधे गांवों में, मैं पिछली साल हैदराबाद के आसपास गया था वहां भी यह चर्चा है। तो मैं तो इस सम्बन्ध में इतना ही चर्चा करूंगा जो खतरा आ रहा है उसके लिये राज्य सरकार और राजस्थानी समाज तैयारी करे और केन्द्रीय सरकार वहां की सरकारों से बातचीत करके हर सूरत में उनके प्रोटेक्शन की जितनी व्यवस्था कर सकती है, करने का अनुरोध करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की राजनीति या राजनैतिक चर्चा का यह विषय बने। लेकिन एक बात मैं असम के विषय में दृढ़तापूर्वक इसलिये कह सकता हूं कि मेरा आसाम से व्यक्तिगत सम्बन्ध है। मेरे रिश्तेदार भी वहां हैं और अभी दो रोज पहले ही मेरा एक मित्र आया है उसने आसाम का वर्णन जिस तरह से किया है वह उतना भयावह है कि उसकी कल्पना मात्र से ही आदमी के रौंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने परसों आकर मुझे बताया कि एक बहुत बढ़िया इन्जीनियर को जो मारवाड़ी नहीं था, आज यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल मारवाड़ियों पर ही

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हो रहा है, वह मारवाड़ी नहीं था। उसका बुरी तरह से कत्ल किया गया। जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में ठूंस करके उसको जान से मार डाला। आज उन लोगों के दिल में इन्सानियत नाम की कोई चीज तो रह ही नहीं गई है। उनका मुख्य उद्देश्य तो वहां पर किसी भी तरह टैरर क्रियेट करना है और टैरर क्रियेट करके विशेष रूप से राजस्थानियों को इस लिये लपेटे में लिया जा रहा है कि जो पैसा वहां व्यापार में लगा हुआ है वह मुख्य रूप से राजस्थानियों का लगा हुआ है। अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि वहां के नगर परिषद् का जो मार्किट था, जिसमें बहुत से राजस्थानियों की थड़िया और दुकानें थीं। यद्यपि पुराना मार्केट बना हुआ था और किराया वगैरह इतना थोड़ा था कि इससे उनको कोई आय नहीं हो रही थी। उस पूरे मार्किट को आग लगा दी गई और आग से जब वह पूरा मार्किट जल करके खाक हो गया तो आज वहां मार्किटिंग काम्पलेक्स खड़ा किया जा रहा है और वहां जितने भी किरायेदार थे वह अपने आप मार्किट जल जाने से बेदखल हो गये। आज आसाम में जाकर के किसी से भी वार्ता की जाये, यह तो ओपन फैक्ट है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन यह बात सर्व विदित है कि वहां की सरकार के कुछ नुमाइन्दे इसमें शरीक है। दुर्भाग्य इस बात का है कि वही सरकार हमारी केन्द्रीय सरकार में भी सहभागी है। जैसा माननीय पन्डित जी ने अभी फ़रमाया 1968 में एक बार पहले भी इस तरह के हालात वहां बिगड़े थे। उस वक्त माननीय श्री सुखाड़िया जी तत्कालीन मुख्य मंत्री वहां आसाम में गये और केन्द्रीय सरकार से उन्होंने बात की और वहां पर सी. आर. पी. की मार्फत इन्तजाम किया था। आज भी आसाम के लोग जब यहां आते हैं कई दफा मेरा भी वहां आना-जाना होता है। वह लोग बताते हैं कि सी. आर. पी. की मार्फत इतना बढिया इन्तजाम वहां पर किया कि लोगों को यह भय हो गया था कि यदि किसी ने राजस्थानी को यहां पर हाथ लगा लिया या कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो सी. आर. पी. वाले उसे बख्सेंगे नहीं। मैं यह तो नहीं कहता कि राजस्थान की कोई फोर्स वगैरह वहां जाये लेकिन आज अगर हम सरकार से इस विषय पर गम्भीरता से वार्ता नहीं करेंगे तो एक प्रकार का जो भय वहां पर राजस्थानी भाइयों में व्याप्त हो रहा है उसके दूरगामी परिणाम होंगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी बढ़िया कशीदाकारी से, प्रवासी राजस्थानी भाइयों के प्रति जो उद्गार व्यक्त किये, उन उद्गारों को तो देखकर के मैं समझता था कि अब तक राजस्थान सरकार को चेत जाना चाहिये था और केन्द्रीय सरकार मे इतने गम्भीर मसले पर, महज चंद राजस्थानियों का मर्डर हो गया, उस रूप में न लेकर के, एक जाति विशेष पर आज इतना बड़ा वहां पर अत्याचार हो रहा है, इस रूप में लिया जाना चाहिये था। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से यह कहूंगा इस मामले में हमारी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सरकार ने कोई आगे बढ़कर पहल नहीं की। आज मुख्य मंत्री जी के वहां जाने से वहां की सरकार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह तो दीगर बात हैं लेकिन यह एक साईक्लोजी है कि किसी पिटते हुए आदमी के पास उसका अपना आदमी यदि पहुंच जाता है तो वह अपने आप में एक सम्बल महसूस करता है। ऐसा महसूस करता है कि मेरा कोई एक सहारा आ गया। आज हमारे मुख्य मंत्री महोदय यदि आसाम में जा करके, बिलखते हुए राजस्थानियों की संवेदना में जाकर यदि यह दो शब्द कहेंगे कि आपको चिन्ता करने की कतई जरूरत नहीं है आप लोग राजस्थान आओं, आपके पास बहुत पैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालात यह है कि यदि यहां प्रवासी राजस्थानी अपना पैसा लेकर राजस्थान में शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो उसको इस बात के ज़रिये रोका जा रहा है। कि बैंक से ड्राफ्ट नहीं बनवा सकेगा। वह अपना पैसा कैश बुक में या काईड में ला नहीं सकेगा और तो कुछ मुख्य मंत्री महोदय वहां पर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि सरकार की मार्फत व्यापारी का जिस बैंक में पैसा है और यदि वह व्यापारी यह चाहता है कि वह अपने व्यापार को जो उसके पास में है उसका पैसा यदि शिफ्ट करना चाहता है तो सरकार अपने माध्यम से पैसा शिफ्ट करवाकर राजस्थान में उसे व्यापार की सुविधा तो मुहैय्या करवा सकती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कोई अधिक बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस विषय में राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिये, असम जाना चाहिये। एक खतरा जरूर पैदा हो होता है। पिछली बार हमारे डिप्टी प्राईम मिनिस्टर देवीलाल जी साहब वहां पधारे थे। उन्होंने जाकर यही शब्द वहां जाकर कहे थे कि आसामीज के साथ इन को शादी विवाह रचाने चाहिये। उस दिन डैपूटेशन एक बिरमीवाल जी का उनसे मिला, शाम को उनका कत्ल हुआ 20 जनवरी को। 26 जनवरी को फिर इसी तरह का एक कत्ल हुआ। आज बंगाल में भी राजस्थानी लोग रहते है लेकिन बंगाल में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ और कोई यह नहीं कह सकता कि बंगालियो के साथ शादी विवाह करनी चाहिये। आदमी तो अलग-अलग हैं, अपनी अपनी संस्कृति है। राजस्थान में बहुत से बाहर के लोग रहते है बाहर के रहने वाले लोगों ने यदि राजस्थानियों से शादी नहीं की तो जान से मार डालेंगे। यह तो कभी नहीं कहा। इस देश में रहने वाला नागरिक उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जहां रहना चाहेगा आराम से रहेगा यह सुख सुविधा तो उसको होनी ही होनी चाहिये.... लेकिन फिर भी यदि किन्हीं कारण विशेष से यह हालात बिगड़े हुए हैं तो एक दिन में तो यह हालत नहीं सुधरने वाले हैं। लेकिन राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार से कड़े शब्दों में इस बात की मांग करें कि हमारे आदमियों की सुरक्षा का वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम करें और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राजेंद्र पारीक)

केन्द्रीय सरकार में सहभागी है, उसको भी इस बात की चेतावनी और वार्निंग दे दें कि यदि तुमने अपना रवैया नहीं सुधारा तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे और इस मामले में मैं उस आदमी का नाम, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं ले पा रहा हूं कि मन की पीड़ा उस का + + + नाम लेने के लिए बाध्य करती है कि उस सारी जड़ के पीछे वहां का जो होम मिनिस्टर है + + + वो इस....

श्री अध्यक्ष : आप इसका नाम मत लिखिये। एक्सपंज कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भाई का वहां सरे आम कत्ल हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विराजिये। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका आदेश शिरोधार्य है। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप इस विषय को प्रोलोंग नहीं करें। आप तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ऐसे निर्देश दें कि इसी महीने वे आसाम जावें, असमी भाइयों को इस बात की तसल्ली और सन्तोष दिलावें कि तुम्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि तुम लोग यहां राजस्थान में आओ, व्यापार की हर तरह की सुविधा आप लोगों को दी जावेगी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली तो बात हमको समझ लेना चाहिये कि हम लोग यहां बैठकर कितनी ही चर्चा कर लें किसी को कितना हीं कोस लें, यह अपने बियोन्ड रीच है, राजस्थान की सरकार के यहां बैठकर उनको अपन कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते अनावश्यक उनको ज्यादा खतरे में डालने से कोई मतलब नहीं है, स्थिति बहुत गम्भीर है और वहां बोडोलैण्ड आन्दोलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लगातार असमियों का भी कत्ल हो रहा है। फिनी में क्या हो रहा है? वहां उलट कर रख दिया तो यह समस्या सब जगह है। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं उनकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं, शादी-विवाह का तो उन्होंने दृष्टान्त दिया। मैं उनकी भावना से सहमत हूं, उनके कान्क्रीट प्रपोजल से नहीं। वहां के लोग उनको एसेप्ट नहीं करेंगे, बाहर का नहीं समझेंगे, उनको एक्सप्लोयटर नहीं मानेंगे तब तक यह समस्या चलती रहेगी। वर्तमान में मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि मुख्य मंत्री जी के वहां जाने से एक तो वहां रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के अन्दर विश्वास जाग्रत होगा। डेलीगेशन की कोई आवश्यकता नहीं, मुख्य मंत्री जी वहां अकेले चले

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जायेंगे वहां मिल आयेंगे तो, कुछ भी नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, वैसे तो लेकिन मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में, नैतिक सम्बल बहुत बड़ा होता है। राजस्थान का मुख्य मंत्री राजस्थान के प्रवासियों से मिल आयेगा और हमारे मुख्य मंत्री जी भारत वर्ष के स्तर के नेता हैं। वह वहां पर भी बात कर सकते हैं। असम गण परिषद् पार्टनर है नेशनल फ्रन्ट गवर्नमेन्ट में। वे प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं जो भी सुरक्षा प्रदान करनी हो, करें। अन्त में एक प्रार्थना करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां के जो इण्डस्ट्रिलिएस्ट और बिजनिसमैन असुरक्षित महसूस करके यहां आकर बसना चाहते हैं तो अपने यहां भी औद्योगीकरण की आवश्यकता हैं। अपन वैसे भी लोगों को यहां इन्वाइट करते रहते हैं। वह सारी सुविधाएं आप मुहैया करवायें और उनको सुविधाएं दें। प्रशासनिक स्तर पर कई तकलीफें होती हैं और अध्यक्ष महोदय, कई लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे का चार्म नहीं है, लोग आये तो क्या, चौथाई पैसा भी मिले, गुजर-बसर करने लायक भी हो जाय तो आने के लिए तैयार हैं परन्तु हमारे यहां व्यवस्था ठीक नहीं है उस व्यवस्था में आप सुधार लावें और उसके अन्दर खास तौर से यह देखें कि बाहर जो राजस्थान के प्रवासी पीड़ित लोग रहते हैं, उनके सुविधा उपलब्ध हो सके मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम उनको सपोर्ट देंगे। अन्त में मेरी यही प्रार्थना है सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति को चैक-अप करके इसका कोई सोल्यूशन निकालें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

संकल्प श्री कालीचरण सराफ प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बैठिये कालीचरण जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संकल्प के साथ नियम 306 के अन्तर्गत....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : असम में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से सदन का प्रस्ताव भेजना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय डरने जैसे बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं। किसी मोशन पर मैंने चर्चा नहीं कराई है। There is no motion before the House.

आपका पाइण्ट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है। ठीक हैं। यह पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर पहले है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने संकल्प के साथ में नियम 306 के अन्तर्गत एक नोटिस आपको प्रेषित किया है और वह 110 के अन्तर्गत प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए प्रोवाइडेड हैं। उस रूल को सस्पेण्ड करके पहले यह मोशन लिया जावे। अध्यक्ष महोदय, मोशन माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि यह मोशन कितना महत्वपूर्ण है। मैं गैर सरकारी कार्य के लिए नियत दिवस के लिए संकल्प करता हूं। यह सदन इस बात का संकल्प करता है कि इस सदन के माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : यह नियम से उठा रहे हैं। मैं चैक कर लूंगा।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपने निर्वाचन की तिथि को इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में शपथग्रहण करते हैं। अपनी चल व अचल सम्पत्ति जो स्वयं के नाम हो या उनकी पत्नी/पति, के नाम हो, पुत्रों अथवा पुत्रियों के नाम हो अथवा उनके माता या पिता के नाम हो, की घोषणा करें एवं उक्त घोषणा माननीय अध्यक्ष को प्रेषित करें जो सार्वजनिक मानी जायेगी एवं सार्वजनिक रूप से घोषित की हुई समझी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार माननीय अध्यक्ष ऐसे विवरण को जानकारी करने पर किसी को बताने की स्व विवेक से अनुमति दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जो सत्तारूढ़ है उनके घोषणा पत्र में भी इस प्रकार का आशय है और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने का इस सरकार ने संकल्प लिया है और चूंकि लोकायुक्त और उपलोकायुक्त बिल के प्रव्यू से एम.एल.ए. को बाहर रखा है। वह ठीक भी है और मैं उसके लिए आपत्ति नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि विधायक के रूप में कई प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। यदि हम सब अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, यह प्रस्ताव पारित कर लें तो निश्चित रूप से एक हैल्थी ट्रेडिशन अपन कायम करेंगे और वह इन्फोरमेशन आपके पास रहेगी। आप इस पर व्यवस्था करवावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री यहां सदन में बिराज रहे हैं। वही वरिष्ठ सदस्य हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाहते हैं। कोई आप में से बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ट्रेजरी बैंचेज से आ जावे कि यह प्रस्ताव पारित करने में उनकी सहमति है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप में से कोई बोलना चाहते हैं इस बारे में। नहीं, मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। माननीय सदस्य....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई नहीं बोलना चाहता है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं बोलना चाहता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है । (व्यवधान)

ऐसा है, इस पाइण्ट ऑफ आर्डर में से एक एंगल रखा है । आपमें से कोई दूसरा एंगल रखना चाहे तो मैं इनवाइट करता हूं । बाकी तो व्यवस्था देनी है, मैं दे-दूंगा । (व्यवधान)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे पाइन्ट आफ आर्डर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है लेकिन माननीय मेम्बर साहब से मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके लिए वह पूरा कम्प्रहेंसिब बिल लावे क्योंकि उसमें दिक्कत यह होगी कि केवल अध्यक्ष जी के पास सूचना रहे तो हम पब्लिक लाइफ में ईमानदारी लाना चाहते हैं इस प्रकार का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इसलिए हम चाहते हैं कि आप संकल्प की बजाय एक बिल पेश करें । हम लोग इसके समर्थक हैं और पूरी ताकत से समर्थन करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य संकल्प अगर पारित कर लेंगे तो बिल भी ले आयेंगे । यह तो निश्चय की बात है ।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, बिराजिये । माननीय सदस्य, अब मैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द कहना चाहूंगी राजनीति में यह बहुत जरूरी है कि आदमी को खुली किताब की तरह रहना चाहिये । अगर सम्पत्ति जाहिर कर दें तो बिल्कुल ठीक रहेगा और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रहेगी ।

श्री नत्थी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है और जैसा माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले ने कहा है कि कम्प्रेसिब बिल ले आवे पर मैं सदन की सूचना के लिए यह बात जरूर कह देना चाहता हूं कि जो भावना उनकी है, उस भावना के अनुरूप पहले से ही मुख्य मंत्री जी ने सारे मिनिस्टर्स को लिख करके यह गाइडेन्स दी है कि वह अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें । अब आप चाहते हैं कि वह पब्लिक हो....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह सम्पूर्ण विधायकों की भी चाहते हैं ।

श्री नत्थी सिंह : वह जो आयेगी, वह तो मुख्यमंत्री जी के पास आएगी, इसलिए आप चाहते हैं कि पब्लिक ली आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है । आप बिल लावें, सदन में विचार हो, होने के बाद में साफ-साफ कोई बात हो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । वह विधायकों का हैं । मैं पुनः संशोधन कर दूंगा । खैर, इस सम्बन्ध में आप मेरी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय में माननीय मंत्री महोदय को अपनी भावना स्पष्ट नहीं कर पाया । वह मंत्रियों के लिए नहीं निवेदन कर रहा हूं । मैं तो सब विधायकों के लिए कह रहा हूं । आपका कमिटमेंट है नहीं पार्टी का । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : हम कब मना कर रहे हैं, बिल लाओ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। माननीय मंत्री जी विराजिये। देखिये, व्यवस्था का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : आपका जो बिल होगा....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आप विषय से भटक रहे हैं। माननीय सदस्य ने केवल मेरी कन्सेन्ट के बारे में पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है। आप विषय पर मत जाइये क्योंकि यह संकल्प अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट आफ बिजनिस में आया हुआ है। माननीय सदस्य का कहना यह है कि रूल 110 के अन्तर्गत जो परम्परा और नियम है कि जब एक से ज्यादा संकल्प हमारे सामने आते हैं तो उसका बैलट होता है। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : उनका संकल्प भी रख दिया।....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जरा समझिये मेरी बात को। इतना तो मैं बुद्धू नहीं हूं। मैं समझ रहा हूं। इसलिए जब एक से अधिक संकल्प आते हैं तो व्यवस्था रूल्स में यह है कि उसको बैलट में लगाया जावे। जो संकल्प नम्बर वन पर आयेगा वह नम्बर वन, नम्बर टू, नम्बर थ्री इस हिसाब से आयेंगे। यह व्यवस्था रूल्स में है, यह व्यवस्था परम्परा में है। चूंकि कन्सेन्ट देने का अधिकार केवल स्पीकर को है, स्पीकर चाहे तो कन्सेन्ट दे सकता है, स्पीकर चाहे तो कन्सेन्ट रिजेक्ट कर सकता है। सवाल यह है इसमें कि जब मेरे पास अनेक संकल्प आये तो उस सम्बन्ध में यह व्यवस्था हरेक संकल्प प्रस्तुत करने वाला मांग कर सकता था कि साहब, रूल्स को आप हटाइये और मेरा संकल्प पहले लें। यह कन्ट्रोवर्सी नहीं हो। दूसरी इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में और अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यह डिस्क्रिशन रूल को सस्पेण्ड करने का स्पीकर को बहुत ही सावधानी से और इन एक्सेप्शनल सरकम्सटांसेज में लेना चाहिये। (व्यवधान)

मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। सामान्यतया इस रूल को आर्डिनरी नहीं समझना चाहिये और चलते रास्ते रूटीन में ले लिया गया है ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि अपवादस्वरूप ऐसी परिस्थितियां हों कि जिसमें लेना आवश्यक हो। जो संकल्प आया है वह भी संकल्प है। एक जो संकल्प नम्बर वन पर आया है वह जो अश्लीलता का प्रचार हो रहा है वह भी लोक महत्व का है। इस स्थिति में मैं अपनी कन्सेन्ट देने में असमर्थ हूं। इसलिये आपको यह संकल्प मूव करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : इसमें न भारतीय जनता पार्टी आती है, न जनता दल आता है। यह एक प्रक्रिया का है। अब आप राजनीति

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कर रहे हों। अब आप राजनीति मत कीजिये। प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अंकित नहीं कराऊंगा। आप राजनीति अंकित मत कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : राजनीति अंकित नहीं करें। मेरी व्यवस्था देने के बावजूद जो आपने कहा वह अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था देने के बाद जो कुछ भी कहा जा रहा है, अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप मूव करिये। आप मूव करिये। मूव करिये। संकल्प मूव करिये आप। संकल्प मूव करिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप संकल्प मूव करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह अंकित नहीं होगा कुछ भी। आप संकल्प मूव करिये।

कोई अंकित नहीं होगा।

(कांग्रेस (इ) के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

अशासकीय संकल्प-गैर सरकारी-कार्य

अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, "यह सदन संकल्प करता है कि सामाजिक प्रवृत्तियों को दूषित कर रहे अश्लील विज्ञापनों पर तत्काल कड़ाई से प्रतिबन्ध लगा कर पालन किया जाय तथा इसके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित करने के लिये पृथक से कानून बनाया जाय।"

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। बोलिये। आप बोलिये, शुरू करिये। शुरू करिये।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में विशेषकर बड़े शहरों में....

श्री अध्यक्ष : सब तरीके से हो रहा है, आप देखिये।

श्री कालीचरण सराफ : अश्लील विज्ञापनों एवं पोस्टर्स की बाढ़ आई हुई है। आज जयपुर शहर की ही बात ले लीजिये। किसी भी बाजार में चले जाइये, मोहल्ले में चले जाइये, गलियों में चले जाइये, अंग्रेजी और हिन्दी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं, विशेषकर अंग्रेजी फिल्मों के अर्द्धनग्न महिलाओं के चित्रों की भरमार है। विशेषकर महाराजा कालेज, महारानी कालेज, कनोड़िया कालेज, राजस्थान कालेज,

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

कामर्स कालेज जहां किशोरावस्था के छात्र पढ़ते हैं वहां इन पोस्टर्स को लगाया जाता है। नगर परिषद् के विज्ञापन के लिये जो होडिंग्स लगे हुए हैं उनमें चाहे किसी भी चीज का विज्ञापन हो उनमें भी अशिष्टता की भरमार है। अर्द्धनग्न महिलाओं की देह का प्रदर्शन वहां भी अश्लील रूप से किया जाता है। समाचार पत्रों में जो फिल्मों के विज्ञापन आते हैं उनकी यदि भाषा आप पढ़ें, मैं यहां बताना नहीं चाहता, उनमें भी आपको ऐसा लगेगा कि किस प्रकार से अश्लीलता का समावेश है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन, जो भारत सरकार के अधीन है, पर जो विज्ञापन आते हैं चाहे वह टूथ पेस्ट का विज्ञापन हो, चाहे किसी बी.आई.पी. सूटकेस का विज्ञापन हो, चाहे वस्त्रों में शर्टिंग्स और सूटिंग का विज्ञापन हो, चाहे नहाने के साबुन का विज्ञापन हो, चाहे परिवार नियोजन के विज्ञापन हों, उन विज्ञापनों में जिस तरीके की अशिष्टता प्रदर्शित की जाती है, भारतीय समाज में घरों में परिवार के सब लोग बैठकर जब दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम देखते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब विज्ञापन आता है दूरदर्शन पर, बड़े बूढ़े उठ करके चले जाते हैं। और कई बार यह स्थिति आती है कि बच्चे जिज्ञासापूर्वक अपने माता-पिता से पूछते हैं कि यह विज्ञापन किसी चीज का आया, इसका क्या मतलब है। तो भारतीय समाज में माता-पिता अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। जब वह बार बार बच्चा पूछता है तो वह निरुत्तर हो जाते हैं और कई बार तो स्थिति यह आती है कि बच्चों को डांट देते हैं।

इसी प्रकार से मैग्जीन, पत्र-पत्रिकाएं जिनमें नारी उत्थान के बारे में बड़े बड़े लेख आते हैं, महिलाओं के आत्म सम्मान के बारे में बड़े बड़े लेख आते हैं, परन्तु उनके भी यदि विज्ञापन देखे जायं तो अर्द्धनग्न नारियों के शरीर को ले करके विज्ञापन उसमें दिये जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। जिस समाज में नारी को मां के रूप में देखा जाता है, भारतीय संस्कृति का आधार नारी को माना जाता है, पुरुष का सम्बल नारी को माना जाता है, इस प्रकार के समाज में इस प्रकार के विज्ञापन निश्चित रूप से लोगों की कुंठित भावनाओं को उजागर करने का प्रयास है। ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1986 में एक कानून भी बनाया हुआ है।

"The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986" इसके सैक्शन तीन में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, "Prohibition of advertisement containing indecent repreesentation of women : No person shall publish or cause to be published or arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form, or...." तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस कानून

(श्री कालीचरण सराफ)

को या तो अडाप्ट करके प्रदेश में कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये और यदि प्रदेश की सरकार यह समझे कि यह कानून पर्याप्त नहीं है तो इस बारे में एक पूरा कानून बना करके इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना चाहिये। उसमें अधिक से अधिक जुर्म की व्यवस्था, सजा की व्यवस्था होनी चाहिये और इस प्रकार के जो अश्लील विज्ञापनों की बाढ़ सी आई हुई है प्रदेश में, जिससे यहां के समाज पर बड़ा गलत असर पड़ रहा है उसको रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये एडजोर्न की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक रात्रि 9-30 बजे सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 1990 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 245 का विवरण

विगत तीन वर्षों से आय (चढ़ावे) का विवरण

नाम मंदिर/ट्रस्ट	1987–88	1988–89	1989–90
मंदिर श्री केला देवीजी करौली	15,30,272·53	20,54,475·02	22,20,553·90
मंदिर श्री मदन मोहनजी करौली	7,42,365·35	9,26,727·72	10,68,840·48
	1986–87	**1987–88**	**1989–90**
मंदिर श्री हनुमान जी घाट के बालाजी, मेहन्दीपुर	53,313·80	52,533·78	71,785·48
दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी	9,50,240·58	23,84,547·94	14,79,995·70

विकास कार्यों एवं दर्शनार्थियों/यात्रियों की सुविधा पर किये गये व्यय का विवरण

1. मंदिर श्री केला देवी जी करौली

	1987–88	1988–89	1989–90
दुकान, चबूतरे आदि निर्माण एवं मरम्मत	40,932·00	2,26,251·50	1,40,549·29
चौक पटाई एवं चौक चौड़ा कराई	—	63,873·71	64,406·50
आफिस भवन निर्माण	—	41,584·65	19,986 68
मुण्डन कक्ष	—	62,452·00	—
केन्टीन निर्माण	—	—	1,17,112·60
धर्मशाला मरम्मत आदि	28,334·25	—	23,845·00
बंध काली सिल की सफाई मरम्मत कार्य तथा घाटी की मरम्मत	—	—	2,94,672·75
विविध मरम्मत आदि	40,997·87	68,318·21	1,17,817·20
पानी	29,412·64	1,20,400·75	1,14,561·05
बिजली रोशनी आदि	30,325·00	66,648·00	1,70,857·34
सफाई	28,826·00	35,840·65	51,964·00
सुरक्षा (होमगार्ड)	5,920·00	—	79,260·00
यात्रियों को किराया आदि	—	1,106·00	2,665·00
सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि	—	—	2,910·70
सड़क पर मिट्टी डलाई	—	—	9,375·00
दवाइयां एवं डिस्पेन्शरी व्यवस्था आदि	1,669·22	—	5,310·53

	1987–88	1988–89	1989–90
2. मंदिर श्री मदन मोहन जी, करौली			
धर्मशाला	801·07	650·00	—
बिल्डिंग मरम्मत एवं निर्माण कार्य	28,019·66	16,016·48	60·600·00
बिजली एवं पानी	42,184·91	50,725·15	52,100·00
गौशाला	—	1,70,922·50	1,41,780·00
श्री मदन मोहन बाल विद्यालय	9,651·43	15,223·41	22,689·90

3. श्री हनुमान जी घाटा बालाजी मेहन्दीपुर

	1986–87	1987–88	1988–89
बिजली खर्च	15,580·65	14,410·45	10,829·50
उत्सव खर्च	8,406·00	5,965·00	17,148·30
मरम्मत खर्च	3,830·00	695·00	2,568·90
4. दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी			
सम्पत्ति एवं रख-रखाव	1,47,618·57	2,53,034·74	88,537·67
क्षेत्र सम्बन्धी विकास योजना	9,42,543·94	2,10,540·14	11,08,643·05
दस वर्षीय क्षेत्र सम्बन्धी विकास	11,88,502.86	6,03,334·35	18,11,541·41
परमार्थिक कार्य पर	2,63,881·64	2,81,797·32	—
यात्रियों की सुख-सुविधा	8,12,571·51	7,20,410·52	5,43,971·97
धर्म-प्रचार साहित्य प्रकाशन एवं अनुसंधान	2,27,295·45	1,89,835·79	1,87,340·35

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 461 का विवरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जैसलमेर

अकाल राहत योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का कार्यवार विवरण
सम्वत् 2046

क.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	खड़ीन	40	49·162
2.	सार्वजनिक टांका	40	12·00
3.	चार दिवारी	24	10·46
4.	भवन	151	93·537
5.	कुआ गहरा	34	01·563
6.	नाडी	199	29·905
7.	सड़क	5	47·30
8.	निजी टांका	473	28·38
9.	अन्य	1	0·01
	योग	967	272·317

प्रपत्र–ब

कार्यकारी अभिकरण वार स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण

क.सं.	अभिकरण का नाम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि
1.	पंचायत समिति जैसलमेर	155	57·565
2.	पंचायत समिति सम	189	52·549
3.	पंचायत समिति सांकड़ा	105	37·361
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	5	47·30
5.	सिंचाई विभाग	27	39·942
6.	भू-संरक्षण, जैसलमेर	7	03·97
7.	भू-संरक्षण, पोकरण	6	05·25
8.	तहसीलदार, जैसलमेर	288	17·28
9.	तहसीलदार, पोकरण	185	11·10
	योग :	967	272·317

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

पंचायत समिति बयाना के अन्तर्गत तालाबों/बांधों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	बांध का नाम	सिंचाई क्षमता
1.	कारवाडी	रसैरी ऊपर	50 एकड़ से कम
2.	,,	रसैरी लोयर	,,
3.	कपूरा मलूका	कपूरा डहर	,,
4.	पाली डॉग	पाली डॉग	,,
5.	परौआ	डहलेपुरा	,,
6.	बाजना	टुडी	,,
7.	सिंघानिया	सिंघानिया	,,
8.	खरैरी	खरैरी	,,
9.	बागरेंत	बागरेंन	,,
10.	बांगरेन	तालेडी	,,
11.	बिडयारी	मुरंकी	,,
12.	महलौनी	महलौनी	,,
13.	महलौनी	कस्बा बयाना	,,
14.	कैर	कैर	,,
15.	समोगर	समोगर	,,
16.	शेरगढ़	चहल	,,
17.	बाजना	वैसीरा	,,
18.	कैर	कटारियापुरा	,,
19.	कलसाडा	कलसाडा	,,
20.	खानखेडा	खानखेडा	,,
21.	खूंटखेडा	ईटखेडा	,,
22.	नहरोली	नहरोली	,,
23.	कैर	न. बृजलाल	,,
24.	परौआ	परौआ	,,
25.	कनावर	जराबौर	,,
26.	वागरेना	वारेजावामेंस	,,
27.	महलौनी	महलौनी	,,
28.	खूंटखेडा	खूंटखेडा	,,

पंचायत समिति, रूपवास में कुल 9 बांध हैं

1. चक सामरी लोग्रर
2. चक सामरी ग्रपर
3. गढी बुराना
4. गूजर बलाई लोग्रर
5. गूजर बलाई ग्रपर
6. ढाना बांध
7. टोंटपुर बांध
8. महलपुरचूना बांध
9. महलपुर बाग बांध

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भिनाय क्षेत्र की सड़कें

469. श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भिनाय से सिंगावल वाया गोपालपुरा सड़क का डामरीकरण कब तक होगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण के लिए गत 7 साल से गिट्टी पड़ी है ?

(4) क्या इस गिट्टी का उपयोग जल्दी करने एवं सड़क पूरी कराने की सरकार की मंशा है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की सूची (क) संलग्न है।

(2) इस सड़क का डामरीकरण योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस सडक पर जुड़ने वाले गांव गोपालपुरा की आबादी सिर्फ 126 (1971 की जनगणना) के अनुसार होने के कारण निकट भविष्य में इसे सड़क से जोड़ना सम्भव नहीं होगा।

(3) जी हां। आंशिक रूप से।

(4) उपरोक्त उत्तर दो के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नागौर जिले में आई.आर.डी.पी. के लक्ष्य

470. श्री मोहन लाल (परबतसर) एवं श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 व 1989-90 में कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था ? बैंक वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंकर्स ने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों बैंक वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित लक्ष्य से वंचित, लाभान्वित परिवार क्या लाभान्वित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 9320 परिवारों एवं वर्ष 1989-90 में 7460 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। बैंकवार लक्ष्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किये जाने के मुख्य कारण कतिपय बैंकों में कर्मचारियों का असहयोग, आन्दोलन एवं खराब वित्तीय स्थिति होना रहा है। बैंकवार लक्ष्य पूर्ति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नियमानुसार शीघ्र ही लाभान्वित करने की कार्यवाही की जावेगी।

नागौर जिले में आई. आर. डी. पी. में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में बैंकवार आवंटित लक्ष्यों का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	आवंटित लक्ष्य 1988-89	आवंटित लक्ष्य 1989-90
1.	जयपुर नागौर आंचलिक बैंक	4017	3253
2.	यू. को. बैंक	1475	1315
3.	एस. बी. बी. जे. बैंक	1266	1148
4.	एन. सी. सी. बी. (नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक)	1263	630
5.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	395	297
6.	बैंक ऑफ राजस्थान	261	261
7.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	239	120
8.	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	100	105
9.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	117	117
10.	केनरा बैंक	52	40
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	40	30
12.	कृषक सेवा सहकारी समिति	195	144
	योग :	9320	7460

नागौर जिले में आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में बैंकवार आवंटित लक्ष्य एवं लक्ष्य-पूर्ति का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	आवंटित लक्ष्य 1988-89	लक्ष्य-पूर्ति 1988-89	आवंटित लक्ष्य 1989-90	लक्ष्य-पूर्ति 1989-90
1.	जयपुर नागौर आंचलिक बैंक	4017	3491	3253	2996
2.	यू. को. बैंक	1475	1107	1315	1115
3.	एस. बी. बी. जे.	1266	1080	1148	1213
4.	एन. सी. सी. बी. (नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक)	1263	261	630	10
5.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	395	331	297	308
6.	बैंक ऑफ राजस्थान	261	222	261	243
7.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	139	128	120	107
8.	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	100	88	105	114
9.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	117	127	117	177
10.	केनारा बैंक	52	—	40	34
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	40	36	30	34
12.	कृषक सेवा सहकारी समिति	195	127	144	282
	योग :	9320	6998	7460	6633

हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास

471 श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो झालावाड़, बूंदी-कोटा-जिलों में क्या कार्य चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज रर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग के क्यासरा-कोलवी गुफाएं, विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन में गागरोन का किला को क्या सरकार पर्यटन अधीन लेकर उक्त स्थानों का विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु निम्न योजनाएं राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित की हुई हैं, जो अभी विचाराधीन है :—

1. बूंदी (1) पर्यटक परिसर बूंदी
(2) इन्दरगढ़ किले पर फ्लड लाइटिंग

2. कोटा (1) अलानिया में एक केफेटेरिया

3. झालावाड़ (1) भवानी नाट्यशाला का विकास
(2) चन्द्रभागा में एक कियोस्क का निर्माण

इसके अतिरिक्त बून्दी में नागर सागर कुण्ड एवं रानीजी की बावड़ी का विकास कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं। क्योंकि क्यासरा कोलवी की गुफाएं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग एवं गागरोन का किला राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन है, अतः बिना उनकी इच्छा के कोई विकास कार्य संभव नहीं है।

कृषि उपज मण्डियों में सलाहकार समितियां

472. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में सलाहकार समितियां बनाने के लिए विधायकों को पत्र लिखकर सदस्यों की सूचियां मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक सरकार को कितने विधायकों ने सलाहकार समितियों के लिए सूचियां दे दी हैं ?

(2) विधायकों से प्राप्त सूचियों के अनुसार अब कब तक कृषि उपज मण्डियों में सलाहकार समितियां बना दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 102 विधायकों से सूची प्राप्त हो गई है।

(2) सलाहकार मण्डलों का गठन 15 अगस्त, 90 तक कर दिया जावेगा।

लूनी (बालोतरा) नदी पर पुल

473. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा जसोल स्थित लूनी नदी पर पुल निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1990-91 में विशिष्ट प्रावधान कर पुल का कार्य पूर्ण करवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) माह मई, 1990 तक उक्त पुल पर कितना निर्माण कार्य किया जा चुका था तथा कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्य की लागत स्वीकृत राशि से बढ़ जाने के कारण संशोधित (प्रस्ताव) स्वीकृत किये जाने हैं।

(2) संशोधित प्रस्तावों की स्वीकृति अभी विचाराधीन है।

(3) जसोल की तरफ से 247 मीटर ग्रेवल सड़क एवं 595 मीटर मिट्टी का कार्य हुआ है। इस कार्य पर अब तक 7.48 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

पंचायत समिति खण्डार व सवाई माधोपुर में जीवन धारा योजना

474. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 2 वर्षों में पंचायत समिति खण्डार व सवाई माधोपुर में जीवन धारा योजना के तहत कितने-कितने कुएं बनाने हेतु काश्तकारों को राशि स्वीकृत की गई ? सूची मय ग्राम पंचायतों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में कई काश्तकारों को पूर्व में बने कुओं पर राशि दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में पंचायत समिति खण्डार में 207 व पंचायत समिति सवाई माधोपुर में 165 कुएं जीवन धारा योजना के तहत बनाने हेतु काश्तकारों को राशि स्वीकृत की गई। ग्राम पंचायत-वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, सवाई माधोपुर में केवल एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक पुराने कूप पर तीन किश्तों का भुगतान करा दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति, खण्डार

क्र. सं.	कृषक का नाम मय पिता	ग्राम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1.	ओमप्रकाश/रामनिवास मीणा	गंडावर	गंडावर
2.	रामनिवास/मथुरा मीणा	,,	,,
3.	लड्डू/दयाराम बैरवा	,,	,,
4.	लड्डू/राजाराम मीणा	,,	,,
5.	चेतराम/रामहेत मीणा	,,	,,
6.	मेमराज/पन्नन मीणा	,,	,,
7.	बृजमोहन/ऊंकार बैरवा	,,	,,
8.	गोपी/रामकुवार बैरवा	,,	,,
9.	मांगीलाल/लोन्या बैरवा	,,	,,
10.	दयाराम/गंगल्या बैरवा	,,	,,
11.	सियाराम/रामचरण मीणा	,,	,,
12.	सीताराम/किशन्या मीणा	,,	,,
13.	प्रहलाद/छीतर बैरवा	बोहना	,,
14.	रामनाथ/घन्ना मीणा	,,	,,
15.	रामवतार/रघुनाथ मीणा	बिन्जारी	,,
16.	बृजमोहन/चन्द्रमा हरिजन	गंडावर	,,
17.	पन्ना/गणेश बैरवा	,,	,,
18.	रामचरण/नारायण मीणा	,,	,,
19.	कन्हैया/सुखजी कोली	,,	,,
20.	बंशा/लोहडक्या मीणा	,,	,,
21.	रामचरण/लाला मीणा	,,	,,

1	2	3	4
22.	कमल/बीरबल मीणा	गंडावर	गंडावर
23.	नाथ्या/घन्ना बैरवा	,,	,,
24.	बद्री/देवचन्द बैरवा	,,	,,
25.	दयाराम/हजारी मीणा	डूंगरी	डूंगरी
26.	हजारी/सोन्या धोबी	,,	,,
27.	सीताराम/हरफूल मीणा	,,	,,
28.	रामस्वरूप/राधाकिशन मीणा	,,	,,
29.	गंगाराम/रामचन्द्र मीणा	,,	,,
30.	मूड़या/माधो मीणा	,,	,,
31.	रमेश/अर्जुन मीणा	,,	,,
32.	बद्री/कल्बा कोली	,,	,,
33.	रामफूल/नत्थू मीणा	,,	,,
34.	कजोड़/घूड़या धोबी	,,	,,
35.	नन्दकिशोर/राधाकिशन मीणा	,,	,,
36.	बंशीलाल/जयनारायण	,,	,,
37.	श्रीया/ओंकार मीणा	,,	,,
38.	श्रीनंद/हरफूल मीना	,,	,,
39.	जगन्या/श्योराम/कल्ला बैरवा	,,	,,
40.	गटोल/गंगाबिशन मीणा	,,	,,
41.	तेज्या/जयकिशन बैरवा	फलौदी विजयनगर	फलौदी
42.	गंगाराम/भैंरू धोबी	,,	,,
43.	रामसिंह/मंशा मीणा	सांवलपुर	मेईकलां
44.	बावू/नारायण बैरवा	मेई खुर्द	,,
45.	धर्मचन्द/नारायण बैरवा	,,	,,
46.	बंशी/काना बैरवा	बाजोली	बिचपुरी
47.	पून्या/रामचन्द्र, बृजमोहन/नानगा बैरवा	,,	,,

1	2	3	4
48.	हजारी/मंगल्या बैरवा	बाजोली	बिचपुरी
49.	भूरया/गेंदया बैरवा	मोराज	,,
50.	सुन्दर/रामकिशन	बाजोली	,,
51.	सांवड़या/जयराम/ग्यारसा	,,	,,
52.	सुन्दर/धन्ना धोबी	,,	,,
53.	कन्हैया/रामचन्द्र बैरवा	मोरोज	,,
54.	रामदेव, कन्हैया, गोपाल/ऊंकार, प्रहलाद/गोपी बैरवा	बाजोली	,,
55.	रामनिवास/कल्लो बैरवा	मोरोज	,,
56.	बंशी/परस्या बैरवा	,,	,,
57.	बिहारी/मिठया बैरवा	,,	,,
58.	फूल्या/नोरया धोबी	अक्षयगढ़	अक्षयगढ़
59.	बीरबल/देवबक्स बैरवा	बहरावंडा कला	बहरावंडा कला
60.	गोविन्दा/काना बैरवा	,,	,,
61.	परस्या/हरदेवा बैरवा	मुकन्दपुरा	गोठड़ा
62.	टीकम/हजारी कोली	खंडार	खेडार
63.	केदार प्रसाद/हीराचन्द मीणा	भूरी पहाड़ी	भूरी पहाड़ी
64.	चन्द्रया/काना मीणा	,,	,,
65.	कोरया, किशन्या/धन्ना मीणा	,,	,,
66.	आशाराम/गिर्राज	,,	,,
67.	बाबूलाल; दुर्गालाल/गंगाधर खटीक	,,	,,
68.	कग्गा, सूरजमल/टूण्डा धोबी	,,	,,
69.	कन्हैया/छोटया मीणा	,,	,,
70.	घनश्याम/हजारी मीणा	,,	,,
71.	जगराम/छोटया मीणा	,,	,,
72.	कन्हैया/नानगा मीणा	,,	,,

1	2	3	4
73.	हरिप्रसाद/रामकुवार मीणा	बस्तेर खुर्द	भूरी पहाड़ी
74.	घनश्याम/ग्यारसा बैरवा	भूरी पहाड़ी	,,
75.	रतीराम/मोरया मीणा	,,	,,
76.	जमनालाल/हरनारायण मीणा	बस्तेर खुर्द	,,
77.	रामजीलाल/गंगाराम बैरवा	भूरी पहाड़ी	,,
78.	सुखराम, लोहडक्या/गंगाधर मीणा	बेखा	,,
79.	छोटया/पून्या धोबी	भूरी पहाड़ी	,,
80.	जगदीश/रामकरण मीणा	बसोकलां	,,
81.	गोरधन/गिर्राज मीणा	बसोरखुर्द	,,
82,	कैलाश/हजारी धोबी	भूरी पहाड़ी	भूरी पहाड़ी
83.	कजोड़/श्रीया मीणा	,,	,,
84.	अम्बालाल/गिर्राज मीणा	,,	,,
85.	बलराम/मूडया मीणा	बसोर खुर्द	,,
86.	रामस्वरूप/काना बैरवा	पावड़ा बारदार	बरनावदा
87.	कन्हैया/जग्गा मीणा	बड़ौद	,,
88.	फूल्या/नारायण बैरवा	बरनावदा	,,
89.	रामचरण/नन्दा बैरवा	,,	,,
90.	बंशी/ब्रदा बैरवा	,,	,,
91.	रामकिशन/मुवान्या बैरवा	लहसोड़ा	लहसोड़ा
92.	रामदेव/सुखदेवा बैरवा	सिवायगंज	,,
93.	हीरा/सोन्या बैरवा	दौलतपुरा	दौलतपुरा
94.	रामकरण/रुगनाथ मीणा	नखला	,,
95.	लटूर/पन्ना मीणा	जमलालपुरा	,,
96.	जुगराथ/मथुरा मीणा	दौलतपुरा	,,
97.	राधेश्याम/देवीराम बैरवा	क्यारदा	क्यारदाकलां
98.	रणजीत/नागा बैरवा	कानेटी	,,

1	2	3	4
99.	मदन/काना कौली	पिवलेट	क्यारदाकलां
100.	फोट्र/ऊंकार कौली	,,	,,
101.	लोहड़क्या/ऊंकार बैरवा	धीरोली	रामपुरा
102.	लक्ष्मण/हुवन्या बैरवा	डांगरवाड़ा	,,
103.	जोहन्दा/मंगला बैरवा	,,	,,
104.	रामस्वरूप/केसरा खटीक	बहरांवडा खुर्द	बहरावंडाखुर्द
105.	नागा/नारायण बैरवा	,,	,,
106.	रामनारायण, बंशी/मांगीलाल बैरवा	,,	,,
107.	नोन्दा/रामदेवा, मनसुख/लक्षमण	,,	,,
108.	कैलाश/मथुरा खटीक	,,	,,
109.	गणेश, मांग्या/नारायण बैरवा	,,	,,
110.	मूल्या, बजरंगा/मांगीलाल बैरवा	रवांजना	खांजना चौड
111.	दल्ला/मंगला बैरवा	पीपलवाड़ा	,,
112.	छोगा/राजाराम मीणा	,,	,,
113.	कंवरया/चन्द्रा बैरवा	लाडपुरा	,,
114.	प्रभु/हरदेवा बैरवा	खांजना	,,
115.	छीतर/ऊंकार मीणा	बगावदा	पांचोलास
116.	भैरूं/रामरतन बैरवा	,,	,,
117.	मोती/कजोड़ हरिजन	,,	,,
118.	हरपाल/देवीराम बैरवा	पांचोलास	,,
119.	दयाराम/मंगल्या बैरवा	भैरूपुरा	,,
120.	रामगोपाल/नाथू बैरवा	बगावदा	,,
121.	श्योराम/रामगोपाल मीणा	कल्याणपुरा	,,
122.	रामराज/जयराम मीणा	खिजूरी	,,
123.	प्रभु/श्रीकिशन बैरवा	दूमोदा	दूमोदा

1	2	3	4
124.	केदार/रामकुंवार मीणा	दोदल	दूमोदा
125.	लक्ष्मण/सांवल्या मोग्या	हिदवाड़	,,
126.	चतरु/मंगल्या बैरवा	,,	,,
127.	लड्डू/ऊंकार ,,	तलावड़ा	तलावड़ा
128.	बन्शी/ऊंकार ,,	,,	,,
129.	धील्या, पांच्या, छोटया/रामचन्द्र बैरवा	,,	,,
130.	जगन्या, ऊंकार/गेन्दया बैरवा	,,	,,
131.	प्रहलाद/भीखा बैरवा	लावटा	,,
132.	देवचन्द, देवा/मंगल्या	तलावड़ा	,,
133.	मांगीलाल/पन्ना कोली	नायपुरा	,,
134.	सुखदेव, लटूर/हरिमोहन बैरवा	तलावड़ा	,,
135.	किशन्या/मोरया बैरवा	सावटा	,,
136.	मुरली/जयराम	तलावड़ा	,,
137.	छोटया, मोरवा, चिमन्या/रामचन्द्र	सवटा	,,
138.	लक्ष्मीनारायण/कुंजा बैरवा	,,	,,
139.	नारायण/सुखदेव बैरवा	सावटा	तलावड़ा
140.	बलदेव/सुखदेव बैरवा	,,	,,
141.	मदनलाल/नागा बैरवा	नायपुर	,,
142.	रामचरण/बुद्धा बैरवा	,,	,,
143.	छीतरया/ऊंकार बैरवा	सावटा	,,
144.	लड्डू/छीतर बैरवा	,,	,,
145.	शंकर/रामा बैरवा	,,	,,
146.	रामविलास/लड्डू मीणा	ओणमीना	अनियाला
147.	रामकोरया/देवराम बैरवा	,,	,,
148.	मांगीलाल/ग्यारसा बैरवा	,,	,,

1	2	3	4
149.	कल्ला/देव्या बैरवा	ओणमीना	अनियाला
150.	मेमराज/भैरु मीणा	पीपलदा	,,
151.	शम्भू/मड्डू मीणा	अनियाला	,,
152.	हरिमोहन/लड्डू मीणा	पीपलदा	,,
153.	सियाराम/मोती मीणा	खण्डेवला	खण्डेवला
54.	मधुरा/बद्री मीणा	कटार	,,
155.	गोपाल/हजारी मांम्या बैरवा	मीना खेड़ी	,,
156.	बजरंगा/लोन्या बैरवा	खण्डेवला	,,
157.	प्रेहलाद/नाथ्या बैरवा	,,	,,
158.	बीरबल/रामनारायण मीणा	,,	,,
159.	बजरंगा, बाला/घन्ना बैरवा	फरिया	,,
160.	रामचरण/पन्ना मीणा	कटार	,,
161.	बजरंगा/रक्खा बैरवा	,,	,,
162.	श्यामा/पन्ना मीणा	खण्डेवला	,,
163.	कल्याण, कागा/लडड् मीणा	,,	,,
164.	रामचरण/बद्री मीणा	मीना खेड़ी	,,
165.	मंशा/नारायण मीणा	खण्डेवला	,,
166.	रामपाल/नानगा बैरवा	महुवापुरा ढाणी वजक	चितारा
167.	भूरा/मंगल्या बैरवा	,,	,,
168.	कल्याण/नारायण बैरवा	,,	,,
169.	गिर्राज/रामपाल बैरवा	,,	,,
170.	रामपाल/भागीरथ बैरवा	,,	,,
171.	बुद्धराम/गोविन्दा बैरवा	,,	,,
172.	बजरंगा/पांचू बैरवा	,,	,,
173.	रामफूल उर्फ हरफूल/किशन्या बैरवा	,,	,,

ह०/-
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
सवाई माधोपुर

पंचायत समिति, खण्डार में जीवनधारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कूपों में से निरस्त कूपों की सूची

क.सं.	कृषक का नाम एवं जाति	ग्राम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
174.	जगन्या/जन्सी मीणा	अजीतपुर	लहसोड़ा
175.	मांगीलाल/परसराम/धूलीलाल मीणा	लहसोड़ा	,,
176.	श्योजी/जमनालाल मीणा	लहसोड़ा	,,
177.	आशा/धन्या बैरवा	गोविन्दपुरा	बालेर
178.	जानकी/रामचन्द्र बैरवा	खिरखडी	रामपुर
179.	रामधन/हरदेवा मीणा	सेंवतीकलां	रामपुर
180.	गोपाल/देवीराम बैरवा	मेईकलां	,,
181.	ऊंकार/सोन्या बैरवा	सलावड़ा	,,
182.	बद्रीलाल/रामनारायण बैरवा	,,	,,
183.	फूल्या/रामनाथ मीणा	खण्डेवला	,,
184.	मन्ना/देवीराम बैरवा	रवांजनाचोड	,,
185.	प्रभु/चेता कोली	खण्डार	,,
186.	रामप्रकाश/मथुरा मीणा	फरीया	,,
187.	नारायण/ऊंकार मीणा	डूंगरी	,,
188.	मानक/भौरयां मीणा	ईसरड़ा (झोपड़ी)	,,
189.	केदार/प्रभु मीणा	अनियाला	,,
190.	प्रहलाद/मनफूल मीणा	पीपलदा	,,
191.	किशना/लक्ष्मण बैरवा	चितारा	,,
192.	देव्या/नागा बैरवा	मईकलां	,,

1	2	3	4
193.	मांग्या/हजारी मीणा	पीपलदा	रामपुर
194.	धन्ना/नाथू बैरवा	लाखनपुर	,,
195.	बाबू/प्रहलाद मीणा	खण्डेवला	,,
196	केसरलाल/मांगीलाल बैरवा	छांन	,,
197.	प्रभु/रामगोपाल मीणा	खिरखिड़ी	,,
198.	बंशी/रामगोपाल मीणा	,,	,,
199.	सुखदेवा/मेवाराम मीणा	क्यारदाखुर्द	,,
200.	नारायण/घासी बैरवा	पीपलवाड़ा	,,
201.	बजरंगा/भीला कोली	मीनाखेड़ा	,,
202.	किसना/मांग्या बैरवा	रवाजनाडूंगर	,,
203.	प्रकाश/मांग्या बैरवा	करोली	,,
204.	सांवल्या/किशन्या मीणा	बसोखुर्द	,,
205.	परस्या/कीरया बैरवा	मोरोज	,,
206.	रामकन्या/बेवा शंकर कोली	बह.खुर्द	,,
207.	गिर्राज/बिशन्यिा मीणा	गण्डावर	,,

ह.
अति॰ कलेक्टर (विकास)
सवाई माधोपुर

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	नाम कृषक एवं जाति	
1	2	3	4	5
1.	मुई	विजयपुर	रामबिलास/अम्बालाल	मीणा
2.	,,	मुई	हरगोविन्द/सुखपाल	,,
3.	जोनापुर	नीमलीखुर्द	सीताराम/मायाराम	,,
4.	,,	,,	रामप्रसाद/गोपी	,,
5.	,,	,,	हीरा/मांग्या	,,
6.	गम्भीरा	इटावा	झण्डू/सुखपाल	नायक
7.	,,	घमूणकलां	घनश्याम/बद्री	मीणा
8.	डेकवा	बिलोपा	बंसता/मोसपाल	,,
9.	रामड़ी	घुड़ासी	हरिराम/मेवा	,,
10	,,	रामड़ी	लोहड्या/रामनारायण	,,
11.	जौंला	जौंला	फैली/शोनारायण	,,
12.	,,	कावड़	रामसिंह/मांग्य	,,
13.	,,	आदलवाड़ाखुर्द	रामसिंह/जन्सी	,,
14.	,,	,,	रतन/मांग्या	बैरवा
15.	,,	,,	शोदान/गिर्राज	मीणा
16.	आदलवाड़ाकलां	आदलवाड़ाकलां	गोरया/सोन्या	कंजर
17.	,,	,,	भरतलाल/बद्री	मीणा
18.	,,	,,	बिलास/रामकरण	,,
19.	बिन्जारी	बांसड़ा	लड्डू/देव्या	बैरवा
20.	,,	नाहरीकलां	रामकरण/नाथू	बैरवा
21.	,,	बांसड़ा	श्रीनारायण/कनीराम	,,
22.	चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा	लड्डू/नाथू	मीणा

1 2	3	4	5
23. चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा	भंवरलाल/धन्ना	कोली
24. ,,	,,	देवीराम/छगना	,,
25. ,,	,,	रामकरण/रामचन्द्र	मीणा
26. बलरीया	बलरीया	बद्री/गोविन्दा	,,
27. रजवाना	जाजेड़ा	कन्हैया/गणेश	बैरवा
28. ,,	रजवाना	अम्बालाल/धन्ना	,,
29. ,,	,,	गोपी/नारायण	,,
30. पावडेरा	पांवडेरा	कालू/मोती	,,
31. ,,	,,	भैरू/बिरधा	कोली
32. झोपड़ा	झोपड़ा		
33. ,,	,,	बजरंग/रामरतन	बैरवा
34. ,,	,,	हनुमान/गोपी	मीणा
35. ,,	झड़कून	छोटू/सुखदेवा	बैरवा
36. ,,	झोपड़ा	बद्री/राधाकिशन	,,
37. ,,	,,	लड्डू/भूरा बैरवा	,,
38. झोपड़ा	झोपड़ा	मोहनलाल/रामदेवा	,,
39. ,,	अगीना	गंगाबिशन/रामरतन	मीणा
40. तन्दूर	ऐचेर	हरफूल/नानका	,,
41. ,,	,,	चौथमल/राधाकिशन	,,
42. ,,	,,	जगदीश/केसरलाल	,,
43. ,,	,,	जगदीश/पांचू	,,
44. महापुरा	पीपल्या	गोपी/ऊंकार	बैरवा
45. ,,	महापुरा	शंकर/चन्द्रा	,,
46. शिवाड़	शिवाड़	नाथू/नीन्दा	कोली
47. ,,	,,	धन्ना/कालू	,,
48. सारसोप	सारसोप	मन्ना/जयकिशन	रेगर

1	2	3	4	5
49.	शिवाड़	शिवाड़	कानाराम/गंगाराम	बैरवा
50.	सारसोप	सारसोप	नानगा/मागोता	धोबने
51.	शिवाड़	शिवाड़	बाबूलाल/धन्नालाल	बैरवा
52.	ईसरदा	ईसरदा	गोपी/धन्ना	,,
53.	सुनारीढ	मऊरीढ	अर्जुन/कोरीलाल	मीणा
54.	भगवतगढ़	भगवतगढ़	रुघनाथ/बिरधा	,,
55.	,,	,,	श्रीनारायण/रामनिवास	हरिजन
56.	,,	,,	ग्यारस्या/माधो	बैरवा
57.	,,	ढाणीमानपुरा	कल्याण/ऊंकार	,,
58.	,,	,,	बाबूलाल/मूलचन्द	,,
59.	सुनआरी	मड़	श्योदास/रामफूल	मीणा
60.	,,	,,	नत्थू/करणफूल	,,
61.	,,	,,	छोटूलाल/कोरीलाल	,,
62.	,,	,,	श्योदा/फेली	,,
63.	अजनोटी	अजनोटी	रामकिशन/पीरू	मीणा
64.	,,	श्योमोता	जगन/छीतर	,,
65.	,,	नोंदड़दा	रामकिशन/मांगीलाल	,,
66.	,,	,,	चतरू/हीरालाल	,,
67.	जटवाड़ाकलां	जटवाड़ाकलां	रामकरण/बजरंग	बागरिया
68.	,,	पुष्पीब्रनास	हनुमान/धनजी	मीणा
69.	लोरवाड़ा	लोरवाड़ा	रामप्रसाद/कल्याण	कोली
70.	,,	,,	मूलचन्द/कल्याण	,,
71.	आटूनकलां	आटूनकलां	गोपी/हरबक्स	मीणा
72.	शेरपुर	रामसिंहपुरा	रामस्वरूप/नारायण	रैगर
73.	भदलाव	पाडली	कैलाशचन्द/भूरा	बैरवा
74.	,,	,,	श्योराम/रामसुख	,,

1–	2	3	4	5
75.	भदलाव	पांडली	शिवनारायण/रामपाल	बैरवा
76.	खिलचीपुर	खिलचीपुर	तुलस्या/राजाराम	,,
77.	,,	खिलचीपुर	रानाथ/सोल्या	बैरवा
78.	,,	,,	बद्री/सोल्या	,,
79.	,,	,,	खेमराज/किशना	मीणा
80.	,,	जनकपुर	मोरपाल/पून्या	,,
81.	,,	,,	रामसहाय/गोपाल	,,
82.	,,	,,	परमानन्द/रामकुंवार	,,
83.	,,	,,	तीजू/पांच्या	रैगर
84.	,,	खिलचीपुर	रामप्रसाद/रामकुंवार	मीना
85.	छारोदा	जूमलखेड़ा	रामजीलाल/हरचन्द	,,
86.	,,	छारोदा	हनुमान/बद्री	,,
87.	,,	,,	टीकाराम/गंगाराम	,,
88.	,,	जमूलखेड़ा	मोजीराम/मनफूल	,,
89.	,,	,,	मोती/गोपी	,,
90.	,,	छारोदा	प्रभुलाल/ओंकार	,,
91.	,,	,,	श्रीनारायण/शोपाल	,,
92.	कुण्डेरा	कुण्डेरा	जनंस्या बजरंगलाल	रैगर
93.	चकेरी	रहिथाकलां	प्रेमराज/भेरुलाल	मीणा
94.	,,	,,	बाबूलाल/हरफूल	,,
95.	,,	,,	बत्तीलाल/रामनथ	,,
96.	श्यामपुरा	श्यामपुरा	हरकेश/मगनलाल	,,
97.	,,	,,	राजाराम/गिर्राज	,,
98.	,,	,,	गोपाल/ओंकार	,,
99.	करमोदा	दोदरी	गंगाराम/सालगां	रैगर
100.	,,	लोदीपुरा	चतुर/अर्जुन	मीणा

1	2	3	4	5
101.	करमोदा	करमोदा	चिरजी/शोबक्स	रैगर
102.	,,	लोदीपुरा	कंवरपाल/गोपीचन्द	मीणा
103.	,,	मथुरापुरा	बालू/सोनीराम	,,
104.	सूरवाल	सूरवाल	बद्री/गंगाधर	,,
105.	पढाना	बाडोलास	करणफूल/गेन्दया	,,
106.	,,	,,	बरधा/अर्जुन	,,
107.	,,	पढाना	बद्री/लक्ष्मण	,,
108.	,,	,,	रामसहाय/देब्या	रैगर
109.	,,	,,	रामसहाय/गोपी	मीणा
110.	,,	,,	प्रभुलाल/गोपी	,,
111.	,,	बाडोलास	रामनिवास/जगराम	,,
112.	,,	पढाना	सुखपाल/जन्शी	,,
113.	,,	,,	शम्भू/मनफूल	,,
114.	,,	,,	श्रीचन्द/रामरतन	,,
115.	,,	,,	पृथ्वीराज/प्रहलाद	,,
116.	,,	,,	किशोरी/मायाराम	,,
117.	ओलवाड़ा	हिंगोनी	रामनारायण/रामपाल	,,
118.	,,	,,	सावल्या/देवकिशन	,,
119.	,,	निनोणी	जगन्या/बीरबल	,,
120.	,,	,,	रामखिलाड़ी/कहैन्यालाल	,,
121.	,,	,,	रामस्वरुप/हरबल	,,
122.	,,	,,	बाबूलाल/पन्नालाल	,,
123.	,,	ओलवाड़ा	सूरजन/गणेश	बैरवा
124.	,,	,,	कल्याण/रंगा	मीणा
125.	,,	,,	श्रीफूल/गोपाल	,,
126.	,,	एण्डवा	सुखचन्द, लक्ष्मीनारायण	,,

1	2	3	4	5
127.	मैनपुरा	मैनपुरा	पून्या/बन्शी	मीणा
128.	ओलवाड़ा	एण्ड्वा	मन्नालाल/सुखदेवा	,,
129.	,,	,,	रामधन/सुरजन	,,
130.	,,	,,	सूरजमल/जगन्नाथ	,,
131.	सेलू	सेलू	गोपी/गंगाधर	,,
132.	,,	,,	कजोड़/बीरबल	मीणा
133.	,,	,,	रामधन/गंगजी	,,
134.	जड़ावता	जड़ावता	श्रवण/मोरपाल	मीणा
135.	,,	,,	केसरा/गोपी	,,
136.	,,	,,	सीताराम/गोपी	,,
137.	,,	खाटकलां	हनुमान/श्योजी	,,
138.	,,	,,	रतनलाल/ओंकार	,,
139.	,,	,,	बजरंगा/रामनारायण	,,
140.	,,	,,	सीताराम/गोविन्दा	,,
141.	,,	,,	रामधन/भंवरपाल	,,
142.	,,	,,	रामहेत/किशनलाल	,,
143.	,,	,,	चरतलाल/श्रीराम	,,
144.	,,	खाटखुर्द	घनश्नाम/नारायण	,,

ह.
अति. कलेक्टर (विकास)
सवाई माधोपुर

पंचायत समिति, सवाई माधोपुर—निरस्त कूपों की सूची :

क.सं. नाम पंचायत	नाम ग्राम	नाम कृषक मय पिता	जाति
1. जौला	जौला	कालू/मन्ना	नायक
2. बिन्जारी	बांसड़ा	दयाराम/मेवा	बैरवा
3. चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा	चिरंजीलाल/पीरू	कोली
4. ,,	,,	धन्ना/छगना	कोली
5. झोपड़ा	झोपड़ा	रामेलाल/सांवलिया	बैरवा
6. सारसोप	सारसोप	काना/नानगा	रैगर
7. ,,	,,	पूरणमल/रामचन्द्र	,,
8. ,,	,,	रामदेवा/जयकिशन	,,
9. शिवाड़	शिवाड़	बद्री/सुवा	हरिजन
10. भगवतगढ़	भगवतगढ़	नानकराम/ओंकार	खटीक
11. ,,	,,	रामदयाल/पन्नाराम	रैगर
12. ,,	ढाणीमानपुर	ओमप्रकाश/मंगल	बैरवा
13. ,,	सुनारी	गोपी/सुखदेवा	बैरवा
14. अजनोटी	श्यामोता	बाबूलाल/सुखपाल	मीना
15. शेरपुर	नयापुरा	वेदप्रकाश/मोती	बैरवा
16. रांवल	रांवल	बालकिशन/धन्ना	नायक
17. चकेरी	चकेरी	लड्डू/भागोता	बैरवा
18. ,,	रहियाकलां	रामहेत/हरिकिशन	मीना
19. श्यामपुरा	श्यामपुरा	रामनिवास/हरिनारायण	मीना
20. पढाना	रईदाखुर्द	कल्याण/बलदेवा	बैरवा
21. ओलवाड़ा	ऐण्डा	लड्डू/अम्बालाल	मीना

ह.
अति. कलेक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अधिकारी
सवाई माधोपुर

महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल का विकास

475. श्री भूराराम (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार द्वारा महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा एवं विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब होगी ?

उत्तर

जी हां। इस योजना हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ही इस योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

ब्यावर पुलिस लाइन हेतु भू-आवंटन

476. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ब्यावर में पुलिस लाइन हेतु जमीन आवंटित हो चुकी है ? सरकार कब तक इस पुलिस लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण करा देगी ?

उत्तर

दिनांक 13-8-87 को ब्यावर में पुलिस लाइन प्रयोजनार्थ 40 बीघा जमीन जिलाधीश अजमेर ने आरक्षित की है। ब्यावर नगर को जिले का पूर्ण दर्जा दिये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। अभी निर्माण कार्य के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची व विवरण

परिशिष्ट "क"

क.सं.	वर्ष	मिलावट के प्रकरण
1.	1987	24
2.	1988	32
3.	1989	60
	कुल	116

परिशिष्ट "ख"

तहसील चाकसू में वर्ष 1987 से 1989 तक मिलावट के निम्नलिखित चालान व्यापारियों के खिलाफ न्यायालय में पेश किये गये—

क्रमांक	दिनांक	नाम फर्म	नाम वस्तु
	वर्ष–1987		
1.	20-7-87	नसरूद्दीन पुत्र शुभराती दुध विक्रेता, चाकसू।	दुध
	वर्ष–1988		
2.	14-4-88	यासीन खां पुत्र श्री लड्डू खां जनता आईस फैक्टरी, चाकसू।	आईस कैंडी
3.	26-4-88	सुखलाल शर्मा दुध विक्रेता, चाकसू।	दुध

1	2	3	4
4.	27-4-88	नारायण लाल शर्मा, दुध विक्रेता, चाकसू ।	दुध
5.	17-6-88	बाहदूरसिंह साहू पवित्र भोजनालय, चाकसू ।	दही
6.	16-8-88	मैसर्स साबिर हुसैन जाकिर हुसैन, चाकसू ।	हींगड़ा
7.	21-12-88	मै. पुरुषोत्तम कुमार नरेश कुमार, चाकसू	पिसा धनिया
	वर्ष–1989		
8.	19-7-89	रामअवतार पुत्र गंगासहाय दुध विक्रेता, चाकसू ।	दुध
9.	21-7-89	मै. केसरलाल रामफूल माली, चाकसू ।	पिसी मिर्च

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 459 का विवरण

सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पादित सड़कों का विवरण

क्र.सं	सड़क का नाम	कि.मी.	प्रस्तावित राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	दिनांक 1-2-1988 से अकाल राहत से एन.आर.ई.पी. योजना में परिवर्तित सड़कें, जो 30 जून, 1988 तक एन. आर. ई. पी. मद से करवाई गई—			
1.	आड़सर–सूरजनसर	0/0 से 4/0	4·44 लाख	डब्लू. बी. एम. बनी हुई है।
2.	मोमासर–लाछड़सर	0/0 से 7/0	4·02 लाख	धांधले की बनी हुई है।
3.	बाना बस स्टेण्ड से बाना गांव तक	0/0 से 1/0	1·12 लाख	धांधले की बनी हुई है।
4.	बाना से ऊपनी	0/0 से 6/0	4·98 लाख	1½ कि. मी. में धांधला बिछा हुआ है।
5.	सालासर से पुरन्दलसर	0/0 से 4/0	4·43 लाख	धांधले से सड़क बनी हुई है।
6.	शेरूणा से नारसीसर	0/0 से 4/0	4·40 लाख	केवल मिट्टी का कार्य हुआ है।
7.	लखासर से दुलचासर	0/0 से 11/0		एम. एन. पी. योजना में सड़क पूर्ण हो चुकी है।

8. **पचायत समिति के माध्यम से सम्पर्क सड़क—**

1. एन.आर.ई पी. योजना में सम्पर्क सड़क पंचायत समिति भवन श्री डूंगरगढ़ तक–अपूर्ण

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में स्वीकृत एडपोस्ट एवं उपकेन्द्रों का सूची

क्र.सं.	नाम उच्चीकृत उपकेन्द्र (एडपोस्ट)	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4	5
1.	इनायती	मेल नर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
2.	चोडा गांव	मेल नर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	1
3.	जाखोदा	मेल नर्स श्रेणी-II	1	1
		प्रसाविका	1	–
	नाम उपकेन्द्र			
1.	जोडली	प्रसाविका	1	1
2.	करणपुर	प्रसाविका	1	1
3.	बुगडार	,,	1	1
4.	नीदर	,,	1	1
5.	गोठरा	,,	1	1
6.	सलेमपुर	,,	1	1
7.	किशोरपुरा	,,	1	1
8.	लांगरा	,,	1	1
9.	डाबरा	,,	1	1
10.	बूकना	,,	1	1
11.	कुडगांव	,,	1	1

1	2	3	4	5
12.	महमदपुरा	प्रसाविका	1	1
13.	अमरगढ़	,,	1	1
14.	बालोती	,,	1	1
15.	भरतून	,,	1	1
16.	दरगमा	,,	1	1
17.	मांगरोल	,,	1	1
18.	मांखरी	,,	1	—
19.	गुरदहा	,,	1	—
20.	शेखपुर	,,	1	—
21.	ऐकट	,,	1	—
22.	खडेला	,,	1	—
23.	बगीदा	,,	1	—
24.	जीरोता	,,	1	—
25.	मरमदा	,,	1	—
26.	कसेड	,,	1	—
27.	मसावता	,,	1	—
28.	राहिर	,,	1	—
29.	रोधई	,,	1	—
30.	श्यामपुरा	,,	1	—
31.	रानीपुरा	,,	1	—
32.	नेनीयाकी	,,	1	—
33.	अडाडूंगर	,,	1	—
34.	फतेहपुर	,,	1	—
35.	दोलतपुरा	,,	1	—

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 773 का विवरण

ग्राम पंचायत, चतुर्भुजपुरा पंचायत समिति निवाई (टोंक)

क्र.सं.	वर्ष का नाम	स्वीकृत की गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्यों का विवरण जिस हेतु राशि दी गई	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	1981–82	10,000	6,382	झोपड़ियों की नाड़ी चतुर्भुजपुरा	—
2.	,,	10,000	8,550	सरस्वती नदी पर पुल निर्माण, चतुर्भुजपुरा	—
3.	,,	10,000	6,783	,, ,, ,,	—
4.	,,	4,000	3,455	तालाब जोधपुरा चतुर्भुजपुरा	—
5.	,,	12,000	10,133	नवीन पेयजल कूप छोरिया	—
6.	1982–83	5,000	4,832	तालाब जोधपुरा, चतुर्भुजपुरा	—
7.	1983–84	—	—	Nil	—
8.	1984–85	15,000	14,006	नल कूप ढाणी जोधपुर	—

1	2	3	4	5	6
9.	1985–86	14,200	10,600	अपूर्ण प्रा० शाला जगतपुरा	—
10.	,,	6,000	2,392	प्रा० शा० जोधपुरा	—
11.	,,	25,000	24,992	तालाब जगतपुरा	—
12.	1986–87	40,000	30,151	नवीन पंचायत भवन, चतुर्भुजपुरा	—
13.	,,	14,700	32,855	प्रा० शा० जोधपुरा	—
14.	,,	15,000	14,987	नाड़ी पाल निर्माण कार्य	—
15.	1987–88	20,000	8,789	नल कूप जेबो की ढाणी जगतपुरा चतुर्भुजपुरा	सरपंच में 5,000 रु. की रिकवरी है।
16.	,,	53,800	28,013	प्रा० शा० बाढ़ छोरिया चतुर्भुजपुरा	सरपंच में 15,480 रु. की रिकवरी है।
17.	,,	25,000	24,541	तालाब कार्य छोरिया पाल ऊंची करना व गहरा	—
18.	,,	40,000	8,000 (Advance)	खरंजा निर्माण चतुर्भुजपुरा	सरपंच में 8,000 रु. की रिकवरी है।

1	2	3	4	5	6
19.	1987–88	50,000	40,738	तालाब बाढ़ छोरिया	—
20.	,,	40,000	16,704	नया तालाब जोधपुरा	—
21.	1988–89	—	Nil	—	—
22.	1989–90	37,355	25,162	प्रा० शा० छोरिया (JRY) चतुर्भुजपुरा	—

Sd/-
विकास अधिकारी
(पंचायत समिति निवाई, टोंक)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 774 की सूची

अलवर जिले की अधूरी सड़कों की सूची

क्र. सं.	योजना	सड़क का नाम
1	2	3
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
1.	(1)	सड़क निर्माण आम्बोली से खूंटेटा
2.	(2)	सड़क निर्माण दांतिया से उदयपुरा
3.	(3)	सड़क निर्माण निवाली से बाण्डोली
4.	(4)	मिसिंग लिंक प्रतापगढ़ से घोलाटाला
5.	(5)	सड़क निर्माण राजपुर से सकट नारायणपुर जोनेता बीगोता
6.	(6)	सड़क निर्माण गढी से खरखडी कलां
7.	(7)	सड़क निर्माण तालाब से लोसल
8.	(8)	सड़क निर्माण तालाब से जहाज
9.	(9)	सड़क निर्माण भुलेरी से जामडोली
10.	(10)	सड़क निर्माण मण्डावर राजगढ़ से बाईपास
11.	(11)	सड़क निर्माण मण्डावर राजगढ़ से पहरावती
12.	(12)	सड़क निर्माण कलावरी से मनोकर
13.	(13)	सड़क निर्माण साडोली से ऊटवाल

1	2	3
14.	(14)	सड़क निर्माण कस्ब डेरा से चूडसिद्ध
15.	(15)	सड़क निर्माण मालाखेडा से पूनरवर वाया खेरडी
16.	(16)	सड़क निर्माण पाटन से गढ़ छिलोडी
17.	(17)	सड़क निर्माण बरेर स्कूल से बहडको
18.	(18)	सड़क निर्माण राठी फैक्ट्री से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र से खेडली सैय्यद को सम्पर्क सड़क
19.	(19)	सड़क निर्माण मकरेटा से कैमला होते हुए चांदपुर
20.	(20)	सड़क निर्माण झालाटाला से सेहरा
21.	(21)	मिसिंग लिंक सोडावस करनीकोटा अजरका सड़क
22.	(22)	बहरोड़ से भूसारिका वाया हमीरपुर से उंटोली [हरियाणा सीमा तक]
23.	(23)	माढन से गिगलाना
24.	(24)	सड़क निर्माण चतरपुरा गिगलाना
25.	(25)	पहुँच मार्ग ईस्माइलपुर
26.	(26)	पहुँच मार्ग कियूर
27.	(27)	पहुँच मार्ग पाटन मेवान
28.	(28)	भोंकर से जोडियां
29.	(29)	पहुंच मार्ग बेरोज अलवर बहरोड़ सड़क
30.	(30)	मोहनपुर गोपीपुरा
31.	(31)	माढन से काटूवास
32.	(32)	रत्नपुरा से बहराम का वास
33.	(33)	बहरोड़ अलवर सड़क से परहोद कोलिया वाया बाटखानियां
34.	(34)	पहुंच मार्ग सासेडी
35.	(35)	रामचन्द्रपुरा को परतापुर सड़क से हरियाणा सीमा

1	2	3
36.	(36)	खैरथल इस्माइलपुर से रामपुर
37.	(37)	खानपुर से भूसाखेडा
38.	(38)	बहरोड स्कूल से बहरोड कलां
39.	(39)	खैरथल गांव से मण्डी
2. आर.एल.ई.जी.पी.		
40.	(1)	ए. आर. बामनवास कांकरहेडा
41.	(2)	ए. आर. सामरा
42.	(3)	ए. आर. मालूताना
43.	(4)	सावडी से पलखडी
44.	(5)	अलावडा से टीकरी
45.	(6)	अलावडा से लीलीमडी
46.	(7)	मसवारी से रामगढ़
47.	(8)	फिरोजपुर वाया पलवा
48.	(9)	पाडा बरेर
	(10)	भुलेरी से जामडोली—अब एम एन.पी. में स्वीकृत है।
	(11)	ए. आर. केरवावाल से निठारी—अब जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत है।
49	(12)	ए. आर. महुआ पलखडी
50.	(13)	ए. आर. निठारी
51.	(14)	ए. आर. रतनगढ़ पाला
52.	(15)	ए. आर. सालपुरा से हल्दीना
53.	(16)	ए. आर. मिल्कपुर से मालपुर
54.	(17)	ए. आर. निठारी से बाम्बोली

1	2	3
	ग्रार.एल.ई.जीपी.	
55.	(18)	नौगांवा से टीकरी रोड़
56.	(19)	केंसरोली से सांडोली रोड़
57.	(20)	मकरेटा से नांगल रोड़
58.	(21)	कारोठ बाई पास रोड़
59.	(22)	कदईयाँ से तिगावां सड़क
60.	(23)	पहुँच मार्ग दादूवास
61.	(24)	मबासी से भगांना.
62.	(25)	ग्रप्रोच रोड़ सिरमौली
	एन. ग्रार. ई. पी.	
63.	(1)	ए. ग्रार. सालोड़ा गढबसी
64.	(2)	कठूमर मसारिया ग्रब यह सड़क जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत है।
64.	(3)	गांव लिली
65.	(4)	ए. आर. खेरली कंजर हुसनपुर
66.	(5)	गोविन्दगढ़ सीकारी
67.	(6)	किशोरी से सेठ का तिबारा
68.	(7)	बंडौदा कांन
69.	(8)	सिलारिया
70.	(9)	कोलाहेडा से नारायणपुर से तालवृक्ष
	(10)	ए. ग्रार. ग्रंगारी ग्रब यह सड़क जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत है
	(11)	ए. ग्रार. नंगलीमेधा ,,
	(12)	नारायणपुर से कुल कुंड ,,
71.	(13)	मालाना से गोरधनपुरा
72.	(14)	नारायणीजी से बल्देवगढ़

1	2	3
73.	(15)	पाडा रोड़
74.	(16)	आडापाडा विजयमंदिर
75.	(17)	मजीट केरवाजाट
76.	(18)	ए. आर. घोलाटाला
77.	(19)	ए. आर. बिचगांव
78.	(20)	मुबारिकपुर से रघुनाथगढ़ से पाटातक
	एन. आर. ई. पी.	
79	(21)	शेखपुर से ईसरोदा
80.	(22)	बहरोड़ जाट से जालावास
81.	(23)	उलहाडी से वीरसिंहपुरा
82.	(24)	मण्डावर से आमोठ
83.	(25)	अप्रोच रोड़ हमीरपुर
84.	(26)	बिचपुरी से मोलडिया
85. मेवात	(1)	निर्माण कार्य नसवारी पुल
86.	(2)	रेजिंग अॉफ रोड़ निर्माण ड्रेन लीली
87.	(3)	निर्माण कार्य खलीलपुर खानपुर वाया तीतरका मोठूका मूसारखेड़ा
88.	(4)	निर्माण कार्य टपूकड़ा से बूंदीबाबल
89.	(5)	निर्माण कार्य ए. आर. बिरसिंगपुर वाया डोंगरा नयानावांधोर
	जवाहर रोजगार योजना	
90.	(1)	कठूमर से मसारी
91.	(2)	जमालपुर से निठारी से केरवावाल
92.	(3)	ए. आर. नंगली मेघा
93.	(4)	ए. आर. अंगारी
94.	(5)	निर्माण कार्य बामनवास से कोकर
95.	(6)	सड़क निर्माण नारायणपुर से कूल कुंड
96.	(7)	पहुँच मार्ग कोहराना

1	2	3
97.	(8)	पहुँच मार्ग शेरपुर से हमीरका
	अकाल राहत कार्य	
98.	(1)	अप्रोच सड़क नांगल लाखा से बानसूर कोटपूतली रोड़
99.	(2)	बानसूर रतनपुरा वाया बालाबास
100.	(3)	ए. आर. होतूका से बानसूर हरसौरा रोड़
101.	(4)	ए. आर. लाखेरी
102.	(5)	ए. आर. खोरी
103.	(6)	ए. आर. हमीरपुर से चुला
104.	(7)	शाहपुर से बवेडी
105.	(8)	सम्पर्क सड़क झिरी
106.	(9)	एप्रोच रोड़ बखतपुरा से गरवा जी
107.	(10)	काकरोली से नांगल
108.	(11)	एप्रोच सड़क कठूमर से मैथना
109.	(12)	एप्रोच सड़क बस्सी जोगियान
110.	(13)	बरेर से कानेटी रेपी
111.	(14)	एप्रोच सड़क डोरोली
112.	(15)	एपोच सड़क सिलीबेडी
113.	(16)	डेरा से प्रागपुरा
114.	(17)	हल्दीना से मैथना
115.	(18)	एप्रोच सड़क खुडियाना
116.	(19)	पंचायत समिति रेणी से ग्राम पंचायत मुजैडा
117.	(20)	रेणी रासपुरा सड़क से गुछताया
118.	(21)	राजगढ़ टहला सड़क से श्रीचंपुरा
119.	(22)	सेवाली से जुगरावल
120.	(23)	टीकरी से कठूमर
121.	(24)	ए. आर. टू राजपुर छोटा से ग्राम छिनाजारी

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 776 की सूची

दिनांक 29-1-89 में कस्बा सरूपगंज सिरोही में हुए एक समारोह में निम्नलिखित अपराधियों द्वारा हमला किया गया। गिरफ्तार हमालावरों की सूची निम्न प्रकार है:—

क.	नाम
1	2
1.	श्री युसुफ पुत्र अजीज खां
2.	,, सलीम पुत्र फकीर मोहम्मद
3.	,, मोहम्मद लतीफ पुत्र मालू जी
4.	,, लालमोहम्मद पुत्र हुसैन
5.	,, इब्राहीम पुत्र अब्दुल रहमान
6.	,, मुन्ना उर्फ लाल मोहम्मद पुत्र शेर खां
7.	,, गुलाम मोहम्मद पुत्र गफूर
8.	,, अब्दुल पुत्र इश्हाक खां
9.	,, महमूद पुत्र सरदार खां
10.	,, रसीद खां पुत्र सरदार खां
11.	,, छोटे खां पुत्र जमालुद्दीन
12.	,, अहदमद पुत्र गफूर भाई
13.	,, आबुद पुत्र हुसैन मियां
14.	,, अनवर इन्टूडा पुत्र नजीर खां
15.	,, साबीर पुत्र अली भाई, निवासीयां सरूपगंज, जिला सिरोही
16.	,, गम्भीर सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत नि. सरूपगंज।
17.	,, समाराम पुत्र चूना जी मुगिया बागरी, सरूपगंज

1	2
18.	श्री मुन्ना उर्फ हरीराम पुत्र जबरदी अग्रवाल नि. सरूपगंज
19.	,, रासिंह पुत्र राजस चौधरी निवासी सरूपगंज
20.	,, दीपचन्द पुत्र बागा निवासी सरूपगंज
21.	,, रूपचन्द पुत्र मगनलाल निवासी सरूपगंज
22.	,, प्रभूराम पुत्र देवाजी मिराया सि. मोरस
23.	,, चुन्नीलाल पुत्र दीना ग्रासिया निवासी घरट
24.	,, मोहनलाल पुत्र मोहना गिरासिया निवासी घरट
25.	,, छोटेलाल पुत्र पीताम्बर ब्राह्मण निवासी नादिया
26.	,, बभूतसिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत, निवासी भारजा
27.	,, बाबूलाल पुत्र बुग्रा लुहार निवासी भावरी
28.	,, भवानी सिंह पुत्र बस्तीमल कलाल सरूपगंज
29.	,, परबतसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत निवासी सरूपगंज
30.	,, निरंजन पुत्र रूड़मल अग्रवाल निवासी सरुपगंज
31.	,, अचलसिंह पुत्र भीकसिंह राजपूत नि सरूपगंज
32.	,, नेमीचन्द पुत्र रूडमल निवासी सरूपगंज
33.	,, भावाराम पुत्र कानाराम धाची नि. सरूपगंज
34.	,, अनिलकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण बैरवा नि. सरूपगंज
35.	,, बाबूलाल पुत्र महेन्द्र यती नि. पिण्डवाड़ा
36.	,, नगा पुत्र पूना गरासिया नि. घरट
37.	,, नरेश पुत्र ओकार दास वैश्णव नि सरूपगंज
38.	,, कैलाश पुत्र सोहनलाल नि. सरूपगंज
39.	,, गुलाम मोहम्मद पुत्र गफूर खां नि. सरूपगंज ।
40.	,, मुसाक अहमद पुत्र लाल मोहम्मद
41.	,, अजीज खां मुकन खां
42.	,, श्रीमती जोरन पत्नि हबीब खां
43.	,, मुसम्मात मुन्नी पुत्री हबीर खां मुसलमान नि. सरूपगंज

1	2
44.	श्री देवीसिंह पुत्र प्रभूजी गुर्जर नि. सरूपगंज
45.	,, मम्माराम पुत्र साजा गमेती नि. सीलवाका बालोरिया
46.	,, नारायण पुत्र साजा गमेती भील निवासी सीलमपल्ली
47.	,, कानाराम उर्फ कन्हैया पुत्र कर्म गमेती नि. सिवाकली
48.	,, रामावतार पुत्र लादूराम शर्मा बिहारीपुरा जयपुर
49.	,, जगदीश पुत्र गुर्जर नि. सरूपगंज
50.	,, चूनाराम पुत्र कन्हैयालाल नि. सरूपगंज
51.	,, रासाराम पुत्र अन्ना गमेती नि. सरूपगंज
52.	,, प्रभुराम पुत्र अन्ना गमेती नि. बालोतरा
53.	,, राजकुमार पुत्र सोहनलाल गुर्जर नि. सरूपगंज
54.	,, विष्णु कुमार पुत्र शांतीलाल सोनी नि. सरूपगंज
55.	,, गोरधनदास पुत्र हीरादास वैष्णव नि. रोहिड़ा
56.	,, राही ताश पुत्र छीतर मल यादव सरूपगंज
57.	,, गणेश पुत्र मोहनलल जाति गिरावत नि. रोहिड़ा
58.	,, कन्हैयालाल पुत्र लापूरान वैष्णव नि. सरूपगंज
59.	,, नरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल व्यास नि. कोजरा
60.	,, अमराराम पुत्र सीता मेघवाल निवासी बागैरा
61.	,, विजयराज पुत्र ओंकारदास नि. सरूपगंज
62.	,, बाबूलाल पुत्र चमना घाची नि. रोहिड़ा
63.	,, मोहनलाल पुत्र रूवा कुम्हार आबूरोड़
64.	,, धर्मसिंह पुत्र प्रकाश सिंह राजपूत, नि. सरूपगंज
65.	,, छगनलाल पुत्र दीपा कुम्हार नि. शानपुर आबूरोड़
66.	,, दिनेश सिंह पुत्र चुन्नीलाल राजपूत रोहिड़ा
67.	,, जसवंत सिंह पुत्र चुन्नीलाल राजपूत रोहिड़ा
68.	,, गणेशदान पुत्र द्वारकादास वैष्णव नि. कालिन्दा
69.	,, शान्तीलाल पुत्र गमनाजी घाची नि. रोहिड़ा

1	2
70.	श्री गुलाबचन्द पुत्र सीताराम कुमार, काछोरी
71.	,, पूनमाराम पुत्र नगा मेघवाल नि. सनवाड़ा
72.	,, सूरसा पुत्र पन्ना गिरासिया नि. उपलाभूला
73.	,, रमेश पुत्र लाला गमेती नि. भूला
74.	,, कन्हैयालाल पुत्र भवुना भील नि. सिरोही रोड़
75.	,, राजाराम पुत्र देवा गमेता भील नि. रामपुरा
76.	,, पूनाराम पुत्र जाकिया गरासिया
77.	,, कन्हैयालाल पुत्र मालाराम ग्रासिया ग्रासिया बसन्तगढ़
78.	,, भंवरालाल पुत्र मगनाजी ब्राह्मण नि. पिण्डवाड़ा
79.	,, सोनिया पुत्र भूला मेघवाल बराल
80.	,, चतरा पुत्र चोपा गिरासिया लोटापुरा
81.	,, नारायणलाल पुत्र मेवाराम ब्राह्मण नि, पशुआ
82.	,, शान्ती लाल पुत्र भगालुहार नि. रोहड़ा
83.	,, ललित कुमार पुत्र हीरालाल रावत नि. केसुआ
84.	,, भोजा पुत्र नोजा गमेती भील नि. रेखा कार रोहिड़ा
85.	,, पूसा पुत्र काना ग्रासिया नि. गुढ़ा थाना माण्डवा उदयपुर
86.	,, पाबू पुत्र हंसा ग्रासिया नि. लोटाराम
87.	,, जोगा पुत्र जेवा गिरासिया नि. दीगार
88.	,. पूसा पुत्र दिल गिरासिया नि. घरट
89.	,, रमेश पुत्र मोहनलाल रावल नि. सरूपगंज
90.	,. फकीर मोहम्मद पुत्र गुलाब मोहम्मद नि सरूपगंज

299

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 777 की सूची

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनकोली एवं दाउसर में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम.	स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	
(1) ग्राम पंचायत धनकोली :—				
1.	सा. हौज मरम्मत	धनकोली	3,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
2	सा. कूप मरम्मत	डाकीपुरा	3,500-00	
3.	सांड शाला मरम्मत	धनकोली	5,000-00	
4.	सा. हौज मरम्मत	रिक्शावास	2,500-00	
5.	सा. विश्राम गृह मरम्मत	मालियों की ढाणी	4,200-00	
6.	पटवार गृह पूर्ण कराना	धनकोली	14,000-00	

1	2	3	4	
7.	अ. जा. स. क. भवन	घनकोली	23,800-00	
8.	प्रा. शाला में एक कमरा	मालियों की ढाणी	36,000-00	
9.	सा. विकास केन्द्र, डिबडिया	कुवा की ढाणी	25,800-00	
10.	प्रा. शाला चार दिवारी	रिक्शाबास	6,700-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
11.	नाला निर्माण I	घनकोली	56,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
12.	नाला निर्माण II	घनकोली	52,500-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
13.	नाला निर्माण III	घनकोली	52,500-00	
14.	प्रा. शाला में एक कमरा	गोमथलिया ढाणी	36,000-00	
15.	प्रा. शाला में एक कमरा	मामड़ों की ढाणी	36,000-00	
16.	प्रा. शाला में एक कमरा	रिक्शाबास	36,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
17.	प्रा. शाला में एक कमरा	बेरी कलां रास्ते पर (घनकोली)	36,000-00	कार्य निरस्त
			4,31,000-00	

1	2	3	4	5
(2) ग्राम पंचायत दाउसर :—				
1.	सा. कूप मरम्मत खानड़ी	खानड़ी	8,000-00	
2.	सा. कूप मरम्मत	दाउसर	8,000-00	
3.	सांड शाला मरम्मत	खानड़ी	3,000-00	
4.	ग्राम सेवक क्वाटर मरम्मत	श्रासलसर	5,000-00	
5.	प्रा. शाला में एक कमरा	भाडासर	36,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
6.	अ. समाज कल्याण भवन	दाउसर	25,800-00	
7.	प्रा. शाला भवन पूर्ण करना	श्रासलसर	9,300-00	
8.	खुर्रा निर्माण	दाउसर	3,000-00	
9.	प्रा. शाला में एक कमरा	ढेर की ढाणी	36,000-00	
10.	प्रा. शाला चार दिवारी	कड़वों की ढाणी	11,450-00	

1	2	3	4	5
11.	अ. समाज कल्याण भवन	खानड़ी	25,800-00	
12.	प्रा. शाला में एक कमरा	भ्रासलसर	36,000-00	
13.	सांड घर	भ्रासलसर	23,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
14.	प्रा. शाला में एक कमरा	थोलिया की ढाणी	36,000-00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया
			2,66,350-00	

Sd/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति
डीडवाना

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 779 की सूची

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गत दो वर्षों में खोले गये अस्पताल एवं एडपोस्टों की सूची :

(1) प्रा. स्वा. केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

(1) शेरगढ़

(2) ग्रामीण डिस्पेन्सरी को प्रा. स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्नत

(1) आगोलाई

(2) विराई

(3) उपकेन्द्रों का उच्चीकरण (एडपोस्ट)

(1) भाण्डू जाटी

(2) साई

(3) ढाढणिया

(4) उटाम्बर

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 781 की सूची

राज्य में जिला मुख्यालयों पर चिकित्सालयों में कनिष्ठ विशेषज्ञ जो अन्य पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं, की सूची :—

क्र. सं.	जिला	कार्यरत कनिष्ठ विशेषज्ञ का नाम	अन्य विरुद्ध पद का नाम जिस पर कनिष्ठ विशेषज्ञ कार्यरत है।
1	2	3	4
1.	अजमेर	1. डॉ. एम. एम. गोयल (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (चर्मरोग)
2.	भरतपुर	2. डॉ. एन. सी. गुप्ता (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)
		3. डॉ. पी. पी. सिंघल (रेडियोलोजी)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्मरोग)
		4. डॉ. पी. डी जैन (नेत्ररोग)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
		5. डॉ. भूषण मेंहदीरता (मेडिसिन)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
		6. डॉ. फतेह सिंह सिनसिनवार (मेडिसिन)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)
3.	अलवर	7. डॉ. ए. एस. माथुर (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)

1	2	3	4
		8. डॉ. एस. के. शर्मा (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्म रोग)
		9. डॉ. अरुण गुप्ता (शिशुरोग)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)
		10. डॉ. एस. के. यादव (मेडिसिन)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)
		11. डॉ. बी. डी. खण्डेलवाल (टीबी)	क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अधिकारी, अलवर
4.	भीलवाड़ा	12. डॉ. एम. पी. अग्रवाल (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्क्रिन एण्ड वी. डी.)
		13. डॉ. (श्रीमती) कमला जैन (स्त्री रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)
5.	वाड़मेर	14. डॉ. एस आर. मण्डारी (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषत्र (रेडियोलोजी)
		15. डॉ. आर. के. महेश्वरी (शिशु)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
6.	चित्तौड़गढ़	16. डॉ. पी. एल. कोठारी (शिशु)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
7.	चूरू	17. डॉ. प्रेमप्रकाश गोयल (शिशु)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
8.	धौलपुर	18. डॉ. के. एल. सेहरा (शिशु)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
		19. डॉ. एच. सी. बंसल (मेडिसिन)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)
9.	डूंगरपुर	20. डॉ. डी. के. आमेटा (शिशु)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
10.	गंगानगर	21. डॉ. वी. एन. कौशिक (चर्मरोग)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त रोग)
11.	जयपुर	22. डॉ. जे. बी. टाली (मेडिसिन)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
		23. डॉ. बी. एल. चौधरी (मेडिसिन)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

1	2	3	4
		24. डॉ. एस. एस. शर्मा (मेडिसिन)	उपअधीक्षक, एस.एम.एस. होस्पिटल, जयपुर
		25. डॉ. वी. एस. कुंतल (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)
12.	जालोर	26. डॉ. वी. के. लोढ़ा (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
13.	नागौर	27. डॉ. ए. के. त्यागी (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
14.	पाली	28. डॉ. आर. के. अग्रवाल (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
		29. डॉ. चयनराज मेहता (मेडिसिन)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय रोग)
15.	सवाई माधोपुर	30. डॉ. के. डी. गुप्ता (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
16.	सिरोही	31. डॉ. फतेहसिंह (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
17.	कोटा	32. डॉ. (श्रीमती) सरोज गुप्ता (स्त्री रोग)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)
18.	टोंक	33. डॉ. के. सी. शर्मा (शिशु रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
		34. डॉ. संतोष गर्ग (स्त्री रोग)	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)
19.	उदयपुर	35. डॉ. एस. के. भार्गव (दन्त रोग)	उप अधीक्षक, जनरल होस्पिटल, उदयपुर

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 787 की सूची

सूचि मय स्वीकृत राशि व दिनांक के उन कर्मचारियों की जिनके द्वारा आवासन मण्डल में सामान्य पंजीकरण किराया क्रय पद्धति पर करवाया जाकर बाद में नकद भुगतान पद्धति पर परिवर्तित करवाया गया तथा जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया।

क्र.सं.	व. सं.	नाम कर्मचारी	नये मामलों में 25 प्रतिशत राशि		पूर्व देयता के मामले में स्वीकृत किस्त			
			स्वीकृत राशि	स्वीकृत की दिनांक	प्रथम किस्त	स्वीकृति दिनांक	द्वितीय किस्त	स्वीकृति दिनांक
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	15	श्री सतीश चन्द्र	6000	3-8-83	7000	30-6-84	4800	26-8-85
2.	18	,, उमेश कुमार	12000	3-6-83	8300	—	6800	=
3.	20	,, वी. वी. कालरा	20000	—	13000	—	15000	—
4.	24	,, रजनी कांत	9000	—	6800	—	5500	—
5.	25	,, सुनील कुमार	6000	—	3750	—	3300	—

1		2	3	4	5	6	7	8
6.	26	श्री मोतीराम	12000	3-8-83	9000	—	6500	—
7.	28	,, नरेश कुमार	14000	—	7823	—	6500	—
8.	29	श्रीमती सुशीला	7500	—	5000	—	4000	—
9.	30	श्री घनश्याम	12000	—	8000	—	6600	—
10.	31	,, प्रेमदास	6500	—	5000	—	4000	—
11.	31	,, भवानी शंकर	12000	—	8000	—	6500	—
12.	33	श्रीमती सरला	6500	—	5000	—	5000	—
13.	36	श्रीमती अरुणाकंवर	11500	—	15000	—	9000	—
14.	37	श्री लक्ष्मीनारायण	5000	—	3500	—	3300	—
15.	38	,, शशि शेखर	9000	—	7000	—	6000	—
16.	39	श्रीमती रतन	6500	30-6-84	4400	26-8-85	—	—
17.	48	श्री के. एम. टाक	6460	—	4500	—	—	—
18.	53	,, रमेश चन्द्र	5800	—	4000	—	—	—
19.	56	,, महेश चन्द्र	6400	—	4400	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8
20.	58	श्री बृज भूषण	6500	30-6-84	4500	26-8-84	6000	26-8-85
21.	59	,, कृष्ण कुमार	3600	—	3000	—	—	—
22.	60	,, पी. एन. सरीन	16000	—	7000	—	—	—
23.	62	,, निसार अहमद	6500	—	4500	—	—	—
24.	63	,, बृज गोपाल	6500	—	4500	—	—	—
25.	64	,, बजरंग दास	6600	—	4500	—	—	—
26.	65	,, सी. एल. चण्डा	5212	—	3700	—	—	—
27.	67	,, गोरधन	2100	—	2000	—	—	—
28.	68	,, जेठमल	6400	—	4500	—	—	—
29.	68ए	,, रमेश चन्द्र	5600	—	3700	—	—	—
30.	69	,, सोहन लाल	5400	—	3900	—	—	—
31.	70	,, जेठा राम	4800	—	6600	—	—	—
32.	71	,, सुगाराम	3900	—	2700	—	—	—
33.	72	,, बजरंग लाल	5200	—	3500	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8
34.	73	श्री लक्ष्मण दत्त	5200	30-6-84	3500	26-8-85	6000	26-8-85
35.	74	,, राम रतन	14000	—	9500	—	—	—
36.	75	,, राजेन्द्र कुमार	6000	—	2200	—	—	—
37.	76	,, सुरेश चन्द्र	3600	—	3500	—	—	—
38.	77	,, सुरेन्द्र कुमार	5300	—	2500	—	—	—
39.	79	,, उमा शंकर	11000	22-2-85	4000	—	—	—
40.	80	,, नरेन्द्र कुमार	—	—	4000	—	—	—
41.	80ए	,, देवीलाल	—	—	6000	—	—	—
42.	82	,, सत्यदेव	6500	—	4400	—	—	—
43.	83	,, राम किशन	6500	—	4400	—	—	—
44.	84	,, नन्द किशोर	10300	—	7000	—	—	—
45.	85	,, ज्ञानेश्वर	13000	—	11500	—	—	—
46.	86	,, प्रमोद बन्शी	10200	—	6500	—	—	—
47.	87	,, सुरेश कुमार	5700	—	4000	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	88	श्री जगदीश प्रसाद	5300	22-2-85	4500	25-8-85	6000	26-8-85
49.	89	,, वी. एल. खत्री	10200	—	6500	—	—	—
50.	93	,, सुरेन्द्र मोहन	5600	—	3800	—	—	—
51.	94	,, सुधीर किशोर	11500	—	7500	—	—	—
52.	96	श्रीमती ग्रेसी पार्क	13000	—	8400	—	—	—
53.	99	श्री अशोक कुमार	11300	—	7300	—	—	—
54.	100	,, गुलाब चन्द	10200	—	6500	—	—	—
55.	101	,, जीवण लाल	7500	—	5000	—	—	—
56.	102	,, उमेश नारायण	4300	—	3000	—	—	—
57.	103	,, दुर्गा राम	5700	—	5000	—	—	—
58.	104	,, सत्य प्रकाश	—	—	8400	—	—	—
59.	105	,, चिमण लाल	10000	—	7000	—	—	—
60.	108	,, गिरधारी लाल	7000	—	5000	—	—	—
61.	109	,, शिवजी राम	4000	—	4000	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8
62.	110	श्री सत्य नारायण	7500	22-2-85	5000	26-8-85	6000	26-8-85
63.	113	,, मगंत राम	4000	—	3000	—	—	—
64.	114	,, पहलाद दास	8000	—	7000	—	—	—
65.	117	श्रीमती शांता	8000	—	6500	—	—	—
66.	120	श्री महेन्द्र कुमार	3800	9-10-85	—	—	—	—
67.	121	श्रीमती मनोरमा	6500	—	—	—	—	—
68.	122	श्री दिलीप कुमार	4800	—	—	—	—	—
69.	123	,, बजरंग लाल	4000	—	—	—	—	—
70.	124	,, मदन लाल	9500	—	—	—	—	—
71.	125	,, श्याम सुन्दर	4800	—	—	—	—	—

कृत कलक्टर
बीकानेर

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 788 का विवरण

घटना का विवरण

दिनांक 10-5-90 को श्री देवीलाल पुत्र श्योनाथ गूजर उम्र 45 वर्ष निवासी अहमदपुरा उर्फ नज्जूपुरा ने थाना बापचा पर उपस्थित होकर जुब नी रिपोर्ट की कि उसके खेत के कुऐ में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश तैर रही है। इस रिपोर्ट पर मर्ग नं. 2/90 थाना बापचा पर दर्ज किया जाकर 174 सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एस. एच. ओ. थाना बापचा घटनास्थल का निरीक्षण कर लाश को कुऐ से निकाल कर लाश की कार्यवाही शनाख्तगी करवाई गई। श्री मथुरालाल पुत्र छप्पनलाल गूजर निवासी मौरेला ने उक्त लाश को अपने लड़के गेंदीलाल की होना शनाख्त किया। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक गेंदीलाल की मृत्यु का कारण गला घोंटने से होना पाया गया। इस पर अभियोग संख्या 41/90 धारा 302 भा. द. स. में थाना बापचा पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मृतक के पेट से बिसरा लिया जाकर केमीकल परीक्षण हेतु एफ. एस. एल. भेजा गया। दौराने अनुसंधान सम्बन्धित गवाहान से अनुसंधान किया जाकर मुलजिमान की पतारसी के प्रयास किये गये। अब तक के अनुसंधान से मुलजिमान का कोई पता नहीं चला है। मुकदमा जैर तफ्तीश पुलिस है।

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 789 की प्रति

कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) कोटा रेन्ज, कोटा

क्रमांक : 87 दिनांक : 21-3-90

सेवामें,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय (प्रथम),
सी. आई. डी. (सी. बी.) राजस्थान,
जयपुर ।

विषय :–तथ्यात्मक रिपोर्ट मु. नं. 45/88 धारा 457, 380 भा. दं. सं. थाना गेण्डोली जिला बूंदी ।

महोदय,

वाक्यात मुकदमा इस प्रकार है कि श्री रामनाथ पुत्र शम्भूनाथ गुरु जी निवासी खटकड़ ने दिनांक 10-7-88 को हाजिर थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस अमर की पेश की कि मैं धुन्धलेश्वर मूर्ति की पूजा-सेवा करता हूं आज तारीख 10-7-88 रविवार को सदैव की तरह पूजा करने गया करीब दिन के 10 बजे थे मुझे वहां कोई मूर्ति नहीं मिली मैं वहां से खटकड़ की ओर चला खटकड़ में आकर मैंने कहा कि आज रात को धुन्धलेश्वर की मूर्ति चोरी हो गई है। मैं मोटर स्टेण्ड पर आ गया वहां लोग इकट्ठे हो गये वहां से खटकड़ के निवासी लोग धुन्धलेश्वर के मन्दिर में देखने गये उसके बाद मैं गेण्डोली आया। मूर्ति का हुलिया इस प्रकार है बैठी हुई अवस्था में सांवले रंग की मूर्ति किस धातु की है मालुम नहीं आदि मैं वहां पर रात को नहीं सोता ना ही मैं ताला लगाता हूं क्योंकि मेरे साथ पहले मारपीट हो चुकी रात को यात्रि लोग जागरण करने आते हैं। इसलिये ताला नहीं लगता आदि पेश की जिस पर उक्त मुकदमा दर्ज होकर तकमील तफतीश की गई। दौराने तफतीश गवाहान सर्व श्री रामनाथ, गोपाल, लाला, प्रेम, दुर्गालाल, हुसेनखां, श्रवण, राम गोपाल, शम्भूलाल, बचनसिंह, श्याम नारायण व्यास, जगदीश चौधरी, नैनाराम, गंगाराम, महावीर प्रसाद, प्रेम शंकर आदि के बयानात लिये गये। नक्शा मौका मूर्तिब किया गया तो तफतीश पर पाया गया कि श्री धुन्धलेश्वर महादेव की मूर्ति बून्दी नैनवा मार्ग पर खटकड़ गांव से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर मुख्य मार्ग पर मेज नदी के किनारे पहाड़ी पर नाथों का एक मन्दिर

वना हुआ है इस मन्दिर के एक के एक तिबारे में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जो काले पत्थर की 2½ फुट ऊंची 1¼ फुट चौड़ी थी वह मूर्ति करीब एक इन्च गड़ी हुई थी इस स्थान के आस-पास इस मन्दिर के खाते की जमीन भी है इस मन्दिर की देख-रेख का कार्य नाथ सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था और मरने के पश्चात् उसे वहीं समाधि में दफ्फन किया जाकर समाधि बनाई जाती थी यह समाधियां वहां मौजूद है। सन् 1988 में इस मदिर की देखभाल श्री रामनाथ जो इसी सम्प्रदाय से सम्वन्धित है, करता था पहाड़ी पर जाने के लिये सीढियां बनी हुई है। एक जगह जुमा स्थान पर शटर लगा हुआ है। यह स्थान ज्यादातर गोठों के काम में आता है अन्यथा विरानगी हालात में रहता है। पुजारी रामनाथ सेवा-पूजा करता था इस स्थान पर शिवरात्री के रोज मेला लगता है। इस मूर्ति का वजन करीब 1½ क्विटल होगा। यह मूर्ति निश्चित ही नीलम की नहीं थी इस मूर्ति को 9 व 10 जुलाई, 1988 की रात्रि को कोई बदमाशान चोर आकर ले गये। इस मूर्ति की स्थापना संवत 1716 सं. सुदी ग्यारस सोमवार को हुई थी इसकी स्थापना श्री छतरलाल जी के समय में की गई थी इस मूर्ति के हाथ माला, गले में माला व कान में कुण्डल है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में थी इस स्थान पर 3-4 तिबारे व 2-3 कमरे हैं। इस मूर्ति के बारे में जिला बूंदी के समस्त थाने जात एवं अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़, मन्दसौर, मुरेना, भीलवाड़ा आदि की मुश्तैदी दी जाकर मूर्ति के बारे में मालुमात की गई। मगर किसी तरह की कोई मोफिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं मुस्तबा व्यक्तियों से इस मुकदमें के सम्बन्ध में तफतीश की गई उनसे भी इस मुकदमें के सम्बन्ध में कोई मोफिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

मुकदमा काफी देरीना हो चुका है। अब इस मुकदमे की ओर ज्यादा पैण्डिग तफ्तीश रखना वेसुध है। अतः मुकदमा हाजा में पतारसी जारी रखते हुए एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान दिये जाने की स्वीकृति फरमाई जावे आईन्दा पता चलने पर पुनः एफ. आर. खोली जाकर तफ्तीश की जावेगी।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह०/-

अपर पुलिस अधीक्षक,
सी. आई. डी. (सी. बी.) रेन्ज, कोटा

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 792 का विवरण

वर्ष 1990-91 में जीवन धारा कुओं के लिए रक्षित राशि
का जिलेवार आवंटन

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	जीवन धारा में वर्षभर के लिए आरक्षित राशि	क्र.सं.	नाम जिला	जीवन धारा में वर्षभर के लिए आरक्षित राशि
1.	अजमेर	75.41	15.	जैसलमेर	10.75
2.	अलवर	107.50	16.	जालौर	59.28
3.	बांसवाड़ा	272.37	17.	झालावाड़	67.91
4.	बाड़मेर	66.13	18.	झुन्झुनूं	29.03
5.	भरतपुर	78.82	19.	जोधपुर	61.99
6.	भीलवाड़ा	113.03	20.	कोटा	128.77
7.	बीकानेर	38.62	21.	नागौर	93.21
8.	बून्दी	37.61	22.	पाली	140.41
9.	चित्तौड़गढ़	87.10	23.	सवाई माधोपुर	128.66
10.	चूरू	53.46	24.	सीकर	46.06
11.	धौलपुर	27.37	25.	सिरोही	63.73
12.	डूंगरपुर	192.04	26.	टोंक	83.43
13.	श्रीगंगानगर	10.08	27.	उदयपुर	345.83
14.	जयपुर	87.46			
				योग :	2561.06

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 793 की सूची

भिनाय विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों की सूची

1. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिनाय
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवलिया कलां
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टांटोटी
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्दनवाड़ा
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराना
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडली

उच्चीकृत उपकेन्द्र

1. शेरगढ़
2. कनईकला
3. चापानेरी
4. बड़गांव
5. नानसी

उपकेन्द्र

1. पडांगा
2. गुड्डाखुर्द
3. शोकलिया
4. केबानिया
5. रामपुरा
6. पालडिया
7. सिंगावल
8. बडली
9. भीपियां
10. गोयला
11. राताकोट
12. घातोल
13. डबरेला
14. नागेलाव
15. जोतायां
16. एकलसिंगा
17. बूबकिया
18. निमाहेड़ा
19. भगवतपुरा
20. बरोल

परिशिष्ट– 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 की सूचना

व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के तहत आबंटित जीपों की पंचायत समिति वार स्थिति :—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	जीप संख्या	जीप प्राप्त होने का वर्ष	जीप की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	लक्ष्मणगढ़	एक	1973	खराब हालत में (नीलामी योग्य)
2.	झोटवाड़ा	एक	1966	खराब हालत में
3.	सिकराय	एक	1979	सही हालत में
4.	जमवारामगढ़	एक	1979	नीलामी योग्य
5.	जोबनेर	एक	1967	नकाराहालत में
6.	दूदू	एक	1968	12--2--80 से खराव हालत में (नीलामी योग्य)
7.	सवाईमाधोपुर	एक	1966	खराब हालत में (नीलामी योग्य)
8.	गढ़ी	एक	1967	एकदम खराब हालत में (नीलामी योग्य
9.	सज्जनगढ़	एक	1972	खराब हालत में
10.	सिमलवाड़ा	एक	1973	खराब हालत में
11.	सागवाड़ा	एक	1968	खराब हालत में
12.	डूंगरपुर	एक	1973	खराब पड़ी है।
13.	बीछीवाड़ा	एक	1979	खराब हालत में
14.	प्रतापगढ़	एक	1966	वर्ष 83 से खराब हालत में
15.	पाली	एक	1968	नीलामी योग्य

1	2	3	4	5
16.	आबूरोड़	एक	21-11-67	खराब हालत में
17.	गिर्वा	एक	15-7-66	नीलामी योग्य
18.	बड़गांव	एक	1966	खराब हालत में
19.	खैरवाड़ा	एक	1967	खराब पड़ी
20.	राजसमन्द	एक	14-8-68	खराब हालत में (नीलामी योग्य)
21.	भिण्डर	एक	1978	रिपेयरिंग योग्य
22.	सलूम्बर	एक	1978	पंचायत समिति के कार्य ली जा रही है।
23.	गोगुन्दा	जीप आबंटित नहीं		
24.	सराड़	जीप आबंटित नहीं		
25.	नागौर	एक	1969	नीलाम की जा चुकी है।
26.	लाड़नूं	एक	1969	चालू हालत में नहीं
27.	डीडवाना	एक	1972–73	नीलाम योग्य
28.	डग	एक	1973	खराब हालत में
29.	सांचोर	पं.स.जालौर को दे दी गई वर्ष 1980 में		
30.	लाड़पुरा	जीप नीलाम हो चुकी है।		
31.	किशनगढ़	एक	1966–67	मरम्मत योग्य किन्तु मरम्मत अनार्थिक
32.	श्रीनगर	एक	1966–67	मरम्मत योग्य किन्तु मरम्मत अनार्थिक
33.	पीसांगन	एक	1968	वर्ष 83 से विल्कुल खराब हालत में।
34.	बीकानेर	एक	13–11–66	खराब होंने के कारण बन्द पड़ी है।
35.	तालेड़ा	एक	1973	18–10–85 के बाद खराब हालत में।

(320)

परिवार एवं बाल कल्याण योजना के तहत प्राप्त जीपों की स्थिति

1	2	3	4	5
1.	थानागाजी	एक	1959	खराब हालत में (नीलामी योग्य)
2.	लक्ष्मणगढ़	एक	1958	निस्तारण योग्य
3.	कुम्हेर	एक	1981	खराब हालत में
4.	झोटवाड़ा	एक	अंकित नहीं	खराब हालत में
5.	सिकराय	एक	1–7–81	नीलामी योग्य
6.	रायपुर (पाली)	एक	1961	खराब हालत में
7.	सिरोही	एक	1957	खराब हालत में
8.	मावली	एक	1957–58	खराब हालत में, नीलामी योग्य
9.	झालरापाटन	एक	1962	नकारा हालत में
10.	मण्डोर	एक	1959	खराब हालत में
11.	श्री माधोपुर	एक	अंकित नहीं	ढांचा मात्र

नोट :—यह योजना 12 पंचायत समितियों में संचालित थी एक पंचायत समिति, कोटडी से सूचना प्राप्त होने पर प्रेषित की जावेगी ।

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 804 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

तहसील क्षेत्र डेगाना में स्वीकृत सड़क मरम्मत कार्यों की सूची

क्र.सं.	सड़क वर्गीकरण	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	अनुमानित लागत	वित्तीय प्रावधान वर्ष 90–91	वर्ष 91–92
1	2	3	4	5	6	7
1.	SH 19	भेरून्दा–डेगाना सड़क पर कि. मी. 9 व 10 में विशेष मरम्मत कार्य	2 कि. मी.	5·00 लाख	5·00 लाख	—
2.	नहीं	भेरून्दा–डेगाना, सांजू, तरनाऊ सड़क पर डेगाना जंक्शन भाग में सड़क सुधार एवं नाली निर्माण कार्य	2·50 कि. मी.	9·00 लाख	4·75 लाख	4·25 लाख
3.	नहीं	बाड़ीघाटी–भेरून्दा–डेगाना–सांजू तरनाऊ सड़क का नवीनीकरण	12·00 कि. मी.	12·00 लाख	5·00 लाख	7·00 लाख

(321)

1	2	3	4	5	6	7
		कार्य, 1·0 मि. मी. कारपेट द्वारा, कि. मी. 23/0 से 26/0 कि. मी. 44/0 से 50/0 एवम् कि. मी. 68/0 से 71/0				
4.	SH 21	दांतीवाड़ा–पीपाड़ सिटी–मेड़ता–भेरून्दा–हरसोर सड़क का 13 मि मी. कारपेट द्वारा नवीनीकरण कार्य कि. मी. 124/0 से 130/0 एवं कि मी. 132/0 से 145/600	19.6 कि. मी.	15·00 लाख	7·00 लाख	8·00 लाख
5.	ODR 15	डेगाना–चान्दारूण–खाटू सड़क का 13 मि. मी. कारपेट द्वारा नवीनीकरण कार्य कि.मी. 1/0 से 5/0	4·00 किमी.	3·00 लाख	2·00 लाख	1·00 लाख
6.	ODR 20	नागौर–कुचेरा–मेड़ता सड़क का 13 मि. मी. कारपेट का नवीनीकरण कार्य कि. मी. 44/0 से 49/0, कि.मी. 58/0 से 62/0	9·00 कि.मी.	6·75 लाख	4·50 लाख	2·25 लाख

1	2	3	4	5	6	7
7.	VR 56	रेश से ईडना सड़क का मरम्मत कार्य कि. मी. 0/0 से 10/0	10·00 कि.मी.	1·00 लाख	1·00 लाख	—
8.	VR 108	सम्पर्क सड़क श्राकेली का 13 मि.मी कारपेट द्वारा नवीनीकरण कार्य कि मी. 0/0 से कि.मी 4/0	4·00 कि.मी.	3.00 लाख	2·00 लाख	1·00 लाख
9.	VR 102	डोडियाना-टेहला-यांवला सड़क पर सी. डी. वर्क कि. मी. 1	—	2·00 लाख	1·50 लाख	0·50 लाख
10.	VR 102	,, ,, कि.मी. 2	—	2·00 लाख	1·50 लाख	0·50 लाख
		सकल योग :	63·10 कि.मी.	58·75 लाख	34·25 लाख	24·50 लाख

नवीन स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य तहसील–डेगाना

वर्गीकरण	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	आवश्यक राशि		विशेष विवरण
			वर्ष 1990–91	वर्ष 1991–92	
एम. एन. पी. वी. आर. नं. 94	रेप से सांजू मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य कि.मी. 0/0 से 7/0 = 7 कि. मी.	12·00 लाख दिनांक 21-10-89 को	9·00 लाख	3·00लाख	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क स्वीकृत हुई है।

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत
"जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ"

क्रमांक/सामान्य/जसनिप्र/(64)90/559 दिनांक 12-2-90

प्रेषित :–श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
पाली।

विषय :–नई आबादी भूमि ग्राम सियाट तहसील सोजत में मिश्रीलाल चौधरी सरपंच एवं पूर्व ग्राम सेवक रामेश्वर लाल शर्मा द्वारा प्लाटों का भारी घोटाला करने के सन्दर्भ में।

प्रसंग :–आपका पत्रांक/अ.अ./पंचा./35 दि. 22-2-89

महोयय जी,

ग्रामवासी सियाट द्वारा प्रस्तुत शिकायत "जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ" के रजिस्टर की क्रम संख्या 64 दिनांक 12-9-89 पर दर्ज कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सोजत को मामले की जांच करने हेतु लिखा गया था। विकास अधिकारी ने पंचायत प्रसार अधिकारी से जांच करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जांच रिपोर्ट का पूर्ण अवलोकन करने से निम्न तथ्य सामने आये हैं:—

1. प्लाट संख्या 109, 110, 111 :–

ग्राम सियाट की नई आबादी के लिए काटे गये प्लाट संख्या 109 से लगाकर 118 तक के प्लाटों के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। सरपंच ग्राम सेवक और कुछ वार्ड पंचों ने मिलकर एक कमरे में बैठकर कागजी खानापूर्ति कर कम कीमतों में प्लाट हड़प कर लिये। जांच के दौरान पाया गया कि प्लाट नं. 109, 111 सरपंच श्री मिश्रीलाल की पत्नि श्रीमती फाउडी एवं प्लाट नंम्बर 110

श्री नारायण पुत्र श्री चैलाराम जो सरपंच का छोटा भाई है के नाम से अन्तिम नीलामी बोली पर विक्रय किये गये हैं। अन्तिम निलामी बोली प्लाट नं. 109, 110, 111 की क्रमशः 921/- 975- एवं 981/- रुपये आई थी।

2. प्लाट नं. 112, 113 :-

ये दोनों प्लाट ग्राम सेवक श्री रामेश्वर लाल के पुत्र श्री प्रमोद कुमार एवं श्री नरेश कुमार के नाम से अन्तिम नीलामी में क्रमशः 361/- एवं 971/- रुपये पर विक्रय किये गये हैं।

3 प्लाट नं. 114 :-

यह प्लाट श्री भंवर लाल वार्ड पंच की पत्नि श्रीमती फेफी के द्वारा अन्तिम नीलामी बोली 985/- रुपये में पंचायत द्वारा किया गया है।

4. प्लाट नं. 115 :-

यह प्लाट वार्ड पंच श्री मांगीलाल के भाई श्री कुकाराम पुत्र श्री पन्नाराम सीखी के नाम से अन्तिम नीलामी बोली 965/- रुपये पर विक्रय किया गया है।

5. प्लाट नं. 116 :-

यह प्लाट वार्ड पंच श्री नारायण लाल के भाई श्री रूघाराम पुत्र श्री नेनाराम के नाम से अन्तिम नीलामी बोली 995/- रुपये पर विक्रय किया गया है।

6. प्लाट नं. 117 :-

यह प्लाट वार्ड पंच श्री बीरम पुत्र श्री तिलोकराम के नाम से अन्तिम नीलामी बोली 996/- रुपये पर विक्रय किया गया है।

7. प्लाट नं. 118 :

यह प्लाट श्री माणक चन्द पुत्र श्री सीताराम जाति लौहार से अन्तिम नीलामी बोली 999/- रुपये पर विक्रय किया गया है।

उपरोक्त समस्त विक्रय किये गये प्लाटों की पत्रावलियां जो कि फोटो कापी के रूप में संलग्न है, अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्लाट संख्या 109 से 118 तक की नीलामी में मात्र 12 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया एवं 3 प्लाट सरपंच के

रिश्तेदारों ने लिए, 4 प्लाट वार्ड पंच अथवा उनके रिश्तेदारों ने लिए 2 प्लाट ग्राम सेवक के पुत्रों ने लिए व एक प्लाट एक अन्य व्यक्ति ने लिया है। समस्त 10 प्लाट एक हजार रुपयों के अन्दर-अन्दर विक्रय किये गये हैं। ये सभी प्लाट यदि सार्वजनिक रूप से नीलाम किये जाते तो 10 से 15 हजार रुपयों तक की बोली आने की संभावना थी क्योंकि ये प्लाट जिस जगह पर स्थित हैं उनकी मौका स्थिति अच्छी है है।

अतः मूल शिकायत पत्र एवं जांच रिपोर्ट तथा सम्बन्धित पत्रावलियों की फ़ोटो प्रतियां, जो पंचायत समिति द्वारा भेजी गई हैं, इस पत्र के संलग्न उचित कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राजस्थान)

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 445 की सूची

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

क्रमांक सहा/346–70 दिनांक 8-5-90

संवत् 2044 के अपूर्ण सड़क कार्यों की स्वीकृति आदेश विधान सभा क्षेत्र सिवाना
कार्यकारी अभिकरण-सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा

क्र. सं.	नाम कार्य	मौतिक लक्ष्य क्षेत्रफल/लम्बाई कि. मी.	प्रभावित अभावग्रस्त गांव का नाम	योग (स्वीकृत राशि) (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	मरम्मत कार्य एवं निर्माण कार्य बुडीवाड़ा से मूठली	12	मूठली	1.10
2.	पंऊ से काखो	07	पंऊ	2 25
3.	मैली से लालाना	05	मैली	2.00
4.	राखी से भूती	04	राखी	1.80
5.	बामसीन से सार्वरडा	04	बामसीन	0.90
6.	मोतीसरा/से डाबली	07	मोतीसरा	1.00
7.	अजियाना से बिजलिया	03	अजीयाना	0.63
8.	करमावास से राखी	10	करमावास	1.00
9.	कूम्पावास से बामसींण	05	कूम्पावास	2.40
10.	सम्पर्क सड़क खरटिया	09	खरटिया	1.30
11.	समदड़ी अजीत रामपुरा	23	अजीत, रामपुरा	0.80
			योग—	15.18

संवत् 2044 के अपूर्ण बाढ़ बचाव कार्यो की स्वीकृति विधान सभा क्षेत्र सिवाना
क्रमांक : सहा/जरोयो/90/274–95 दिनांक 8-5-90

सिचाई विभाग, बाड़मेर

1	2	3	4
1.	आमसीण बाढ़ बचाव कार्य	बामसीण	1.273
2.	भानावास ,, ,,	भानावास	0.600
3.	सांवरडा ,, ,,	सांवरडा	3.00
4.	पायलाकल ,, ,,	पायलाकला	2.06
		योग (4)	6.933

जिला कलेक्टर (सहायता)
बाड़मेर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

क्रमांक : सहा/जरोयो/98–91/. 612–28 दिनांक 17-5-90

संवत् 2043 व 2044 में अपूर्ण रहे सिंचाई कुओं की स्वीकृति आदेश

तहसील–सिवाना

क्र. सं.	नाम कृषक मय वल्दियत	जाति	गांव	सहा. कार्य- जरोयो में वर्त- मान स्वीकृति राशि श्रम मद
1	2	3	4	5
1.	थानसिह/जयसिह	राजपूत	मवड़ी	2000
2.	पदमसिह/लक्ष्मणसिह	,,	,,	2000
3.	कानसिह/सरदारसिह	,,	,,	4000

1	2	3	4	5
4.	दीपसिंह/लक्ष्मणसिंह	,,	0,	3800
5.	बुधाराम/राणा	चौधरी	मेली	3200
6.	देवाराम/चिमनारा	भांभी	मेली	3600
7.	बद्रीदास/हनुमानदास	संत	देवलियाली	5400
8.	खीमा/अजराराम	भील	,,	6800
9.	हुकमाराम/अचलाराम	चौधरी	बामसीन	6800
10.	भवानीसिंह/धूडसिंह	राजपूत	बिजलिया	4500
11.	देवा/छोगा	,,	,,	2500
12.	मदनसिंह/मानसिंह	राजपूत	,,	3200
13.	राईका/छोना	रबारी	,,	3200
14.	हसमल/आसु	,,	,,	2000
15.	भंवरसिंह/मानसिंह	राजपूत	,,	5000
16.	हकीया/जोईता	रबारी	,,	3500
17.	ओखा/थान	वणाक	अर्जियाना	2500
18.	हमीरिंग/छोगा	पुरे	,,	1500
19.	सुखाराम/भीमाराम	भील	पूलण	3400
20.	लाखाराम/करमाराम	लुहार	,,	1000
21.	प्रहलाद/मिसरी	विश्नोई	देवाड़ा	1200
22.	मोहन/धना	,,	पूलण	2100
23.	जोगाराम/बाधाराम	,,	,,	2100
24.	बाबूदास/देवाराम	संत	देवड़ा	2500
25.	महन्त/रूपाभारती	,,	,,	4000
26.	बगदाराम/पेमाराम	चौधरी	लालना	8000
27.	रामाराम/भभूताराम	,,	,,	8000
28.	रूपसिंह/मानसिंह	राजपूत	खिदावड़ा	4400
29.	पुनमा/देराम	मेघवाल	समदड़ी	3500

1	2	3	4	5
30.	मनूदेवी/हीराराम	चौधरी	,,	2200
31.	मोहनाराम, पुनमाराम	हरीजन	अजीत	1400
32.	जेती/मूला	चौधरी	पातों का बाड़ा	5200
33.	भैराराम/वीरमाराम	कुमार	मानावास	1900
34.	कानिया/नारूराम	,,	,,	4000
35.	बुधिया/वालाराम	,,	,,	4000
36.	जबरसिंह/मंगलसिंह	राजपूत	,,	4500
37.	शंकरसिंह/नाथूसिंह	रा. रा.	मियोका बाड़ा	4500
38.	ओमीया/उदा	माली	रामपुरा	5500
39.	चांदाराम/सवाराम	भील	,,	5500
40.	नरसिंह/राणा	पुरो.	सिलोर	1200
41.	मोहनसिंह/नूनसिंह	राजपूत	,,	4400
42.	दुर्गजी सोनजी	पुरो.	सिलोर	2000
43.	बस्तीराम/रावताजी	,,	,,	2000
44.	प्रभुराम/उमाराम	चौधरी	जेठतरी	2000
45.	लालसिंह/प्रतापसिंह	पुरो.	सिलोर	2000
46.	बस्तीराम/नेनजी	,,	,,	4500
47.	नरपतसिंह/उदयसिंह	राजपूत	जेठतरी	6000
48.	हडमानदेवी/भैरसिंह	पुरो.	सिलोर	6000
49.	ठाकरसिंह/गुणेशजी	,,	,,	6000
50.	डूंगरराम/जोधाजी	,,	जेठतरी	6000
51.	पोकरिया/हिम्मता	मेगवाल	सिलोर	2000
52.	चेनसिंह/मोतीसिंह	राजपूत	गोदो का बाड़ा	6000
53.	लाला/रामा	चौधरी	कोटड़ी	1500
54.	सोहनपुरी/लूम्बापुरी	स्वामी	,,	1000
55.	नारायण/कालू	भील	,,	1500

1	2	3	4	5
56.	हडमता/सोनी	रबारी	,,	2200
57.	सोहनसिह/पूनमसिंह	रा. रा.	,,	2000
58.	मोटा/राजूजी	चौधरी	,,	2500
59.	मानजी/जेठाजी	रा. रा.	,,	1000
60.	हेमपुरी/लुम्बपुरी	स्वामी	,,	1800
61.	बगदा/मगा	नाई	,,	1000
62.	प्रभुदास/घनश्यामदास	संत	,,	2500
63.	विरधा/खेता	चौधरी	कोटडी	6000
64.	राजेशकुमार/तेजराम	जैन	,,	6000
65.	मेंरा/दुर्गा	,,	,,	6000
66.	चतरसिंह/रावतसिंह	राजपूत	,,	6000
67.	पदमसिंह/नगसिंह	,,	मवड़ी	6000
		योग (67)		23,9000/-

जिला कलक्टर (सहायता)
बाड़मेर

शुद्धि–पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	2	के	का
2.	7	3	अय्यक्ष	अध्यक्ष
3.	39	1	श्री हीरालाल खर्रा	श्री हरलाल सिंह खर्रा
4.	58	फोलियो	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
5.	95	24	परिशिष्ट–19	परिशिष्ट–17
6.	117	17	डेगाना तहसील की खस्ता हाल	डेगाना तहसील की सड़कों की खस्ता हालत
7.	124	23	(सिवाडा)	(सिवाना)
8.	265	10	श्री अय्यक्ष	श्री अध्यक्ष
9.	268	फोलियो	अध्यक्ष	अध्यक्षीय
10.	589	1	,, ,,	,, ,,
11.	299	फोलियो	स्प.प्र. आदि पर चर्चा	स्थ.प्र. आदि. पर चर्चा
12.	335	4	समर्थरय	समरथ
13.	363	10	बेनेवाल	बेनीवाल
14.	407	23	(नोख)	(नोखा)
15.	474	1	श्री परस राज	श्री परसराम
16.	463	20	श्री सुरेन्द्र ध्यास	श्री सुरेन्द्र व्यास
17.	475	17	—	शासकीय वक्तव्य
18.	475	18	आसान	आसाम